खण्ड-278, अंक-2
बुधवार, 15 श्रावण, शक संवत् 1891
(6 अगस्त, 1969 ई0)

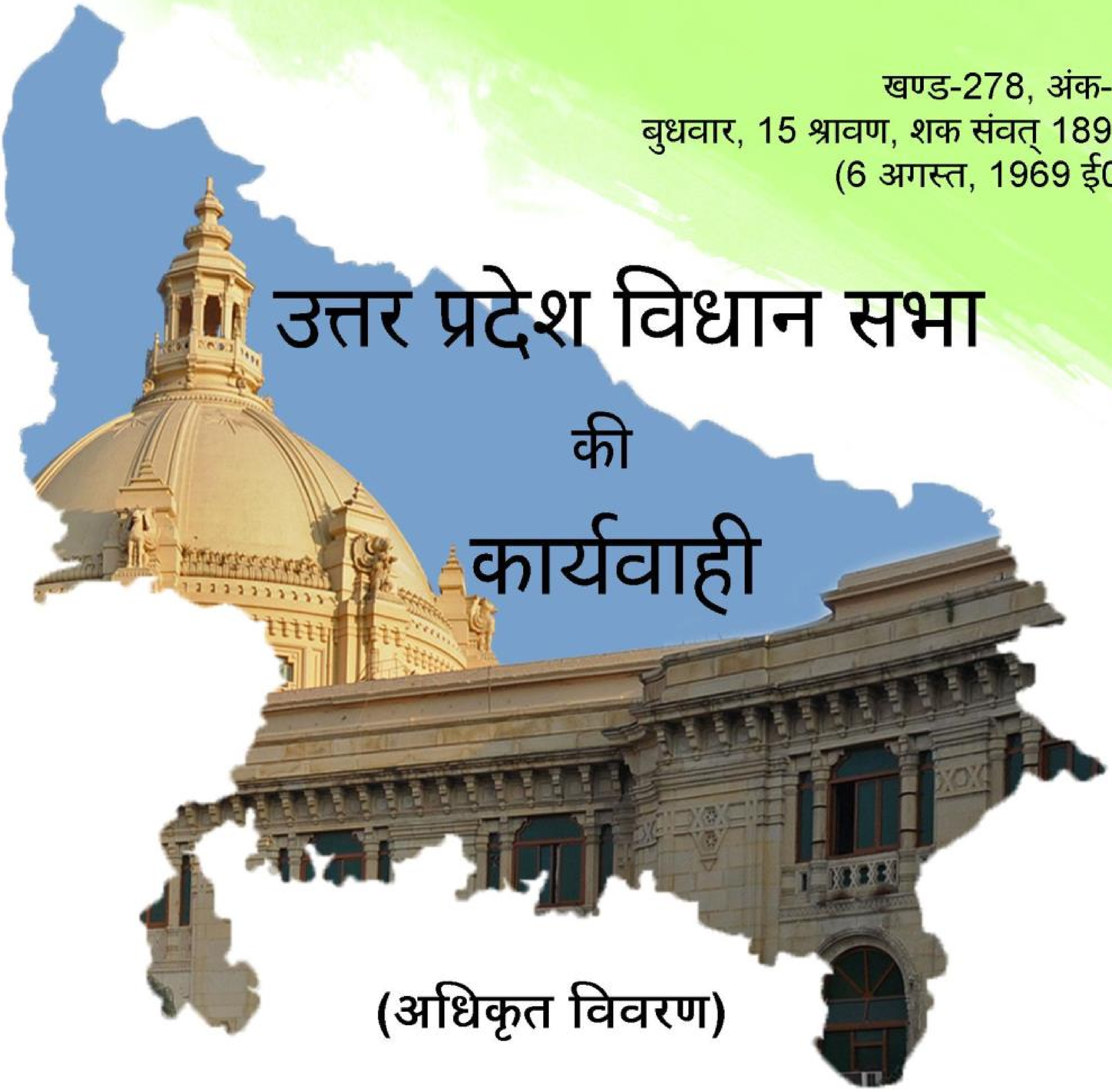

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 278 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९६९

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 25 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	१३३–१३७
प्रश्नोत्तर	१३८–१६२
कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा समय निर्धारण का प्रस्ताव (स्वीकृत) ..	१६३–१६४
उत्तर प्रदेश नगरमहापालिका (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, १९६९ (सदन के पटल पर रखा गया)	१६४
उत्तर प्रदेश गांव पंचायत, क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् (संशोधन) विधेयक, १९६९ (सदन के पटल पर रखा गया)	१६४
श्री धर्मवीर के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना (अनुज्ञा नहीं दी गई)	१६४–१६९
१ अगस्त, १९६९ के तारांकित प्रश्न ४ के अनुपूरक प्रश्न के उत्तर का शोधन..	१६९–१७१
१९६९–७० के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या १८—शिक्षा (जारी)	१७१–२२४
हलवाइयों द्वारा सांकेतिक हड़ताल के सम्बन्ध में नियम ५१ के अन्तर्गत सूचना..	२२४–२२५
ग्राम सिसौटा, जिला मुरादाबाद में हरिजनों पर हमले के सम्बन्ध में नियम ५१ के अन्तर्गत वक्तव्य	२२५–२३०
नस्थियां	२३१–२४४

अध्यक्ष पुस्तकालय

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बुधवार, ६ अगस्त, १९६९

विधान सभा की बैठक, सभा मंडप, लखनऊ में १०.३० बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य—४०४

अजब सिंह, श्री
अजीत प्रताप सिंह, श्री
अतीकुर्रहमान, श्री
अनन्तराम जायसवाल, श्री
अनवार अहमद, श्री
अनीसुर्रहमान, श्री
अब्दुल गफ़्फ़ार हाशमी, श्री
अब्दुल सलाम शाह, श्री
अभिमन्यु प्रसाद पांडेय, श्री
अमरनाथ, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधेश कुमार, श्री
अवधेश प्रताप मल्ल, श्री
अवेद्यनाथ, श्री
अशफाक अहमद, श्री
अशरफ़ अली खां, श्री
अहमदलूत खां, श्री
आनन्द ब्रह्मशाह, श्री
आनन्द सिंह, श्री
आबिद अली, श्री
आशाराम इन्दु, श्री
आशा सिंह, श्रीमती
इन्द्रजीत, श्री
इन्द्रमणी, श्री
इन्द्रमोहिनी, श्रीमती
इन्द्रलाल, श्री
इम्तियाज हुसैन, श्री
ईश्वर दयाल, श्री
उदय नाथ, श्री
उदय प्रताप सिंह, श्री
उपेन्द्रनाथ, श्री
उमाकान्त बाजपेयी, श्री
उमादत्त शर्मा, श्री
उमानाथ सिंह, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उमाशंकर शुक्ला, श्री
ऋषिपाल सिंह, श्री
ए० सी० ग्राइस, श्री
ओम प्रकाश सिंह, श्री
कन्हैया लाल, श्री
कन्हैया लाल बाल्मीकी, श्री
कन्हैया लाल सोनकर, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
करन सिंह, श्री
कलारानी, श्रीमती
कल्पनाथ सिंह, श्री
कल्यान सिंह, श्री
किशन लाल, श्री
कुदसिया बेगम, श्रीमती
कृपा दयाल, श्री
कृष्णकान्त, श्री
कृष्णदत्त, श्री (उर्फ़ बालराज)
कृष्ण मगन सिंह, श्री
कृष्णसिंह, श्री
कृष्णस्वरूप, श्री
कृष्णानन्दराय, श्री
केदारनाथ, श्री
केशव चन्द्र सिंह, श्री
केशोराम, श्री (जिला बदायूं)
केशोराम, श्री (जिला बरेली)

कोरी सुखलाल, श्री
खचेड़ सिंह मोहरिया, श्री
गंगा प्रसाद, श्री (जिला एटा)
गंगा सिंह, श्री
गजेंद्र सिंह, श्री
गनेशदत्त बाजपेयी, श्री
गया प्रसाद, श्री
गायत्री देवी, श्रीमती
गिरजा शंकर, श्री
गिरधारीलाल, चौधरी
गुप्तार सिंह, श्री
गुलाब सिंह, श्री
गेंदासिंह, श्री
गोपालदत्त, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोविन्द सिंह, श्री
गोस्वामी राधाकृष्ण, श्री
घासीराम, श्री
चंचल सिंह, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रनारायण सिंह, श्री
चन्द्रपाल आजाद, श्री
चन्द्र प्रताप नरायन सिंह, कुंवर
चन्द्रभान, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रमणि कांत सिंह, श्री
चन्द्रमोहन सिंह, श्री
चरणसिंह, श्री
चित्तर सिंह, श्री
चिरंजीलाल, श्री
चेतराम गंगवार, श्री
छांगुर, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जंगबहादुर, श्री
जंगबहादुरसिंह, श्री
जगदम्बा प्रसाद, श्री
जगदीश गांधी, श्री
जगदीश प्रसाद, श्री
जगदीश्वर दयाल, डाक्टर
(उर्फ मन्ना)
जगन नाथ खन्ना, श्री
जगन प्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथप्रसाद, श्री
जगन्नाथ राव, श्री
जगरनाथ, श्री
जगवीर सिंह, श्री
जमादार, श्री
जयनारायणसिंह, श्री
जलील अब्बासी, श्री
जितेन्द्रपाल सिंह, श्री
जे० एन० सिन्हा, श्री
जेराम, श्री
ज्वाला प्रसाद कुरील, श्री
डी० पी० बोरा, श्री
डूंगरसिंह, श्री
तेज नरायन, श्री
तेजपाल, श्री
तेज बहादुर, श्री
तेजभान सिंह, कुंवर
त्रिलोकचन्द्र, श्री
त्रिवेणी, श्री
त्रिवेणी सहाय, श्री (जिला बदायूं)
दल सिंगार, श्री
दीपनरायन बन, श्री
दीपनारायण मणि, श्री
दुर्जन, श्री
दुलारे लाल, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवराम, श्री
देवेंद्रसिंह, कुंवर
धनपधारी पांडेय, श्री
धर्मदत्त, श्री
धर्मवीर, श्री
धर्मवीरसिंह, श्री
(जिला मुजफ्फरनगर)
धर्मवीर सिंह, (जिला मेरठ)
धर्म सिंह, श्री
धूम प्रसाद श्री
नगीना सिंह, श्री
नत्था राम रावत, श्री
नरेंद्र सिंह, श्री (जिला चमोली)
नरेंद्र सिंह बिष्ट, श्री (जिला पिथौरागढ़)
नरोत्तम सिंह, श्री
नसीम उद्दीन, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायण दास, श्री
नित्यानन्द स्वामी, श्री
निर्भय नारायण सिंह, श्री
(उर्फ लाल बाबू)
निहाला सिंह, श्री
नतराम सिंह, श्री
नैनसिंह, श्री

नेपाल, श्री
नौनिहालसिंह, श्री
पन्नालाल, श्री
परमाईलाल, श्री
पारसनाथ सिंह, श्री
पूरनचन्द, श्री
प्यारीदेवी गुप्ता, श्रीमती
प्यारेलाल, श्री
प्रकाश नारायण गुप्ता, डाक्टर
प्रताप नारायण, श्री
प्रभाकर त्रिपाठी,
प्रियदर्शी जेटली,, श्री
प्रेमचन्द्र शर्मा, श्री
प्रेमनारायण, श्री
फिरंगी, श्री
बंश गोपाल शुक्ल, श्री
बंशीधर, श्री
बंशीधर पांडेय, श्री
बंशीधर मिश्रा, श्री
बच्चा पाठक, श्री
बदनसिंह, श्री
बद्री प्रसाद, श्री
बनारसी, श्री
बब्बन, श्री
बलराम सिंह यादव, श्री
बलवीर सिंह, श्री
बसन्तलाल, श्री (जिला जालौन)
बसंतलाल, श्री (जिला लखनऊ)
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बांकेलाल, श्री
बिशन लाल, श्री
बिहारीलाल, श्री
बेनीसिंह, श्री
बैजनाथ, श्री (जिला देवरिया)
बैजनाथ, श्री (जिला वाराणसी)
ब्रजराज सिंह, श्री
भगवत दयाल सिलोइया, डाक्टर
भगवती सिंह विशारद, श्री
भगेलू सिंह, श्री
भगौती, श्री
भगौती प्रसाद शुक्ल, श्री
भगौती सिंह, श्री
भानु प्रताप सिंह, श्री (जिला बरेली)
भाभी, श्री
भारतसिंह चौहान, श्री
भीमा प्रसाद, श्री
मंगल उपाध्याय, श्री
मदन मोहन मिश्रा, श्री
मनफूलसिंह, श्री
मनसाराम, श्री
मनोहरलाल, श्री
मंजूर अहमद, श्री
मलिखान सिंह, श्री
मसाली देवी, श्री
महमूद हसन, खां, श्री
मुहम्मद नबी, श्री
महरम सिंह, श्री
महातम, श्री
महादेव प्रसाद, श्री
महावीरसिंह, श्री (जिला अलीगढ़)
महावीरसिंह, श्री (जिला सहारनपुर)
महीरज ध्वज सिंह, श्री
(उर्फ बाबू भैया)
महीलाल, श्री
महेंद्र सिंह, श्री (जिला अलीगढ़)
महेश्वरदत्त सिंह, श्री
माखन लाल, श्री
माता प्रसाद, श्री
माधव प्रसाद त्रिपाठी, श्री
मानवती देवी, श्रीमती
मुन्शीलाल चमार, श्री
मुमताज मोहम्मद खां, श्री
मुस्तफा कामिल किदवाई, श्री
मेहरबान सिंह, श्री
मैनेजर सिंह, श्री
मोतीलाल, श्री
मोतीलाल देहलवी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल कपूर, श्री
मोहन सिंह, श्री
मोहम्मद असरार अहमद, श्री
मो० महमूद अली खां, श्री
यादवेंद्र सिंह, श्री
(उर्फ लल्लन जी)
रघुनाथ सिंह, श्री (जिला आगरा)
रघुनाथ सिंह, श्री (जिला कानपुर)
रघुनाथ सिंह वर्मा, श्री
रघुराजसिंह, चौधरी
रघुवीर सिंह यादव, श्री
राजनाथ, श्री
राजपती देवी, श्रीमती
राजबहादुर चन्द, श्री

राजबिहारी सिंह, श्री
राज मंगल पांडेय, श्री
राजाराम पाण्डेय, श्री
राजितराम, श्री
राजेन्द्र किशोरी, श्रीमती
राजेन्द्र कुमार शर्मा, श्री
राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्र प्रताप सिंह, श्री
राजेश्वर सिंह, श्री
राम अवध, श्री
रामकरन, श्री (जिला गाजीपुर)
राम किंकर, श्री
रामकिशोर शुक्ल, श्री
रामकुंवर, श्री
रामकुमार, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामगोपाल संड, श्री
रामचन्द्र आजाद, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचरण, श्री (जिला इलाहाबाद)
रामचरन, श्री (जिला आगरा)
रामजियावन, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
राम दुलारे, श्री
रामदेव, श्री
रामधारी, श्री
रामनिहोर, श्री
राम निहोर राय, श्री
रामपति, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपाल सिंह, श्री
रामपाल सिंह यादव, चौधरी
रामपूजन पटेल, श्री
रामप्यारे, श्री
रामप्यारे शुक्ला, श्री
राम प्रसाद, श्री
राम प्रसाद देशमुख, श्री
रामबचन, श्री (जिला आजमगढ़, फूलपुर)
रामबचन यादव, श्री
(जिला आजमगढ़, रानी की सराय)
राममूर्ति 'अंचल', श्री
रामरतन, श्री
राम रतन पांडेय, श्री
रामलखन, श्री
रामलखन शुक्ल, श्री
रामलखन सिंह, श्री
राम लगन दूबे, श्री
रामलाल, श्री
रामलाल भाई, श्री
रामलाल राही, श्री
राम विलास, श्री
रामशिरोमणि, श्री
रामसागर, श्री
रामसिंह, श्री
राम सिंह खन्ना, श्री
रामसूरत सिंह, श्री
रामसेवक, श्री
रामस्वरूप वर्मा, श्री
राम हरख, श्री
राव अब्दुर रफी खां, श्री
रियासत हुसैन, श्री
रूपनाथ सिंह यादव, श्री
रूप राम, श्री
लक्ष्मणस्वरूप, श्री
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लालन शर्मा, श्री
लालबहादुर, श्री
लालसा, श्री
लालसा प्रसाद, श्री
लालू, श्री
लीलाधर, श्री
वशिष्ठ नारायण शर्मा, श्री
वासुदेव, श्री
वासुदेवसिंह, श्री
विक्रम सिंह, श्री
विजय कुमार त्रिपाठी, राजा
विजय शंकर सिंह, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विशम्भर सिंह यादव, श्री
विश्रामदास, श्री
विश्वनाथ कपूर, श्री
विश्वनाथ प्रताप सिंह, श्री
वीरबहादुर सिंह, श्री
वीरेन्द्र कुमार, चौधरी
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्र स्वरूप, श्री
शंकर प्रसाद जायसवाल, श्री
शकुंतला देवी, श्रीमती
शचींद्र नाथ बख्शी, श्री
शफीक अहमद खां, श्री
शमीम आलम, श्री
शम्भू नाथ चौधरी, श्री

शम्भूनारायण सिंह, श्री
शान्ती चरन पिड़ारा, श्री
शांति देवी, श्रीमती
शांति प्रपन्न शर्मा, श्री
शिव कुमार, श्री (जिला शाहजहांपुर)
शिव कुमार, श्री (जिला सुल्तानपुर)
शिव कैलाश, श्री
शिवदास, श्री
शिवपाल सिंह, श्री
शिव प्रसाद पांडिया, श्री
शिवबचन, श्री
शिव महेन्द्र सिंह, कुंवर (उर्फ शेरसिंह)
शिवराज सिंह, श्री
शिवलाल, श्री
शिववक्ष सिंह राठौर, श्री
शिव शंकर, श्री
शिव शंकर सिंह, श्री
शिव सम्पत्ति शर्मा, श्री
शिवानन्द नौटियाल, श्री
शीतला प्रसाद सिंह, श्री
शुकरू, श्री
शेर अली खां, श्री
शेरसिंह दानू, श्री
शेष नारायण शुक्ल, श्री
शौनाथ सिंह, श्री
श्याम किशोर, डाक्टर
श्यामलाल , श्री
श्याम लाल रावत, श्री
श्याम सुन्दर लाल गुप्त, श्री (उर्फ छन्नू बाबू)
श्याम सूरत, श्री
श्रीनिवास प्रसाद सिंह, राजा
श्रीराम सिंह, श्री
श्रीशचन्द्र, श्री
सईद मुर्तजा, श्री
सच्चिदानन्द, श्री
सजीवन, लाल, श्री
सतीश चन्द्र, श्री
सत्तार अहमद श्री
सन्तराम, श्री
सन्तू, श्री
सरदार सिंह, श्री
सरस्वती देवी, श्रीमती
सर्वसुख सिंह, श्री
सिंघा दुलारी, श्रीमती
सियाराम, श्री
सियाराम गंगवार, डाक्टर
सीताराम डाक्टर
सुखबीर, श्री
सुखपाल पांडेय, श्री
सुदामा प्रसाद गोस्वामी, श्री
सुरेन्द्र विक्रम, श्री
सूबेदार प्रसाद, श्री
सूबेदार सिंह, श्री
सूर्यनाथ, श्री
सेवाराम, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
सौभाग्यवती, श्रीमती
स्वामी प्रसाद सिंह, श्री
हंसा, श्री
हबीब अहमद, श्री
हबीबुर्रहमान श्री
हमीदा हबीबुउल्ला, श्रीमती
हरनरायन, श्री
हरवंश प्रसाद, श्री
हरिनाथ तिवारी, श्री
हरिप्रसाद शाही, डाक्टर
हरिवंश, श्री
हरिहर बख्श सिंह, राजा
हरीदत्त कान्डपाल, श्री
हरीसिंह, श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हुक्म सिंह, श्री (जिला आगरा–फतेहाबाद)
हुक्म सिंह, श्री (जिला आगरा–पश्चिम)
होतीलाल अग्रवाल, श्री

प्रश्नोत्तर

बुधवार, ६ अगस्त, १९६९

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

उसहत बांध के पुनर्निर्माण की मांग

**१—श्री कृष्ण स्वरूप (जिला बदायूं)—

क्या सरकार को इसकी जानकारी है कि बदायूं जिले में गंगा नदी पर बना उसहत बांध टूट रहा है जिससे कि क्षेत्र के कुछ ग्रामों एवं खड़ी फसल के लिये भीषण संकट है ? यदि हां, तो सरकार उसकी रोकथाम के लिये क्या कार्यवाही कर रही है ?

उप मुख्य मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)—

पहला भाग—

जी हां ।

दूसरा भाग—

शासन द्वारा द्वितीय निवृत्ति बांध की योजना कार्यान्वित की जा रही थी किन्तु जन विरोध के कारण उक्त कार्य सम्पन्न न हो सका । कोई लघु अस्थाई सुरक्षा योजना इस बांध को तथा इसके पृष्ठ भू-भाग को इस वर्ष बचाव देने में असमर्थ थी ।

श्री कृष्ण स्वरूप—

प्रश्न के उत्तर में यह कहा गया कि जन-विरोध के कारण उक्त कार्य सम्पन्न नहीं हो सका । तो क्या माननीय उप मुख्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि वह जन विरोध क्या था, कितने लोगों ने विरोध किया और उस क्षेत्र के कितने ग्रामवासियों और प्रधानों ने मांग की कि इस बांध को बनवाया जाय ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

मान्यवर, गत वर्ष ही इस बांध को बनवाने का कार्य आरम्भ किया गया । उसका बहुत ज्यादा विरोध हुआ । गांव सभाओं के सभापतियों ने और दूसरे लोगों ने भी लिख कर दिया कि यह दूसरा बांध न बनाया जाय । बात यह है कि यह जो पुराना बांध है यह जमींदारों का बनवाया हुआ बांध है । यह टूट गया सन् ६३ में और इससे बहुत बड़ी बाढ़ गंगा में आ गई । तब यह बांध सिंचाई विभाग को मरम्मत करने के लिये सौंप दिया गया । ६३–६४ में ३ मील १ फर्लांग लम्बाई में एक नया रिटायर बांध बनाया गया, वह भी सन् ६५ में टूट गया । तब इस मामले में रुड़की की अनुसंधानशाला ने विचार किया और दूसरा बांध बनाने की राय दी । अब वह दूसरा बांध बनाने लगे तो किसानों का बड़ा विरोध हुआ कि हमारी जमीन जाती है, आप बांध न बनाएं । फिर यह हुआ कि बांध नहीं बनेगा तो बाढ़ आ जायगी । तो उन्होंने कहा कि बाढ़ बर्दाश्त कर लेंगे, क्योंकि थोड़े दिन के लिये आती है, लेकिन बांध बनने से हमारी जमीन निकल जायगी । उन्होंने विरोध किया, लिख कर भी पत्र दिये, वह कार्यालय में मौजूद है, माननीय सदस्य चाहेंगे तो दिखा लूंगा, जिसमें लिखा है कि थोड़ी बहुत बाढ़ आ जायगी तो हम बर्दाश्त कर लेंगे लेकिन बांध न बनाया जाय । इस वर्ष फिर कोशिश की गई लेकिन विरोध हुआ । अगर माननीय सदस्य सहायता करें और वहां के लोग किसी प्रकार का उपद्रव न खड़ा करें और बांध बनाने दें तो सरकार तो उसे मंजूर कर चुकी है, पैसा मंजूर हुआ है, डिजाइन बन चुकी है, हम बनवा दें ।

श्री कृष्ण स्वरूप—

वह जो विरोध किया गया और जो दरख्वास्त है वह कितने ग्रामवासियों के हस्ताक्षर से है और उस विरोध पत्र को क्या माननीय मुख्य मंत्री जी पढ़ने की कृपा करेंगे कि और क्या यह भी बताने की कृपा करेंगे कि उसी क्षेत्र के कितने लोगों ने बांध बनवाने की मांग की है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

ग्राम सभाओं का पत्र तो इस समय मेरे पास नहीं है, लेकिन ग्राम सभाओं का पत्र है, वह मैंने स्वयं देखा है , माननीय सदस्य चाहेंगे तो मैं दिखा दूंगा ।

श्री ओम प्रकाश सिंह (जिला बरेली)—

क्या माननीय मंत्री जी जन हित को देखते हुये तथा उस क्षेत्र के हित को देखते हुये, केवल थोड़े लोगों के विरोध की परवाह न करते हुये, इस बांध को शीघ्र बनवाने की कृपा करेंगे ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

अवश्य, लेकिन उसके लिये माननीय सदस्यों के सहयोग की आवश्यकता होगी, क्योंकि उसके बनाने के लिये काफी जमीन जायगी और किसान कहते हैं कि दो बार हम जमीन दे चुके हैं, अब हमारी जमीन न ली जाय । वे कहते हैं कि हम बाढ़ की मुसीबत उठा लेंगे, मगर और जमीन नहीं देंगे । तो इस कार्य में आपकी सहायता चाहिये । आपको मालूम है कि पहले इसके दो बांध बने थे, जो टूट गये ।

श्री सुरेन्द्र विक्रम (जिला शाहजहांपुर)—

जहां पर पहले दो बांध बने थे वहां पर ही बना दीजिये ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

उसी जमीन पर बनाना संभव नहीं है, क्योंकि गंगा की धारा काफी बदल गयी है और उसने ३ फर्लांग का हिस्सा काट दिया है ।

श्री हिम्मत सिंह (जिला बुलन्दशहर)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इसके लिये कितने एकड़ जमीन की आवश्यकता होगी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

यह मैं अभी नहीं बता सकता मान्यवर, किन्तु इस योजना पर करीब-करीब ५० हजार रुपया खर्च होगा और काफी जमीन लेनी पड़ेगी, क्योंकि ३ मील में इसको बनाना है ।

श्री शम्भूनाथ चौधरी (जिला बलिया)—

जो पहले के दोनों बांध कट गये, उनको बचाने के लिये सरकार की ओर से क्या प्रबन्ध किये गये ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

मैंने निवेदन किया कि यह रिटायर्ड बांध तीसरा बांध होगा और रुड़की की अनुसंधानशाला ने इसकी जांच-पड़ताल की है । बाढ़ निरोधक समिति ने भी इसको मंजूर किया है । अब अगर विरोध नहीं होगा तो इसको बनाने की योजना है ।

श्री कृष्ण स्वरूप—

संविद सरकार के समय में जब माननीय टम्बेश्वर प्रसाद सिंचाई मंत्री थे तो वे बदायूं गये थे और उन्होंने उस क्षेत्र के लोगों तथा अधिकारियों को बुलाकर परामर्श किया था, तो उन्होंने अपना क्या नोट दिया है, इस संबंध में ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

जो पहला बांध था उसकी बारसाल मरम्मत की गयी थी। अब इस वर्ष क्योंकि गंगा बहुत करीब आ गयी है और उसने उसको काट दिया है, यह चीज पैदा हो गयी है।

वित्त विभाग के कर्मचारियों को मानदेय

**२—श्री रामगोपाल संड (जिला इलाहाबाद)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वित्त विभाग द्वारा बजट को तैयार करने हेतु पारितोषिक दिया जाता है? यदि हां, तो इस वर्ष प्रति कर्मचारी तथा अधिकारी को कितना-कितना पारितोषिक दिया गया?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य (वित्त मंत्री)—

जी हां, मानदेय दिया जाता है। इस वर्ष का अन्तिम बजट हाल ही में विधान मंडल के समक्ष प्रस्तुत किया गया है इसलिये मानदेय देने के प्रश्न पर अभी तक विचार नहीं किया गया है। अधीक्षक से ऊंचे पद के अधिकारियों को मानदेय नहीं दिया जाता है।

श्री रामगोपाल संड—

क्या सरकार इस बात को ध्यान में रखते हुये कि सत्रकाल में और विशेष कर बजट अधिवेशन-काल में विधान सभा सचिवालय के कर्मचारियों को प्रायः साढ़े ८ बजे प्रातः से रात साढ़े ८ बजे रात तक कार्य करना पड़ता है, और उन्हें अब तक कोई पारितोषिक आदि नहीं दिया जाता, अब पारितोषिक दिये जाने की किसी योजना पर विचार करेगी?

श्री अध्यक्ष—

विधान सभा सचिवालय के बारे में आप कृपया मुझसे प्रश्न मेरे कमरे में कीजिये, यहां नहीं, मुझसे कहिये उसके लिये।

श्री रामगोपाल संड—

मैं बड़ी नम्रता से आपसे कह रहा हूं, आप कृपया इस पर ध्यान दें, जब बजट अधिवेशन होता है तो आपके विभाग के कर्मचारियों को सवेरे साढ़े आठ बजे से रात के साढ़े आठ बजे तक निरन्तर काम करना पड़ता है तो जिस सिद्धान्त के आधार पर वित्त विभाग अपने कर्मचारियों को पारितोषिक देता है, उसी आधार पर आपके कर्मचारियों को भी मिलना चाहिये।

श्री अध्यक्ष—

यह ठीक है, मगर उसके लिये आप मुझसे कहिये।

श्री रामगोपाल संड—

श्रीमन्, जो कर्मचारी विधायक निवास में रहते हैं वे तो छुट्टी के दिन भी काम करते हैं, उनको क्या सरकार पारितोषिक देने के प्रश्न पर विचार करेगी, यह तो पूछ सकता हूं, सरकार से?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—

मैं प्रश्न समझा नहीं।

श्री अध्यक्ष—

आप विधायक निवास के बारे में अपना प्रश्न पूछ लें।

श्री रामगोपाल संड—

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि विधायक निवास के अन्दर बहुत से कर्मचारी काम करते हैं। वे रविवार के दिन और छुट्टियों के दिन भी काम करते हैं। तो रविवार की छुट्टी के

बदले में उनको कोई पारितोषिक दिया जायेगा। ऐसी कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—

ऐसी कोई योजना तो विचाराधीन नहीं है।

श्री रामगोपाल संड—

मैं प्रार्थना करूंगा कि क्या ऐसी योजना बनाने की कृपा करेंगे ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—

मान्यवर, इस बात को दिखवायेंगे। मोटे तौर पर तो यह बात ऐसी मालूम होती है कि न जाने रविवार के दिन कितने लोगों को काम करना पड़ता है। बारी से या ऐसे ढंग से करते हैं कि यदि रविवार के दिन कोई कार्य करे तो दूसरे दिन वह छुट्टी मना ले और दूसरे लोग काम करें।

श्री छांगुर (जिला आजमगढ़)—

बजट तैयार करने पर जो पारितोषिक दिया जाता है उसके विषय में माननीय मंत्री जी ने कहा कि उस पर विचार नहीं हुआ है। वह पारितोषिक देने का आधार क्या होगा ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—

मान्यवर, फाइनेंशियल हैन्ड बुक में इसका जिक्र है और यू० पी० के जो फन्डामेन्टल रूल्स हैं उनमें भी प्राविधान है कि विशेष काम करना पड़े, अधिक समय तक करना पड़े तो उसमें कुछ आनरेरियम दिया जाता है।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

मैं वित्त मंत्री से यह पूछना चाहता था कि यह तो उसूल ठीक है कि वित्त विभाग के लोग ज्यादा काम करते हैं। उनकी योग्यता पर काम के अनुसार पारितोषिक देते हैं और देना चाहिये। इसी संदर्भ में क्या माननीय मंत्री ने विचार किया कि जिस विभाग के लोग गलत एस्टीमेट्स देते हैं और बाद को वह बकाया बच जाता है, ऐसा अगर एक बार से अधिक हुआ हो तो क्या उनको कोई ऐंट्री या दंड मिलता है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—

दंड की व्यवस्था तो है यदि कोई गलती करे। और यदि कोई बड़ी गलती करता है तो विभागीय रूप से दंड की व्यवस्था है और दंड दिया जाता है।

तारांकित प्रश्न

गाजियाबाद मास्टर प्लान के अन्तर्गत अध्याप्त भूमि का मुआवजा

*१—श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)—

क्या स्वायत्त शासन मंत्री कृपा कर बतायेंगे कि गाजियाबाद मास्टर प्लान के अन्दर कुल कितनी भूमि किस-किस ग्राम की ली गई है और उस भूमि का ग्रामवार कितना-कितना मुआवजा दिया जा चुका है और किस दर से।

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री अतीकुर्रहमान)—

१(क) गाजियाबाद मास्टर प्लान के अन्तर्गत लगभग ५,९६२ एकड़ भूमि का अर्जन २१ मई, ६९ तक किया गया है। उक्त भूमि में से ३,७८२.३,०६५ एकड़ भूमि के एवार्ड घोषित हो चुके हैं और २,२०,१७,४०४ रु० में से २,०५,१२,६०० रु० अदा किया जा

चुका है । शेष भूमि जिसका क्षेत्रफल २,१७९.५९०१ एकड़ है उसका एवार्ड अभी घोषित नहीं हुआ है।

(ख) मुआवजे की दर प्रत्येक केस तथा ग्राम में भिन्न-भिन्न है ०.१७ पैसे से लेकर रु० ३.४० पैसे प्रति वर्ग गज तक दिया गया है।

(ग) ग्रामवार †सूचना संलग्न है।

*२—श्री रामचन्द्र विकल—

क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि गाजियाबाद मास्टर प्लान के अन्दर कितनी ऐसी भूमि है जिसका लगान भी अभी लिया जा रहा है और हाउस टैक्स भी ?

श्री अतीकुर्रहमान—

ऐसी कोई भूमि नहीं है जिस पर लगान और हाउस टैक्स दोनों लिये जा रहे हैं।

श्री रामचन्द्र विकल—

क्या माननीय स्वायत्त शासन मंत्री जी बतायेंगे कि जो अवार्ड घोषित हुआ, वह जमीन कितने दिन एक्वायर्ड रही, और उसके कितने दिन बाद वह अवार्ड घोषित हुआ ?

श्री अतीकुर्रहमान—

इसमें अवार्ड कितने दिन के बाद घोषित हुआ है इसके लिए जो सूची दी है तफसील-वार, उस सूची में यह नहीं दिया है कि कितने दिन के बाद अवार्ड घोषित हुआ है।

श्री रामचन्द्र विकल—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जमीन किसानों से कितने दिन पहले ली गयी, एवार्ड कब दिया गया और मुआविजा कितने दिनों से नहीं दिया गया है ?

श्री अतीकुर्रहमान—

मुआविजा कब दिया गया यह तो जो सूची दी हुयी है, उसमें दिया हुआ है, जितनी एकड़ जमीन पर कब्जा किया गया, जिस रेट पर कम्पेन्सेशन तय हुआ, जितना कम्पेन्सेशन तकसीम किया गया । बाग जमीन जो १९६० में थी उनकी कीमत उससे ज्यादा बढ़ गयी और एक्सग्रेशिया कम्पेन्सेशन दिया गया और उसको अदा किया गया । फिर जिनके नाम लगान था वह हटाया गया और अमल दरामद किया गया । यह सब मैंने तफसीलवार उनके पास भेज दिया है।

श्री वीरेन्द्र वर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि जब किसानों को मुआविजा दिया गया और जब उनकी जमीन ली गयी थी इस बीच में उनसे लगान भी वसूल होता रहा ?

श्री अतीकुर्रहमान—

जहां तक मेरी सूचना है, यह नहीं है लेकिन अगर जैसा कि माननीय रामचन्द्र विकल जी ने कहा और आपका भी इसरार है तो अगर कोई केस ऐसा हो और उसे मेरे इल्म में लाया जायगा तो उनको वापस कराया जायगा।

---

†छापी नहीं गई ।

श्री रामचन्द्र विकल—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिन जमीनों के एवार्ड घोषित नहीं हुए हैं, वे कब तक हो जायेंगे ?

श्री अतीकुर्रहमान—

इसका एक लम्बा-प्रोसिजर है। यह बोर्ड आफ रेवेन्यू तक जाता है। इसकी अपीलें होती हैं। दफा १८ के अन्दर वह कलेक्टर और लैंड एक्वीजीशन आफिसर के पास जाता है। बहुत ज्यादा तादाद में ऐसे केसेज नहीं हैं जो बाकी रह गये हैं। कोशिश यह होगी कि जितनी जल्दी हो सके उनके एवार्ड भी घोषित कर दिये जायं।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

माननीय मुख्य मंत्री जी से मैं एक बात जानना चाहता हूं कि चाहे वह सार्वजनिक निर्माण विभाग हो, चाहे वह सिंचाई विभाग हो, चाहे वह स्वायत्त शासन विभाग हो, जो जमीन एक्वायर की गयी उसका मुआविजा बावजूद इसके कि एवार्ड फाइनलाइज हो गये हैं, नहीं दिया गया है और मालगुजारी भी अभी तक उनसे ली जा रही है। क्या माननीय मुख्य मंत्री जी इस नीति पर विचार कर रहे हैं कि जितने एवार्ड फाइनल हो गये हैं, उनको एक साल के अन्दर मुआविजा अवश्य मिल जाय और मुआविजा मिलने तक जो मालगुजारी ली जा रही है, उसको वापस कर दिया जाय ?

राजस्व मंत्री (श्री चतुर्भुज शर्मा)—

इसके बारे में हम विचार कर रहे हैं और एक टाइम टेबिल बनाने जा रहे हैं कि किस किस वक्त में क्या-क्या काम होना चाहिये। हर चीज का टाइम फिक्स करने के लिए हम विचार कर रहे हैं।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

श्रीमन्, लगान भी ले लिया और दाखिल खारिज भी नहीं हुए। तो क्या सरकार दाखिल खारिज करा देगी और जो मालगुजारी ली गयी है, उसे वापस करा देगी ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

लगान के बारे में भी विचार किया जा रहा है।

श्री प्यारेलाल (जिला मेरठ)—

क्या किसी ग्राम का एक्सप्रैशिया बाकी है। दूसरा प्रश्न मेरा यह है कि गाजियाबाद के जिन मुहल्लों या पास के गांवों में जमीन १९६३-६४ में ली गयी थी उनका मुआविजा कब तक मिल जायगा ?

श्री अतीकुर्रहमान—

किस ग्राम का एक्सप्रैशिया बाकी है, यह सूचना इस समय मेरे पास नहीं है।

श्री प्यारेलाल—

गाजियाबाद के जिन मुहल्लों को ६३ में लिया गया था, उनको कब तक मुआविजा मिल जायगा ?

श्री अतीकुर्रहमान—

मैं अभी स्पष्ट कर चुका हूं कि मुआविजे के बारे में बहुत लम्बा प्रोसीजर है। यह भी अर्ज कर चुका हूं कि अगर किसी को मुआविजा नहीं मिला है तो माननीय सदस्य को भी इसका अधिकार है कि वह तकाजा करे ताकि जितना जल्द हो सके मुआविजा दिलवाया जा सके।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)—

क्या माननीय मंत्री जी एक निश्चित अवधि बतलाने की कृपा करेंगे कि इस अवधि तक सबको मुआविजा मिल जायगा ?

श्री अतीकुर्रहमान—

मैं अवधि नहीं बतला सकता हूं।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

कृषकों की जो जमीन ६५–६६ में एक्वायर हुई थी और उनका पजेशन ले लिया गया है और वे उस वक्त से खाली पड़ी हुई हैं तो क्या यह सही है कि तीन वर्ष तक जमीनें अगर खाली पड़ी रहें तो वे कृषकों को वापस लौट जायेंगी ?

श्री अतीकुर्रहमान—

यह संभव है कि जमीनें खाली पड़ी हों लेकिन अगर तीन वर्ष तक वे खाली पड़ी रहें तो वे वापस की जायंगी इसकी मुझे कोई जानकारी नहीं है, ऐसा कोई प्राविजन हो तो मुझे वह बतला दें ।

श्री रामचन्द्र विकल—

अगर ऐसे उदाहरण दिये जायं जोकि हाउस टैक्स तथा लगान देते रहे हैं क्या माननीय मंत्री जी पुराना लगान तथा हाउस टैक्स जो सरकार के यहां जमा हो चुका है उसको वापस दिलाने की कृपा करेंगे ?

श्री अतीकुर्रहमान—

मैं इसका जवाब पहले ही दे चुका हूं।

चमोलीजिले में सार्वजनिक निर्माण विभाग के कर्मचारियों का निलम्बन

*३—श्री इन्द्रलाल (जिला नैनीताल)—

क्या यह सच है कि सार्वजनिक निर्माण विभाग बार्डर डिवीजन (वर्क्स) गोपेश्वर, जिला चमोली के कुछ कर्मचारी चार साल पूर्व सस्पेंड किये गये किन्तु आज तक उन्हें चार्जशीट नहीं मिली ? यदि हां, तो क्यों ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (चौधरी गिरधारीलाल)—

चार साल पूर्व किसी को भी इस डिवीजन में निलंबित नहीं किया गया। मगर २८ जनवरी, १९६६, ९ फरवरी, १९६६, २३ फरवरी, १९६८ और १६ अप्रैल, १९६९ को चार कर्मचारी निलंबित किये थे ।

*४—श्री इन्द्रलाल—

क्या यह भी सच है कि सस्पेंड कर्मचारियों ने कई बार लिखित मांग की है कि उनको चार्जशीट दी जाय, किन्तु चार्जशीट न देकर कुछ को ट्रांसफर (सस्पेंशन के दौरान) कर दिया गया है, परन्तु सस्पेंशन समाप्त नहीं किया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

चौधरी गिरधारीलाल—

इन चारों कर्मचारियों के सस्पेंशन की स्थिति संलग्न तालिका में दी हुई है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ २३१-२३२ पर)

श्री इन्द्रलाल—

गोपेश्वर सार्वजनिक निर्माण विभाग में स्टोर कीपर एकाउन्टेन्ट, कैशियर, ओवरसियर ने हजारों रुपये का गोलमाल किया है तो मैं माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्री से जानना चाहूंगा कि इस गोलमाल के समय पर वहां कौन अधिशासी अभियंता थे और विभाग के उच्चाधिकारी की नोटिस में यह मामला कब आया ?

चौधरी गिरधारीलाल—

जो प्रश्न पूछा गया था वह ४ आदमियों के बारे में था, उसकी इत्तिला मैंने दे दी। अब और कोई गोलमाल हो तो वह मेरी नोटिस में लाया जाय, उसको मैं दिखला लूंगा और जो मुनासिब कार्यवाही होगी वह की जायगी।

श्री रामगोपाल संड—

सरकारी नियमों के अनुसार जिन कर्मचारियों को निलंबित किया जाता है उनको कितने दिन के अन्दर चार्जशीट दी जानी चाहिये ?

चौधरी गिरधारीलाल—

जल्दी से जल्दी दे देना चाहिये लेकिन उसके लिए कोई विशेष समय नहीं है।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

ऐसा देखा गया है कि अनेक विभागों में कर्मचारी किसी अपराध के तहत में सस्पेंड कर दिये जाते हैं और सस्पेंशन के बाद ६–६ महीने, ८–८ महीने और साल-साल भर तक उनको चार्जशीट नहीं दी जाती है और कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है कि बाद में उन्हें बहाल कर दिया जाता है और उनको सारा वेतन बिना काम किये मिल जाता है। तो क्या सरकार कोई अवधि निश्चित करेगी कि इतने समय के अन्दर चार्जशीट अवश्य दे दी जाय ?

चौधरी गिरधारीलाल—

इस वक्त मेरे लिये यह कहना तो बहुत मुश्किल होगा।

श्री ओमप्रकाशसिंह—

अभी तक इन व्यक्तियों को चार्जशीट क्यों नहीं दी गयी है ?

चौधरी गिरधारीलाल—

जैसा कि इसमें दिया हुआ है कि इनके खिलाफ या तो मुकदमे अदालत में चले हुए हैं या मामला पुलिस के अख्तियार में है इसलिये हमारी तरफ से उनको चार्जशीट देने का सवाल नहीं उठा। जिस वक्त ये चार्जेज उन पर लगे तो यह जरूरी था कि उनको सस्पेंड कर दिया जाता तो सस्पेंड कर दिया गया।

श्री इन्द्रलाल—

जब ३०–११–६५ को वहां के सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर ने स्टोर कीपर के लिए निलम्बन आर्डर्स कर दिये थे तो फिर ३०–११–६५ से २७–१–६६ तक या दो महीने तक वह किस अधिकारी के आदेश से छुट्टी पर रहे ?

चौधरी गिरधारीलाल—

जब उनके खिलाफ शिकायत आयी उससे पहले उनका तबादला कोटद्वार से गोपेश्वर हो गया था। उसके बाद सस्पेंशन के आर्डर हुए। जब ट्रांसफर हुआ तो दूसरे स्थान पर उन्होंने ज्वाइन नहीं किया और छुट्टी लेते चल गये। २७–१–६६ को उन्हें वापस आना था। उस वक्त भी उन्होंने ज्वाइन नहीं किया और छुट्टी उनकी खत्म हो गई। उसके बाद फिर भी वह इसी तरीके से चलते रहे। तब जाकर २८–१–६६ को सस्पेंशन आर्डर उन पर सर्व किया गया।

बांसी तहसील में गांव सभाओं के पास बंजर भूमि

*५—श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बस्ती जिले की बांसी तहसील के अन्तर्गत ग्रा अजगरा, बभनी, अकोल्हिया, तप्पा, पचहर में कितनी बंजर भूमि ग्राम समाज के पास है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

"बस्ती जिले की बांसी तहसील के अन्तर्गत ग्राम अजगरा, बभनी, अकोल्हिया तप्पा पचहर में क्रमशः ३८ एकड़, ९ एकड़ व ६७ एकड़ बंजर भूमि गांव सभा के पास है।"

मैं आपकी इजाजत से इस उत्तर में जरा संशोधन करना चाहता हूं। शायद ९ एकड़ गलत लिखा गया है। मैंने तो हिसाब लगाया है कि उसमें १४ एकड़ आता है।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

यह जमीन इस वक्त किसके कब्जे में है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

अकोल्हिया गांव की ४५ एकड़ जमीन ३२ भूमिहीन खेतिहर मजदूरों को दी गयी है बाकी जमीन गांव समाज के पास है उसका अभी पट्टा नहीं हुआ है ?

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

यह जमीन, सवाल करने के बाद दी गयी है या पहले ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

यह नहीं कहा जा सकता, लेकिन मेरे पास जो इत्तला आयी है उसके अनुसार हाल ही में दी गयी है।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

क्या मंत्री जी को इस बात की जानकारी है कि यह भूमि भूमिहीनों को नहीं बल्कि जिनके पास जमीन थी, उन्हीं को दी गयी है, क्या मंत्री जी कोई ऐसी व्यवस्था करेंगे कि यह भूमि उन्हीं को मिले, जिनके पास भूमि नहीं है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

मेरे पास तो यह सूचना है कि ४५ एकड़ भूमि ३२ खेतिहर भूमिहीन मजदूरों को दी गयी है। इससे मालूम होता है कि यह सूचना सही है। यदि इसके विपरीत कोई इत्तला माननीय त्रिपाठी जी मुझको देंगे तो मैं उसकी जांच करा लूंगा।

श्री रामबहादुर चन्द (जिला बस्ती)—

क्या माननीय मंत्री जी को ज्ञात है कि अजगरा ग्राम के ग्राम प्रधान ने बहुत सी जमीन अपने बेटे के नाम कर दी और गांव समाज के नाम बंजर भूमि कर दी। प्रधान को इस मामले में सस्पेंड किया गया और उनसे जमीन को खाली कराया गया ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

यह सूचना मेरे पास नहीं है।

श्री अध्यक्ष—

माननीय मंत्री जी के पास अगर कोई सूचना न हो तो 'सूचना नहीं है' ऐसा कहने के बजाय सूचना की आवश्यकता है, ऐसा कहा करें।

श्री चतुर्भुज शर्मा—

जी हां, सूचना की आवश्यकता है।

श्री हिम्मत सिंह—

माननीय मंत्री जी से पांच गांवों के बारे में पूछा गया था लेकिन उन्होंने जो सूचना दी है वह तीन गांवों के बारे में ही है। मैं जानना चाहूंगा कि जो दो गांव छोड़ दिये गये हैं, वे कौन से हैं ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

मेरे पास तो तीन ही गांवों की सूचना है। ऐसा मालूम होता है कि आखिरी गांव का नाम ही बहुत बड़ा है, ऐसा मालूम होता है।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि जमीन को पट्टे पर उठाने के क्या नियम हैं और क्या यह जमीन उन्हीं नियमों के अनुसार उठायी गयी है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

जमींदारी अबालीशन ऐक्ट की १९८ धारा के अनुसार जमीन पट्टे पर उठायी जाती है।

श्री सजीवन लाल (जिला उन्नाव)—

क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि भूमिहीनों की परिभाषा क्या है दूसरे बाज वक्त यह भी हो जाता है कि पिता के नाम जमीन है और जब कोई लड़का बालिग हो जाता है तो उसको भूमिहीन मान लिया जाता है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

अभी तक तो परिभाषा यही थी कि जिसके नाम जमीन नहीं होती थी, वह भूमिहीन मान लिया जाता था। एसी शिकायत आयीं कि उनके परिवार वालों क पास जमीन है। अब जांच करके ऐसे पट्टे निरस्त किये जा रहे हैं।

श्री मैनेजरसिंह (जिला बलिया)—

क्या माननीय मंत्री जी को मालूम है कि अजगरा गांव में जो भूमि दी गयी है वह ऐसे लोगों को ही दी गयी है जिनके परिवार वालों के नाम में जमीन है और उनके स्वयं के नाम में नहीं थी ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

मैं इसका उत्तर दे चुका हूं। मेरी इत्तला तो यह है कि वह भूमिहीनों को ही दी गयी लेकिन अगर माननीय सदस्य के पास इसके खिलाफ कोई इत्तला हो तो माननीय सदस्य मुझे लिखकर दे दें, मैं जांच करा लूंगा।

श्री महीलाल (जिला मुरादाबाद)—

क्या माननीय मंत्री जी को इस बात की जानकारी है कि सन् १९६८ में शासन से एक आदेश जारी हुआ था कि भूमिहीन खेतिहर मजदूरों की एक सूची तैयार की जाय और उसको तहसील के मुख्यालय पर रखा जाय। क्या जिन लोगों को इस भूमि का आबंटन किया गया है, उनके नाम इस सूची में हैं या नहीं ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

इसके लिए सूचना चाहिये ।

श्री सोहनलाल धुसिया (जिला बस्ती)—

अभी मंत्री जी ने जवाब दिया कि जिनके बाप के पास जमीन है और बेटे के नाम नहीं है तो उनको भी भूमिहीन मान लिया गया है और शिकायत आने पर उसको ठीक किया गया है तो क्या मंत्री जी सभी जगह यूनीफारमिटी लाने के लिए एसा कानून बनायेंगे ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

इसके ऊपर तो पहले से ही कार्यवाही चल रही है । जो नाजायज पट्टे हुए हैं, इसके माने हैं कि भूमिवालों को पट्टे दिये गये हैं, वह नहीं दिये जा सकते थे । इसकी जांच हो रही है और काफी पट्टे निरस्त किये गये हैं ।

श्री हिम्मतसिंह—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि ऐसे साजिशी पट्टों में कुछ पैनाल्टी निश्चित करने जा रहे हैं ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

जो अनधिकृत कब्जा करते हैं उनके ऊपर ५० गुना देने के आदेश हो गये हैं ।

विधायक निवास में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को इतवार की छुट्टी न मिलना

*६—श्री सूरजलाल (जिला गोंडा)—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि विधायक निवास चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को रविवार को छुट्टी नहीं दी जाती है ? यदि हां, तो क्यों ?

चौधरी गिरधारी लाल—

जी हां । सदस्यों की सुविधा के लिए रविवार को छुट्टी नहीं दी जाती क्योंकि सदस्यों को रविवार के दिन भी इन कर्मचारियों की जरूरत पड़ती है ।

*७—श्री सूरजलाल—

क्या सरकार विधायक निवास के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को जो रविवार को अवकाश नहीं पाते हैं उन्हें ओवर टाइम देने का नियम बनायेंगे ? यदि हां, तो कब तक ?

चौधरी गिरधारीलाल—

कोई एसा प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि रविवार को काम करने के लिये जैसा कि नियम है इन लोगों को ओवरटाइम देने के लिये सरकार विचार करने के लिये तैयार है ?

चौधरी गिरधारीलाल—

अभी जैसा कि आपने तय किया है यह क्लास फोर गवर्नमेन्ट सरवेंट हो गये हैं । इनके लिये ओवरटाइम का नियम लागू नहीं है और न होगा ।

श्री रामगोपाल संह--

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि सारे प्रदेश के कर्मचारियों को रविवार की और आकस्मिक छुट्टी दी जाती है तो इन कर्मचारियों को छुट्टी के बदले में कोई कम्पेंन्सेशन या एलाउंस देने पर विचार कर रहे हैं ?

चौधरी गिरधारीलाल--

इस प्रकार का एलाउंस या कम्पेंसेशन देने का विचार न तो हुआ है और न इस समय है। यहां की जो सरविसेज की हालत है उसको देखते हुये ये लोग दरख्वास्त देते हैं और आते हैं यह जानते हुये कि यहां छुट्टी नहीं होती है। लेकिन इसी के साथ-साथ इनको यह सहूलियत होती है कि जिस समय सेशन नहीं होता उन दिनों ज्यादा काम नहीं होता।

श्री जगन्नाथ राय (जिला जौनपुर)--

क्या मंत्री जी यह देखते हुये कि विधायक निवास के चतुर्थ श्रेणी के काम करने वालों को रविवार की छुट्टी नहीं मिलती है तो उनके लिये ओवरटाइम देने के लिये विचार करेंगे या दूसरे दिन छुट्टी देने में क्या कठिनाई है ?

चौधरी गिरधारीलाल--

इसमें ऐसा तो नहीं है कि बिलकुल छुट्टी नहीं होती। महीने में एक आध छुट्टी हो जाती है और त्योहारों की छुट्टी हो जाती है। जिस समय सेशन नहीं होता है उस समय काफी छुट्टी होती है। ऐसा नहीं है कि २४ घंटे उन्हें काम में लगा रहना पड़ता है। जैसे लिफ्टमैन की ८, ८ घंटे की ड्यूटी होती है।

श्री डी० पी० बोरा (जिला लखनऊ)--

क्या मंत्री जी को जानकारी है कि दारुलशफा में ११ माली रखे गये हैं। लेकिन जहां तक लान के मेंटीनेंस का सवाल है वहां एक भी फूल आवश्यकता पड़ने पर नहीं मिल सकता है ? क्या सरकार इसके लिये कोई कार्यवाही करने के लिये सोच रही है ?

चौधरी गिरधारीलाल--

लान के मेंटीनेंस का तो दूसरा सवाल हो गया। यह सवाल सरकार के सामने है और इसके बारे में कुछ करने की कोशिश की जा रही है।

श्री मैनेजरसिंह--

क्या माननीय मंत्री विचार करेंगे कि चूंकि रविवार की छुट्टी कर्मचारियों को नहीं मिलती है इसलिये कर्मचारी सात दिन तक मुस्तैदी से काम नहीं कर पाते क्योंकि किसी इंसान के लिये सम्भव नहीं है लगातार काम करते रहना, तो सप्ताह में किसी एक दिन का अवकाश देने का कोई प्रबन्ध करेंगे ?

चौधरी गिरधारीलाल--

मैंने पूरी परिस्थिति सामने रखी। कायदे में वैसे आप लोग मालिक हैं इस चीज के लेकिन इसमें ५१ हजार का ऐडीशनल खर्चा होगा अगर इस तरह से आदमियों को बढ़ाएं कम से कम उस हिसाब से जिस हिसाब से चाहते हैं तो कम से कम ३६ आदमी बढ़ेंगे। १४ सौ रुपये हर आदमी पर पड़ता है। इस तरह से ५१ हजार रुपये होते हैं। मैं समझता हूं कोई भी सदस्य, बहुत सी बातें हैं, उनको देखते हुए यह नहीं चाहेंगे कि उनके ऊपर या हम लोगों पर और ज्यादा खर्च किया जाय।

बदायूं-शेखपुर मार्ग में सोत नदी पर पुल की आवश्यकता

*८—श्री कृष्णस्वरूप—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला बदायूं, तहसील बदायूं के अन्तर्गत बदायूं से शेखपुर जाने के लिये सोत नदी पर पुल बनवाने की योजना है ? यदि हां, तो वह कब तक बन जायगा और उस पर क्या व्यय होगा ?

चौधरी गिरधारीलाल—

प्रश्नगत पुल के निर्माण की कोई योजना नहीं है ।

श्री कृष्णस्वरूप—

क्या माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्री को मालूम है कि शेखपुर जाने के लिये सोत नदी पर पुल न होने से वर्षा ऋतु में वहां का मार्ग अवरुद्ध हो जाता है और बीस पचीस गांवों के लोगों को आने जाने में असुविधा होती है ?

चौधरी गिरधारीलाल—

वास्तव में शेखपुर जाने के लिये दो रास्ते हैं । एक बरेली से बदायूं वाले मार्ग से जा सकते हैं । लेकिन इसका फासला पांच मील है । जिसको माननीय सदस्य चाहते हैं, ढाई मील का फर्क है । लेकिन इसमें १४ लाख रुपये खर्च होंगे । और यह सड़क डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के अधीन है । अभी कोई ऐसी योजना नहीं है कि यहां पर पुल बनाया जाय । इससे ज्यादा जरूरी हैं जहां पर कोई आल्टरनेटिव नहीं है ।

श्री हिम्मतसिंह—

क्या माननीय मंत्री देहात के इन कठिनाइयों को देख कर जिन में एक, दो लाख रुपया खर्च होगा ऐसे पुलों का निर्माण करवाएंगे ?

चौधरी गिरधारीलाल—

इसी प्रकार के निर्माण पर यह पैसा खर्च किया जा रहा है ।

गोरखपुर जिले में लेटरल रोड से सम्बन्धित मजदूरों के रजिस्टर गायब होना

*९—श्री अनन्तराम जायसवाल—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला गोरखपुर में लेटरल रोड से सम्बन्धित मजदूरों के रजिस्टर हाजिरी में लगभग डेढ़ लाख रुपये का गबन व घुटाला मार्च सन् १९६९ में पकड़ा गया था और रजिस्टर सील कर दिये गये थे ?

चौधरी गिरधारीलाल—

इस प्रकार का कोई गबन या घोटाला मार्च, १९६९ में नहीं पकड़ा गया और न ही कोई रजिस्टर सील किया गया था ।

*१०—श्री अनन्तराम जायसवाल—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बतायेंगे कि क्या वही रजिस्टर जबकि वह अप्रैल, १९६९ में गोरखपुर से लखनऊ लाये जा रहे थे रास्ते में कुछ व्यक्तियों द्वारा छीन लिये गये ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई ?

चौधरी गिरधारीलाल—

मार्च, १९६९ के अन्तिम सप्ताह में एल० आर० पी० अस्थायी रोड एवं ब्रिज कंस्ट्रक्शन डिवीजन गोरखपुर के स्टाफ के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त हुई थी जिनकी जांच सा० नि० वि०

की भ्रष्टाचार निरोधक समिति को सौंपी गयी थी। उस समिति ने उक्त डिवीजन से सम्बन्धित रिकार्ड भेजने को कहा था। जब रिकार्ड २५,२६ अप्रैल, ६९ की रात्रि को गोरखपुर से लखनऊ लाये जा रहे थे तो लाने वाले कर्मचारियों के कथनानुसार उन्हें रास्ते में कुछ व्यक्तियों ने छीन लिया था। इस मामले में सतर्कता विभाग से जांच करायी जा रही है। एक सहायक अभियन्ता, दो ओवरसियरों तथा दो लिपिकों को निलम्बित कर दिया गया है। एक अन्य सहायक अभियन्ता और अधिशासी अभियन्ता का स्थानान्तरण कर दिया गया है।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह सड़क देश की तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत प्रतिरक्षा की योजना है उसकी सड़क है ?

चौधरी गिरधारीलाल—

यह सड़क जो है गवर्नमेंट आफ इंडिया के आदेश से और उन्हीं की इजाजत से बनाई जा रही है, उसमें प्रतिरक्षा भी हो सकती है और विकास भी हो सकता है, सभी बातें हो सकती हैं।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

मैं निश्चित पूछता हूं कि क्या यह तीसरी डिफेन्स प्लान की सड़क है ?

चौधरी गिरधारीलाल—

उस सड़क की शुरूआत सन् ६४ में की गई थी, इससे जाहिर है कि तीसरी पंचवर्षीय योजना में इसकी शुरूआत की गई थी।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

मान्यवर, यह सदन जानना चाहेगा कि वह शिकायत क्या है क्या उसको आप पढ़ने का कष्ट करेंगे ?

चौधरी गिरधारी लाल—

इस वक्त तो लिखित रूप में मेरे पास नहीं है। लेकिन ऐसा है कि सहजनवा के एक एम० एल० ए० ने तथा एक और हैं उन्होंने यह शिकायत की थी कि वहां के असिस्टेन्ट इंजीनियर और ओवरसियर ने काफ़ी गोलमाल कर रखा है। साथ ही साथ एक छपा हुआ इश्तिहार भी बांटा गया जो गुमनाम था। उसमें जो आरोप लगाये गये थे वह इस प्रकार थे कि—दैनिक मजदूरी में कटौती करना, उनके प्रति अभद्र व्यवहार करना, गलत ढंग से गलत नामों से मजदूरों को पैसा देना, मजदूरों से घास आदि कटवाना और ऐसा न करने पर नौकरी से अलग करने की धमकी देना आदि।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

शिकायत जैसा कि कहा गया मार्च, ६९ के अन्तिम सप्ताह में मिली और रजिस्टर लाए जा रहे थे २६-२७ की दरम्यानी रात में। तो क्या इस मुद्दत में कोई अफ़सर गोरखपुर शिकायत ले गया और उसकी जांच वहां की गई ?

चौधरी गिरधारीलाल—

जांच यों तो होती रहती है, लेकिन इस सिलसिले में इधर कोई जांच नहीं हुई। इस संबंध में एक पत्र भेजा गया था कि जल्दी से जल्दी रिकार्ड भेजे जाए। जब वह आते तो देखा जाता कि क्या क्या चीजें देखना है।

श्री छांगुर—

क्या माननीय मंत्री जी यह बत एंगे कि मार्च, ६९ में जो शिकायत मिली। उस पर मंत्री जी ने बताया कि उसे जांच समिति को दे दिया गया। तो क्या इस समिति ने कोई रिपोर्ट इस संबंध में दी है अभी तक या नहीं ?

चौधरी गिरधारीलाल—

अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं दी।

श्री मैनेजरसिंह—

मंत्री जी ने बताया कि एक सहायक अभियन्ता और दो ओवरसियर्स को निलम्बित कर दिया गया है और दूसरे एक अधिशासी अभियन्ता तथा एक सहायक अभियन्ता का स्थानान्तरण कर दिया गया है। मैं जानना चहता हूं कि कार्य कराने की जिम्मेवारी मुख्यतः अधिशासी अभियन्ता की होती है उनका लगाव कुछ पाया गया जो उनका स्थानान्तरण किया गया, उनका निलम्बन क्यों नहीं किया गया ? इसका क्या कारण है ?

चौधरी गिरधारीलाल—

इसमें इंक्वायरी हो रही है, इसलिये अपनी कोई राय नहीं बता पाऊंगा। बताने से शायद इंक्वायरी पर कोई असर पड़े।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

मान्यवर, अभी मंत्री जी ने उत्तर दिया कि ५ अप्रैल को समिति गोरखपुर गई थी तो उन्होंने रिकार्ड भी देखे होंगे। तो क्या आप बतलायेंगे कि यह जो रिकर्ड लाये जा रहे थे उनमें मेजरमेन्ट बुक मस्टर रोल और दूसरी फ़ायलें थीं। जब जांच समिति वहां गई थी तो इन सब को अपने साथ क्यों नहीं लाई ?

चौधरी गिरधारीलाल—

मैंने यह नहीं कहा था। मैंने यह कहा था कि मार्च के अन्तिम सप्ताह में शिकायत आई थी तो पूरे कागजात मंगाने के लिये पांच तारीख को खत लिखा गया था।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि जो रिकार्ड खो गये हैं वे जिन लोगों द्वारा खोये गये हैं उनके ऊपर कोई कार्यवाही की है ?

चौधरी गिरधारीलाल—

वह सस्पेंड हो गये हैं।

श्री ओमप्रकाश सिंह—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस मामले की गम्भीरता को देख कर जांच समिति की रिपोर्ट कब तक प्राप्त होगी ?

चौधरी गिरधारी लाल—

मैं इसकी चर्चा कर रहा था कि रिपोर्ट जल्द से जल्द प्राप्त हो सकेगी। ऐसा नहीं है कि इसमें ज्यादा टाइम लगने की बात हो।

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)—

श्रीमन्, मैं यह जानना चाहता हूं....

एक सदस्य—

श्रीमन्, एक वक्त में आठ आठ और नौ नौ सप्लीमेन्टरी क्वेश्चन्स कराते हैं इसमें सारा समय निकल जाता है। श्रीमन् इसमें अपनी रूलिंग दें कि एक प्रश्न पर कितने सप्लीमेन्टरी क्वेश्चन्स किये जायेंगे ।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

मान्यवर, यह देश की रक्षा का मामला है। माननीय मंत्री जी ने यह नहीं कहा कि यह सड़क डिफेंस प्लान में है या नहीं। माननीय मंत्री जी इसका कुछ उत्तर तो दें।

श्री अध्यक्ष—

अब आप और प्रश्न पूछें।

श्री कल्पनाथ सिंह—

यह जो जांच चल रही है इसको क्या ऐन्टी-करप्शन विभाग कर रहा है या चूंकि इसमें गजटेड आफ़िसर्स शामिल हैं इसलिये विजिलेंस कमीशन इसकी जांच कर रहा है ?

चौधरी गिरधारी लाल—

इसकी जांच विभाग की तरफ़ से भी हो रही है और विजिलेंस विभाग के लोग भी इसकी जांच कर रहे हैं। जब इस बात की रिपोर्ट आई तो उस वक्त विजिलेंस विभाग को इसके लिये खत लिख दिया गया था।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

मान्यवर, मेरा सीधा सवाल था कि जो रिकार्ड लाये जा रहे थे। उनमें क्या मेजरमेन्ट बुक्स, मस्टर रोल और दूसरी फाइलें थीं जो खो गईं। इसका जवाब नहीं आया।

चौधरी गिरधारी लाल—

यह तो ठीक तरह नहीं कह सकता लेकिन श्री रूप नारायण, लिपिक के कथनानुसार यह लोग निम्नलिखित रिकार्ड ले जा रहे थे :

१—श्री एस० एन० शुक्ला, स० अ० के सेक्शन के अक्टूबर, १९६८ से मार्च, १९६९ तक के ४२० मस्टर रोल व श्री जगरोशन प्रसाद के सेक्शन के २०४ मस्टर रोल ।

२—मस्टर रोल ईश्यू करने के श्री शुक्ला व श्री जगरोशन प्रसाद के दो-दो रजिस्टर ।

३—१४ मेजरमेन्ट बुक्स : बाद में श्री रूप नारायण के बयान के अनुसार यह संख्या १५ आती है ।

४—पिछले ३ महीनों में दिये गये इम्प्रेस्ट की सूची ।

५—मेजरमेन्ट बुक्स के बंक करने का विवरण ८ पन्नों में ।

६—दैनिक मजदूरों को मस्टर रोल पर रखने की स्वीकृति दो पन्नों में ।

गोंडा जिले में सूखा पीड़ितों की सहायता

*११—श्री गंगा प्रसाद—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि तहसील तरबगंज, जनपद गोंडा में सन् १९६७ ई० में भयंकर सूखा पड़ा था और सूखे से राहत दिलाने और कच्चे कुओं को खोदने हेतु सरकार ने किसानों को सहायता दी थी ? यदि हां, तो कुल कितना धन और कितने काश्तकारों को कच्चे कुओं के लिये दिया गया था ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

जी हां। कुल ८,२५,००० रु० ४१,२५० काश्तकारों को दिया गया था।

*१२—श्री गंगा प्रसाद—

क्या यह सत्य है कि जनपद गोंडा की चारों तहसीलों में सूखे से राहत दिलाने हेतु धन दिया गया था, और अब उपरोक्त धन मय सूद के किसानों से वसूला जा रहा है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

जो धन निःशुल्क सहायता के रूप में वितरित हुआ था उसकी वसूली नहीं हो रही है। जो लोगों ने आपदा तकावी ली थी वह नियमानुसार मियाद गुजरने के बाद ली जा रही है। उसके अलावा जिन लोगों ने कच्चे कुओं के लिये अनुदान लिया था और उसका उपयोग निर्धारित मियाद के भीतर नहीं किया और कच्चे कुएं नहीं बनाये उनसे वसूली की जा रही है।

श्री गंगाप्रसाद—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि ४०,२५० काश्तकारों को कच्चे कुंये खोदने के लिये जो अनुदान दिया गया उसमें कितने कच्चे कुयें खोदे गये ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

३०,८६३ कच्चे कुयें खोदे गये। ४१,२५० को दिया गया।

श्री गंगाप्रसाद—

यह जो अनुदान दिया गया था वह वसूलने के लिये नहीं दिया गया था जब कि सब के सब कच्चे कुयें खोदे गये ? क्या यह भी सही है कि जिन काश्तकारों ने ५ रुपये लेखपाल और ग्राम सेवक को नहीं दिये उनकी रिपोर्ट नहीं लिखी गयी ? क्या इसकी इन्क्वायरी करायेंगे ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

श्रीमन्, ऐसा मालूम नहीं होता है क्योंकि ३०,८६३ खोदे गये और जो नहीं खुदे वह १०,३८७ हैं। यह कुल १० हजार हैं। फिर भी यदि माननीय सदस्य लिखित सूचना किसी विशेष गांव के बारे में देंगे तो उसकी जांच जरूर होगी ?

श्री शीतलप्रसाद सिंह (जिला गोंडा)—

क्या माननीय मंत्री जी को पता है कि कच्चे कुयें के लिये इस तकावी में कोई प्रतिबन्ध नहीं रखा गया था। जो होशियार किसान थे वे लेखपाल और ग्रामसेवक से मिले और उनसे कम्प्लीशन सर्टीफिकेट लिये थे और जो गरीब सीधे साधे लोग थे जिन्हों ने कुछ नहीं दिया उनको कम्प्लीशन सर्टीफिकेट नहीं मिला और उनसे वसूल किया जा रहा है। ऐसी चीजों की जांच करावेंगे ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

यह बात नहीं है। उसमें दो शर्तें थीं। पहली शर्त यह थी कि किसान एक महीने के अन्दर कच्चे कुयें बना लेगा और वह अगर नहीं बनायेगा उस अवधि के अन्दर तो मय ब्याज बकाया मालगुजारी की तरह से उससे वसूल किया जायगा। दूसरी शर्त यह थी कि यह कर्जा उन्हीं को दिया जायगा जिनके पास जमीन तीन सही १ बटा ८ एकड़ तक है। यह भी था कि किसी काश्तकार को ४० रुपये से ज्यादा नहीं दिया जायगा। यह शर्तें थीं।

श्री गंगाप्रसाद—

यह धन अनुदान के रूप में दिया गया था और जब अनुदान के रूप में दिया गया था तब क्यों वसूल किया जा रहा है इसका क्या कारण है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--

यह रुपया शर्त पर दिया गया था जिससे कुयें बनें, लोगों का काम चले, खेती की उपज बढ़े और इस शर्त पर दिया गया था कि जो एक महीने में नहीं बनायेगा उससे वसूल किया जायगा। तो अनुदान शर्तिया कुआं बनाने के लिये था और अगर कुआं नहीं बनाया तो अनुदान नहीं मिलेगा।

श्री जगदम्बाप्रसाद (जिला फैजाबाद)--

क्या सरकार के पास इस बात की सूचना है कि इस अनुदान के सम्बन्ध में जो रुपये दिये गये हैं उसका केवल गोंडा ही नहीं अन्य जिलों में भी काफी दुरुपयोग हुआ है? रुपया लेने के बाद कच्चे कुयें नहीं बने हैं? अगर इस बात की जानकारी नहीं है तो क्या मेरी इस सूचना को सही मानकर सरकार कोई जांच करायेगी कि जिससे भविष्य में अनुदान का दुरुपयोग न हो और जो रुपया अनुदान में दिया जाय उसका सदुपयोग हो?

श्री चतुर्भुज शर्मा--

अगर कोई डेफीनिट शिकायत आयेगी तो जरूर जांच कराऊंगा।

श्री वीरेन्द्र वर्मा--

क्या जो कृषि उत्पादन की दृष्टि से ३० हजार कुयें बने थे उनमें से अधिकांश बरबाद हो चुके हैं और नष्ट हो चुके हैं?

श्री चतुर्भुज शर्मा--

ऐसी तो मुझे सूचना नहीं है। अगर कहीं की कोई डेफीनिट रिपोर्ट आयी तो फिर उसकी जांच करायी जा सकती है।

श्री जगवीरसिंह (जिला बुलन्दशहर)--

क्या सरकार के पास कोई इस बात की शिकायत है कि जिन लोगों को अनुदान दिया गया था उनमें से कुछ ने कुयें नहीं बनवाये हैं? यदि हां, तो ऐसे कितने केसेज हैं?

श्री चतुर्भुज शर्मा--

जिन लोगों ने कुयें नहीं बनाये हैं उन्हीं से वसूल किया जा रहा है।

श्री रामपालसिंह (जिला बिजनौर)--

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कोशिश करेंगे कि उनमें कितने कंप्लीशन सर्टीफिकेट का वैरिफिकेशन हो चुका है?

श्री चतुर्भुज शर्मा--

जितने काश्तकारों को पेमेंट हुआ है, भुगतान हुआ है, जिनकी संख्या ३० हजार के ऊपर है उनके दिये गये वैरीफिकेशन सर्टीफिकेट ही माने जा सकते हैं।

कानपुर जिले में पक्की सड़कों का निर्माण

*१३--श्री रामस्वरूप वर्मा (जिला कानपुर)--

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि कानपुर जिले में कौन-कौन सी सड़कें अगली चौथी पंचवर्षीय योजना में पक्की करने के लिये ली गई हैं और उन पर कब से कार्य आरम्भ हो जायगा?

नोटः--तारांकित प्रश्न १२ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

चौधरी गिरधारी लाल—

जिला कानपुर में सरसौला–सारा (५ मील) तथा डेरापुर को अकबरपुर–बारा सड़क को मिलाने वाली सड़क (लगभग ५ मील) चतुर्थ योजना में ली गई है। वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने पर इन पर कार्य आरम्भ होगा।

माल रोड पहाड़ का धंसना

*१४—श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

क्या स्वायत्त शासन मंत्री को यह ज्ञात है कि नैनीताल का मालरोड पहाड़ नीचे को धंस रहा है? यदि हां, तो इस विषय में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है?

श्री अतीकुर्रहमान—

सूचना एकत्रित की जा रही है।

लालू खेड़ी–सिसौली–बुढ़ाना मार्ग का अधूरा निर्माण

*१५—श्री वीरेन्द्र वर्मा—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या यह सही है कि लालूखेड़ी सिसौली–फुड़ाना–बुढ़ाना मार्ग का निर्माण वित्तीय पंचवर्षीय योजना के प्रथम वर्ष में आरम्भ हुआ था? अभी तक पूर्ण नहीं हुआ है।

चौधरी गिरधारीलाल—

लालूखेड़ी—सिसौली–बुढ़ाना मार्ग का निर्माण १९६५ में प्रारम्भ हुआ था। इस सड़क के ५ मील १ फर्लांग को छोड़कर शेष भाग का निर्माण पूर्ण हो चुका है।

*१६—श्री वीरेन्द्र वर्मा—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि सड़क के पूर्ण होने में और कितना समय लगेगा?

चौधरी गिरधारीलाल—

सड़क के शेष भाग के निर्माण कार्य में भूमि अप्राप्त न होने के कारण प्रगति नहीं हो पाई है जिसकी कि कार्यवाही चालू है।

टेहरी-गढ़वाल में ओला पीड़ितों को सहायता

*१७—श्री इन्द्रमणी (जिला टेहरी गढ़वाल)—

क्या माल मन्त्री को यह जानकारी है कि टेहरी-गढ़वाल पट्टी कुंजणी में दिनांक १७ अप्रैल, १९६९ को भीषण ओला वृष्टि के कारण गेहूं की फसल बरबाद हो गई है? यदि हां, तो सरकार प्रभावित लोगों की किस प्रकार सहायता कर रही है?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

जी हां। ४५ ग्रामों में गेहूं की फ़सल को ७५ प्रतिशत से अधिक क्षति पहुंची। ५,००० रु० तकावी और ५,००० रु० खैरात बांटा गया है। सस्ते गल्ले की दूकानों से मिलने वाले राशन की मात्रा दुगुनी कर दी गई है। मालगुजारी में छूट दी जावेगी।

टेहरी-गढ़वाल में पटवारियों को वेतन न मिलने की शिकायत

*१८—श्री इन्द्रमणी—

क्या माल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि टेहरी-गढ़वाल में पटवारियों को मार्च, १९६९ से जून, १९६९ तक वेतन क्यों नहीं मिल रहा है?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

इस जिले में स्थाई पटवारियों को वेतन निरन्तर दिया जा रहा है। उन अस्थायी पटवारियों को जिनकी, निरन्तरता की स्वकृती प्लान स्कीम के अन्तर्गत २८–३–६९ तक थी उनको भी निरन्तरता की नान-प्लान स्कीम में स्वीकृति दे दी गई है और उन्हें मार्च, १९६९ से जून, १९६९ तक का वेतन दिया जा चुका है।

लखीमपुर जिले में पिपरा फार्म की भूमि

१९—श्री सजीवनलाल—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि लखीमपुर जिले में बिड़ला बन्धुओं के पिपरा फार्म पर सीलिंग कानून लागू करने से कुछ फालतू जमीन निकली है? यदि हां, तो कितनी?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

जी हां। ३४५२.२७ एकड़।

*२०—श्री सजीवनलाल—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सीलिंग कानून लागू होने से प्राप्त होने वाली पिपरा फार्म की भूमि फिर फार्म के मालिकों को ही पट्टे पर दे दी गई है? यदि हां, तो ऐसा क्यों किया गया?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

अवध शुगर मिल, हरगांव, को पांच साल की अवधि के लिये साल ब साल पट्टे पर यह जमीन दी जा रही है। यह इस वजह से किया जा रहा है कि मिल वालों ने नियुक्त अधिकारी के आदेश के विरुद्ध सिविल जज के यहां अपील कर रखी है और उन्होंने आदेश दिया है कि मुकदमें में निर्णय होने तक यदि कलेक्टर उचित समझे तो इस भूमि को मिल को अस्थायी रूप से पट्टे पर उठा दे। पट्टा इस शर्त पर दिया जा रहा है कि यदि चीनी मिलों के फार्मों के बारे में सामान्य नीति निर्धारित होती है कि मिलों को यह जमीन न दी जाय तो अवधि समाप्त होने के पूर्व भी यह पट्टा रद्द किया जा सकता है।

स्वराज्य आश्रम, कानपुर द्वारा प्रदर्शनी लगायी गई भूमि का किराया

*२१—श्री भगवतीसिंह विशारद (जिला उन्नाव)—

क्या स्वशासन मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि क्या उन्हें २९ मई, १९६९ का भेजा हुआ मन्त्री, स्वराज्य आश्रम, सर्वोदयनगर, कानपुर का कोई ऐसा पत्र मिला है जिसमें उन्होंने गणेश उद्यान, कानपुर में निःशुल्क खादी ग्रामोद्योग प्रदर्शनी लगाने की तथा वर्ष १९६७–६८ एवं १९६८–६९ में उनसे प्रदर्शनी शुल्क के रूप में ली गई धनराशि की वापसी की मांग की है?

श्री अतीकुर्रहमान—

जी हां।

*२२—श्री भगवतीसिंह विशारद—

क्या स्वशासन मन्त्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि क्या नगर महापालिका, कानपुर की ओर से भी वर्ष १९६८–६९ में स्वराज्य आश्रम, कानपुर को निःशुल्क खादी ग्रामोद्योग प्रदर्शनी लगाने तथा वर्ष १९६७–६८ और १९६८–६९ में प्रदर्शनी के लिये किराये की धनराशि वापस करने की संस्तुति करते हुये शासन से स्वीकृति चाही है?

श्री अतीकुर्रहमान—

जी हां। महापालिका को यह राय दी गई है कि यदि फूलबाग की भूमि थोड़े ही समय के लिए स्वाराज्य आश्रम को एक लाइसेन्सदार की हैसियत से दी जाती है तब उसका किराया लेना या न लेना महापालिका की स्वेच्छा पर निर्भर है।

टाण्डा तहसील में भूमि का रिकार्ड आपरेशन

*२३—श्री राजबहादुर चन्द तथा श्री रामलखन सिंह (जिला बस्ती)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ग्राम देवारागंग बरार, तहसील टाण्डा, जिला फैजाबाद की भूमि का रिकार्ड आपरेशन किया जा रहा है और अब तक मौके पर जमीन की पैमाइश, किस्तवार नक्शों का निर्माण, परताल एवं खसरा खतौनी का निर्माण हो चुका है? यदि हां, तो क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि रिकार्ड आपरेशन की उक्त कार्यवाही में सरकार का कितना धन अब तक व्यय हो चुका है?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

इस ग्राम के भूमि के रिकार्ड आपरेशन का कार्य १-१२-६७ से प्रारम्भ किया गया था। मौके पर जमीन की पैमाइश, किस्तवार नक्शों का निर्माण व परताल का कार्य समाप्त हो चुका है। खसरा व खतौनी के निर्माण का कार्य चल रहा था। रिकार्ड आपरेशन १५ ग्रामों में हो रहा था। किसी एक गांव में कितना व्यय हुआ, यह नहीं आंका जा सकता।

*२४—श्री राजबहादुर चन्द तथा श्री रामलखन सिंह—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि रिकार्ड आपरेशन की उक्त कार्यवाही को अपूर्ण ही रोक दिया गया है? यदि हां, तो क्यों?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

जी हां। इस ग्राम में रिकार्ड आपरेशन की शेष कार्यवाही को रोक दिया गया है। इसका कारण यह है कि १९६८ में घाघरा नदी के रुख बदलने के कारण नदी टांडा की ओर बढ़ गई है और इस ग्राम का काफी क्षेत्र बस्ती की ओर चला गया है।

सीतापुर जिले में परगनाधीशों के विचाराधीन मुकदमें

*२५—श्री रामलाल राही (जिला सीतापुर)—

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सीतापुर जिले के समस्त परगनाधीशों के न्यायलयों में ३१ मार्च, सन् १९६९ ई० तक के कुल दाखिल खारिज के ऐसे वादों की संख्या तहसीलवार क्या है, जिनमें अन्तिम आदेश परगनाधीशों को देना है?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

तहसील सीतापुर	..	..	..	३१८
तहसील सिधौली	..	..	..	४
तहसील बिसवां	..	..	..	६९४
तहसील मिसरिख	..	..	..	३४

आजमगढ़ जिले में महराजगंज-शकरपुर सड़क तथा छोटी सरजू पर पुल निर्माण की प्रार्थना

*२६—श्री दलसिंगार (जिला आजमगढ़)—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जिला आजमगढ़ के अन्तर्गत कस्बा महराजगंज में छोटी सरजू नदी पर पुल बनाने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है? यदि हां, तो उसे कब तक कार्यान्वित किया जाएगा?

चौधरी गिरधारीलाल—

प्रश्नगत पुल के निर्माण की कोई योजना नहीं है ।

*२७—श्री दर्लसिंगार—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बतायेंगे कि जिला आजमगढ़ के अन्तर्गत महराजगंज से शंकरपुर बाजार तक सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा सड़क बनाने की योजना है ? यदि हां, तो अब तक उसे न बनवाने का क्या कारण है ?

चौधरी गिरधारीलाल—

प्रश्नगत सड़क के निर्माण की कोई योजना नहीं है ।

सीयर बाजार सड़क पक्की करने की प्रार्थना

*२८—श्री शम्भूनाथ चौधरी—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मुख्य मन्त्री ने १९६२ के आम चुनाव के अवसर पर सीयर में भाषण के सिलसिले में बलिया जिला तर्गत सीयर बाजार की आम सड़क को पक्की कराने का आश्वासन दिया था ? यदि हां, तो क्या मुख्य मंत्री सदन में घोषणा करेंगे कि उक्त सड़क का जीर्णोद्धार कब और कैसे करेंगे ?

चौधरी गिरधारीलाल—

कथित आश्वासन की सूचना विभाग को नहीं है । प्रश्नगत सड़क के निर्माण की कोई योजना नहीं है ।

आवास न पाने वाले विधायक

*२९—श्री मोहम्मद असरार अहमद (जिला बदायूं)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि १ अप्रैल, १९६६ से ३१ मार्च, १९६९ तक की अवधि में विधान सभा के कितने सदस्यों को लखनऊ में सरकारी आवास न दिया जा सका ?

चौधरी गिरधारीलाल—

सूची संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ २३३–२३४ पर ।)

बारा क्षेत्र में सूखा पीड़ितों के लिये परीक्षण कार्य

*३०—श्री सर्वसुखसिंह (जिला इलाहाबाद)—

क्या राज्य सरकार को पता है कि इलाहाबाद जनपद के बारा क्षेत्र में केवल एक या दो तालाबों में राहत का काम लगाया गया है जब कि इस क्षेत्र के ४०६ गावों में अधिकांश ग्राम सूखा पीड़ित हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार अन्य ग्रामों में भी राहत का कार्य करेगी ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

बारा क्षेत्र इलाहाबाद जिले की करछना तहसील का एक परगना है । इसमें २९० गांव हैं ४०६ नहीं । सूखा के समय लोगों को राहत देने के लिये इस क्षेत्र में कुल ९ परीक्षण कार्य खोले गये । अब वर्षा हो गई है । नये परीक्षण कार्यों की आवश्यकता नहीं है ।

*३१—श्री गोपालदत्त—

[३१ जुलाई, १९६९ को प्र सं० ४४ के अन्तर्गत उत्तर दिया गया ।]

उजियार घाट स्थित नावों का पुल

*३२—श्री नगीना सिंह (जिला बलिया)—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बतायेंगे कि जिला बलिया के अन्तर्गत उजियार में सार्वजनिक निर्माण विभाग का गंगा पर जो नावों का पुल आवागमन के लिये प्रति वर्ष बनता है उसमें लगाई जाने वाली नावें खराब तथा जर्जर हो चुकी हैं ?

चौधरी गिरधारीलाल—

उजियार घाट स्थित नावों के पुल में लगी अधिकतर नावें पुरानी हो गई हैं। उनमें से १५ नावें बदल दी गई हैं तथा कुछ और नावों की मरम्मत कराई जा रही है।

*३३–३४—श्री शिवराजसिंह—

[४ ये बुधवार के लिये स्थगित किये गये।]

कासिमाबाद-सीधागरघाट सड़क तथा टोंस नदी का पुल बनाने की आवश्यकता

*३५—श्री नगीना सिंह—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जिला गाजीपुर के ग्राम कासिमाबाद से सीधागर टोंस नदी घाट (जिला गाजीपुर) को जाने वाली सार्वजनिक निर्माण विभाग की सड़क कब तक पक्की बन कर तैयार होगी, तथा टोंस नदी का पुल जो सीधागर घाट पर बनने वाला है कब तक बनेगा ?

चौधरी गिरधारीलाल—

जिला गाजीपुर में कासिमाबाद से सीधागर घाट तक सड़क तथा सीधागर घाट पर पुल के निर्माण की कोई योजना नहीं है।

स्वायत्त शासन अभियंत्रण विभाग के ओवरसियरों की सेवा समाप्ति

*३६—श्री मोतीलाल देहलवी (जिला कानपुर)—

क्या सरकार बतायेगी कि मुख्य अभियन्ता, स्वायत्त शासन अभियन्त्रण विभाग, उत्तर प्रदेश ने अपने पत्र संख्या १७७२/ई –१६ (ई०/एम०), दिनांक लखनऊ, २८ मार्च, १९६८ व उसी प्रकार के अन्य पत्रों द्वारा अपने विभाग से कितने अस्थायी ओवरसियरों की सेवायें वर्ष १९६८–६९ के दौरान समाप्त कीं ? क्या उनके बाद में नियुक्त अन्य ओवरसियर अब भी विभाग में कार्य कर रहे हैं ?

श्री अतीकुर्रहमान—

२८ मार्च, १९६८ को तथा उसके बाद वर्ष १९६८–६९ में स्वायत्त शासन अभियंत्रण विभाग के ९ (नौ) अस्थायी ओवरसियरों की सेवायें समाप्त की गयी थीं।

जी हां।

*३७—श्री मोतीलाल देहलवी—

क्या सरकार बतायेगी कि इन लोगों के उस प्रार्थना-पत्र पर सरकार ने कौन-सी कार्यवाही की जिसको राज्यपाल महोदय के कार्यालय के पत्र संख्या ३८५३/एल० एस० जी० (बी०), दिनांक २२ नवम्बर, १९६८ के द्वारा सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजा गया था और जिस पर आठ संसद सदस्यों ने सहानुभूतिपूर्वक विचार व भ्रष्टाचार की जांच के लिये राज्य सरकार का ध्यान आकृष्ट किया था ?

श्री अतीकुर्रहमान—

राज्यपाल के कार्यालय से ऐसा कोई पत्र नहीं प्राप्त हुआ था बल्कि एक पत्र राज्यपाल को संबोधित श्री हसनैन खां का दस्तखती आठ संसद सदस्यों की सिफ़ारिश के साथ पिटीशंस विभाग से प्राप्त हुआ था। इस कर्मचारी के मामले पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने के पश्चात् उनकी पुनः नवीन नियुक्ति करने के लिए मुख्य अभियंता को आदेश जारी कर दिये गये हैं।

*३८–३९—श्री दीपनारायणमणि—

[७ अगस्त, १९६९ के प्र० सं० २६–२७ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

रामनगर परगने में सीलिंग से प्राप्त भूमि का वितरण

*४०—श्री शिव कैलाश (जिला बाराबंकी)—

क्या राजस्व मंत्री बतायेंगे कि ग्राम रामनगर, चांदामऊ, रामपुर, महासिंह, परगना रामनगर, जिला बाराबंकी में सीलिंग से जो जमीन प्राप्त हुई उसे भूमिहीनों में न वितरित कर उनको वितरित की गई जिनके पिता, भाई, पति या पत्नी के नाम से पहले से जमीनें थीं और अब भी हैं? यदि हां तो, क्यों और सरकार इसके विरुद्ध क्या कार्यवाही कर रही है?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

परगना रामनगर, जिला बाराबंकी के गांव रामनगर, चांदामऊ तथा रामपुर महासिंह में सीलिंग के अन्तर्गत प्राप्त भूमि केवल भूमिहीनों में ही वितरित की गई है।

दूसरे भाग के उत्तर का प्रश्न नहीं उठता।

इलाहाबाद, जौनपुर, वाराणसी तथा प्रतापगढ़ जिले में लगान में छूट

*४१—श्री जैराम (जिला प्रतापगढ़)—

क्या माल मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ में सूखाग्रस्त क्षेत्र घोषित होने पर पिछले वर्ष की मालगुजारी में छूट दी गई है? यदि हां, तो इस छूट का विस्तृत विवरण क्या है?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

जी हां, पिछली खरीफ १३७६ फसली में प्रतापगढ़ जिले में सूखे से हानि के कारण ४१४ ग्रामों में ४,१२,०३४.६३ रुपये की मालगुजारी तथा १,७४५.६६ रुपये के लगान की छूट की गई है।

*४२—श्री जैराम—

क्या माल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इलाहाबाद, जौनपुर तथा वाराणसी में सूखा ग्रस्त क्षेत्र होने के कारण पिछले वर्ष की मालगुजारी में कितनी छूट दी गई है? उसका विस्तृत विवरण किस प्रकार है?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

इलाहाबाद, जौनपुर तथा वाराणसी जिलों में पिछली १३७६ फ़सली में सूखे से हानि के कारण मालगुजारी तथा लगान की स्वीकृति छूट का विस्तृत विवरण संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ २३५ पर)

*४३–४४—श्री शेरसिंह बानू—

[३१ अगस्त, १९६९ को प्रश्न संख्या ४६–४७ के अन्तर्गत उत्तर दिया गया।]

सिकन्दराराऊ तहसील में मेड़बन्दी

*४५—श्री अतीसुर्रहमान (जिला अलीगढ़)—

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला अलीगढ़ के अन्तर्गत तहसील सिकन्दराराऊ में चकबन्दी के बाद अप्रैल-मई, १९६९ में कितनी मेड़बन्दी की दरख्वास्तें आईं तथा उन पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

जिला अलीगढ़ की तहसील सिकन्दराराऊ में चकबन्दी के बाद अप्रैल के महीने में २४ तथा मई में ३४ दरख्वास्तें मेड़बन्दी की आईं। जिन में से ४८ दरख्वास्तों पर मेड़बन्दी करा कर अन्तिम निर्णय दे दिया गया है और केवल १० दरख्वास्तों पर अभी कार्यवाही अवशेष है।

अतारांकित प्रश्न

गाजियाबाद मास्टर प्लान में सड़कों के निर्माण का व्यय

१—श्री रामचन्द्र विकल—

क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बतायेंगे कि गाजियाबाद मास्टर प्लान की बड़ी सड़कों का विकास व्यय व कालोनाइजरों से लिया जाने वाला विकास व्यय मकान बनाने वाले लोगों से लिया जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री अतीकुर्रहमान—

गाजियाबाद में कालोनाइजरों से लिया जाने वाला विकास व्यय मकान बनाने वालों से लिया जा रहा है, क्योंकि प्रारम्भ में स्वीकृत कालोनियों के कालोनाइजरों ने ३ वर्ष की निर्धारित अवधि में आवश्यक विकास कार्य नहीं किये। अतः उनको मकान बनाने वालों से प्राप्त होने वाली धनराशि से बनवाया जायेगा।

गाजियाबाद के मास्टर प्लान रोड का विकास व्यय अभी किसी मकान बनाने वालों से नहीं लिया गया है क्योंकि मास्टर प्लान रोड पर किसी मकान बनाने वाले ने अभी तक स्वीकृति नहीं मांगी है। स्वीकृति की प्रार्थना आने पर मकान बनाने वालों से मास्टर प्लान रोड का आनुपातिक व्यय लिया जायेगा, क्योंकि कालोनाइजरों ने ३ वर्ष की निर्धारित अवधि के अन्दर उनके क्षेत्र में पड़ने वाली मास्टर प्लान रोड्स का निर्माण नहीं किया।

उतरौला परगना में अग्निपीड़ितों को सहायता

२—श्री सूरजलाल—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जनपद गोंडा में उतरौला परगना के अन्तर्गत १५ फरवरी, १९६९ से ३० मई, १९६९ तक आतिशजनी की कितनी घटनायें हुई हैं तथा सरकार ने उन पीड़ितों के लिये क्या सहायता की है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

२१ घटनायें हुईं जिसमें ८० घर प्रभावित हुये। २८ लोगों को ४३५ रुपये की नकद खैरात तथा १२ लोगों को कपड़ा बांटा गया।

श्री सर्वसुख सिंह (जिला इलाहाबाद)—

श्रीमन्, आज के प्रश्न ३० के संबंध में जो मुझे लिखित उत्तर मिला है माननीय चतुर्भुज शर्मा जी के द्वारा वह गलत है। उन्होंने जो इन्फारमेशन दी है वह गलत है।

श्री अध्यक्ष—

मेरे पास आप इन्फारमेशन भेजें, मैं उनके पास भेजूंगा।

कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा समय निर्धारण का प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष—

मुझे एक सूचना देनी है। आज दिनांक ६ अगस्त, १९६९ को हुई कार्य-मंत्रणा समिति की बैठक में उसके द्वारा दिनांक ५ अगस्त, १९६९ को लिये गये निर्णय पर पुनर्विचार के पश्चात् यह निर्णय लिया गया कि—

(१) विधान सभा का वर्तमान तिथिवार कार्यक्रम यथावत् रहे और २७ अगस्त, १९६९ को यथापूर्व उपवेशन हो।

पहले था कि २७ अगस्त, १९६९ को छुट्टी रहेगी।

(२) दिनांक १६,१८ व १९ अगस्त, १९६९ को दिनांक १८, १९ व २० अगस्त के लिये निर्धारित माननीय मुख्य मंत्री एवं माननीय न्याय मंत्री के अनुदानों पर विवाद एवं मतदान के लिये निर्धारित किया जाय।

(३) दिनांक २० अगस्त, १९६९ को दिनांक १६ अगस्त, १९६९ के स्थान पर निम्नलिखित विधायी कार्य उनके सामने लिखे हुये समय के अनुसार लिये जायं—

(क) उत्तर प्रदेश भूमि विधि (संशोधन) विधेयक, १९६९ ..२ घंटे।

(ख) उत्तर प्रदेश नगर महापालिका (अल्प कालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, १९६९, जैसा कि विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है..डेढ़ घंटे।

(ग) उत्तर प्रदेश गांव पंचायत, क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् (संशोधन) विधेयक, १९६९ जैसा कि विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है ..डेढ़ घंटे।

(४) १९६९–७० के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विवाद तथा मतदान के कार्यक्रम के वर्ग ४ के क्रम-संख्या १० पर उल्लिखित अनुदान संख्या ३—राज्य आबकारी, जिस पर उक्त कार्यक्रम के अनुसार विवाद होना था, को उस पर विवाद के प्रयोजन के लिये उक्त वर्ग ४ के क्रम संख्या ११ में माननीय मुख्य मंत्री के अन्य अनुदानों के लिये निर्धारित ढाई दिन के विवाद में ही उसके साथ सम्मिलित कर लिया जाय।

यह प्रस्ताव है।

उद्योग मंत्री (श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा)—

मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि कार्यमंत्रणा समिति की बैठक में दिनांक ६ अगस्त, १९६९ को लिये गये निर्णयों से यह सदन सहमत है।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि यह सदन कार्यमंत्रणा समिति द्वारा किये गये उन प्रस्तावों, जिनकी सूचना मैंने दी है, अध्यक्ष ने दी है, से सहमत है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)—

अध्यक्ष महोदय, मुझे यह निवेदन करना है कि रक्षा बंधन के दिन सदन की कार्यवाही होगी, इसमें मेरी असहमति है। चूंकि यह एक पर्व है, उस दिन छुट्टी होनी चाहिये। इसलिये इसके साथ मेरा 'डिसेंट नोट' लगा दें।

श्री अध्यक्ष—

आपकी सूचना इसमें दर्ज हो जायेगी।

श्री श्यामसूरत (जिला इलाहाबाद)—

ऐसा है कि इलाहाबाद जिले में बाढ़ आ गयी है और महमूद बट के कारण नाविक हड़ताल पर हैं। जो गांव इस पानी में डूब रहे हैं, उनका सामान निकलवाने में दिक्कत हो रही है। इसलिये मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि बाढ़ से लोगों को बचाने के लिये वहां प्रबन्ध करें। और जो सवाल दिया गया है महमूद बट के लिये उस पर विचार करने के लिये जल्दी समय दें।

अगर सरकार ने २४ घंटे के अन्दर उनके लिये कोई इन्तजाम नहीं किया तो उनका सामान सब बरबाद हो जायगा।

श्री अध्यक्ष—

मुझे आशा है सरकार के कान खुले हैं और उसको यह सब जानकारी होगी।

उत्तर प्रदेश नगरमहापालिका (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, १९६९

सचिव, विधान सभा—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से, उत्तर प्रदेश विधान सभा की स्वीकृति के लिये प्राप्त, उत्तर प्रदेश नगरमहापालिका (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, १९६९ को जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, सदन के पटल पर रखता हूं।

(देखिये नत्थी "घ" आगे पृष्ठ २३६–२३७ पर।)

उत्तर प्रदेश गांव पंचायत, क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् (संशोधन) विधेयक, १९६९

सचिव, विधान सभा—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश गांव पंचायत क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् (संशोधन) विधेयक, १९६९ को जैसा कि वह विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, सदन के पटल पर रखता हूं।

(देखिये नत्थी "ङ" आगे पृष्ठ २३९–२४४ पर।)

श्री धर्मवीर के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री अध्यक्ष—

मेरे पास माननीय इम्तियाज हुसेन ने एक विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न भेजा है जो इस प्रकार से है—

"४ अगस्त, १९६९ को सायंकाल सदन का कार्य समाप्त हो जाने के बाद मैं माननीय अध्यक्ष महोदय के पास माननीय सर्वश्री डी० पी० बोरा और सूबेदार सिंह के बारे में बातचीत करने गया और उस कमरे से जाने लगा जो अध्यक्ष महोदय के कमरे के अन्दर सचिव के कमरे से जाने का रास्ता है, वहां श्री धर्मवीर जी गुस्से में जोर जोर से कुछ लोगों से बातें कर रहे थे। मैंने पूछा क्या बात है तो उन्होंने कहा कि है क्या, स्पीकर मस्ट रिजाइन। मैं बगैर जवाब दिये अध्यक्ष महोदय के कमरे में चला गया और अध्यक्ष महोदय के पास बैठ गया। तुरन्त ही श्री धर्मवीर अध्यक्ष जी के कमरे में दाखिल हुये और उन्होंने अध्यक्ष जी से कहा कि मुझे आपसे कुछ बात करनी है। अध्यक्ष जी ने कहा, कहिये तो उन्होंने कहा कि मैं अलग बात करूंगा। अध्यक्ष महोदय उनके साथ उठकर पीछे वाले कमरे में चले गये। मैं वहां बैठ रहा। कमरे के अन्दर से जोर जोर से तेज आवाज आती रही। मैं उनकी बात नहीं समझ सका। जब श्री धर्मवीर और अध्यक्ष जी बाहर आये और श्री धर्मवीर चले गये तो मैंने श्री धर्मवीर का वाक्य कह दिया जो उन्होंने कहा था कि स्पीकर मस्ट रिजाइन और फिर मैंने अपनी बात की। मैं समझता था कि श्री धर्मवीर की बात आज सदन में उठेगी परन्तु सदन में बात सामने

नहीं आयी । स्पीकर महोदय, मेरी सूचना के ऊपर इस बात को सदन में उठावेंगे । जब श्री उदितनारायण यह बात कहने को उठे परन्तु उनको मौका नहीं मिल सका । इस कारण से अब मैं यह बात लिखित दे रहा हूं और इस बात को सदन में उठाना चाहता हूं क्योंकि श्री धर्मवीर का श्री स्पीकर के दरवाजे पर जोर से कहना कि स्पीकर मस्ट रिजाइन कहां तक न्यायसंगत है, धमकी कही जा सकती है और अपने विचार से यह बहुत गम्भीर बात है । इस प्रकार माननीय धर्मवीर ने माननीय अध्यक्ष तथा सदन का अवमान किया है ।

अतः श्रीमन् से प्रार्थना है कि उत्तर प्रदेश विधान सभा प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम ६३ के अन्तर्गत कार्यवाही करने की कृपा करें ।"

श्री धर्मवीर जी, आपको इस विषय में क्या कहना है ?

श्री धर्मवीर (जिला इलाहाबाद)—

श्रीमन्, अभी हमारे मित्र माननीय सदस्य ने मेरे विरुद्ध अवमान का प्रश्न जो आपके सामने रखा है और उसमें जिस बात का चर्चा किया गया है उसमें कोई तथ्य नहीं है । जिस प्रकार के शब्द उसमें इस्तेमाल किये गये हैं मैंने वे नहीं कहे । मैं आपके पास गया था और आप से बातचीत हुई । बातचीत के दौरान आपसे मैंने अपनी बात कही ।

श्री अध्यक्ष—

आपने ये शब्द कहे थे ?

श्री धर्मवीर—

जी नहीं, मैंने नहीं कहे ।

श्री अध्यक्ष—

माननीय सदस्य इसका प्रतिवाद करते हैं और इस सदन की यह प्रथा रही है कि जब किसी ने कोई चीज कही है कि उसने ऐसा कहा है और वह सदस्य उसको स्वीकार नहीं करता तो उसको सदन ने मान लिया है । वह मामला खत्म कर दिया जाता है । इस बात के बारे में उन्होंने नहीं कहा तो मैं इसको स्वीकार कर लेता हूं कि उन्होंने नहीं कहा और जब नहीं कहा तो मैं समझता हूं कि यह प्रश्न उठता नहीं है, मैं इसे स्वीकार कर लेता हूं ।

श्री वीरेन्द्र वर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)—

इस से पूर्व पहली तारीख में श्री डी० पी० बोरा ने स्पष्ट रूप से आपके सामने कहा था कि न तो मैं जलूस को लीड कर रहा था और न नारे लगवा रहा था, तो आपने कहा था कि मैं जांच करवाऊंगा । लेकिन इसका क्या कारण है कि जब एक सदस्य ने दूसरे माननीय सदस्य की मौजूदगी में कुछ कहा, फिर भी आप उसे नहीं मानते और उस सदस्य की बात स्वीकार कर लेते हैं बिना जांच करवाये हुये, जब कि बोरा साहब ने कहा था तो आपने जांच करने का निर्णय लिया था, इसका क्या कारण है ?

श्री अध्यक्ष—

किसी सदस्य को अगर कोई धमकी देता है, तो वह सदस्य जिसको धमकी दी गयी है यह कहा जाता है, वह अगर स्वीकार कर लेता है कि वह इस से सेटिसफ़ाइड है तो वह बात दूसरी है। जहां तक दूसरा प्रश्न है तो वह तो सैटिसफाइड नहीं हुये जिन्होंने यह कहा था क्योंकि बाहर सदन के धमकी दी थी । इस सदन से कोई मतलब नहीं था, बाहर का प्रश्न था और यह जो प्रश्न है मेरे दरवाजे का वह सदन के परिसर के अन्दर का, प्रेसिंक्ट्स का ही सवाल है । उसकी यह एक प्रथा है कि उसके अन्दर कोई इस तरह की चीज होती है और मैं सैटिसफाइड हूं तो मैं उसे स्वीकार कर लेता हूं, और अगर बाहर होती है तो उसकी जांच करने की आवश्यकता होती है ।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

प्रश्न यह है कि एक सदस्य ने सदस्य के सम्मुख, आपके सम्मुख बयान दिया कि मैं वहां उपस्थित नहीं था, लेकिन आपने स्वीकार नहीं किया और जांच कराने की बात कही और आज उसी प्रकार के बयान को स्वीकार कर लिया। जहां तक इम्तियाज साहब की बात है उन्होंने रिफ्यूट नहीं किया, बल्कि आप खुद खड़े हो गये और आपने एक रूलिंग दे दी। माननीय इम्तियाज तो कुछ कहना चाहते थे, लेकिन आप माननीय धर्मवीर की बात सुन कर ही खड़े हो गये और वह बात स्पष्ट नहीं हो सकी। तो कृपया आप अपनी रूलिंग को रिजर्व रखें और इम्तियाज साहब को कहने का मौका दें।

श्री अध्यक्ष—

मेरे बारे में कोई कह दे कि मुझे धमकी दी और जिसके लिये कहा जाय कि धमकी दी, वह मेरे सामने कहता है कि मैंने नहीं दी तो मैं स्वीकार कर लेता हूं। अगर किसी माननीय सदस्य के बारे में कहा जाय कि उन्होंने अमुक मंत्री जी को धमकी दी कि यह करो नहीं तो हम यह करेंगे और मंत्री जी अगर इस बात को मान लेते हैं और उनके सामने किसी ने प्रश्न उठाया और कहा कि मैंने धमकी नहीं दी तो मैं उसे मान लेता हूं कि जो स्टेटमेंट उसने दिया है कि धमकी नहीं दी, उसको स्वीकार कर लेना चाहिये।

श्री दीपनारायण मणि (जिला देवरिया)—

यह तो सदन का अवमान है अगर आपके लिये कोई कुछ कहता है। इसलिये आप व्यक्तिगत रूप से, परसनल कैपेसिटी में जो कुछ कहें लेकिन अध्यक्ष की एक मर्यादा होती है, उसके लिये अगर कुछ कहा जाता है तो सदन का अवमान होता है। ऐसी हालत में आपको सदन की राय जानकर, दोनों पक्षों की बात सुनकर निर्णय लेना चाहिये।

श्री इम्तियाज हुसैन (जिला लखनऊ)—

मैंने एक बयान दिया, दस्तखत हुआ और मैं समझता था कि आप मुझे कुछ कहने का मौका देंगे इसलिये कि यह सवाल आपकी जात तक महदूद नहीं है या मेरी जात तक महदूद नहीं है। इस सवाल से इस सदन का ताल्लुक है, और आपकी तौहीन अगर की जाती है तो वह आपकी भी तौहीन है और इस सदन की भी तौहीन है और यह एक ऐसी बात है कि आप इस सदन को चलाने के लिये हजारों और सैकड़ों फ़ैसले करते हैं और उन तमाम फ़ैसलों के बाद, जैसे कि इस फ़ैसले के बाद एक धमकी दी गयी, जिसको कि मैंने अपने कानों से खुद सुना और बात इतनी जोर से कही जा रही थी कि आप भी उसको सुन सकते थे, तो बाद में भी ऐसे मौके आ सकते हैं। किसी भी शख्स के दिल में यह खयाल आ सकता है कि ऐसा फ़ैसला करने के बाद अगर ऐसी धमकी दी जाती है तो क्या मालूम इस धमकी का असर तो अध्यक्ष महोदय ने कबूल नहीं किया है इसलिये मैं आपकी पोजीशन को साफ़ करने के लिये और इस सदन के सम्मान को कायम रखने के लिये यह कहता हूं कि किसी मेम्बर को इस बात का हक हासिल नहीं है कि ऐसी कोई धमकी दे जैसी मैंने अपने कानों से सुनी।

श्री अध्यक्ष—

आप यह न कहिये कि मुझे धमकी दी, आप यह कहिये कि बाहर खड़े थे तो आपने सुना, इतना ही कह सकते हैं। मुझे धमकी उन्होंने नहीं दी।

कोई धमकी देने का प्रश्न नहीं था।

(व्यवधान)

डाक्टर राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी (जिला इलाहाबाद)—

अध्यक्ष महोदय, मैं व्यवस्था के प्रश्न पर खड़ी हूं। मैं यह कहना चाहती थी कि आपने प्रायः यह रूलिंग इस सदन में दी है कि आपकी रूलिंग के बाद कोई डिस्कशन नहीं होगा और अगर

किसी माननीय सदस्य को कुछ कहना हो तो वह आपके चेंबर में आ कर कह सकते हैं। तो मैं आप से यह कहना चाहती हूं कि जब आपने यहां पर स्पष्ट रूप से माननीय सदस्य को सुना और यह व्यवस्था दे दी और आप संतुष्ट हो गए तो फिर यह बार बार प्रश्न को उठाने का सवाल यहां कैसे उठता है ?

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

अध्यक्ष महोदय, आपने जो रूलिंग दी, उसके सामने नतमस्तक हूं लेकिन एक भ्रम हो गया है। यदि ऐसा कोई प्रश्न आए जिसमें आप स्वयं इनवाल्व हों तो उसे आप स्वयं देखेंगे या उपाध्यक्ष महोदय देखेंगे। मैं ऐसा समझता हूं कि जो आपने रूलिंग दी वह आप न देकर उपाध्यक्ष महोदय को दे देते। तो क्या आप ऐसे मामले में व्यवस्था दे सकते हैं ?

श्री अध्यक्ष—

अगर मेरे ऊपर यह आरोप हो।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

आरोप कुछ नहीं है।

श्री अध्यक्ष—

अगर यह आरोप हो कि अध्यक्ष ने यह काम बुरा किया लेकिन मुझे कोई गाली दे तो मुझे सुनना चाहिये, धमकी दे तो मुझे कान से सुनना चाहिये और वह चीज मैंने सुनी नहीं। कहीं आपने सुना और उसके ऊपर दूसरा आदमी कहता है कि मैंने अध्यक्ष को गाली नहीं दी और अगर मैं सैटिस्फाई हो जाता हूं तो यह काफी है। आपको किसी ने गाली दी और वह कहता है कि मैंने गाली नहीं दी और आपने स्वीकार कर लिया तो यह चीज समाप्त हो जाती है। यह चीज बिलकुल ऐसी है कि मुझे इसकी जानकारी होनी चाहिये। दूसरी चीज अगर आप कायदे से चलते हैं तो इस चीज को उसी वक्त उठा लेना चाहिये था सबेरे। यह टेक्निकल बात है। लेकिन मैं यह कहता हूं कि मुझे गाली दी या अध्यक्ष को गाली दी या धमकी दी और वह कान में भी नहीं पड़ी। मैं इस पर नोटिस नहीं ले सकता अगर वह डिनाई करते हैं। आप जितनी गाली मुझे देना हो दे लीजिए और अगर आप कहते हैं कि आपने नहीं दी तो मैं स्वीकार कर लूंगा यह मेरा सिद्धांत है। अगर किसी माननीय सदस्य पर आरोप लगाया गया है और वह यहां पर उसको स्वीकार नहीं करते तो दूसरे को उसे स्वीकार करना चाहिये, न करे तो वह बात दूसरी है। फिर जांच करनी होगी।

श्री इम्तियाज हुसैन—

मैंने अपनी तहरीर में यह लिखा है कि वहां पर कुछ लोग जो आपके दफ्तर से ताल्लुक रखते हैं मौजूद थे और उनकी मौजूदगी में यह कहा गया था तो इस बात की गुंजाइश है कि इन्क्वायरी कराई जा सकती थी और इसका एविडेंस मिल सकता है। वैसे आपका जो फैसला है वह हम सभी को कबूल है।

श्री बी० पी० बोरा (जिला लखनऊ)—

श्रीमन्, एक बात की आवश्यक सूचना मैं आपको देना चाहूंगा कि आपने अपने कानों से नहीं सुना लेकिन मैं इस सदन के कुछ नौकरों के नाम नहीं लेना चाहूंगा—यह बात उन्होंने अपने कानों से सुनी कि माननीय सदस्य धर्मवीर सिंह ने उस दिन यह प्रश्न उठाया था। क्या माननीय अध्यक्ष महोदय इस बात का पूरा इन्तजाम करेंगे कि ऐसे नौकर अगर खुलकर यह बात कहते हैं तो उनकी सर्विस पर कोई आंच नहीं आयेगी ? माननीय अध्यक्ष महोदय से मैं कहना चाहता हूं कि सदन में काम करने वाले कुछ ऐसे लोग हैं जो ऐसी हिम्मत रखते हैं कि आकर कहें और उसके ठीक विपरीत दूसरी तरफ जब मेरे ऊपर एक माननीय सदस्य सूबेदार सिंह ने

[श्री डी० पी० बोरा]

आरोप लगाया और कोई गवाह नहीं मिला तो पुलिस के लोग जबरदस्ती रायल होटल में उन तमाम काम करने वालों को जबरदस्ती धमकी देकर गवाही के लिये मजबूर करते हैं, तो इस पर आप को क्या कहना है ?

श्री अध्यक्ष—

इसके लिए आप विशेषाधिकार का प्रश्न उठा सकते हैं। आप उनके नाम दीजिए जिनको धमकी दी गई हो या उनके खिलाफ कोई दबाव पड़ता हो। तो आप उस प्रश्न को उठा सकते हैं। आपने अभी दिया नहीं है लिख कर, आज शाम तक दे दीजिए। आपने प्रश्न उठा दिया है।

श्री जगन्नाथ खन्ना (जिला सहारनपुर)—

श्रीमन्, अभी-अभी आपने यह कहा कि हाउस की बाउन्डरी के अन्दर अगर कोई चीज होती है, उसके लिये माननीय सदस्य जो कहेंगे उसको तो सच माना जायेगा और अगर हाउस की बाउन्डरी के बाहर कोई चीज होती है और माननीय सदस्य कहता है कि मैंने यह नहीं कहा था तो क्या इसका अर्थ यह लिया जाय कि आपके विधायक हाउस के अन्दर जो कुछ कहते हैं वह सत्य है और हाउस के बाहर जो कुछ कहते हैं वह असत्य है ? अभी-अभी श्री डी० पी० बोरा के संबंध में प्रश्न उठाया गया था तो आपने कहा कि यह बाहर की बात है, तो इस पर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—

आप बहस न करें, कृपया मेरे चेंबर में बात करें। अब मैं इसको समाप्त करता हूं।

श्री डी० पी० बोरा—

क्या आप उन नौकरों को पूरा प्रोटेक्शन देंगे जो इस सदन में काम करने वाले नौकर हैं ? वे इस बात की हिम्मत रखते हैं कि आगे आवें और कहें जो माननीय सदस्य के बारे में आरोप लगाया गया है कि उन्होंने इस बात को जोर-जोर से कहा था। इस बात का मैं उत्तर चाहता हूं।

(व्यवधान)

श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)—

मान्यवर, आपने जो व्यवस्था दी है, वह इस संबंध में है कि हमारे एक माननीय सदस्य ने यह शिकायत की कि श्री धर्मवीर ने आपकी शान के खिलाफ कुछ गुस्ताखी की। चूंकि उन्होंने अब यहां कहा कि हमने ऐसी गुस्ताखी नहीं की, तो आपने इस मामले को उठाने की इजाजत नहीं दी। लेकिन मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस पर तो आपकी यह व्यवस्था है और इसी से जुड़ा हुआ एक दूसरा मामला उठाया गया है उसके बारे में आपका कोई अभी फैसला नहीं हुआ, उसकी तरफ मैं आपका ध्यान खींचना चाहता हूं। जैसा कि मेरे लायक दोस्त ने बतलाया कि यह मामला खाली आपकी इंफरादी हैसियत तक ही महदूद नहीं है। मैंने एक दिन एक शब्द "बदतमीजी" का इस्तेमाल कर दिया था तो उसके लिये हुजूर ने एक व्यवस्था दे दी। उस व्यवस्था के ऊपर उधर बैठने वाले कुछ लोगों ने आपके सामने एतराज उठाया कि इस चीज को लेकर बाहर कोई सवाल उठता है तब क्या होगा। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यहां पर जो कार्यवाही होती है, और आपने जो व्यवस्था दी, उसके ऊपर इस तरह के एतराजात उठाना खाली आपकी नहीं, इस ऐवान की हतक इज्जती है। इसलिये आपकी रूलिंग के बावजूद यह मामला रह जाता है। यह पूरे ऐवान का मामला है। और उस पर मैं निवेदन करूंगा कि इस मामले में हुजूर की हैसियत खाली एक गवाह की रह जाती है। ये नियम और नजीरें जो हैं उसके मुताबिक मुनासिब यही है कि इस मामले का फैसला कोई दूसरा ही करे।

श्री अध्यक्ष—

अगर रूलिंग के बारे में आपको कुछ कहना है तो मेरे चेंबर में आ जाइए, रूलिंग तो हो चुकी ।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

मान्यवर, यह इस सदन का सवाल है ।

श्री अध्यक्ष—

जी नहीं, रूलिंग के ऊपर यहां आप कोई बात न कहें ।

१ अगस्त, १९६९ के तारांकित प्रश्न संख्या ४ के अनुपूरक प्रश्न के उत्तर का शोधन

समाज कल्याण मंत्री (श्रीमती विद्यावती राठौर)—

मान्यवर,

दिनांक १ अगस्त, १९६९ को श्री नित्यानन्द स्वामी द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ४ के अनुपूरक प्रश्न के उत्तर में मैंने सदन में गलती से गृह परामर्शदात्री समिति के सदस्यों की सूची पढ़ कर सुना दिया था जबकि मुझे समाज कल्याण परामर्शदात्री समिति के सदस्यों के नामों की सूची बतानी थी, जो कि इस प्रकार है। कृपया कार्यवाही में संशोधन कर दिया जाय ।

(६) समाज कल्याण परामर्शदात्री समिति
बैठक दिनांक २४ जुलाई, १९६८ ।

नाम सदस्य		दल	पता
१ श्रीमती शिवराजवती नेहरू	..	कांग्रेस	नंबर ३ फैनब्रेक एवेन्यू, हैवलाक रोड, लखनऊ।
२ मौलाना अब्दुल रऊफ खां		,,	मोहल्ला अजमन नगर, बरेली ।
३ श्री प्यारे लाल कुरील		,,	ग्राम घनटमपुर, पोस्ट बीघापुर, जिला उन्नाव ।
४ श्री यशपाल सिंह	..	निर्दलीय	तितरों, जिला सहारनपुर ।
५ श्रीमती मालती पांडेय	..	निर्दलीय	द्वारा श्री राज मंगल पांडेय, एडवोकेट, करिया, जिला देवरिया ।
६ श्री राजेन्द्र पाल सिंह	..	कांग्रेस	मई, जालौन ।
७ श्री जगन्नाथ आचार्य	..	कांग्रेस	आचार्य एम्पुल, उर्दू बाजार, गोरखपुर।
८ डा० चरन सिंह	..	कांग्रेस	१, डी० सिगार नगर, लखनऊ ।
९ श्री छेदी लाल साथी	..	रिपब्लिकन	अहाता दरबारी लाल, ४८, कंधारी बाजार, लखनऊ ।
१० डा० पुरुषोत्तम दास कपूर		जनसंघ	कमला नेहरू मार्ग, लखनऊ ।
११ श्री राजा राम शास्त्री	..	कांग्रेस	१०/४२५, खलासी लाइन, कानपुर ।
१२ श्रीमती दयावती	..	कांग्रेस	द्वारा श्री पूरनचन्द्र विद्यालंकार, चुड़ियाला, सहारनपुर ।
१३ श्री नाथूराम		कांग्रेस	पोस्ट तुलसीनगर, उरई, जिला जालौन।
१४ श्री शहीदुल हसन		कांग्रेस	औरंगाबाद, जिला बुलन्दशहर ।

श्री महीलाल (जिला मुरादाबाद)—

श्रीमती मालती पांडेय को इसमें निर्दलीय लिखा है। उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर ली है, यह मेरी जानकारी है। मंत्री जी इसका स्पष्टीकरण देने की कृपा करेंगी ?

श्रीमती विद्यावती राठौर—

इसमें जब सदस्य बनीं तो निर्दलीय थीं।

अध्यक्ष—

यह सूचना जो है वह २४ जुलाई, १९६८ की है। तो एक साल पहले की सूचना है पुरानी बात है।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)—

यह तो ठीक है कि इसमें संशोधन हो गया, लेकिन इससे संबंधित एक बात मैं कहना चाहता हूं। पिछले जितने दिनों से सत्र चल रहा है, लगभग प्रत्येक—"लगभग" शब्द मैंने जानबूझ कर प्रयोग किया है—लगभग प्रत्येक दिन जो उत्तर मिलते हैं वह या तो टालने की कोशिश की जाती है या गलत उत्तर मिलता है। तो आप मंत्रिमण्डल को यह निर्देश दे दें कि वह तैयारी करके आया करें।

श्री अध्यक्ष—

मैं समझता हूं कि अगर मंत्री अपनी गलती कबूल कर लेते हैं तो उसका आपको स्वागत करना चाहिये।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

वह तो ठीक है, मैं स्वागत करता हूं, लेकिन साथ ही यह भी कहना चाहता हूं कि प्रश्न कुछ पूछा जाता है और उत्तर कुछ दिया जाता है और आमतौर से कहा जाता है कि सूचना नहीं है। तो एक निर्देश आप दे दें मंत्रिमण्डल को कि यहां पर तैयारी करके आया करे।

श्री अध्यक्ष—

वह तो आना ही चाहिये।

श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)—

लेकिन अगर गलती पर गलती करते चले जायं तो क्या करना चाहिये ?

श्री अध्यक्ष—

जो आप करते हैं वही करते चले जाइए।

एक सदस्य—

व्यवस्था का प्रश्न है। प्रश्न का उत्तर गलत दिया गया, गलती आज सुधारी गई, तो उसमें सप्लीमेंटरी करने की इजाजत देंगे ?

श्री अध्यक्ष—

वह व्यवस्था नहीं है।

श्री वीरेन्द्र वर्मा (जिला मुजफ्फर नगर)—

माननीय मंत्री जी ने अभी जो सूचना दी है उसमें यह है कि १४ सदस्यों में से १० कांग्रेस के हैं और ११ वें ने भी कांग्रेस ज्वाइन कर ली है। तो १४ में से ११ कांग्रेसी रखे गये, क्या कोई और पार्टी नहीं थी ?

श्री अध्यक्ष—

यह तो राज्यपाल के जमाने की बात है ।

श्रीमती विद्यावती राठौर—

यह तो पुरानी कमेटी बनी है।

१९६९–७० के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या १८—शिक्षा

शिक्षा मंत्री (श्री रामजीलाल सहायक)—

अध्यक्ष महोदय, मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि ३१ मार्च, १९७० को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या १८—शिक्षा के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त ४९,३०,१६,१०० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

मान्यवर, शिक्षा एक महत्वपूर्ण विषय है। शिक्षा का मूल उद्देश्य है विभिन्नता में एकता को खोजना तथा बच्चों में आत्मविश्वास पैदा करना। शिक्षा का दूसरा उद्देश्य शिक्षार्थियों में उनका मानसिक और बौद्धिक विकास करना है। उसका तीसरा उद्देश्य उनका शारीरिक विकास करना है। शिक्षा का चौथा उद्देश्य होता है कि वह समाज में ऐसा अच्छा नागरिक पैदा करे कि जो अपने जीवन का यापन कर सके। इन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति के लिये राज्य का शिक्षा विभाग कार्य करता है और इन सब कामों के संपादन के लिये धन की आवश्यकता होती है।

मान्यवर, लेखानुदान को सम्मिलित करके शिक्षा बजट इस वर्ष ७९,३९,०६,१०० रुपये का होता है। पिछले वर्ष से इस बजट में लगभग २१ करोड़ की वृद्धि हुई है और यह पूरे बजट का १८.१ प्रतिशत होता है। बजट में जो प्राथमिक शिक्षा पर खर्च है वह इसका ४९ फीसदी है। मा-यमिक शिक्षा पर २४ प्रतिशत है और उच्च शिक्षा पर ८ प्रतिशत। सैन्य शिक्षा पर दो प्रतिशत और शिक्षा विभाग द्वारा जो अन्य योजनायें चलाई जाती हैं उनपर १७ प्रतिशत व्यय आता है। मान्यवर, शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा, शिक्षार्थी, शिक्षक और शिक्षालय यह चारों मिलकर शिक्षा के कार्य को चलाते हैं। (व्यवधान) राज्य की तरफ से, मान्यवर, शिक्षार्थियों के लिये बहुत सी सुविधायें दी गई हैं। हमारे यहां जो विद्यार्थी निर्धन हैं, जिनको पुस्तकों के अर्जन करने में बड़ी कठिनाई होती है, उनके लिये पिछले वर्षों में इलाहाबाद, लखनऊ और गोरखपुर में ४७ पुस्तकालयों का सृजन किया गया है और इनकी और अधिक संख्या बढ़ाने के लिये काफी धनराशि दी गई है। इन पुस्पकालयों के द्वारा विद्यार्थियों को पुस्तकें उधार मिलती हैं और उनको एक नाम मात्र का—एक रुपया या दो रुपया साल में देना पड़ता है। यह योजना बड़ी ही प्रभावशाली सिद्ध हुई है और इसमें प्रगति हो रही है।

प्रतिभावान छात्रों के लिये भी, उनकी प्रतिभा बढ़ाने के लिये, काफी धनराशि रखी गई है। जो प्रतिभावान छात्र हैं, सरकार की तरफ से उनको काफी धन दिया जाता है।

मान्यवर, ऐसी छात्राएं जो बी० एस–सी० पास करके एम० एस–सी० पढ़ना चाहती हैं उनके लिये १०० रुपये प्रतिमास की दर से छात्रवृत्ति देने का प्राविजन है। मान्यवर, पुस्तकों के ज्ञान के अतिरिक्त और किस तरह से उनका बौद्धिक विकास हो सकता है, उसकी तरफ भी हमारे शिक्षा विभाग का ध्यान रहता है। और इसलिये अभी हम ऐसा मानते हैं कि शिक्षार्थी चाहे प्रदेश के नागरिक हों यदि उनमें राष्ट्रीय भावना नहीं है, देश के प्रति उनका कोई भाव नहीं होता तो ऐसे नागरिकों को कोई अच्छा नागरिक नहीं माना जाता। शिक्षा विभाग ने इस बात की ओर बराबर ध्यान रक्खा है और हमारा प्रयास रहा है कि हम विद्यार्थियों में ऐसी भावना उत्पन्न करें कि बचपन से उनमें देशभक्ति के भाव पैदा हो जायं। अभी -अभी

[श्री रामजी लाल सहायक]

कुछ महीने पहले यह किया गया कि विभाग की तरफ से पांच राष्ट्रगीत चुने गए उन्हें पुस्तक के रूप में प्रकाशित किया गया और सभी विद्यालयों को चाहे वे प्राइमरी जूनियर या माध्यमिक विद्यालय हों, ऐसी पुस्तिका भेजी गई है और ऐसे आदेश भेजे गये हैं कि नित्य प्रति जो उनके यहां प्रार्थना होती है, असेम्बली होती है उसमें इन गानों में से किसी एक गाने को गवायेंगे जो देश भक्ति के गाने हैं ताकि बच्चों में देशभक्ति के भाव आएं। इसी के साथ-साथ मान्यवर, बहुत बड़ी चर्चा होती है मारल एजूकेशन की और विभाग ने अभी २५ बातें निश्चित करके और उनको भी प्रकाशित कराके सभी विद्यालयों को भेजी हैं। उनके चार्टस भी बनाए जा रहे हैं ताकि वे विद्यालयों की कक्षाओं में टंगे रहें। विद्यार्थी नित्य प्रति इन २५ बातों का पारायण करें और अपने को वैसा बनाने की चेष्टा करें। मैं इधर बहुत से स्कूलों में गया और मैंने देखा कि जो राष्ट्रीय गाने भेजे गये थे उन बच्चों ने गाकर सुनाए और वे २५ बातें भी सुनाई और मुझे आशा है कि इस तरह देशभक्ति और राष्ट्रीय भावना जगेगी। उनमें सदाचार की भावना भी अच्छी होगी।

मान्यवर, मैं यह चाहूंगा कि कुछ मुख्य-मुख्य बातें जो हमारे इस बजट की हैं उन पर कुछ रोशनी डाल दूं और मेरी इच्छा है कि इस पर अधिक समय मैं न लेकर माननीय सदस्यों को समय मिले और वे हमारी कुछ त्रुटियों को बता सकें और हमें सुझाव भी दें जिससे हम आगे कार्य करने में समर्थ हो सकें। अब शिक्षार्थियों के आगे शिक्षक आता है और पिछले दिनों से बराबर इस बात का प्रयास रहा है कि हम शिक्षकों के सामाजिक स्तर को, उसके रहन-सहन क स्तर को ऊंचा उठा सकें। प्राइमरी स्तर के अध्यापकों में हड़ताल हुई और उस पर निश्चय लिया गया और सरकार ने निश्चय लिया कि अब उनके वेतनक्रम जो प्रशिक्षित हैं उनको १५ रु० मासिक और जो अप्रशिक्षित हैं उनको दस रुपये मासिक यानी ट्रेन्ड को १२५ रु० मासिक और अनट्रेन्ड को १०० रुपये मासिक और यह अब समकक्ष हो गया है उसके जो कोठारी आयोग ने सिफारिश की है कि प्राइमरी अध्यापकों को इस प्रकार के वेतनक्रम दिये जायं। गैर-सरकारी सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल और हायर सेकेंन्डरी स्कूल, इन्डरमीडिएट कालेजों ने भी हड़ताल की और अभी मार्च में कुछ निर्णय लिया गया जिसके अनुसार उनके महंगाई भत्ते में वृद्धि की गई और उनके वेतनक्रम पुनरीक्षित किये गये और अब उनके वेतनक्रम जो हमारे राजकीय विद्यालय हैं उनके अध्यापकों के काफी बराबर हो गये हैं। एक अर्थ में जो मैक्सीमम है, अधिकतम है वह बराबर हो गया है गैरसरकारी अध्यापकों और राजकीय अध्यापकों का। हां अभी यह जो स्टार्ट है जो न्यूनतम वेतनक्रम है उसमें कमी है। मान्यवर, माध्यमिक विद्यालयों के जो गैरसरकारी कर्मचारी थे, उनकी भी कई एक मांगे शासन के सम्मुख आई और १० रुपये और ६ रुपये अन्य कर्मचारियों के लिये तदर्थ वृद्धि १ जुलाई, १९६९ से महंगाई भत्ते में देने का निश्चय किया गया है। माध्यमिक लिपिक वर्ग कर्मचारियों की वेतन मांग और महंगाई भत्ते में भी वृद्धि करने का प्रश्न विचाराधीन है और शीघ्र ही इस पर निर्णय लिये जायेंगे यद्यपि यहां पर प्रस्ताव है कि उनकी सहायता करनी चाहिये। प्रदेश के गैर सरकारी डिग्री कालिजों के शिक्षकों की महंगाई भत्ते और अन्य मांगें जो शासन के सामने आयीं, शासन ने अपने साधनों को देखते हुए उनके महंगाई भत्ते में वृद्धि किये जाने का निश्चय लिया। गैर सरकारी डिग्री कलिजों के कलर्क्स वर्ग रह की महंगाई भत्ते में वृद्धि करने का भी निश्चय लिया गया है। विश्वविद्यालय के कर्मचारियों की महंगाई भत्ते के बारे में शासन की बराबर चेष्टा है कि शिक्षा जगत में जो भी लोग कार्य कर रहे हैं, हम उनकी आर्थिक स्थिति को बराबर सुधारें और बराबर इस बात की चेष्टा करें कि उनका जीवन स्तर ऊंचा बने। इस बात को देखते हुए हमारे यहां राज्य में एक शिक्षा कल्याण कोष है जिसके द्वारा शिक्षकों को जो रिटायर हो जाते हैं, उनके लिये और जो हमारी सेवाओं में हैं, उनके और उनके बीमार बच्चों के स्वास्थ्य के लिये धनराशि दी जाती है और उससे भी हमारे अध्यापकों को काफी सुविधा मिली है।

मान्यवर, अब मैं शिक्षालयों के बारे में कुछ निवेदन करूंगा। हमारे प्रदेश में कुछ ऐसे क्षेत्र हैं, जहां पर हमारे प्राइमरी स्कूल भी नहीं है। प्राइमरी स्कूल यद्यपि जिला परिषदों द्वारा संचालित किये जाते हैं, लेकिन फिर भी बहुत से ऐसे क्षेत्र बच जाते हैं तो उनके लिये शासन ने यह निश्चय किया है कि स्वावलम्बी प्राइमरी स्कूल कायम कराये जांय। बहुत से महानुभाव ऐसे हैं जिनकी शिक्षा में अभिरुचि होती है, उनसे कहा जायगा कि ऐसे संस्थान बनायें और शासन उनको आर्थिक सहायता दे और इस वर्ष हम ऐसे ६०० स्कूलों को सहायता देंगे जो स्वावलम्बी होकर स्वयं संचालित हो जायेंगे।

श्रीमन्, कुछ लोगों ने यहां पर बराबर यह कोशिश की और यह कहा कि उर्दू भाषा हमारे प्रदेश में कमजोर है। शासन बराबर इसकी तरफ कार्य करता रहा है और उसने यह निश्चय लिया है कि प्राइमरी स्तर पर नगर पालिका आदि द्वारा चालू हुए जो प्राथमिक स्कूल हैं, उनमें उर्दू की पढ़ाई के लिये बढ़ावा देने के लिये जिन स्कूलों में ४० विद्यार्थी होंगे और एक क्लास में १० विद्यार्थी उर्दू पढ़ने वाले होंगे वहां हम अध्यापक देंगे और एक बड़ी धनराशि उर्दू के विकास के लिये खर्च करने का प्राविधान है। मान्यवर, रामपुर और टिहरी गढ़वाल की रियासतें जब हमारे प्रदेश में विलय की गयीं तो वहां के प्राथमिक शिक्षकों की दशा अजीब हो गयी और अब शासन ने निश्चय किया है कि जो ऐसे प्राथमिक और जूनियर हाई स्कूल के अध्यापक हैं, जो अस्थाई थे, उन्हें स्थायी कर दिया है। उनके वेतन के सम्बन्ध में भी तब्दीली की गयी है।

मान्यवर, देश में विज्ञान के प्रति अभिरुचि बढ़ी है और आज जब कि मानव चन्द्र तल पर उतर गया है तब कोई देश और प्रदेश ऐसा खाली नहीं रह जाता है जहां के रहने वालों की निगाह विज्ञान की ओर न जाय और इसलिये हमारे प्रदेश में बराबर इस बात की चेष्टा रही कि विज्ञान की शिक्षा का प्रचार और प्रसार हो। विज्ञान की शिक्षा का प्रचार और प्रसार न केवल सेकेन्ड्री व डिग्री कालिजों में हो बल्कि प्रारम्भिक पाठशालाओं में भी हो। इसके लिये हमने २-२ महीने के कोर्स चालू कराये हैं। और उनके द्वारा ४०० जूनियर हाई स्कूल के अध्यापकों और १४०० प्राइमरी स्कूल के अध्यापकों को दो, दो महीने की ट्रेनिंग दिये जाने का प्राविधान है। हमारा प्रदेश कृषि प्रधान प्रदेश है। इसलिये कृषि शिक्षा के ऊपर भी बराबर ढ़ावा दिया जाता रहा है? अब यह व्यवस्था की है जिनसे संस्थाओं के पास २५ एकड़ भूमि है वहां सिचाई के लिये नलकूप अथवा पंपिंग सेट लगाने के लिये प्रति स्कूल ५, ६ जार रुपये दिये जाने का प्राविधान किया है और जिनके पास २, ३, ४ एकड़ जमीन है वहां पर पक्के कुवे और रहट लगाने के लिये दो हजार रुपये प्रति स्कूल दिये जाने का प्राविधान है और मुझे आशा है कि इससे कृषि शिक्षा का प्रचार और प्रसार होगा।

बहुत से जूनियर हाई स्कूल तथा इन्टरमीडियेट स्कूल राज्य सरकार द्वारा चलाये जाते हैं। ६ जूनियर हाई स्कूलों को हाई स्कूल में उच्चकरण किया गया है और ३ राजकीय हाई स्कूलों को इंटरमीडियेट स्तर पर उच्चकरण किया गया है और ५ राजकीय बालिका विद्यालयों का उच्चकरण किया गया है। बालिकाओं में शिक्षा का प्रसार तेजी से हो रहा है। दिन ब दिन बालिकाओं की शिक्षा संस्थाओं में वृद्धि हो रही है। उनका प्रबन्ध तथा संचालन सुचारु रूप से चले इसके लिये शासन ने निश्चय किया है कि कुछ और उप विद्यालय निरीक्षिकाओं और विद्यालय निरीक्षिकाओं के पदों का सृजन किया जाय।

श्रीमन्, मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि जो बालिकाओं के विद्यालय हमारे प्रदेश में चलाये जा रहे हैं उनको मान्यता देते हुए इस बात का खयाल रखा जाता है कि जो मान्यता की शर्तें बालकों के विद्यालयों के लिये हैं वे बालिकाओं के विद्यालयों में ढीली कर दी जाती हैं और कुछ कम शर्तें पूरी होने पर भी मान्यता उसको देदी जाती है ताकि बालिकाओं की शिक्षा का प्रसार आसानी से हो सके। उच्च शिक्षा की दिशा में जहां हम एक तरफ सार्वजनिक रूप में डिग्री कालेजेज की ओर बढ़ा रहे हैं वहां इस बार एक विश्वविद्यालय की स्थापना की बात भी रखी गयी है अर्थात् उत्तराखंड विश्वविद्यालय स्थापित होने जा रहा है। पर्वतीय

[श्री रामजी लाल सहायक]

क्षेत्र की यह एक बड़ी मांग थी और उसे देखते हुए इस की रूपरेखा बन रही है और आशा की जाती है कि इस वर्ष उस रूपरेखा को बनाकर उस पर कुछ न कुछ कार्यवाही शुरू हो जायगी।

टेहरी तथा उत्तर काशी में नये राजकीय डिग्री कालेजेज स्थापित किये जा रहे हैं और पर्वतीय क्षेत्र में जूनियर हाई स्कूल तथा हाई स्कूल को मान्यता देने के जो नियम हैं उनमें ढिलाई की गयी है। उदाहरणार्थ मैदान में मान्यता देने के लिये ३ हजार रुपये सुरक्षित कोष और १० हजार रुपये का एंडाउमेंट मांगते हैं लेकिन पर्वतीय क्षेत्र में उसे कम कर दिया गया है क्योंकि हम यह मानते हैं कि पर्वतीय क्षेत्र मैदानी क्षेत्रों से पिछड़े हुए हैं, कमजोर तथा, निर्धन हैं।

उच्च शिक्षा देने के लिये हमारे सामने डिग्री कालेज यह मांग कर रहे थे कि स्नातकों की शिक्षा अधिक है, इसलिये पोस्ट ग्रेजुएट स्नातकों को उनको शिक्षा देने की इजाजत दी जाय। गोरखपुर विश्वविद्याल में अब यह तय कर दिया है और अब वहां पर पोस्ट ग्रेजुएट क्लासेज खोलने की अनुमति दे दी गयी है। और कुछ कालेजेज को मिल भी गयी है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में रंजन कमेटी बैठी। उसकी रिपोर्ट पर विचार हो रहा है और वहां भी हमारी कोशिश है कि किसी न किसी रूप में हम इस बात की व्यवस्था करें कि बढ़ती हुई आबादी में जो शिक्षा के प्रति बढ़ती हुई रुचि है और जो प्रवेशार्थी प्रवेश नहीं पा सकते हैं वे पायें।

यहां यह निश्चय हो चुका है कि हमारी राजभाषा और राष्ट्रभाषा दोनों ही हिन्दी हैं। हमारे कुछ विश्वविद्यालयों ने, जिनकी संख्या बहुत थोड़ी है, हिन्दी को परीक्षा का माध्यम बनाया है लेकिन अभी काफी विश्वविद्यालय ऐसे हैं जहां हिन्दी भी माध्यम है और अन्य भाषायें भी हैं और इसके पक्ष में यह कहा गया कि चूंकि हिन्दी में पुस्तकों की कमी है इसलिये अभी हिन्दी को माध्यम बनाना उपयुक्त न होगा। तो अभी केन्द्रीय सरकार के अनुदेश से हमारे प्रदेश में हिन्दी में विश्वविद्यालय स्तर की इंजीनियरिंग, मेडिकल, सभी प्रकार की पुस्तकों के प्रकाशन के लिये एक स्वायत्तपर्ण निगम की स्थापना की जा रही है। हिन्दी अध्यापक, उनका प्रशिक्षण हिन्दी बढ़ाने के लिये ठीक हो सके इसके लिये इलाहाबाद में एक हिन्दी शिक्षण संस्थान स्थापित किया जा रहा है। उसकी रूपरेखा बन चुकी है और आशा की जाती है कि शीघ्र ही वह स्थापित हो जायगा।

पर्वतीय क्षेत्र के कुछ अंचल ऐसे हैं जहां जिला परिषदें अभी स्थापित हुई हैं लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि वह प्राइमरी शिक्षा को स्वावलम्बी रूप में चला सकें। शासन ने निर्णय किया है कि ऐसे प्राथमिक स्कूलों के लिये जिनके भवन नहीं हैं या जिनके भवन मरम्मत चाहते हैं धन दिया जाय। और जो प्राइमरी अध्यापक वहां काम कर रहे हैं उनका वेतन-क्रम सुधारा गया है और उनके लिये भी धन देने का प्राविधान किया गया है।

हिन्दी प्रचार के सम्बन्ध में जब कभी बात आती है तो बराबर दक्षिण वालों को यह शिकायत रहती है कि हमको हिन्दी तो पढ़ाई जाती है, हमारी भाषा नहीं पढ़ाई जाती। शासन ने निश्चय लिया है कि हम अपने प्रदेश में जो ११ राजकीय विद्यालय हैं उनके विद्यार्थियों को जो दक्षिणी भाषायें सीखना चाहें वहां अध्यापकों का इन्तजाम करें और उन्हें अन्य सहूलियतें भी देंगे। इसके अलावा ८ व्यक्ति जो एम० ए० पास कर चुके हैं उनको ढाई सौ रुपये प्रति मास की छात्रवृत्ति देकर हम दक्षिण में भेजते हैं ताकि वहां की भाषा सीख कर आयें और हमारे यहां प्रचार करें। ऐसी पुस्तकों का लेखन और प्रकाशन कराया गया है जिससे इन भाषाओं के पढ़ने में आसानी हो।

मैंने उर्दू के विकास के बारे निवेदन किया। १ से ५ वें दर्जे की पाठ्य पुस्तकें हैं उर्दू भाषा में उनका प्रकाशन शासन के शिक्षा विभाग द्वारा आरम्भ कर दिया गया है। और अभी, जैसा कि मैंने कहा जिस स्कूल में ४० विद्यार्थी और १० विद्यार्थी होंगे, उनको अध्यापक दिये जायेंगे। इतना ही नहीं जो उर्दू के स्कूल हैं, मतब हैं उनकी देखभाल और अच्छे संचालन के लिये प्रदेश को १० रीजन्स में बांटा गया है, जहां १० अधिकारियों की नियुक्ति करने का फ़ैसला लिया गया है, ताकि उनकी अच्छे प्रकार से देखभाल हो सके और उर्दू भाषा की शिक्षा का अच्छा प्रबंध हो सके।

साथ ही संस्कृत, जिसको मैं विश्व की बहुत सी भाषाओं की जननी मानता हूं, प्रमाण रूप में कहना चाहता हूं कि संस्कृत का जो मातृ शब्द है वह अन्य भाषाओं में मैटर, मैदर और अंग्रेजी में मदर हो गया और संस्कृत का पितृ शब्द अन्य भाषाओं में पेटर, फ़ैदर, पिदर और अंग्रेजी में फादर हो गया। इस प्रकार संस्कृत न केवल विश्व की अनेक भाषाओं की जननी है, अपितु मुख्य भाषाओं में से एक है। अतः उसका विकास करना भी अत्यावश्यक है। हमारे यहां वाराणसी में एक वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय पहले से ही है। उसके अन्तर्गत प्रथम श्रेणी के ३३ संस्कृत विद्यालय और द्वितीय श्रेणी के ४१ विद्यालय और काम करने की व्यवस्था की गयी है और उनकी देखरेख के लिये अलग से इंसपेक्टर होगा जो उनकी देखरेख करेगा।

मान्यवर, हाई स्कूल और इन्टरमीडियेट बोर्ड द्वारा ही हमारी माध्यमिक शिक्षा संचालित होती थी। दिनों दिन परीक्षार्थियों की संख्या बढ़ती जाती थी, जिसका प्रबंध करना मुश्किल होता जा रहा था। फ़िर भी मैं बधाई देता हूं माध्यमिक शिक्षा परिषद् के अधिकारियों को कि उन्होंने वक्त पर ही परीक्षाफ़ल घोषित कर दिया जिससे हमारे विद्यार्थियों का बहुत बड़ा लाभ हुआ। अब हम यह सोच रहे हैं कि माध्यमिक शिक्षा परिषद् का विकेन्द्रीयकरण कर दिया जाय। इस योजनाकाल में इसके ४ भाग कर देने का विचार है। रूपरेखा बन जाने के पश्चात् कानून में संशोधन किया जायगा। उसके बाद वे अलग अलग स्थापित कर दिये जायेंगे।

प्रौढ़ शिक्षा की ओर भी ध्यान दिया गया है। इसके लिये रात्रि पाठशालाओं का आयोजन किया गया है। जिनमें किसानों को अधिक अन्न उपजाओ की भी शिक्षा दी जाती है।

मान्यवर, यूथ वर्ग के ऊपर बहुत जोर दिया जा रहा है। केन्द्रीय सरकार के अभिदेश के अनुसार प्रदेश में युवक कल्याण परिषद् की स्थापना की जा रही है, जिससे प्रदेश के युवकों में हम अनुशासन की भावना, राष्ट्रीय भावना जगा सकें और उनको रचनात्मक कार्यों में लगा सकें।

मान्यवर, अब मैं माननीय सदस्यों का कुछ समय बजट के विशेष विषयों के लिये लेना चाहता हूं। शिक्षा का ६९–७० के बजट पूरे बजट का १८.१ प्रतिशत है। पिछले वर्ष प्राइमरी स्कूल ५० हजार १९ थे, लड़कियों के ११५०० थे। अब ९० लड़कों के और ३०० लड़कियों के प्राइमरी स्कूल और खोले जायेंगे। ९,९०० अतिरिक्त अध्यापकों की नियुक्ति की जायगी। १२५ स्कूल माताओं की नियुक्ति की जायगी। प्राइमरी स्कूलों के भवनों की दशा को सुधारने के लिये ५६ भवनों के सुधार के लिये अनुदान दिया जायगा और ७५ नये भवनों का निर्माण किया जायगा।

(इस समय १२ बजकर ३० मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री वासुदेव पीठासीन हुए।)

स्कूलों की देखभाल और निरीक्षण हेतु २५ प्रतिशत उपविद्यालय निरीक्षक, १० उपबालिका विद्यालय निरीक्षिकाओं तथा ६ सहायक बालिका विद्यालय निरीक्षिकाओं की नियुक्ति प्रस्तावित है। कक्षा १ से ५ तक जितने बच्चों ने शिक्षा ली, उसकी तरफ़ भी माननीय सदस्य गौर करने की कृपा करें। पिछले वर्ष ६४ लाख ६३ हजार १०० विद्यार्थी और इस वर्ष एक करोड़ ७३ लाख हो जाने की संभावना है। बालिकाओं की पिछले वर्ष संख्या ३७ लाख ४८ हजार थी जो इस वर्ष एक करोड़ के करीब हो जाने की संभावना है। प्राइमरी स्कूलों के अध्यापकों की संख्या पिछले वर्ष एक लाख ९७ हजार थी। इसमें ११ हजार का इजाफ़ा हो जायेगा बालकों के मिडिल स्कूलों की संख्या ३,२०० थी। ३३० बालकों के नये स्कूल तथा बालिकाओं के २०१ नये स्कूल खुलेंगे। ५०७ अतिरिक्त अध्यापकों की आवश्यकता होगी। २०० बालकों के स्कूलों को अनुदान सूची पर लाया जायेगा और २९६ स्कूलों को विज्ञान की शिक्षा के लिये अनुदान दिया जायेगा। ५० अनुवर्ती कक्षायें खोली जायेंगी और १२ स्कूलों को कृषि शिक्षा सुधार के लिये अनुदान दिया जायेगा। इनमें छात्रों की संख्या इस प्रकार है। बालकों की ४१.६ प्रतिशत रही और बालिकाओं की ११.१ प्रतिशत रही।

[श्री रामजी लाल सहायक]

माध्यमिक स्कूल के अध्यापकों की संख्या ४०० के करीब हो जायेगी। उच्चतर माध्यमिक विद्यालय २५५३ हैं। इनमें ८४ का और इजाफ़ा हो जायेगा। बालिकाओं के ५१६ हैं जिनमें १६ और बढ़ जायेंगे। १०० विद्यालय अनुदान की सूची पर लाये जायेंगे, ७० सहायता प्राप्त विद्यालयों के विज्ञान प्रयोगशाला आदि के लिये अनुदान दिया जायगा, ३ को क्रीड़ा-स्थल का अनुदान दिया जायगा तथा १०० स्कूलों को पाठ्य पुस्तक हेतु अनुदान दिया जायगा। कक्षा ९ से १२ तक बालकों की संख्या ८ लाख ११ हजार और बालिकाओं की १ लाख ७९ हजार है। माध्यमिक स्तर पर अध्यापकों की संख्या ४१ हजार थी, इसमें दो हजार का इजाफ़ा हो जायेगा। डिग्री कालेजों की संख्या २३८ है। इसमें ८ और बढ़ जायेंगे। द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण होनेवाली १२४ छात्राओं को १०० रुपये मासिक की छात्रवृत्ति एम० एस-सी० के अध्ययन के लिये दी जायेगी। १० डिग्री कालेजों को अनुदान सूची पर लाया जायेगा। उत्तरकाशी तथा टेहरी-गढ़वाल में नये डिग्री कालेज खोले जायेंगे। विश्वविद्यालय के स्तर पर शिक्षा देने वाले उप-महाविद्यालय १२ हैं। इनमें एक और बढ़ जायेगा। इनमें छात्रों की संख्या १ लाख ५८ हजार है। इनमें ८ हजार और बढ़ जायेंगे। इस प्रकार हम देखेंगे कि ज्यों-ज्यों धनराशि बढ़ती गई है त्यों त्यों स्कूलों तथा छात्रों की संख्या भी बढ़ती गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में चौथी योजना में १८६१ जूनियर बेसिक स्कूल खोलने का लक्ष्य है। इस साल ३५० खोलेंगे। नगर क्षेत्र में ५१३ खोलने का लक्ष्य है। इस साल ४० खोलेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों के जूनियर बेसिक स्कूलों में अतिरिक्त अध्यापक—३५,९७५ लक्ष्य है और ९,७०० इस वर्ष रखेंगे। नगर क्षेत्रों के जूनियर बेसिक स्कूलों में अतिरिक्त अध्यापक—३,११७ लक्ष्य है और २०० इस साल रखे जायेंगे। स्वावलम्बी विद्यालयों को सहायता, १५०० लक्ष्य है और ६०० को इस वर्ष दी जायगी। स्कूल भवनों का सुधार, ८०० लक्ष्य है ५६ को इस साल लिया जायगा। स्कूल भवनों का निर्माण—५०० का लक्ष्य है और ७५ इस साल निर्माण होंगे। अनुवर्ती कक्षाओं का खोलना, ३०० का लक्ष्य है ५० इस साल के लिये हैं। मिश्रित जूनियर बेसिक स्कूलों में स्कूल माताओं की नियुक्ति, १६२५ लक्ष्य है, १२५ इस वर्ष रखी जायेंगी। मिश्रित जूनियर बेसिक स्कूलों में बालिकाओं के लिये सैनिटरी ब्लाक का निर्माण, ५०० का लक्ष्य है। वय वर्ग ६—११ के विद्यालय जाने वाले छात्रों की संख्या (लाख में) लक्ष्य ११०.६८ है और इस वर्ष १०२.११ का प्राविजन है बालक, ६९.८६ का लक्ष्य है इसमें ६४.६३ इस वर्ष के लिये है, बालिका, ४०.८२ लक्ष्य है, इसमें ३७.४८ इस वर्ष के लिये है। इस प्रकार योजनाबद्ध कार्यक्रम है। चतुर्थ योजना में जो जूनियर हाई स्कूल हैं उनके बारे में बालकों के सीनियर बेसिक स्कूल (जिला परिषद्) का लक्ष्य है १,००६, और इस वर्ष २१० खोले जायेंगे। बालिकाओं के सीनियर बेसिक स्कूल (जिला परिषद्) का लक्ष्य है ६४८, इसमें इस वर्ष ११६ खोले जायेंगे। बालिकाओं के सीनियर बेसिक स्कूल (नगरपालिका), लक्ष्य है २५५ और इस साल ५० खोले जायेंगे। बालिकाओं के सीनियर बेसिक स्कूल राजकीय, लक्ष्य है १०, इस वर्ष ५ खोले जायेंगे।

ग्रामीण क्षेत्रों में सीनियर बेसिक स्कूलों में अतिरिक्त अध्यापकों की नियुक्ति, लक्ष्य है ३८८१, इस वर्ष ५०० रखे जायेंगे। सीनियर बेसिक स्कूलों को अनुदान की सूची पर लाना लक्ष्य है ८३१, इस वर्ष २० लाये जायेंगे। सामान्य विज्ञान की शिक्षा की सुविधा के लिये अनुदान, लक्ष्य १३७५, इस वर्ष २९६। कृषि शिक्षा के विकास हेतु अनुदान, लक्ष्य है १२५, इस वर्ष १२। पाठ्य पुस्तक पुस्तकालयों की स्थापना हेतु अनुदान, लक्ष्य है ५००, इस वर्ष १०० को अनुदान दिया जायगा। इसके बाद हायर सेकेंडरी शिक्षा में, उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों को अनुदान की सूची पर लाना, लक्ष्य है ४१७, इस वर्ष १०० को लाया जायगा। विज्ञान की सज्जा के लिये अनुदान, लक्ष्य है २१७, इस वर्ष ३५ लिये जायेंगे। विज्ञान की प्रयोगशाला के लिये अनुदान, लक्ष्य है २१७, इस वर्ष ३५ को दिया जायगा। राजकीय इंटर कालेजों में विज्ञान शिक्षा की सुविधा में सुधार, लक्ष्य है १०१, इस वर्ष २५ पूरे किये जायेंगे। राजकीय जूनियर हाई स्कूलों का हाई स्कूल स्तर तक उच्चीकरण, (क) बालक—लक्ष्य है

५, इस वर्ष २ लिये जायेंगे, (ख) बालिका, लक्ष्य है ५ इस वर्ष ३ लिये जायेंगे। राजकीय हाई स्कूलों का इंटर स्तर तक उच्चीकरण, लक्ष्य है १०, इस वर्ष ३ लिये जायेंगे। अतिरिक्त छात्र संख्या के लिये अनुदान, लक्ष्य है ३९२, इस वर्ष ९० को दिया जायगा। उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में पाठ्य पुस्तक पुस्तकालयों की स्थापना, लक्ष्य है ३४६, इस वर्ष ३७ स्थापित किये जायेंगे। उत्तर मा यमिक विद्यालयों के पुस्तकालयों का सुधार, लक्ष्य है ६७९, इस वर्ष ४० का सुधार किया जायगा। उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों को दक्षता अनुदान, लक्ष्य है ३००, इस वर्ष ६० को दिया जायगा। उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में क्रीड़ा स्थल की व्यवस्था, लक्ष्य है ४९, इस वर्ष ३ में व्यवस्था की जायगी। उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में बसों की व्यवस्था, लक्ष्य है ५०, तीन इस वर्ष पूरे किये जायेंगे। मेधावी छात्रों को अध्ययन हेतु सहायता, लक्ष्य है २१०, इस वर्ष १५ को दिया जायगा। अध्यापकों को दक्षता पुरस्कार लक्ष्य है २५२ और इस साल १०० को दिया जायगा। उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में अतिरिक्त छात्रवृत्तियां लक्ष्य है २५,८१७। इनमें से इस वर्ष १ हजार कुछ पूरे किये जायेंगे। नये विश्वविद्यालयों की स्थापना, लक्ष्य है १, वह इस वर्ष स्थापित किया जायगा। नये राजकीय डिग्री कालेज खोलना, २ का लक्ष्य है और दोनों इस वर्ष पूरे किये जायेंगे। नये डिग्री कालेजों को अनुदान, लक्ष्य है ५०, इस वर्ष १० को दिया जायगा। डिग्री कालेजों को योग्यता अनुदान, चुने हुए कालेजों को दिया जायगा। डिग्री कालेजों को विकास अनुदान चुने हुए कालेजों को दिया जायगा। इसी प्रकार आगे आता है एन० सी० सी०, प्रदेशीय शिक्षा दल, स्काउटिंग और कैडेटों की संख्या। यह योजना के अन्तर्गत दिया हुआ है। मेरा यह कहना है।

यदि इस प्रकार हम देखें तो शिक्षा का बजट योजनागत और योजनेत्तर दोनों दृष्टि से काफी अच्छा बजट है। छात्रों और स्कूलों की शिक्षा में वृद्धि हो रही है। अब अधिक समय न लेकर मान्यवर, माननीय सदस्यों से मेरा निवेदन है कि वह इस महत्वपूर्ण विषय पर अपने विचार व्यक्त करें, सुझाव दें ताकि मैं उनके सुझाव पर कार्य करके शिक्षा जगत की सेवा करने में समर्थ हो सकूं।

श्री रामधारी (जिला देवरिया)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि सम्पूर्ण अनुदान संख्या १८ के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाए। कमी करने का उद्देश्य (१) संविधान में शिक्षा सम्बन्धी राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों की उपेक्षा, (२) धनी और निर्धनों के लिये अलग शिक्षा देकर समाज में विषमता उत्पन्न करना, (३) सरकारी और गैर-सरकारी शिक्षा व्यवस्था द्वारा सामाजिक न्याय को अवहेलना, (४) अनुदान वितरण में व्याप्त भ्रष्टाचार। मान्यवर, जब मुख्य मंत्री महोदय ने.....

श्री उपाध्यक्ष —

अच्छा चलिये सारे कटौती के प्रस्ताव प्रस्तुत किये माने जाएंगे।

श्री रामधारी—

तो, मान्यवर, जब मुख्य मंत्री महोदय ने अपने मंत्रिपरिषद का गठन किया और मुझे जानकारी हुई कि शिक्षा विभाग ऐसे व्यक्ति को दिया गया है जिसका व्यवहारिक अनुभव है शिक्षा जगत का, तो मैं समझता था कि वह कोई नई दिशा देंगे शिक्षा जगत को, लेकिन बजट को देखने के बाद और माननीय शिक्षा मंत्री का भाषण सुनने के बाद मैं निसंकोच कह सकता हूं कि यह शिक्षा का बजट दिशाहीन, गतिहीन और निष्प्राण है। इसमें कोई नई बात नहीं है, जिससे हम या हमारा प्रदेश कोई प्रेरणा ले सके। कुछ बातों की ओर मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। शिक्षा का उद्देश्य कुछ नये-नये स्कूल खोलना और कुछ अधिक विद्यार्थियों का भरती करना ही नहीं है। प्रश्न यह है कि शिक्षा का उद्देश्य क्या है हमने अपने देश में क्यों शिक्षा प्रसार का निश्चय किया? हम इसकी ओर बढ़ रहे हैं या नहीं, इसकी ओर मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। श्रीमन्, जब हमने अपनी

[श्री रामधारी]

शिक्षा की दिशा का निर्धारण किया है आजादी के बाद तो हम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को भूल गये कि उनकी इच्छा क्या थी, उनकी राय क्या थी। मैं कहना चाहता हूं कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जो इस विषय पर ओरिजनल थिंकर थे, मौलिक विचारक थे, उनके विचारों पर बराबर प्रयोग चलता रहा। लेकिन उनकी शिक्षाओं को ग्रहण न करके गांधी जी के बताये रास्ते पर चलने का ढोंग भरने वाले लोग, आज भी उनके बताये रास्ते पर नहीं चल रहे हैं। आज भी हम अंग्रेजों के बताये रास्ते पर चलते चले जा रहे हैं, कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। गांधी जी के विचार से यह शिक्षा संबंधी व्यवस्था बिलकुल फार्स थी।

श्रीमन्, गांधी जी ने शिक्षा के संबंध में कहा था कि—

"This Education is meant to transform village child in to modal villagers.

अपनी राय जाहिर करते हुए उन्होंने कहा था—

" Primary education is a farce designed without regard to the wants of the India of the villages and for that matter even of the cities. Basic education links the children, whether of the cities or the villages, to all.

जो हमारी शिक्षा पद्धति है उसका कोई भी लिंक हमारे सामाजिक जीवन से नहीं है। यदि कोठारी आयोग की सिफारिशों को भी ध्यान में रखा जाये, तो उसने भी यह कहा है कि देश मुल्क के नव निर्माण के साथ शिक्षा का संबंध होना चाहिये, लेकिन मैं समझता हूं कि उस दिशा में कोई प्रगति नहीं हुई है। जहां तक संविधान की मर्यादा का प्रश्न है, श्रीमन, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि पिछले १९४७ से ले कर अब तक हमने इस ओर ध्यान नहीं दिया। १९५० में हमने संविधान की घोषणा की और उस साल से १९ वर्ष हो गये हैं, लेकिन बराबर उस संविधान की धारा ४५ की अवहेलना हमारे यहां की जा रही है। संविधान की धारा ४५ में दिया हुआ है कि दस वर्ष के अन्दर हम इस तरह का प्रयास करेंगे कि प्रत्येक ऐसा बच्चा जो १४ वर्ष तक की आयु का है, उसको फ्री अनिवार्य प्राइमरी शिक्षा मिल सकेगी, लेकिन श्रीमन्, मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि हम इस लक्ष्य की ओर नहीं पहुंच सके और जो मौजूदा बजट माननीय शिक्षा मंत्री जी ने रखा है, उसमें उस ओर जाने के लिए कोई दिशा नहीं है।

श्रीमन, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आज प्रायमरी शिक्षा की हमारे यहां क्या स्थिति है। १४ वर्ष तक के बच्चों के लिए हमारे यहां दो तरह के स्कूल आपके सामने आयेंगे। एक तो वह जिनको खुशनुमा स्कूल कहते हैं और दूसरे वह स्कूल जो साधारण बच्चों के लिए हैं। खुशनुमा स्कूलों में बड़े लोगों के बच्चे जाते हैं। आज इस प्रदेश में दो तरह का व्यवहार शिक्षा के क्षेत्र में क्यों है? खास तौर से शहरों में इन खुशनुमा स्कूलों में बड़े लोगों के बच्चे जाते हैं पढ़ने के लिए, दूसरे बच्चे नहीं जा सकते। देहातों में गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं गरीबों की लड़कियां पढ़ती हैं। इन खुशनुमा स्कूलों का हमारी मान्यताओं से क्या संबंध है? श्रीमन, सोशलिस्ट पार्टी चाहती है कि संविधान की मान्यताओं को देखा जाय इसलिये नहीं कि प्रायमरी शिक्षा ज्यादा चलती है। श्रीमन्, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि कुछ प्राइवेट लोग इस तरह की शिक्षा संस्थाओं का संचालन करते हैं और मामूली स्टेज पर दस-दस और पंद्रह रुपये फीस ली जाती है और आगे चल कर एक बड़ी धनराशि सरकार की ओर से अनुदान की शकल में दी जाती है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि श्रीमन् इसको देखा जाय कि जब साधारण स्कूल में दो रुपये प्रति बालक पर खर्च होता है तो इन खुशनुमा स्कूलों में प्रति बालक पर २०० रुपया खर्च होता है वह किस तरह होता है। इस गरीब प्रदेश में यह खुशनुमा स्कूल किस तरह बने हैं? मैं समझता हूं शिक्षा में इस तरह की विषमता को शिक्षा में एकरूपता लाने के लिये समाप्त होना चाहिये। प्राइमरी शिक्षा में जब यह विषमता समाप्त होगी और उसमें हम एक रूपता लायेंगे तभी हम आगे बढ़ सकेंगे।

श्रीमन माध्यमिक शिक्षा की बहुत चर्चा की गई। श्रीमन माध्यमिक शिक्षा भी पिछड़ी हुई है। मैं आंकड़ों के आधार पर माननीय सदन का समय नहीं बर्बाद करना चाहता हूं। माननीय शिक्षा मंत्री जी ने कहा था कि सारे बजट का १८ प्रतिशत शिक्षा पर खर्च होगा। मैं बड़े अनुनय पूर्वक कहना चाहता हूं कि बजट देखने के बाद मेरी राय बिलकुल उल्टी है। मौजूदा बजट में जो धनराशि दी गई है

वह कल्पना लोक में विचरण करने के लिये हो सकती है। श्रीमन्, मैं यह कहना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी जिस तरह से प्रश्नों का उत्तर देने में भागने की कोशिश करते हैं उसी तरह से इस बजट में भी उन्होंने भागने का प्रयास किया है। माध्यमिक शिक्षा के सम्बन्ध में क्या कहूं। माध्यमिक शिक्षा का इलाहाबाद में एक बोर्ड बनाया हुआ है। मैं यह कहता हूं कि उन्होंने यह महसूस किया है कि उसके विकेन्द्रीकरण की आवश्यकता है। इसकी आवश्यकता न जाने कब से अनुभव की जा रही है लेकिन न जाने वह कब तक होगा। इसकी वजह से हमारे हजारों विद्यार्थियों का जीवन बर्बाद हो रहा है। लगभग ३० हजार छात्रों को इसलिये निकाला गया क्योंकि उन्होंने गलत साधनों का उपयोग किया था। मुझे विश्वास है कि कम से कम १५ हजार छात्र निरपराध हैं और शिक्षा मंत्री जी और उनकी सरकार द्वारा उनका एक साल बर्बाद हो गया। एक साल हो गया लेकिन उनके सम्बन्ध में कोई निर्णय नहीं हो सका। इसलिये मेरा अनुरोध है कि बोर्ड की जो धांधली है उसको खत्म करना चाहिये और जो मामले डिले हुये हैं उनको तय करना चाहिये अन्यथा हमारी शिक्षा प्रगति की ओर नहीं जायगी पिछड़ जायगी। इसका सुधार होना ही चाहिये।

मैं उसी के साथ-साथ प्रदेश की एक समस्या की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं। ठीक है आप शिक्षा की प्रगति चाहते हैं लेकिन आपके इरादों का आइना क्या है। वह यह है कि नवें दरजे में भी विद्यार्थियों को प्रवेश मिलना कठिन हो गया है। कालेजेज की बात तो छोड़ दीजिये दसवीं कक्षा से लेकर यूनिवर्सिटी स्टेज तक विद्यार्थी इधर-उधर भागा भागा फिर रहा है बिना सिफारिश के आजकल भर्ती हो नहीं सकती। आपके पास विद्यालय नहीं हैं और रिकगनीशन! उसकी क्या दशा है? रिकगनीशन के मामले में जो गड़बड़ी है, जो भ्रष्टाचार है, राजस्व विभाग तो बहुत बदनाम है, लेकिन मान्यता देने के मामले में जो शिक्षा विभाग में भ्रष्टाचार है उसको देखकर तो राजस्व विभाग को भी शरम आयेगी। मान्यता प्राप्त करने में एक-एक विद्यालय को २,२ और ३,३ हजार रुपये तक खर्च करने पड़ते हैं। यह सर्वमान्य है और साल भर दौड़ लगानी पड़ती है अधिकारियों की सिफारिशें करनी पड़ती हैं। गांधी के देश में शिक्षा विभाग में मान्यता-प्राप्त करने के लिये दो-दो और तीन तीन हजार पया खर्च करना पड़े इससे अधिक लज्जाकी बात और क्या हो सकती है। आपके यहां मान्यता यह देखकर दी जाती है कि इमारत कैसी है गगनचुम्बी अट्टालिकाओं को देखकर मान्यता दी जाती है जब कि गांधी जी ने कहा था कि १० वें दरजे तक ओपेन एयर स्कूल्स होने चाहिये। इस पालिसी को अख्तियार किया जाना चाहिये आज हो क्या रहा है। जिस उत्तर प्रदेश में केवल १४ प्रतिशत साक्षर हों और १७ प्रतिशत शिक्षित व्यक्ति हों जब कि केरल में ४६ प्रतिशत शिक्षित व्यक्तियों के लिये ३३ प्रतिशत बजट का खर्च होता है। आप बजट में इस तरह की व्यवस्था करें और ऐसे कानून बनावें जिससे मान्यता मिलने में इतनी अड़चनें न आवें। वही मान्यता पा सकता है जो रिश्वतें दे, मान्यता कमेटी के मेम्बरों के सामने चक्कर लगावे। इस भ्रष्टाचार को रोका जाना नितान्त आवश्यक है।

अब अनुदानों के सम्बन्ध में कुछ कहूंगा। जो अनुदान मिलता है वह उसको जो अदालत की भाषा में यदि मैं कहूं तो माकूल पैरवी कर सकेगा, और इलाहाबाद के दफ्तर में चक्कर लगाता फिरेगा उसी को मान्यता मिल सकेगी जो नहीं कर सकेगा वह वंचित रह जायगा। होना यह चाहिये कि प्रारम्भ में जब विद्यालय मान्यता की स्थिति में आये तो उसे अधिक अनुदान दिया जाना चाहिये और ज्यों-ज्यों अपने पैरों पर वह खड़ा होता जाये और उसके पास धन न हो तो उनकी धनराशि को घटाया जाय और नये-नये विद्यालयों की ग्रांट्स बढ़ायी जाय तब चल सकती है लेकिन यहां तो नये-नये विद्यालयों को तीन-तीन चार-चार वर्ष तक अनुदानों के लिये प्रतीक्षा करनी पड़ती है और अनुदान नहीं मिलता है लेकिन जो पचास-पचास तीस-तीस बीस-बीस साल के कालेज हैं उनको इसलिये अनुदान मिलता है ताकि वे गगनचुम्बी अट्टालिकायें बनावें इस बारे में सदन को सोचना पड़ेगा।

मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि शिक्षा संस्थाओं में अनेक तरह के भ्रष्टाचार हैं जिनका जिक्र करना समय की दृष्टि से समीचीन नहीं होगा।

इसी सिलसिले में मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि तनख्वाह के बारे में बहुत कहा जाता है और कई बार सदन में कहा जाता है कि संविद सरकार ने यह गड़बड़ी की और यह काम

[श्री रामधारी]

खराब किया और वह काम खराब किया लेकिन हमारे माननीय नेता जायसवाल जी उपमंत्री शिक्षा विभाग में थे उन्होंने हिसाब निकाल करके बताया कि जो माध्यमिक विद्यालय हैं अगर उनकी फीस की आय का २५ प्रतिशत ले लिया जाय और जितने आवर्तक अनावर्तक अनुदान आप देते हैं उनका हिसाब लगाया जाय तो शायद घाटा नहीं होगा। इस तरह के आंकड़े सरकार के सामने हैं। कहा गया है कि उस पर कोई फैसला नहीं हुआ था। उस पर १८-२-६८ को मंत्री की स्वीकृति मिल गयी और यह भी हुआ कि १ अप्रैल, १९६८ से उन्हें लागू कर दिया जाय। यह सरकार का फैसला था लेकिन उस सरकार के फैसले को लागू नहीं किया गया और उसके बाद फिर जानबूझकर इस मामले को खटाई में डाला गया। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि उस समय संविद सरकार ने हिसाब लगाया उसके मुताबिक १६.०१ आमदनी और १६.१२ करोड़ खर्चा है। अब आप ही देखें कि इसमें कौन सी कठिनाई है। यह आंकड़े सचिवालय में रखे हुए हैं उन्हें देखा नहीं जाता इसके पीछे भी एक बात है। मैंने निवेदन किया था कि यह सामंतवादी प्रथा चल रही है। कुछ खास प्रकार के लोग हैं जो देहातों में स्कूल चला रहे हैं और वे नहीं चाहते कि वे उनके हाथ से निकले। मैं कहना चाहता हूं कि इधर के लोगों में उनकी संख्या अधिक है।

श्रीमन्, अध्यापकों का वेतन चार-चार छः-छः महीने तक रोका जाता है। हमारे जिले में बसंतपुर धूसी के अध्यापकों को १६ महीने का वेतन नहीं मिला और जब बहुत हाय-तोबा मची तो आठ महीने का दे दिया गया तमाम स्कूलों में ऐसा है। डी० ए० की भी इस तरह की रिपोर्ट है कि वह भी नहीं दिया जा रहा है। बलिया में एक इंटर कालेज है। वहां के अध्यापक जब मांगने गये तो वहां के प्रबन्धक महोदय ने सारी रकम इकट्ठी करके हाथी खरीद लिया और जब ये मांगने गये तो उन्होंने कहा कि यह गणेश जी आये हैं इनकी पूजा कर लीजिये। तो मैं कहना चाहता हूं कि रिकागनीशन के मामले में, अध्यापकों के वेतन के मामले में ढिलाई है। मैं सरकार से विशेष रूप से शिक्षा मंत्री जी से उम्मीद रखता हूं कि सरकारी खजाने से अध्यापकों को वेतन देना प्रारम्भ करें तो इससे तमाम भ्रष्टाचार समाप्त हो जायगा, तमाम शिकायतें दूर हो जायंगी।

श्रीमन्, विश्वविद्यालय स्टेज की बात कही गयी। पहले नम्बर पर यह कि पहिले पिछले दस साल से लगातार तमाम विश्वविद्यालय के कानूनों में रद्दोबदल करके संशोधन करके उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से प्रयास किया जा रहा है कि विश्वविद्यालय के ऊपर अप्रत्यक्ष रूप से सरकार का नियंत्रण कायम रहे। कोई भी शिक्षा प्रेमी यह नहीं चाहेगा कि विद्यालय की स्वायत्ता समाप्त हो। हमारी राय में विश्वविद्यालय की स्वतंत्रता समाप्त नहीं होनी चाहिये। उसके लिये आवश्यक है कि जो मंत्रिमंडल के लोग हैं, जो उच्च पदस्थ लोग हैं वे युनिवर्सिटी में जाने की कृपा न करें। अगर ऐसा हो जाय तो वहां जो भ्रष्टाचार है नियुक्तियों में गड़बड़ियां हैं, समाप्त हो जायंगी। अनुशासन की समस्या हमेशा रही है मैं याद दिलाना चाहता हूं कि प्रो० हुमायूं कबीर जो भारत सरकार में जिम्मेदारी के पद पर थे उन्होंने कहा कि जो शिक्षक अपने काम को ठीक ढंग से जानता है उसके सामने अनुशासन का प्रश्न बहुत कम उठता है। मैं समझता हूं कि वाइस चान्सलर की नियुक्ति भी बहुत कुछ जिम्मेदार है। अगर वाइस चान्सलर ऐसा व्यक्ति हो जिसमें स्वाभाविक रूप से आस्था हो तो समस्या न हो। उदाहरण के लिये बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय को लेलें। पिछले आठ दस साल का इतिहास गड़बड़ी का इतिहास है। वहां से त्रिगुण सेन जी के जाने के बाद ही अशांति हो गयी। मैं कहना चाहता हूं कि जब तक शिक्षा शास्त्री इन संस्थाओं में नहीं रखे जायंगे तो अनुशासन कायम नहीं रह सकता। वहां अनुशासन तभी कायम रह सकता है जब वहां पर शिक्षा शास्त्रियों को रखा जायगा क्योंकि विश्वविद्यालयों में सरकार ने अपना एक अलग तरीका बनाया हुआ है उसी तरीके से लोगों को वहां पर भेजते हैं। उसी के आधार पर अनुशासनहीनता है। सरकार गुटबन्दी के आधार पर प्रोफ़ेसरों को तरक्की देती है। उसी वजह से वहां पर गड़बड़ी

होती है। पिछले सालों में देखा है कि विश्वविद्यालयों के प्रबन्ध करने के लिये लाल शब्द का बहुत प्रयोग हुआ है। चाहे वह लखनऊ का विश्वविद्यालय हो और चाहे इलाहाबाद का हो सब, जगह गुटबन्दी के आधार पर, पक्षपात के आधार पर नियुक्तियां हुई हैं जिनसे वहां पर जो स्थिति रहनी चाहिए वह नहीं रही है। इसलिये निवेदन करता हूं कि विश्वविद्यालयों की स्वतन्त्रता कायम रहनी चाहिये। उसका कार्यधिकार समाप्त नहीं होना चाहिये। प्रबन्ध की पूरी आजादी होनी चाहिये। सेकेन्डरी स्टेज तक शिक्षा का राष्ट्रीयकरण होना चाहिये सारे देश और प्रदेश में तभी यह शिक्षा की प्रगति आगे बढ़ेगी।

एक बात और निवेदन करना चाहता हूं। आजकल एक समस्या है ट्रेनिंग कालेजों में भेजने की। संविद सरकार हमारे दोस्तों की नजर में अच्छी नहीं थी लेकिन उसने एक काम किया। उसने यह काम किया कि प्रशिक्षण में वही आदमी जायगा जो योग्यता रखता होगा लेकिन जैसे ही वह सरकार खत्म हुई तो इस सरकार ने उस योजना को अपने हाथ में लिया और समझा जितना हो सके भेजे जांय। उन शिक्षार्थियों के चुनने का काम इस सरकार ने अपने हाथ में ले लिया और स्पेशल कोटा मुकर्रर किया। परन्तु उसमें भी गड़बड़ी होती है। मैं चाहता हूं इस पर सरकार गम्भीरता पूर्वक विचार करे। उसके लिये भाग-दौड़ लगी रहती है। हमको ऐसी रिपोर्ट है कि हर एम० एल० ए० को दो नाम देने का अधिकार है लेकिन एम० एल० ए० की कोई सुनता नहीं और जो एम० एल० ए० नहीं हैं वे १०, १० आदमियों के लिये नाम स्वीकार करा कर चले गये। विरोधीदल का एम० एल० ए० चक्कर खाता फिरता है। योग्यता ही इसकी बेसिस होनी चाहिये। संविद सरकार ने जो अच्छा काम किया था उसको यह सरकार उलट रही है। इसको उचित नहीं कहा जा सकता है। इस ओर सरकार को ध्यान देना चाहिये तभी आगे जाकर इस शिक्षा में सुधार हो सकता है।

एक बात और निवेदन करना चाहता हूं सरकार चाहती है कि परिवर्तन इसके अन्दर लाना चाहिये और आप की प्रगति बहुत है लेकिन १९०४ का एजूकेशन कोड आज तक संशोधित नहीं हुआ है। आज भी इसमें कोई संशोधन करना, सरकार ने अनुभव नहीं किया। मैं समझता हूं गर ९५ के बाद संविधान के अनुसार काम करने की इच्छा थी तो नैतिक एजूकेशन में सुधार करना चाहिये था जिसके विषय में दो राय नहीं थी। इसलिये सब से पहले १९०४ के एजूकेशन कोड को संशोधित किया जाय और उसकी जगह पर दूसरा कोड बने। यह सरकार अंग्रेजों की नीति पर चल रही है। छलांग लगाना चाहती है सरकार पर काम कुछ करती नहीं। परीक्षाओं के सम्बन्ध में बड़ी धांधली है। इस सम्बन्ध में मैं कोई ठोस सुझाव नहीं दे सकता लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि जब इतनी बड़ी संख्या में नकल होने लगी, ३० हजार छात्र पकड़े गये तो सरकार को सोचना पड़ेगा कि जो पुराना तरीका है उसको बदला जाय। अध्यापकों के ऊपर आप बहुत भरोसा करते हैं और करना चाहिये लेकिन उनके लिये एक उचित शिक्षण की आवश्यकता है। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। इसी पर आप बल दें। बी० एड० और एल० टी० की भरती के लिये विद्यार्थी तरह-तरह से दर-दर की ठोकरें खाता है और यहां लखनऊ तक दौड़ मारता है लेकिन उनके कोई सुनने वाला नहीं है। श्रीमन्, जब तक योग्य अध्यापक नहीं होंगे, शिक्षा संस्थाओं का काम नहीं चल सकेगा। और शिक्षा संस्थाएं अगर चाहती हैं बी० एड० का कोर्स खोलना तो उन्हें अनुमति देनी चाहिये ताकि भटकने वाले न भटकें। दोनों बातें कैसे होंगी? एक ओर कहते हैं कि उचित शिक्षक नहीं मिलते और दूसरी ओर उनको पढ़ने का अवसर न दिया जाय तो कैसे काम चलेगा?

कालेजों और विश्वविद्यालयों के संबंध में भी मुझे कुछ निवेदन करना है कि उन्हीं विश्वविद्यालयों से संबद्ध कालिजेज के टीचर्स का स्केल और महंगाई भत्ता और है और उन विश्वविद्यालयों के टीचर्स का महंगाई भत्ता और स्केल दूसरा है। यह विषमता क्यों है, इसे तुरन्त मिटाया जाना चाहिये। विश्वविद्यालयों के संबंध में स्वीकार करता हूं कि उनकी अपनी कुछ

[श्री रामधारी]

स्वतंत्रतायें हैं, लेकिन शिक्षा मंत्री जी कृपया इस ओर कुछ दिशा प्रदान करें। राधाकृष्णन्-कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में एक सिफ़ारिश की कि जो विश्वविद्यालय शिक्षा संस्थाओं को संबद्ध करें तो ध्यान रखें कि एक ही स्थान पर कई विद्यालयों को एक ही विषय में मान्यता न दी जाय जिससे उनका स्तर गिरे। श्रीमन्, गोरखपुर विश्वविद्यालय की चर्चा करना चाहता हूं। देवरिया जिले में जितने कालिजों को मान्यता दी गयी तो जिस विषय में चाहा उसमें नहीं दिया और सब को उठा कर एक के बाद दूसरे उन्हीं में दे दिया। पडरौना कालिज जिसका ५० एकड़ का कृषि फ़ार्म है, ऐग्रीकल्चर में उसे नहीं दी गयी, उसे भी साइंस दे दिया गया और ११ मील पर कुशीनगर डिग्री कालिज में पहले से साइंस थी। देवरिया में एक कालिज है ऐग्रीकल्चर का उसे भी साइंस दे दी गयी। इससे क्या स्थिति होती है? सरकार की दृष्टि इधर रहनी चाहिये कि जो बड़े ऊंचे दरजे के कमीशंस हैं उनकी सिफ़ारिशों को विश्वविद्यालय कार्यान्वित करते हैं या नहीं। जब नीचे से सिफ़ारिशें आती हैं तो शासन से विश्वविद्यालय को इशारा कर दिया जाता है कि कालिजों को संबद्ध कर लिया जाय। मैं इसके विरोध में नहीं हूं कि विद्यालय अधिक से अधिक बढ़ें, लेकिन उनमें विषयों का ध्यान रखा जाय। यदि राधाकृष्णन रिपोर्ट के तहत काम होगा तो शिक्षा का स्तर गिरेगा नहीं।

अनुशासन के संबंध में यह कहना चाहता हूं कि विदेशों में बड़े-बड़े विश्वविद्यालयों के साथ रोजगार के दफ्तर भी लगे हुए हैं और इस बात की भी व्यवस्था है कि वहां से जो ग्रेजुएट निकलते हैं उन्हें उचित काम मिल सके, लेकिन भारत और उत्तर प्रदेश ऐसे बदकिस्मत हैं कि हम निकलने वाले स्नातकों के लिए कोई व्यवस्था नहीं कर सकते। व्यवस्था क्या करें, हमारी योजना इतनी दिशाहीन है कि इंजीनियरिंग पास डिप्लोमा वाले युवक ५-५ साल तक ५० से अधिक की संख्या में घूमते नजर आते हैं कि हमारी नौकरी नहीं लगी, हमारी शिक्षा की दिशा नहीं है। ३-३ योजनायें समाप्त हो चुकीं और चौथी में प्रवेश शायद कर जायं लेकिन दिशा नहीं है, जिसका परिणाम यह है कि शिक्षक और शिक्षित युवकों की बेकारी बड़ी संख्या में बढ़ रही है और उसके कारण कुछ डेलिक्वेंसी, अपराध भी बढ़ रहे हैं नये किस्म के। कोठारी आयोग ने एक सिफ़ारिश की थी कि दर्जा १ में जितने लड़के पढ़ने जाते हैं उनमें से ५० प्रतिशत दर्जा ५ तक नहीं पहुंचते और जो दर्जा ५ में पहुंचते हैं उनमें से ३४ प्रतिशत ऐसे हैं जो दर्जा ७ तक नहीं जा पाते यह स्थिति है हमारी आर्थिक स्थिति की और एजूकेशन की।

हमारे यहां देहातों में खास तौर से इंसान की जिन्दगी ऐसी है कि वह अपने लड़कों को लम्बी अवधि तक नहीं पढ़ा सकता है। तो श्रीमन्, शिशु शालाओं को उनके साथ सम्बद्ध कर दिया जाय। दोपहर में उनके नाश्ते के लिए अनिवार्य रूप से इन्तजाम हो सके, उनकी पुस्तकों का अनिवार्य रूप से इन्तजाम हो तभी काम आगे बढ़ेगा। मैं उम्मीद करता था कि शिक्षा मंत्री जी प्राइमरी स्टेज की शिक्षा को अनिवार्य शिक्षा घोषित करेंगे लेकिन यह भी नहीं हुआ। हिन्दुस्तान में अंग्रेजों के जमाने में १८७५ में हन्टर कमीशन बैठा था। उसने ओर घोषणा की थी कि प्राइमरी कम्पलसरी एजूकेशन होनी चाहिये लेकिन तब से युग बदल गया लेकिन ध्यान नहीं दिया गया। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं शिक्षा मंत्री जी से कि इंडोनेशिया में ७० प्रतिशत लोग शिक्षित हैं, बर्मा हमारे यहां के बजट के मुकाबिले में अपने यहां शिक्षा पर ज्यादा खर्चा करता है। घाना की प्रगति भी शिक्षा में हमारे यहां से ज्यादा है और शायद कुछ माने में पाकिस्तान भी ज्यादा प्रगति किये हैं कम से कम पूर्वी पाकिस्तान ने ज्यादा प्रगति की है। इसलिये मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि हमारी शिक्षा के लिए यह जो धनराशि है श्रीमन् यह स्वीकार करने के लायक नहीं है और मैं सदन से निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी कटौती के प्रस्ताव को स्वीकार करें।

श्री जे० एन० सिन्हा (जिला सहारनपुर)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभार प्रकट करता हूं कि आपने मुझ जैसे व्यक्ति को जिसको विभाग में शिक्षक के नाते काम करने का तजर्बा है अपने विचार प्रकट करने का मौका दिया । मैं शिक्षा मंत्री जी को बधाई देता हूं कि उन्होंने संविद सरकार के दिनों में जबकि दो यूनिट, साम्यवादी दल और संसोपा यह जोर दिया करती थीं कि बजट का कम से कम २० परसेंट खर्चा शिक्षा पर होना चाहिये उन्होंने अपने जमाने में केवल ५३ करोड़ रुपये की धनराशि शिक्षा के लिए रखी थी जो कि कुल बजट का १६.४ प्रतिशत था । राष्ट्रपति शासन में यह ५८ करोड़ हुई और इस वर्ष शिक्षा मंत्री महोदय ने उसे ८० करोड़ के करीब रखा जो १८.८ प्रतिशत है और जो अब २० प्रतिशत के लगभग होने वाला है । मैं इस बात के लिए उनको बधाई देता हूं जो उन्होंने यह धनराशि बढ़ाई है। जैसा उन्होंने जिक्र किया प्राइमरी सेक्शन, जूनियर सेक्शन और हायर सेकेंड्री सेक्शन सभी में बहुत वृद्धि हुई है । छात्रवृत्तियां भी बढ़ाई गई हैं जो भिन्न भिन्न प्रकार की हैं और छात्रों को प्रोत्साहित कर रही हैं कि वे शिक्षा में तरक्की करें ताकि वे देश के अच्छे नागरिक बनने में सफल हों ।

महोदय, शिक्षा के अन्दर बहुत ही सूझ-बूझ के साथ सुधार होना चाहिये नहीं तो यह नौबत आयेगी कि हमें अपने प्रदेश में जेलखाने और अस्पताल अधिक खोलने पड़ेंगे । उसका कारण यह है कि आज विद्यालयों के लिये खेलकूद के मैदान बिलकुल लुप्त हो गये हैं और अध्यापकों और विद्यार्थियों के पास जो समय बचता है उसका उपयोग न होकर दुरुपयोग होता है । नवयुवक के अन्दर शक्ति है । वह शक्ति अच्छे काम में लगाई जाय वरना फिर वह बुरे काम में लग जायगी । क्या आज अनुशासन का प्रदर्शन गलियों, सड़कों और सभाओं में दिखाई नहीं पड़ता है उसका कारण यही है कि खेल कूद के मैदान हैं जहां उनको टीम वर्क की तरह से काम करने की एक ट्रेनिंग मिलती थी जिससे अच्छा शरीर बनता था और अच्छा शरीर बनने से अच्छा मस्तिष्क होता था और जब अच्छा मस्तिष्क बनता था तो उससे फिर अच्छे काम करने की प्रवृत्ति पैदा होती थी, अच्छा चरित्र बनता था, वह आज बिलकुल लोप होता जा रहा है। इसलिये आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से मेरा अनुरोध है कि जैसे तृतीय पंचवर्षीय योजनाओं में २३० विद्यालयों को १३ लाख रुपया दिया गया था, इस बार वह बहुत कम है । मुझे दुख है कि कुल ३ विद्यालयों को १७ हजार रुपया दिया गया है । उसके बारे में मेरा विनम्र निवेदन है कि इस दिशा में उनको एक बहुत अच्छी रकम रखनी चाहिये जिससे कि उसमें अधिक से अधिक युवक लग सकें और वे अच्छे नागरिक बन सकें ।

आज गुणात्मक शिक्षा की तरफ़ हमें ध्यान देना चाहिये न कि संख्यात्मक की ओर । इसके लिए मेरा सुझाव यह है कि प्राइमरी सेक्शन की जो शिक्षा है और कुछ हद तक जूनियर सेक्शन की है, उसको जिला परिषदों से आपको ले लेना होगा क्योंकि जैसी शिक्षा इस वक्त गांवों में हो रही है, हम चाहे कागज पर कुछ दिखायें, लेकिन मेरे जितने भाई इधर या उधर के बैठने वाले हैं वे अच्छी तरह से जानते हैं कि किस प्रकार से आज गांवों में पढ़ाई का काम चल रहा है। गांव के किसी स्कूल में अगर ४ या ५ अध्यापक हैं तो कभी भी एक या दो से ज्यादा वहां नहीं मिलेंगे । बाकी की अर्जी होगी, और आपके पहुंचने पर बतला दिया जायेगा कि वे छुट्टी पर हैं, नहीं तो शाम को अर्जी फाड़ दी जाती है। वे लोग अपने निजी काम में लगे रहते हैं और बच्चे सुबह से लेकर शाम तक अपने ढंग से अपना समय व्यतीत करते हुए आपको मिलेंगे । इसलिये मेरी प्रार्थना है कि फिलहाल कुछ कारणों से यदि आप और कोई बात न कर सकें तो यह होना चाहिये कि एक अध्यापक अपने गांव से कम से कम २० मील दूर वाले स्कूल में पढ़ाने के लिये रहे। अगर ऐसा हो जाय तो इतवार के रोज तो वह अपने घर बार का काम देखें और पूरा सप्ताह उन्हीं सब

[श्री जे एन सिन्हा]

कामों में लगावें जो काम कि उनको सौंपा गया है, बच्चों की देखभाल करने का। मैं यह नहीं कहता हूं कि तनख्वाह बहुत हो गयी है लेकिन इतना तो है ही कि वह अपना भरण-पोषण अच्छी तरह से कर सकें। साथ ही पढ़ाने वालों का स्तर ऐसा हो जिनका कि रुझान हो शिक्षा की तरफ़। यह नहीं कि जिसको कहीं नौकरी न मिले वह सोचें कि चलो अध्यापक ही हो जायं।

शिक्षा क्षेत्र में ऐसे ही अध्यापक आवें जिनकी रुझान पढ़ाने में हो, जो शिक्षा के अन्दर मेरिटोरियस रहे हों, जिन्होंने अच्छे डिवीजन से पास किया हो और उनकी उस विषय में रुचि हो और उसी हिसाब से आपको क्वान्टिटी की बात छोड़ कर क्वालिटी की तरफ़ ध्यान अधिक देना होगा।

इसी तरह से माध्यमिक शिक्षा की तरफ भी आपको ध्यान देना है। आज हर कोई अपने स्कूलों में जहां कि मैनेजमेंट कमेटी सर्वे सर्वा है, जो न जाने किस आधार पर लोगों की नियुक्ति करते हैं, उसका इलाज केवल यह है कि जिला स्तर की एक चयन समिति बनायी जाय। उसमें जिला विद्यालय निरीक्षक हों, प्रिंसिपल महोदयों का एक रेप्रेजेंटेटिव हो, ऐसे ही मैनेजमेंट का भी एक प्रतिनिधि हो और जिले का कोई व्यक्ति ऐसा हो जिसकी शिक्षा की प्रगति के अन्दर बहुत ही रुचि हो, ऐसे ४-५ आदमियों की एक कमेटी बने और वही जिला स्तर पर सभी विद्यालयों के लिये अध्यापकों का चयन करे। न कि यह कि अपने नाते-रिश्तेदारों को जिस तरह से भी चाहें ले लें। कानून में अपनी जगह सुधार हो जब इस तरह से प्रबन्ध किया जायगा तो शिक्षा का स्तर काफी अच्छा होगा।

चौथी बात, अभी मेरे भाई ने जिक्र किया कि संविद में चेक द्वारा शिक्षकों की तनख्वाह की बात की थी। लेकिन यह ५ मील के परिधि की बात है, जहां तक मेरी जानकारी है। मैं शिक्षा मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वह ऐसा तरीका निकालें कि अध्यापकों को बैंक से वेतन मिले। यह कहा जा सकता है कि बैंक आने-जाने में पैसा खर्चा होगा, लेकिन मैं समझता हूं कि वह बहुत छोटी रकम होगी बजाय इसके कि मेरे जैसा अध्यापक आपके सामने खड़ा है जिसको ७ महीने से वेतन नहीं मिला तो वेतन का कुछ अंश इस तरह से बैंकों के जरिये से मिलने लगेगा। आप समझ सकते हैं कि अध्यापक किस तरह से बिना महीने का वेतन पाये अपनी गृहस्थी को चला पाता होगा। इसलिये ऐसा आदेश होना चाहिये कि फीस और अनुदान की धनराशि बैंक में जमा कर ली जाय और वहां अध्यापकों के खाते खोले जायं और वह वहां से वेतन पाते रहें।

श्री चेतराम गंगवार (जिला बरेली)—

कांग्रेस के राज्य में यह संभव नहीं है।

श्री जे० एन० सिन्हा—

आपके राज्य में भी नहीं था। सिर्फ ५ मील की बात आपने की थी गंगवार साहब।

आपने डी०ए० की पैरिटी की बात बहुत हद तक कर दी लेकिन जनवरी में जो सरकारी कर्मचारियों की वृद्धि हुई थी वह भी कर दें तो बड़ी कृपा होगी। जो नये ग्रेड्स हैं उनकी तरफ भी मैं थोड़ा आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। जैसे एल०टी० का ग्रेड है और प्रदेशों में उसी प्रकार से अगर आप यहां भी कर दें आज नहीं तो बजट को देखते हुए बाद में ही सही, जैसे और जगह २५०-५५० है और हमारे यहां १३८-३५० है, ग्रेड्स भी ठीक हो जायं तो बड़ी कृपा होगी। पेंशन की स्कीम भी होनी चाहिये। इस वक्त अध्यापकों का ४ करोड़ रुपया तो जमा है। एक करोड़ वह धनराशि है जो एम०आर्स० में हम लोग दिखाते हैं। अगर आपने पेंशन दी तो पहले साल २७ लाख और दूसरे साल में ३७ लाख रुपया देना होगा और १२ वर्ष में ५ करोड़ की धनराशि देनी होगी, आपको लगातार सूद भी तो

मिलता रहेगा। इसलिये पेंशन की बात करने में शासन को दिक्कत नहीं होनी चाहिये। शिक्षा का जो तरीका है उसकी तरफ भी विशेष ध्यान होना चाहिये। अब तक हम नौकरियों पर आधारित शिक्षा का सारा ढांचा बनाये हैं। जैसा कि अभी शास्त्री जी ने कहा, इंजीनियर्स वगैरह आज बिना नौकरियों के घूमते हैं, इसका केवल एक इलाज है कि अब धंधों पर आधारित शिक्षा का प्रबन्ध होना चाहिये। प्राइमरी स्टेज से ही हम उनको पहुंच के अनुसार वर्कशाप कायम करें जिससे काम को इज्जत करने की बचपन से ही उनकी आदत पड़े और फिर जूनियर और सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में स्टैंडर्ड बढ़ाते जायें। इस तरह से लड़के नौकरियों का मुंह नहीं ताकेंगे बल्कि अपने पैरों पर खड़े हो सकेंगे।

परीक्षा की बात भी आयी है। उस पर भी गम्भीरता से विचार करना होगा। नकल की बात कही गई। ३० हजार ने नकल की। उसमें से १५ हजार, जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा, ने नकल नहीं की होगी फिर भी शंका में पकड़े गए। तो यह चीज तब ही खत्म हो सकती है कि जब खेल के मैदान वाली जो बात है वह हो, वहीं पर उनके अन्दर वह बात पैदा होगी और तभी वह ऊंचा चरित्र बना पायेंगे और इस सिस्टम आफ एजूकेशन के अन्दर अगर आप अमेरिका की प्रोजेक्ट सिस्टम को लागू कर दें तो इससे आपकी यह समस्या हल हो जायेगी। अध्यापकों को भी, मैं अपने साथियों से कहना चाहूंगा कि उन्हें अपने में परिवर्तन करना होगा। वे अपना टाइम आज जो ट्यूशन करने तथा "वन डे इन मैथमेटिक्स" "वन डे इन हिस्ट्री" या और जो इस तरह की किताबें लिखने में अपना समय बरबाद करते हैं, वह समय उनको बच्चों के उत्थान में लगाना होगा। मैं समझता हूं कि जब आप अमेरिका वाले प्रोजेक्ट सिस्टम को अपनायेंगे तो उनको निश्चित रूप से अपना समय बच्चों की तरक्की में लगाना होगा, उनके रहन-सहन तथा उनकी हर बात को देखना होगा। रोजाना उनको बच्चों को काम देना होगा और उस काम को जांचना होगा। इससे एग्जामिनेशन वाली समस्या भी हल हो जायेगी और अध्यापक को भी अधिक रुचि लेनी होगी। अधिक तादाद में वे लोग इस पेशे में आयेंगे जो अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे। तभी बच्चों का उत्थान होगा और तभी प्रदेश का कल्याण होगा।

सोशलिस्टिक पैटर्न की बात इधर से और उधर से कही गयी। यह भी कहा गया कि २ रुपये और २०० रुपये का गरीब और अमीर के बच्चे की पढ़ाई में अन्तर है। लेकिन इस अन्तर को एकदम समाप्त कर दिया जाये यह नामुमकिन है। हमको ऐसे उपायों को सामने रखना चाहिये जो प्रैक्टिकल हों। आज एक नयी हवा चल रही है। एक तरफ तो हम हिन्दी के उत्थान के लिये और अंग्रेजी समाप्त करने के लिए बल देते हैं, दूसरी तरफ हम अपने बच्चों को अंग्रेजी स्कूलों में पढ़ने के लिए भेजते हैं। जो लोग भी हिन्दी की बात करते हैं वे सबसे पहले अपने बच्चों को अंग्रेजी स्कूलों में भेजते हैं जहां पर कि वे टाई और बो लगाना सीखते हैं। तो कोई बीच के रास्ते की ओर भी आपको ध्यान देना होगा।

एक चीज और मैं अर्ज करूंगा। इसी माननीय सदन में कुछ वर्ष पूर्व मैंने एक रिपोर्ट पेश की थी जिसमें मैंने यह अर्ज किया था कि मैनेजमेंट का कंट्रीब्यूशन ०.३ है और सरकार का ९९.७ है। तो सरकार अगर नेशनलाइजेशन इसका अभी नहीं कर सकती है, तो जिस तरह से उसने जमींदारी व मोनोपली आदि को खत्म किया है, श्रीमन्, मैनेजमेंट ३५ लाख व्यय करता है और सरकार का जो २० करोड़ रुपया खर्च होता है वह भी इन्हीं को दे दिया जाता है कि तुम जिस तरह से चाहो खर्च करो। तो सरकार को यह क्या करना चाहिये।

एक अर्ज मैं प्रधानाचार्यों के प्राविंशियलाइजेशन के संबंध में करना चाहूंगा। यदि यह सुझाव सरकार स्वीकार कर लेती है तो बहुत अच्छी बात है, अगर यह चीज अभी सम्भव नहीं है तो आपको प्रधानाचार्यों को कुछ शक्ति अधिक देना चाहिये। आज अध्यापक वर्ग प्रिंसिपल की नहीं सुनता है क्योंकि वह समझता है कि उसका पार्टी बन्दी और गुटबन्दी से काम

[श्री एन सिन्हा]

चल जायगा। इसके लिए आप यदि नेशनलाइजेशन न सही, तो उनके स्थानान्तरण के प्रश्न पर विचार करना चाहिये। यह तो आप कर ही सकते हैं कि टीचर्स और प्रिंसिपल्स का ट्रांसफर जिले में अभी हुआ करे। जब तक इस प्रकार का आप कोई रास्ता नहीं निकालेंगे शिक्षा में सुधार नहीं होगा। जब आप इन सब बातों की ओर ध्यान देंगे तभी शिक्षा की उन्नति होगी।

श्री जगदीश गांधी (जिला मैनपुरी)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय,....

श्री उपाध्यक्ष—

आपने एक घंटे का समय मांगा है जो सम्भव नहीं है। आपको पांच मिनट और बाकी ग्रह मिनट दिये जायेंगे।

श्री जगदीश गांधी—

श्रीमन, पच्चीस मिनट देने की कृपा करें। मैं आभारी हूंगा।

श्रीमन्, हम पूज्य महात्मा गांधी की जन्म शताब्दी अब से दो मास के पश्चात् मनाने जा रहे हैं। यह वर्ष खास तौर से शिक्षा पर विचार करने के लिए, हमें बहुत अधिक गांधी जी के विचारों की ओर ले जाने के लिए विवश करता है। श्रीमन्, गांधी जी हमारे देश के एक अप्रतिम अवदान और मानवता के अमर स्मारक थे। सभ्यता और संस्कृति के मौलिक परिष्करक थे। उन्होंने संसार के सामाजिक विचारकों में सबसे अग्रणी स्थान प्राप्त किया था। विश्व के प्रत्येक मानव को वे अपने विचारों से प्रभावित कर सके थे। वे अपने विचारों से प्रत्येक मानव को चमत्कृत ही नहीं प्रभावित किया करते था, हतप्रभ नहीं अनुप्राणित करना चाहते थे आश्वस्त करना चाहते थे आतंकित नहीं करना चाहते थे। उनके प्रत्येक शब्द में स्वर्गीय चिन्तक का विराट तेज-पुंज अन्तर्निहित रहता था....

श्री उपाध्यक्ष—

गांधी जी के बारे में सबको विदित है। आप विषयानुकूल भाषण करें।

श्री जगदीश गांधी—

श्रीमन्, मुझे यह कहना है कि माननीय शिक्षा मंत्री जी अपने भाषण से शिक्षा के बाह्य अंगों को समझाने की कोशिश न करें। उन्होंने अपने लम्बे भाषण में शिक्षा में क्या-क्या हो रहा है इस पर बहुत कुछ बताने की कोशिश की लेकिन उसका क्या इम्पैक्ट हो रहा है, बालक किस प्रकार का निर्मित हो रहा है इस ओर उन्होंने कोई बात नहीं बताई। उन्होंने कहा कि पच्चीस अच्छी बातों की सूची बनाई है और वह सूची, स्कूलों में भेजी जायेगी और बच्चे याद करेंगे। वे शायद किसी स्कूल में भी गये और उनको बच्चों ने पढ़कर सुना दिया। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वह गई होगी तो वहां के प्रधानाचार्य महोदय ने बालकों को रटा दिया होगा और मंत्री जी को सुनवा दिया होगा। लेकिन जीवन में वे बालक कितना पूरा करेंगे, वह उतना सम्भव नहीं है। श्रीमन्, बच्चों को जो वास्तविक शिक्षा मिलती है वह वह माता के चरणों में मिलती है। शैशव काल में बालक जो कुछ माता की गोदी में सीख लेता है वह जीवन पर्यन्त उसके साथ रहता है। शिक्षा पांच चरणों में दी जाती है। पहला चरण है पूर्व प्राथमिक या शैशवकालीन शिक्षा। दूसरा चरण है प्राथमिक शिक्षा— तीसरा चरण है पूर्व माध्यमिक शिक्षा यानी जूनियर हाई स्कूल की शिक्षा, चौथा है माध्यमिक शिक्षा और पांचवां चरण है उच्च शिक्षा अथवा यूनीवर्सिटी शिक्षा। श्रीमन्, यह जो पहली सीढ़ी है यानी पूर्व प्राथमिक या बालक के संस्कार के निर्माण की शिक्षा पर सरकार का कोई ध्यान नहीं गया। २ वर्ष से लेकर ६ वर्ष की अवस्था वह होती है जब बालक संस्कार संजोता है, विचारों के रूप में जो कुछ अपने वातावरण

के रूप में, माता पिता या परिवार के मध्य पाता है उसे वह अपनी थाती और धरोहर के रूप में रखता है। सचमुच मातृ-शिक्षा, पैरेंट ऐजूकेशन या अभिभावक शिक्षा की आज बहुत बड़ी आवश्यकता है। कदाचित शिक्षित मातायें भी यह नहीं जानती हैं कि जब बालक पेट में आवे तो उस समय उसका क्या व्यवहार होना चाहिये किस तरह रहना चाहिये, किस तरह से अध्ययन करना चाहिये। बालक मां की कोख में आते ही सीखने लगता है और जैसी मां का आदर्श, विचार, कल्पनायें और भावनायें होती हैं उसी प्रकार से बालक के विचार शैशवावस्था में सामने आते हैं। तब वह संस्कार अपने साथ संजो लेता है।

श्रीमन्, बालक पहले छः महीने में किस तरह शिक्षित किया जाय और छः महीने से लेकर २ वर्ष की अवस्था तक किस तरह शिक्षित किया जाय? इसे आज की अशिक्षित माताओं को छोड़िये, शिक्षित मातायें भी नहीं जानती हैं। पुराने जमाने में घर के बुजुर्ग व मातायें तरह तरह की लोरियां, गीत, गानों और कहानियों को सुनाकर बालकों को बहुत अच्छे अच्छे विचार और उसके अच्छे संस्कारों का बीजारोपण कर देते थे लेकिन आज वह भी हम सब भूले जा रहे हैं। मेरा सरकार से निवेदन है कि माता-पिता के शिक्षण के लिये, मदर ऐजूकेशन के लिये वह साहित्य का सृजन करें। पैरेन्ट ऐजूकेशन के लिये, अभिभावक शिक्षण के लिये वह कुछ इस प्रकार का साहित्य बनायें कि माता-पिता जिस से शिक्षित किये जा सकें, उसका वितरण हो और वे उसे जान सकें। श्रीमन्, हमारे देश को आजादी मिली १९४७ में और घाना को मिली १९५३ में अर्थात् ६ वर्ष बाद। घाना को जिस समय आजादी मिली तो वहां के प्रेसीडेन्ट, श्री नक्रूमा, ने वहां की पार्लियामेंट में घोषणा की कि हमारे देश में प्रत्येक बालक को प्राइमरी शिक्षा से एम०ए० तक निःशुल्क शिक्षा मिलेगी, उसे पुस्तकें, कापियां, सुबह का नाश्ता और दोपहर का भोजन और स्कूल की वर्दी सरकार की ओर से मुफ्त मिलेगी। अगर बालक किसी ऐतिहासिक या भौगोलिक यात्रा में जायेंगे तो उन्हें रेलों में और बसों में मामूली खर्च करना होगा अर्थात् निःशुल्क जाने की सुविधा मिलेगी। अध्यापक जो वहां पढ़ाते हैं, उनके बच्चों को मुफ्त शिक्षा, मुफ्त दवा और उन्हें समुन्नत स्थान देने की बात उन्होंने कही। वहां पर विरोध पक्ष के लोगों ने कहा कि हमको सड़कें बनाना है, अपने देश के अन्दर बिजली का उत्पादन बढ़ाना है, कारखाने लगाने हैं, औद्योगिक विकास करना है और आर्थिक विकास करना है। उन सबका उत्तर देते हुये श्री नक्रूमा ने कहा कि हमारे देश में अगर युवक काबिल हो जायेंगे तो ये युवक आगे चलकर राज्य की आमदनी बढ़ाने में, राज्य को समुन्नत बनाने में बहुत बड़ा काम कर सकेंगे। इसलिये मेरा निवेदन है कि सरकार को शिक्षा की ओर अधिक ध्यान देना चाहिये।

श्रीमन्, हमारे प्रदेश की आबादी ८ करोड़ ८८ लाख है। इसमें से एक करोड़ बालक २ से ६ वर्ष की अवस्था में होने के कारण शिशु कालीन शिक्षा पाने के अधिकारी हैं। हमारी सरकार ने २ लाख २३ हजार रुपया नरसरी एजूकेशन के लिये रखा है। मैं इसे तीन लाख भी मान लेता हूं तो एक करोड़ बालकों के लिये एक बालक पर एक वर्ष के अन्दर ३ नया पैसा खर्च होगा अर्थात् ४ महीने में एक बालक पर १ नया पैसा का प्राविधान हमारी सरकार ने किया है और कहा यह गया कि सरकार शिशु कल्याण शिक्षा पर ध्यान देना चाहती है। प्राइमरी शिक्षा के बारे में हमारे माननीय मंत्री जी कह रहे थे कि हम एक करोड़ से अधिक बच्चों को शिक्षा देंगे परन्तु बजट में इसके लिये २४ करोड़ ८८ लाख रुपये का प्राविधान किया गया है। इसके माने यह होते हैं कि २ रुपया प्रति माह एक बालक पर प्राइमरी ऐजूकेशन में खर्च होगा। मैं नहीं समझता हूं कि किस प्रकार से एक बालक जो ६ से ११ वर्ष की आयु का है हम उस पर २ रुपया महीना खर्च करके उसे काबिल बना सकेंगे और अच्छे संस्कार उसमें पैदा कर सकेंगे और वह राष्ट्र का निर्माता बन सकेगा।

हमारे ११ वर्ष से १४ वर्ष तक की अवस्था वाले बालक केवल २० लाख बच्चे स्कूलों में पढ़ेंगे जब कि वह संख्या बढ़ रही है और प्राइमरी स्कूलों में १ करोड़ १७ लाख बालक पढ़ेंगे। इसके माने यह हैं कि जूनियर हाई स्कूल में जब वे आयेंगे तो केवल २० लाख पढ़ेंगे बाकी सब

[श्री जगदीश गांधी]

घर में बैठ जायेंगे। इसी तरह से १४ से १८ वर्ष की आयु वाले १७ लाख बालक पढ़ेंगे और बाकी बालक ७२ लाख बालकों में से जो इस उम्र के हैं, ५५ लाख घरों में बैठे रहेंगे जिनको शिक्षा नहीं मिलेगी और खर्च होगा साढ़े १५ करोड़ रुपया। इसका अर्थ यह होगा कि इंटरमीडियेट और हाई स्कूल के छात्र पर प्रति बालक ८४ रुपया प्रति वर्ष और ७ रुपया प्रति माह यह सरकार खर्च करेगी। जब आज इतनी मंहगाई बढ़ रही है तो ६-७ महीने में सरकार अच्छी शिक्षा कैसे दे सकेगी और क्या वह इस शिक्षा को प्राप्त करके राष्ट्र का नायक बनेगा? यह शिकायत होती है कि लड़के उद्दंड और शरारती हैं। ४२ लाख रुपया अनुदान दिया जा रहा है लखनऊ यूनिवर्सिटी को और ६ हजार लड़के पढ़ते हैं। इसके माने हुये १ लड़के पर ७०० रुपये एक वर्ष में सरकार खर्च करेगी और लड़का भी १५० रुपये फ़ीस देता है यानी ८५० रु० एक लड़के पर खर्च होगा और उसके बाद जब वह लड़का पढ़ कर आयेगा तो उसे ७५ रु० की नौकरी नहीं मिलेगी। उद्दंडता और शरारत क्यों बढ़ती है? संस्कारों की हमने शिक्षा नहीं दी। मदर ऐजूकेशन, शिशुकालीन शिक्षा और फादर ऐजूकेशन पर ध्यान नहीं दिया। शिशु कालीन शिक्षा पर विशेष ध्यान देना चाहिये। केरल में आप देखें कि अपनी आमदनी का वह ३५ परसेंट शिक्षा पर खर्च करता है और आप १८ परसेन्ट खर्च करके बड़ा दम्भ भरते हैं कि हम प्रदेश में बहुत कुछ करने जा रहे हैं। कम से कम शिक्षा के खर्च को केरल सरकार के बराबर लाइये तब आप कुछ कहिये। केरल हमसे गरीब है लेकिन उसने शिक्षा पर ३५ परसेन्ट अपनी आमदनी का खर्च करना शुरू किया है। इस से भी बढ़ कर आप शिक्षा पर खर्च कीजिये। अगर ऐजूकेशन पर आप ज्यादा खर्च करते हैं तो वह खर्च नहीं है, वह उत्पादक विनियोग (प्रोडक्टिव इनवेस्टमेंट) है। वह ऐसा विनियोग है जिससे प्रोडक्शन होता है एक्सपेंडिचर नहीं होता है। मैं तो इस बात को भी कहूंगा कि अगर शिक्षा में रुपये की कमी हो तो फ़ीस मत बढ़ाइये, एजूकेशन से शिक्षा कर लगाइये, इसका कोई विरोध नहीं करेगा।

कुछ और भी सुझाव हैं, यदि आप उन पर गौर करें तो मुझे विश्वास है कि कम रुपया खर्च करके आप इस प्रदेश में अधिक शिक्षा दे सकेंगे। शिक्षा सत्र आप चलाइये, १ जनवरी से और उसे फ़रवरी, मार्च, अप्रैल, मई, १५ तक चलाइये और १५ मई को बन्द कर दीजिये प्रिपरेशन लीव के लिये। गर्मी की छुट्टी कर गांव में लड़के पढ़ें और शहरों में लड़के घरों में बैठकर पढ़ें। फ़िर जुलाई में छमाही इम्तिहान ले लीजिये और उसके बाद फ़िर आप पढ़ाई शुरू कर दीजिये और दिसम्बर में सालाना इम्तिहान ले लीजिये। अभी आप ११, १२ मार्च से इम्तिहान लेते हैं और डेढ़ महीने पहले प्रिपरेशन लीव हो जाती है। ३१ जनवरी तक पढ़ाई होती है और इस प्रकार स्कूल व कालेज में १५ मार्च से प्रिपरेशन लीव हो जाती है। फ़िर अप्रैल, मई व जून तक बन्द यानी साढ़े ३ महीने वे बन्द रहते हैं साल में इधर और साढ़े तीन महीने दूसरे साल में। इस प्रकार ७ महीने दो वर्ष के कोर्स में लड़के बाहर रहते हैं। मेरा निवेदन है कि हाई स्कूल, इंटरमीडियेट, बी०ए० या एम०ए० इनमें पूरी डेढ़ वर्ष में पूरा पढ़ाई आप कर दीजिये और जब आप यूनिवर्सिटी ऐजूकेशन के स्तर पर एक छात्र पर इतना खर्च करते हैं तो यह अनिवार्य कर दीजिये कि ६ महीने वह समाज का कार्य करे, वह काम क्या होगा? जैसे हाई स्कूल में होम साइंस कम्पलसरी है वैसे ही आगे की कक्षाओं में आप ऐजूकेशन विषय को कम्पलसरी कर दीजिये। जब एक छात्र अपना दो वर्ष का कोर्स डेढ़ वर्ष में पूरा कर ले तो ६ महीने गांव में जा कर वह निःशुल्क शिक्षा देगा किसी अध्यापक के चार्ज में और जब वह अध्यापक सर्टिफ़ाई कर दे कि ६ महीने इस छात्र ने बच्चों को देहात में निःशुल्क पढ़ाया है तब उसे जो दो साल के बाद डिग्री मिलती है, मिलनी चाहिये।

मेरा निवेदन है कि यह जो परीक्षा प्रणाली है यह भी दूषित है। कोई लड़का किसी विषय में फेल हो तो उसे रोका न जाय। क्या जरूरत है इस बात की कि वह जबरदस्ती हिन्दी, अंग्रेजी, गणित, नागरिक शास्त्र भूगोल इत्यादि सब में पास ही करे। यदि कोई लोहारी जानता है तो उसमें एम०ए० की डिग्री दीजिये। कोई कारपेंटरी जानता है, हेयर कटिंग जानता

है, कोई भी विषय जानता है उसी में आप एम०ए० की डिग्री दीजिये। क्या जरूरत है कि उसको फेल कीजिये। इस साल साढ़े सात लाख लड़के माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में बैठे। चार लाख लड़के फेल हो गये, साढ़े तीन लाख पास हुये। साढ़े तीन लाख में से ढाई लाख थर्ड डिवीजन में पास हुये, ७५ हजार सेकेन्ड डिवीजन में और २५ हजार फ़र्स्ट डिवीजन में पास हुये और फेल हुओं को आप प्रमाण-पत्र क्या देते हैं कि तुम पूर्ण नालायक हो, तुम्हें कहीं नौकरी नहीं मिलेगी, तुम दर-दर ठोकर खाओगे, तुम्हारी शादी हो जायगी तो तुम्हें कहीं नौकरी नहीं मिलेगी और तुम्हारे बीबी-बच्चे भूखों मरेंगे और जो लड़के तीसरी श्रेणी में पास हो गये उनको आप क्या सर्टिफ़िकेट देते हैं दैट यू आर ए नालायक। व्हेयरएवर यू गो यू विल नाट गेट ऐडमिशन इन ऐनी कालेज आर इन एनी यूनिवर्सिटी। साढ़े ७ लाख लड़कों में से साढ़े ६ लाख लड़कों को नालायकी का प्रमाण-पत्र देने की क्या आवश्यकता है और फिर उनसे सरकार यह आशा करे कि वह राष्ट्र सेवा करें जब इतने लड़के फ़ेल होते हैं तो क्या जरूरत है परीक्षा बोर्ड की? दो करोड़ रुपया परीक्षा शुल्क का इकट्ठा किया जाता है और खर्च होता है १ करोड़ ३२ लाख २८ हजार। क्या फायदा परीक्षा बोर्ड से जिसमें बैठकर लड़के नकल करना सीखें। अब तो मां-बाप भी कोशिश करते हैं कि उनके लड़के कैसे पास हो जायं। इसलिये मेरा निवेदन है कि परीक्षा बोर्ड को आप तोड़ दें। नालायकी के प्रमाण-पत्र सरकार बहुत बांट चुकी। अब कृपा करके इस प्रमाण-पत्र को रोकिये और इसकी जगह पर तुम पास हो, आगे का दर्जा दीजिये। हिन्दी में न सही, गणित में न सही, भूगोल में न सही, तुम लोहारी में एम०ए० हो, हेयर कटिंग में एम०ए० हो तब सम्मान पूर्वक वह जिन्दगी काट सकेगा।

स्कूलों की सफ़ाई, पुताई, मरम्मत, साज-सज्जा और शैक्षिक उपकरण, इन सब बातों का पढ़ाई में बड़ा महत्व होता है। इन से प्रभावित हो कर बच्चा पढ़ाई में ज्यादा ध्यान देता है। आज हमारे स्कूलों में साज-सज्जा नहीं है। ग्रांट का जो पैसा मिलता है उस पैसे का कितना दुरुपयोग होता है। लेखा परीक्षा रिपोर्ट, १९६८ से ज्ञात हुआ कि १९६४–६५ में जो ग्रांट का रुपया मिला वह कितना पड़ा हुआ है। १९६४–६५ में ३ लाख ७२ हजार रुपया जो ३० जून, १९६५ तक खर्च हो जाना चाहिये था वह ३० नवम्बर, १९६७ तक भी खर्च नहीं हुआ। १९६६–६७ में १९ लाख २३ हजार रुपया दिया गया वह खर्च नहीं हुआ। इसी तरह से स्कूल लाइब्रेरियों के लिये ४ लाख १७ हजार रुपया १९६४–६५ में खर्च होने को था वह भी खर्च नहीं हुआ। होता यह है कि ग्रांट का पैसा लोग ले जाते हैं और वह सामान नहीं खरीदते जिसके लिये ग्रांट मिलती है। वह रुपया और कामों में खर्च कर देते हैं और झूठे बिल बनाकर सरकार को दे देते हैं। इसको भी रोकना चाहिये। जो रुपया जिस काम के लिये मिला है उसमें ही खर्च होना चाहिये।

श्रीमन्, मेरी एक राय है कि शिक्षा नीति को निर्धारित करने के लिये, शिक्षा योजनाओं के निर्माण के लिये, शिक्षा में रुचि रखने वालों की एक समिति माननीय मंत्री जी बनायें। माननीय मंत्री जी को मैं भी अपना नाम उस समिति के लिये प्रस्तुत करता हूं, यदि माननीय मंत्री जी उचित समझें तो मुझे उसमें रखें। मैं निवेदन करूंगा कि शिक्षा में आमूल परिवर्तन करने की आवश्यकता है। माननीय मंत्री जी को उससे अच्छे सुझाव मिल सकेंगे। हर स्कूल में अभिभावक और अध्यापकों का एक संगठन होना चाहिये, जिसकी मीटिंग हर महीने हुआ करे। जिसमें वे लोग बैठकर बालकों की पढ़ाई, उनके अनुशासन के बारे में विचार कर सकें। वहां पर माताओं और पिताओं के कर्तव्य के बारे में भी चर्चा हो सकती है।

शराब, सिनेमा और सिगरेट के आकर्षक पोस्टरों पर रोक लगायी जानी चाहिये। उनके स्थान पर नैतिकता संबंधी वाक्यों को बड़े-बड़े पटों पर लगाया जाना चाहिये। २ अक्टूबर तक शराब को पूर्णतया बन्द कर दिया जाना चाहिये। मैं समझता हूं इस से देश के बालकों का बड़ा भारी लाभ होगा। शराब से आमदनी नहीं होती, उसमें खर्चा होता है। उससे समाज में जो दोष उत्पन्न हो जाते हैं, उनके दूर करने में समाज को बहुत अधिक रुपये का व्यय करना

[श्री जगदीश गांधी]

पड़ता है। शराब से सरकार को २२-२४ करोड़ रुपये की आमदनी बतायी जाती है और इससे पांच गुना जनता स्वयं उस पर खर्च करती है। यानी १२५ करोड़ रुपया जनता शराब पर खर्च करती है। उससे कितने रोग पैदा होते हैं आप इसका हिसाब लगाइये, कितने अपराध पैदा होते हैं कितने बच्चे उसके कारण अशिक्षित रह जाते हैं। शराबियों के बच्चे कभी नहीं पढ़ पाते। अगर यह रुपया लोक कल्याण पर खर्च किया जाता तो कितना लाभ होता। अब जब यह दोष समाज में आ जायेंगे तो आप उसका १० गुना रुपया भी खर्च करें तो आप उन दोषों को दूर नहीं कर सकते, जो शराब के पीने से समाज में पैदा हो जायेंगे इसलिये शराब को २ अक्तूबर, १९६९ तक आप बिलकुल ही बन्द कर दीजिये।

धन के अभाव में बहुत से मेधावी बच्चों की शिक्षा अधूरी रह जाती है। सरकार को यह देखना चाहिये कि धन के अभाव में किसी भी मेधावी बच्चे की शिक्षा अधूरी न रह जाय। प्रत्येक जिले में मनोवैज्ञानिक केन्द्रों की स्थापना की जाय जो बालकों को बताये कि उनको किन किन विषयों को पढ़ाना चाहिये। तभी सच्ची प्रगति वे लोग कर सकेंगे।

पुस्तकों का राष्ट्रीयकरण किया जाना चाहिये। पुस्तकों का सारा व्यापार सरकार अपने हाथ में ले ले। पुस्तकों को बार बार बदला न जाय। इस संबंध में मैं फ्रांस का उदाहरण दूंगा। फ्रांस का शिक्षा संचालक अपने दफ्तर में बैठा हुआ यह बता सकता है कि इस समय दो बजने वाले हैं फ्रांस के प्रत्येक स्कूल में किस कक्षा में कौन सा विषय पढ़ाया जा रहा होगा शिक्षा विभाग में कम्प्यूटरों का प्रयोग होना चाहिये, स्टेटिसटिक्स भी रखे जाने चाहिये। इनका शिक्षा विभाग में कोई प्रयोजन ही नहीं है। पुस्तकों के प्रकाशन में प्राइवेट पब्लिशर्स का कोई स्थान नहीं होना चाहिये। उनके द्वारा कोई भी पुस्तक न छपवाई जाय।

पी० एस० डी० और एन० सी० सी० बिलकुल बन्द कर दी जानी चाहिये। इनको बन्द करके स्काउटिंग चालू की जाय। इनके द्वारा यह अपेक्षा की जाती है कि लड़कों में अनुशासन की भावना पैदा होगी। लेकिन स्काउटिंग से बच्चों में शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और अध्यात्मिक विकास होगा। इसलिये स्कूलों में स्काउटिंग को अनिवार्य कर दिया जाना चाहिये।

परीक्षायें साप्ताहिक, मासिक, तिमाही, छमाही और सालाना होनी चाहिये। उनके रिकार्ड पर ही अध्यापकों को यह छूट दी जानी चाहिये कि वह बालकों को आगे की कक्षाओं में चढ़ाये। कई कई विषयों में फेल हुये बच्चों को भी आगे बढ़ाया जाना चाहिये। परीक्षा बोर्ड की कोई जरूरत नहीं है। बच्चों को पास करने का अधिकार अध्यापकों को होना चाहिये।

श्रीमन, बीस बीस साल पुराने नोट्स यूनिवर्सिटीज में प्रोफेसर्स लिखाते हैं। मैं भी लखनऊ यूनिवर्सिटी में पोस्ट ग्रेजुएट क्लास तक पढ़ा हूं। मैंने देखा है कि हमारे यहां बहुत पुराने पुराने प्रोफेसर्स हैं। मैं मंत्री महोदय को निवेदन करूंगा कि ऐसे प्रोफेसरों को अलग कर दिया जाय। आज हमारे समाज की परिस्थिति क्या है? इसकी भी जानकारी करने की कोशिश नहीं करते हैं। वही २० साल पुरानी बातों को ही देखते हैं। ट्रेनिंग कालेजों में भी यही हाल है। यहां भी २०-२० साल पुराने पाठ्यक्रम हैं। उनका बीसियों साल पुराना कोर्स है उसमें आमूल परिवर्तन होना चाहिये। टीचर्स को लड़कों को होम वर्क देना चाहिये। लड़कों में अनुशासन रक्खें तथा अध्यापक और अभिभावकों के बीच ताल मेल रखें, ऐसे अध्यापकों को पुरस्कृत करना चाहिये एक दो, तीन इंक्रीमेंट देना चाहिये। जिन अध्यापकों का परीक्षा फल खराब हो उनको दंडित किया जाय जैसे कि पंजाब में किया गया है। उसी तरह से यहां भी किया जाय।

निरीक्षण प्रणाली को प्रभावशाली बनाया जाय। तरह-तरह के कार्यों के लिये एजूकेशन प्लानिंग डिपार्टमेंट बनाइये। जो तरह तरह के नियम, चार्ट तथा स्टेटमेंट बनायें निरीक्षण के ऊपर ज्यादा से ज्यादा निरीक्षण करने की बात है। इस से आपके यहां एजूकेशन का स्तर ऊंचा होगा। आप जीप लेकर बस अफसरों के साथ-किसी भी शिक्षण संस्था में

पहुंच जाइये और वहां पर देखिये कि होम वर्क दिया जाता है या नहीं। होम वर्क लड़के करते हैं या नहीं। अध्यापक वर्ग करेक्शन करते हैं या नहीं। अध्यापक वर्ग अक्सर करेक्शन नहीं करते हैं जिससे बच्चे पढ़ते नहीं हैं और वे कमजोर रह जाते हैं।

महिला शिक्षा पर बहुत कम ध्यान दिया जा रहा है। आप देखेंगे कि हाई स्कूल में लड़के ४४ प्रतिशत और लड़कियां ६२ प्रतिशत पास हुईं। इसी तरह से इंटर में लड़के ५५ प्रतिशत और लड़कियां ७४ प्रतिशत पास हुईं। इस से स्पष्ट है कि लड़कियां पढ़ने में अधिक दिलचस्पी लेती हैं और लड़के बहुत कम लेते हैं। हाई स्कूल शिक्षा के ऊपर लड़कों के लिये ५० हजार स्कूल और लड़कियों के लिये ११ हजार स्कूल हैं। मैं चाहता हूं कि इसको उलटा कर दिया जाय लड़कों के लिये ११ हजार और लड़कियों के लिये ५० हजार स्कूल कर दिये जाय। जब लड़के पढ़ने में रुचि नहीं लेते हैं तो उनको पढ़ाने की क्या जरूरत है? लड़कियां पढ़ना चाहती हैं उन्हीं को पढ़ाइये, उनके ऊपर ज्यादा खर्च कीजिये। लड़कियां यदि यहां पर ज्यादा चुनकर आयेंगी तो प्रदेश का काम अच्छा होगा। लड़कियों को दफ्तर में टाइप वगैरह सारे काम करने चाहिये।

श्रीमन्, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में लड़कियों की शिक्षा के लिये पर्याप्त प्राविधान नहीं किया गया है। आप ताज्जुब करेंगे कि हाई स्कूल में लड़कों की आबादी ६८-६९ में १२.७८, ६९-७० में १३.२५, ७०-७१ में १३.६८, ७१-७२ में १३.९१, ७२-७३ में १४.१३, और ७३-७४ में१४.३३ है और लड़कियों की, क्रमानुसार, ४.५२, ४.८९ ५.३६, ५.६९, ६.२८ है। मैं चाहता हूं कि शिक्षा में तरक्की होनी चाहिये और विशेषकर लड़कियों की शिक्षा में। खाली संख्या बढ़ने से काम नहीं चलेगा। शतप्रतिशत लड़के लड़कियों की शिक्षा होनी चाहिये। इन शब्दों के साथ मैं शिक्षा मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं। इधर तो माननीय शिक्षा मंत्री जी कहते हैं कि रुपया नहीं है और इधर विज्ञान प्रयोगशालाओं की मद में ३०.२० लाख रुपया अनयूटिलाइज्ड है। मेरा निवेदन है कि सारा रुपया कहीं विनियोग के हेतु लगा दें तो ब्याज की बड़ी आमदनी होगी। ऋण शोधन विधियों की शेष धनराशि, ३१ मार्च, १९६९ को अविनियोजित १८,२२,११,००० रुपये और विनियोजित ३५,४९,७७,००० रुपये होगी। यह सारा रुपया विनियोजित कर दिया जाय।

एक बात कह कर खत्म कर देता हूं। शराब पर बहुत कम टैक्स है। श्रीमन्, इसके लिये मंत्री लोगों को कड़ा दंड दीजिये। उत्तर प्रदेश में शराब पर २.१३ प्रतिशत कर भार है। पंजाब और हरियाना में शराब पर ८.७८ परसेंट टैक्स लगाया है। अगर शराब पर टैक्स लगाएं तो बहुत रुपया आ जाय। तो आमदनी कम नहीं है, समझदारी की कमी है। उत्तर प्रदेश में प्रतिशत वृद्धि ३ है जब कि जम्मू और कश्मीर में २९.५ परसेंट टैक्स बढ़ा है, केरल में ५५.६ परसेंट, शराब पर टैक्स बढ़ा है और मदरास में ४५.१ परसेंट बढ़ा है। एजूकेशन सेस लगाएं, शिक्षा को निःशुल्क कर दें। अध्यापकों का वेतन बढ़ाएं।

श्री जलील अब्बासी (जिला बस्ती)—

माननीय उपाध्यक्ष, महोदय, . . .

श्री मनफूलसिंह (जिला मुजफ्फरनगर)—

एक व्यवस्था का सवाल है। इन बेंचेज को हमारी प्रोपोर्शनेट टाइम नहीं मिलता है। मैं समझता हूं कि आइन्दा आप ध्यान रखेंगे।

श्री उपाध्यक्ष—

यह व्यवस्था का प्रश्न तो नहीं है। लेकिन फिर भी समय मिलना चाहिये आपके दल को, समय मिला है, एक आध अधिक बोल देते हैं।

श्री मोतीलाल बेहलवी (जिला कानपुर)—

हमारा भी व्यवस्था का प्रश्न है। अभी माननीय सदस्य जो बोल रहे थे, लाल बत्ती जलने के कितने मिनट तक वह बोले, तो मैं जानना चाहता हूं कि लाल बत्ती जलने के बाद दूसरे सदस्यों को बोलने का समय मिल जायगा?

श्री उपाध्यक्ष—

मैं सूचित करना चाहता हूं कि श्री जगदीश गांधी ने माननीय अध्यक्ष को लिख कर दिया था, और एक घंटे का समय मांगा था। उन्होंने यह कहा कि मैं शिक्षा में विशेष अभिरुचि रखता हूं और अपने कुछ व्यावहारिक सुझाव देना चाहता हूं और अभी तक एक दिन बोल नहीं सका। इसलिये, जो संगत बात कहता है या सुझाव देता है, उसको थोड़ा समय अधिक मिलता है। अगर माननीय सदस्य युक्तिसंगत और युक्तियुक्त बात कहने का प्रयास करेंगे तो उन्हें भी अधिक समय मिलेगा।

श्री जलील अब्बासी—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने शिक्षा के अनुदान पर मुझे बोलने का अवसर दिया। मैं विरोधी दल के उन भाइयों का भी आभारी हूं जिन्होंने व्यवस्था का प्रश्न उठा दिया, और पांच मिनट का समय ले लिया। वह मेरे समय में से निकाल देना चाहिये।

शिक्षा का विषय बड़ा गम्भीर विषय है उस पर विरोधी दल के भाइयों ने जो बातें कहीं वह यह समझ कर नहीं कहीं कि चूंकि इसके खिलाफ कटौती लाये हैं इस लिये इसके खिलाफ कोई बात कहनी है, बल्कि अभी तक जो बात विरोधी दल के लोगों ने कही है बहुत कुछ मैं अपने को उससे सम्बद्ध करता हूं। माननीय सदस्य ने एक लम्बा चौड़ा भाषण दिया। वाकई उनके लिये समय कम था। तैयारी काफी थी। हम तैयार हैं, यदि किसी दिन मंत्री जी उनका भाषण हमें सुनवाएंगे तो हम गौर से सुनेंगे। क्योंकि उन्होंने यहां पर काफी तैयारी करके अपनी तकरीर की है और यदि कोई तैयारी करता है, मेहनत करता है और अपने कांस्ट्रक्टिव सुझाव देता है तो हमें चाहिये कि हम उसे गौर से सुनें। इस दिशा में हमें बहुत काम करना है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हमने कुछ किया नहीं। इससे कोई इंकार नहीं कर सकता कि हिन्दुस्तान जब आजाद हुआ, अंग्रेज यहां से गये तो हम उस समय कहां थे शिक्षा के मैदान में और आज कहां हैं। वहां पर हमारा कोई स्थान नहीं था। हमने मुल्क की आजादी के बाद जहां सब तरफ तरक्की की है, शिक्षा में भी तरक्की की है। मैं समझता हूं जहां तक आंकड़ों का सम्बन्ध है इसके जाल में मैं फंसना नहीं चाहता, लेकिन जो आंखों से हरा भरा दिखाई देता है उससे हम कैसे इंकार कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी की ऊंची ऊंची इमारतें बनी हुई हैं, जगह-जगह डिग्री कालेज आज खुले हुए हैं, गांव गांव में बच्चों के लिये स्कूल खुल गये हैं, इससे कोई इंकार नहीं कर सकता। लेकिन हमने जो अपना उसूल बनाया और जो अपनाया वह उससे बिलकुल भिन्न है जो होना चाहिये। गलत रास्ते पर स्कूल खोले जा रहे हैं, गलत रास्ते पर हम तालीम का प्रसार करते जा रहे हैं।

थोड़े दिन पहले हमें रूस और बर्लिन जाने का अवसर मिला, मैं वहां की काफी चीजों से प्रभावित होकर आया। अंग्रेजी भाषा दुनिया की भाषा है मैं भी इस विचार से प्रभावित था कि संसार में जो जबान बोली व समझी जाती है उस जबान, अंग्रेजी से हमें क्यों वंचित किया जाता है। बर्लिन हवाई अड्डा पर उतरा तो वहां पर अंग्रेजी के एक शब्द का नाम भी नहीं मिला, मैं अंग्रेजी जानता था इसलिये वहां कोई चीज खरीद भी नहीं सकता था, एक भी दुकान हमें नहीं मिली जहां अंग्रेजी में बात की जा सके। ऐसी ही हालत रूस की भी थी। उसने आजादी के बाद काफी तरक्की की है। ईस्ट जरमनी ने भी काफी प्रगति की है। हम बहुत दिन तक गुलामी में रहे, इसलिये आज हम कोशिश करते

हुए भी उतना आगे नहीं बढ़ पाये हैं, शिक्षा का उतना विकास नहीं कर पाए हैं जितना कि करना चाहिये था। अभी हमें थोड़ा समय लगेगा। मैं समझता हूं कि जबान के मामले में हिन्दुस्तान के अन्दर एक जबान है और कोई दूसरी जबान नहीं हो सकती है। वह हिन्दी के अलावा कोई दूसरी जबान नहीं हो सकती है। लेकिन हिन्दुस्तान के लोग अपनी हिन्दी जबान को तसलीम तभी कर सकते हैं, क्योंकि हमारे साथ साझ्य भी है, जब हम हिन्दी से प्रेम करने के साथ साथ दूसरी जबानों से भी प्रेम करें जो उसके साथ हैं यानी उर्दू, तामिल, तैलगू, बंगाली, पंजाबी वगैरह। हमारे साथ ५–६ अन्य आदमी ऐसे भी गए थे जिनमें से कोई भी ऐसा नहीं था जो कि एक शब्द भी हिन्दी का जानता हो। हम दूसरे मुल्क वालों से अंग्रेजी में बात कर लें, दूसरी किसी विदेशी भाषा में बात कर लें, बात कुछ समझ में आती है, लेकिन अपने ही मुल्क के बाशिन्दों से जब हम अंग्रेजी में बात करते थे तो हमें हैरत होती थी। ऐसा क्यों हुआ ?, क्योंकि हमने अपनी हिन्दी को इतना सख्त बनाना शुरू कर दिया और उर्दू तथा दूसरी अपनी भाषाओं को विदेशी भाषा मानना शुरू कर दिया, जबकि वह अपने ही देश की भाषाएं थीं। अब तो थोड़ी स्थिति बदल गई है, आज तो उर्दू के लिये १० लाख रुपया भी रखा गया है और मंत्री जी ने भी उसके बारे में कहा है। दस लाख रुपया आप ने उर्दू जबान को बढ़ाने के लिये रखा है। आज धीरे धीरे समय बदल रहा है।

आज से सात, आठ साल पहले उर्दू का नाम लेने वाले को पाकिस्तानी कहा जाता था। इसका नतीजा यह हुआ कि लोग अंग्रेजी की शरण लेने लगे और अंग्रेजी को अपनाना शुरू कर दिया। इस संबंध में मैं यह बताना चाहता हूं कि कोठारी कमीशन ने अपनी रिपोर्ट के सफ़ा १९८, पैराग्राफ़ ८४८ में कहा है कि हम इस तजवीज से इत्तफ़ाक नहीं कर सकते कि संस्कृत या किसी दूसरी क्लासीकल जबान को सैलेसानी फ़ार्मूला में शामिल किया जाय। हमारी राय में इस फ़ार्मूले को जदीद हिन्दुस्तानी जुबानों तक महदूद रखा जाय। गवर्नमेन्ट आफ़ इंडिया ने अपनी कौमी तालीमी पालसी का पार्लियामेंट में जुलाई, १९६८ में जो ऐलान किया है उसके पैराग्राफ़ पांच की इबारत यह है। 'सानवी सतह पर सैलेसानी फ़ार्मूले में, हिन्दी वाले इलाके में एक जदीद हिन्दुस्तानी जुबान के अलावा हिन्दी और अंग्रेजी पढ़ाई जाये।' १८ अप्रैल, १९६९ को वजीरे तालीम डा० वी० के० आर० वी० राव ने पार्लियामेंट में बहस का जवाब देते हुये कहा कि संस्कृत को सैलेसानी फ़ार्मूले में जगह देना दुश्वार होगा और चार सैलानी फ़ार्मूला नाफ़िज करना हमारे लिये मुनासिब नहीं है। मगर संस्कृत को मरकज से पूरी इमदाद दी जायगी। इन तमाम बातों के बावजूद यू० पी० की हुकूमत ने संस्कृत को सैलेसानी फ़ार्मूला में शामिल किया और हिन्दी के लाजमी मजमून के पर्चे में भी संस्कृत को शामिल कर रखा है। उसका नतीजा यह है कि उर्दू तालीम की राह सानवी सतह पर बन्द हो गई है। आप ने एक तरफ संस्कृत को हिन्दी मजमून में शामिल कर दिया है और दूसरी तरफ़ उसको अलग से मजमून भी कर दिया है। यह विचार करने की बात है। उर्दू के मुतल्लिक बराबर आपके यहां से सर्कुलर निकलते हैं कि बच्चों को स्कूलों के अन्दर उर्दू पढ़ाई जाये। आप इसके लिये रुपया रख कर कागज पर ऐलान करते हैं लेकिन आप उर्दू की निसाबी किताबें नहीं बनाते हैं। और उर्दू टीचर ट्रेन्ड नहीं करते हैं पुराने जो टीचर्स थे पहले जमाने में वह हिन्दी-उर्दू दोनों जानते थे और दोनों को पढ़ाते थे लेकिन अब वह खत्म होते जा रहे हैं। तो फ़िर उर्दू कौन पढ़ायेगा। मेरे घर में मेरे लड़के और लड़कियां उर्दू नहीं जानते हैं सब हिन्दी जानते हैं मेरी लड़की बी० ए० तक हिन्दी पढ़ी है। आपके यहां से हिन्दी में जो कागजात जाते हैं मैं उनको नहीं पढ़ पाता हूं। इसलिये लड़की से पढ़वा कर समझ लेता हूं। इसका नतीजा यह होता है कि जहां अंग्रेजी की मुखालफ़त की जाती है वहां उर्दू के साथ इंसाफ़ नहीं किया जाता। अंग्रेजी हमारी जबान नहीं है। हमें हिन्दी को मकबूल करने के लिये दूसरी जबानों से प्रेम करना पड़ेगा। आप हिन्दी कागजात पर लाखों रुपया खर्च कर रहे हैं। लेकिन मैं आप से कहता हूं मैं इनको पढ़ नहीं सकता और मैं अन्धे का अंधा ही हूं।

[श्री जलील अब्बासी]

इसलिये मेरी माननीय मंत्री जी से गुजारिस है कि उनको इस तरफ़ ध्यान देने की जरूरत है। हमारे लिये जो हिन्दी नहीं पढ़ सकते यदि कुछ रुपया उर्दू में का[illegible] छपाने में खर्च कर दिया जावें तो कोई नुकसान नहीं होगा। हम ने हिन्दुस्तान में यह कहीं नहीं देखा कि कोई ऐसा पायनियर कैंप हो जहां बच्चों को छुट्टियों में रक्खा व पढ़ाया जाता हो। यह चीज मैंने सिर्फ़ रूस और बर्लिन में देखी है जहां बच्चों के पायनियर कैम्पों में रखा जाता है। हमने वहां समानता देखी है। वहां बड़े से बड़े आदमी का लड़का और छोटे-छोटे आदमी का लड़का एक-सा खाना खाता है, एक से बिस्तर पर सोता है। यह बात सही है कि वह पैसा ले लेते हैं, शिक्षा मुफ्त नहीं है लेकिन ३ सौ रुबल पाने वाले को—रुबल ८ रुपये का होता है—१८ रुबल देना पड़ता है, २ सौ से ढाई सौ रुबल वालों को ९ रूबल देना पड़ता है और उससे नीचे वालों को कुछ नहीं देना होता, उसका पूरा खर्चा स्टेट बरदास्त करती है, जिन से सरकार ले सकती है उनसे लेती है और जिनसे नहीं ले सकती है उनसे नहीं लेती। ३० परसेंट आदमी ऐसे हैं जिनसे कुछ भी नहीं लिया जाता, ३० परसेंट से आधा लिया जाता है और ४० परसेंट ऐसे हैं जिनसे वे पूरा लेते हैं और इस तरह से खर्चा पूरा करते हैं। जैसा एक साहब अभी फ़रमा रहे थे कि अमीर अपने लड़के पर २ सौ रुपये महीना खर्च करते हैं और वह ठाठ से पढ़ता है लेकिन ऐसे भी स्कूल हैं जहां बच्चे टाट पर बैठते हैं और उनके लिये पढ़ने के लिये कोई इंतिजाम नहीं है, यह बात सही है। अगर २० साल के बाद भी हम समानता नहीं ला पाये हैं तो हमारा सिर शर्म से झुकता है। आप कहते हैं कि एजूकेशन टैक्स लाना पड़ेगा। हम आपसे कहना चाहते हैं कि एक जमाना था जब मैंने लगान बढ़ाये जाने की मुखालिफ़त की थी और मुझे कांग्रेस से सस्पेंड किया गया था लेकिन आज मैं कहता हूं कि लगाओ टैक्स और चाहे जितना टैक्स लगाओ लेकिन समानता पैदा करो।

एक योजना अपनी योजनाओं से अलग बनाओ और दिखा दो दुनिया को कि यहां असमानता नहीं है। चपरासी के लड़के और मिनिस्टर के लड़के को महसूस न हो कि दोनों दो हैं बल्कि यह हो कि वे दोनों एक हैं। वहां क्रेन्चेज को मैंने देखा वहां लड़का पैदा हुआ और क्रेन्चेज में माये दे आती हैं, वे १ साल का क्या १ महीने का लड़का भी ले सकते हैं। लोग पूछते हैं कि हमारे यहां यह कब होगा। हमने उनसे कहा कि खामोश रहना चाहिये। जमाना आयेगा, ऐसा नहीं होगा कि न आये लेकिन कब होगा अभी कहना मुश्किल है, इंतिजार कीजिये। माये फ़ैक्टरीज में काम करती हैं। शाम को बच्चे को ले लेती हैं। दूध पिलाने के बारे में कहती हैं तो कह देते हैं कि हम दूध पिला चुके हैं। आप ले जाइये और सुलाइये और सुबह फ़िर यहां दे जाइयेगा और अगर नहीं ले जाना चाहती तो छोड़ जाइये यहां जगह है। मां को ६ महीने की छुट्टी मिलती है पूरी तनख्वाह पर, तीन महीने पैदाइश से पहले और तीन महीने पैदाइश के बाद। छः महीने पूरी तनख्वाह पर और ६ महीने बिना तनख्वाह यानी साल भर की छुट्टी मिल सकती है। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से कहूंगा कि आप एक जगह समानता लावें, हर जगह तो आप नहीं कर पायेंगे लेकिन एक जगह से तो शुरू कीजिये। वहां रूस में ३ सौ रूबल से ज्यादा कोई पाता नहीं और १ सौ रूबल से कम किसी को मिलता नहीं है। १ व ३ का रेशियो है। ३ सौ रूबल से ज्यादा वह अपने साइंटिस्ट्स को देते हैं जो मुल्क के लिये दिमाग खर्च करके कुछ लाता है? यहां हम अपने यहां साढ़े तीन हजार रुपये एक आफ़िसर को और एक सौ रुपये एक मामूली चपरासी को देते हैं और वह भी कांग्रेस हुकूमत ने किया। पहले तो वे बेचारे ४०, ५० या ६० रुपया पाते थे। यानी १ और ३० का फ़र्क है।

तीसरी बात, खास तौर से मंत्री जी से कहता हूं कि जितने स्कूल और कालेज हैं सबको नेशनलाइज कर दो। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। मैनेजमेंट सोलह आने चौपट है और मैनजमेंट के अन्दर फ़िफ़्टी परसेंट ऐसे लोग हैं जो कारोबार करते हैं, कमाते हैं खाते हैं, मैं सौ फ़ीसदी नहीं कहता लेकिन ५० फ़ीसदी यही कारोबार करते हैं, स्कूल्स खोलते हैं और उसके

जरिये से खाते हैं इसलिये नेशनलाइजेशन जल्द से जल्द कर दो। अगर कोई कहता है कि साहब वह आप नहीं कर सकते हैं तो उससे कहिये कि हम तुम्हें मान्यता नहीं देंगे, न तुमको इमदाद देंगे। अगर हमसे मान्यता लेते हो, एड लेते हो तो हम जो कहें वह करना पड़ेगा। गवर्नमेन्ट स्कूल के टीचर्स में और प्राइवेट एडेड स्कूल के टीचरों की तन्ख्वाहों में समानता होनी चाहिये, दोनों जगह तालीम एक होनी चाहिये ; उसका सारा मैनेजमेंट गवर्नमेंट के हाथ में आना चाहिये। इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारे विरोधी पक्ष के लोगों ने भी कहा है कि नेशनलाइज करो। आज नेशनलाइजेशन का युग आ गया है। हम मजबूर हैं अपने प्राइम मिनिस्टर को धन्यवाद देने के लिये कि उन्होंने बैंक्स को नेशनलाइज कर दिया और एक नया युग ला दिया।

इन्दिरा जी ने बैंक नेशनलाइज करके जो कदम उठाया है इससे अब नेशनेलाइजेशन का रास्ता साफ हो गया है। नेशनलाइजेशन हिन्दुस्तान में अब हर अंग में होना चाहिये। शिक्षा के अंग में भी होना अब जरूरी है। इस तरफ ध्यान देना जरूरी है। इन चन्द शब्दों के साथ मैं इस अनुदान की पुरजोर तरीके से ताइद करता हूं। हमारे मंत्री जी जो खुद शिक्षक रहे हैं, उनके अन्दर शिक्षा के लिए, उसकी तरक्की के लिए जज़बात हैं। जो बातें मैंने यहां रखी हैं, जिनको मंत्री जी ने बड़े सब्र से सुना मुझे आशा है उन पर वे गौर करेंगे।

*श्री मनफूल सिंह—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका बड़ा आभारी हूं जो आपने मुझे समय दिया। शिक्षा के अधीन मांग की राशि एक रुपया कर दी जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय सदस्य, यह सब पेश हो चुके हैं और मान लिये गये हैं।

श्री मनफूल सिंह—

थैंक यू सर।

आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, इसके पहले कि मैं कुछ अपने सुझाव सरकार के सामने रखूं, एक बात कह देना चाहता हूं और वह यह कि जब शिक्षा मंत्री जी का नाम पढ़ा और मिनिस्टरों की लिस्ट में रखे गये तो हमें बड़ी खुशी हुई थी कि शिक्षा मंत्री जी विद्वान होते हुए भी, मिनिस्टर होते हुए भी और शिक्षा में दिलचस्पी रखने के बावजूद भी एक ऐसे आदमी हमारे सरकार में रखे हैं जो एक ऐसे वर्ग से हैं जो सदियों से बड़ा शोषित रहा है। शोषित रहने के साथ-साथ एक ऐसा वर्ग है जिस वर्ग को मनु जी के समय से शिक्षा पढ़ने का तो कोई अधिकार था ही नहीं, अगर किसी से शिक्षा संबंधी बात भी सुनी तो उनके कान में पारा डाल देने की नौबत आ जाती थी। मैं यह बात मंत्री जी को बतलाना चाहता हूं, हालांकि इस समय वह यहां नहीं हैं। हमें बड़ी उम्मीद थी कि इस प्रदेश की जनता को वे अपने कार्यों से लाभान्वित करेंगे। लेकिन जैसे कि कहावत चरितार्थ है ऐसे खजाने, शिक्षा संबंधी खजाने की चाबी दे दी गयी जिसके आधार पर शोषित जनता के बच्चों को प्रोत्साहित करते लेकिन उस खजाने के ऊपर एक ऐसा नाग बैठा दिया गया है जिससे वे भयभीत हैं कि अपने विचारों को कैसे लागू करें। अध्यक्ष महोदय, शिक्षा का उद्देश्य यह नहीं है जैसा कि हम महसूस करते हैं बल्कि शिक्षा का उद्देश्य यह है कि अगर हम गांधी जी की शताब्दी को सही अर्थों में मनाना चाहते हैं और चाहते हैं इस प्रदेश की भलाई करना तो हमें समाजवाद का झूठा नारा नहीं लगाना चाहिये बल्कि सही मायने में कार्यान्वित करना चाहिये। हमारे

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री मनफूल सिंह]

प्रदेश में गरीब और अमीर की असमानता बनी हुई है। रात ही में एक चलचित्र देख रहा था रवींद्रालय में। उसे देखकर महसूस हुआ कि किन बच्चों के लिए यह प्रदर्शन दिखाया जा रहा है। अगर हम शिक्षा के लिए समाजवाद नहीं ला सकते, अगर शहरी बच्चों और देहात में पढ़ने वाले बच्चों के लिए शिक्षा में असमानता का व्यवहार करते रहेंगे तो मैं पूछना चाहता हूं कि जब हमारी विचारधारा में ही समाजवाद नहीं है तो व्यवहारिकता में कैसे ला सकते हैं। जब शिक्षा समाजवाद पर नहीं चल रही है तो यह कैसे संभावना है कि हम अपने देश व प्रदेश में समाजवाद ला सकेंगे। सबसे पहले सैद्धांतिक तरीका जो सरकार ने अपनाने की कोशिश की है वही गलत है।

मैं समझता हूं कि सरकार उन सिद्धांतों का झूठा ढोल पीट कर ज्यादा दिन जिन्दा नहीं रह सकती। आज हम देखते हैं अपने प्रदेश में वह पिछड़ा वर्ग, जिस वर्ग में हमारे मंत्री जी पैदा हुए हैं, अपने प्रदेश का १/४ वर्ग है। २१ फीसदी वह जनता है जिसके बच्चे, दुधमुंहे बच्चे अधखिले फूल की तरह से रह जाते हैं और जिनके बच्चों तक यह सुविधा नहीं पहुंच पाती। मैं अपने मंत्री जी को यह बतलाना चाहता हूं कि अगर यही रवैया उस वर्ग के लिये रहा जिस वर्ग के लिए गांधी जी के कहने के अनुसार और हमारी सरकार के एक उद्देश्य के अनुसार १० वर्ष के लिए रिजर्वेशन दिया गया था तो किस प्रकार वह आगे बढ़ेगा? आज २० साल के बाद भी वह उद्देश्य पूरा नहीं हो पाया। अगर उस अपंग समाज को और उस अशिक्षित समाज को १० साल के अलावा २० साल बीतने के बाद भी दूसरे वर्ग के लोगों के बराबर नहीं ला सके तो मैं पूछना चाहता हूं कि आप किस तरह से यहां पर समाजवाद लायेंगे? क्या आप यह कह सकते हैं कि आपने हिन्दुस्तान में कुछ गरीब आदमियों की सेवा की है? क्या आप इस बात का नारा लगा सकते हैं कि हमने उस समाज के लिये बहुत किया जिस समाज के लिए स्वतंत्रता प्राप्ति के पहले नारा लगाया करते थे कि हम उसको समानता के स्तर पर लायेंगे, तालीम देंगे और उसको ऐसा दर्जा देंगे १० साल के अन्दर जिसके आधार पर उसकी असमानता दूर हो सके। क्या आप इस बात का दम भर सकते हैं कि आज मांटेसरी स्कूलों में शिक्षा की असमानता होने के कारण एक बड़े भारी भ्रष्टाचार के अड्डे बन गये हैं। यह अपने सूबे में ही नहीं बल्कि हिन्दुस्तान में ये एक अड्डे बन गये हैं। उनका एक गुट बन गया है जिनमें भ्रष्टाचार सरकारी अफसर, कुछ राजनैतिक लोग और भ्रष्टाचारी कुछ व्यापारी हैं।

मैं आज शिक्षा मंत्री जी को यह बतलाना चाहता हूं कि चूंकि आज शिक्षा में असमानता है और चूंकि मान्टेसरी स्कूलों में सेंट पाल या कोम्बेंट स्कूलों में शिक्षा प्राप्त करने के लिए चन्द अमीरों के बच्चे ही जा सकते हैं। क्या वे तप्पड़ पर बैठ कर पढ़ने वाले देहात के बच्चे उनका मुकाबला किसी कम्पीटीशन में कर सकते हैं? वे बच्चे कम्पीट नहीं कर सकते हैं। तो उनके ही लड़के अफसर होते हैं। उन्होंने ही रुपये-पैसे के बल पर हिन्दुस्तान की राजनीति आज अपने हाथ में इकट्ठा कर लिया है। हिन्दुस्तान को ही उन्होंने आज अपने हाथ में ले लिया है। यही कारण है कि हिन्दुस्तान की सरकार उन्हीं लोगों के आज हाथ में है। इसी कारण से चन्द व्यापारियों के हाथ में आज हिन्दुस्तान का व्यापार है। उन लोगों के हाथ में देश का व्यापार है। यही कारण है कि उन चन्द भ्रष्टाचारी व्यापारियों ने हिन्दुस्तान का सारा रुपया अपनी तिजोरियों में इकट्ठा कर लिया है। यही तीन भ्रष्टाचारी तत्व हिन्दुस्तान के समाज पर अपना हाथ जमाये बैठे हैं। हिन्दुस्तान का सारा रुपया पैसा, सारी शिक्षा और सारी राजनीति ये अपने हाथ में लिये बैठे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि शिक्षा में समाजवादी तरीके से जब तक समानता का व्यवहार नहीं किया जायगा तब कैसे समाज सुधर सकता है। जब तक राष्ट्रीयकरण शिक्षा के क्षेत्र में नहीं किया जायगा तब तक यह भ्रष्टाचार कैसे दूर हो सकता है। जब तक हिन्दुस्तान में शिक्षा का

राष्ट्रीयकरण नहीं किया जायगा तब तक यह भ्रष्टाचार जो आज शिक्षा में, व्यापार में और राजनीति में दिखाई दे रहा है, दूर नहीं हो सकता है। सरकार को इस पर विचार करना चाहिये कि किस प्रकार से इसको दूर किया जाय ।

दूसरी बात यह कहना चाहता हूं कि आज हालत यह है कि हरिजन बच्चों को शिक्षा संस्थाओं में कोई दाखिला नहीं मिलता है। सरकार का ४७ का जो आदेश है, उसके अनुसार काम नहीं हो रहा है। अगर बी०एड० में एडमिशन लेना चाहे तो उसको कहीं भी दाखिला नहीं मिलता है। जैन कालेज बड़ौत के लिए मैंने एक प्रश्न सरकार को दिया है कि वहां पर बी०एड० क्लास में किसी भी हरिजन छात्र का कोई एडमिशन नहीं हुआ है। एम० एस-सी० में अगर कोई हरिजन बच्चा एडमिशन चाहे तो उससे २ हजार, ३ हजार रुपया रिश्वत दाखिला लेने के लिए उन्होंने प्राविजन बना लिया है और कहते हैं कि कालेज के लिए लेते हैं । वह आदेश मैं बताऊं कि जी० ओ० नं० बी० ४९५८, एक्स० सी० ३१२, १९४४, लखनऊ २२, सितम्बर १९४७ फ्राम दि सेक्रेटरी टु गवर्नमेंट, यू० पी० लखनऊ है । इसका भाव यह है कि हरिजन लड़कों के लिये चाहे वह डिग्री कालेजों, चाहे वह लड़कियों के हाई स्कूल में या किसी भी संस्था में अगर हरिजन कोई लड़का एडमिशन लेना चाहता है तो उनमें ६ में एक हरिजन लड़का एडमिनशन हर संस्था लेगी और अगर वह संस्था मना करे ऐडमीशन लेने से तो उसका अनुदान प्रदेश की सरकार बन्द कर देगी । क्या सरकार ने ऐसी किसी शिक्षा संस्था की अनुदान बन्द की है जिसने हरिजन बच्चों का कोई दाखिला नहीं लिया है एम०एस०सी० और बी०एड० क्लासेज में ? इसका जवाब "नहीं" में मिलेगा। फिर हम क्यों ढोल पीटते हैं समाजवाद के और उस वर्ग के लिए जिसके लिए गांधी जी के दिल में दर्द था और जिसकी उन्होंने रहनुमाई की थी और जिनके बीच में अपना निवास-स्थान बनाया था उस वर्ग के लिए आज हमारी सरकार किसी उद्देश्य और सिद्धांत को अपना कर नहीं चल रही है। अगर गवर्नमेंट आर्डर्स या कानून अप्लाई नहीं किये जाते तो वे क्यों बनाये जाते हैं । एक ऐसा वर्ग जो न केवल समाज के लिए बल्कि सरकार के लिए भी कलंक है उन पर ऐसे कानून क्यों नहीं लागू किये जाते ? अगर नहीं किये जाते तो बनाने से क्या फायदा है ? जहां शिक्षा के राष्ट्रीयकरण की बात है, मैं यह भी चाहता हूं कि उस वर्ग के लिए अगर हम किसी शिक्षा संस्था में अनुदान देते हैं गवर्नमेंट की ओर से तो वहां क्यों हरिजनों और बैकवर्ड क्लास के लिए कोई रिजरवेशन नहीं है? अगर मैं यह पूछूं कि कितने हरिजन हमारे सूबे के अन्दर इन शिक्षा संस्थाओं में -जो अपना इन्तजाम खुद करती हैं और जिनको सरकार अनुदान देती है-कितने हरिजन अध्यापक हैं, तो जवाब नहीं में आयेगा। मेरा सुझाव यह है कि इन शिक्षा संस्थाओं में रिजरवशन करना चाहिये उस वर्ग के लिए जो बहुत दिनों से पिछड़ा हुआ है ताकि वह शिक्षित हो सके और अपनी आर्थिक दशा सुधार सके ।

मेरा तीसरा सुझाव यह है कि जब तक १०वीं तक आप फ्री और कम्पलसरी एजूकेशन नहीं करेंगे तो आप देश में समाजवाद लाने में कतई असफल रहेंगे । सन् ४७ में देश आजाद हुआ, सब वर्गों के लोग तालीम हासिल करना चाहते हैं और चूंकि बिल्डिंग और डेवलपमेंट फीस बढ़ा दी गयी वह हरिजन बच्चों से भी ली जाती है जबकि ये शिक्षा संस्थायें उसे गवर्नमेंट से रिइम्बर्स करा लेती हैं। ऐडमीशन के वक्त हरिजन बच्चों से ५०-५० और ८०-८० रुपये से भी ऊपर लिया जाता है। जिसकी इतनी आमदनी नहीं है वह गरीब आदमी कैसे शिक्षा प्राप्त कर सकेगा। अगर वह शिक्षा प्राप्त करने का अपना उद्देश्य बनाता है और ये कठिनाइयां उत्पन्न होती हैं तो क्या सरकार यह अनुभव करती है कि वह समाज जिसके लिए कम्पलसरी और फ्री एजूकेशन १० वीं तक नहीं होगी और आर्थिक दृष्टि से मजबूर होकर हरियाणा और पंजाब में जाकर जो लोग अपनी जीविका कमाते हैं तो क्या उसे उनके बच्चे एजूकेशन प्राप्त करने के लिए कोई होड़ लगायेंगे ? इसलिये जरूरी हो गया है हरिजन और

[श्री मनकूल सिंह]

बैकवर्ड समाज के लिए कि उनके लिए फ्री और कम्पलसरी तालीम दी जाय, वरना वे नहीं पढ़ पायेंगे । जैसा कि श्री जगदीश गांधी ने कहा, हमने यह माना कि औरतों और लड़कियों की शिक्षा जरूरी है, लेकिन क्या ३-४ फीसदी से ज्यादा हरिजन समाज की लड़कियां पढ़ी हैं ? मैं समझता हूं कि एक प्रतिशत भी बड़ी मुश्किल बात होगी और जब इस समाज की लड़कियां नहीं पढ़ पातीं तो क्या हम उम्मीद करते हैं कि इस समाज के बच्चों को अच्छी मातायें मिल सकेंगी और जब अच्छी मातायें नहीं मिल सकेंगी तो इस समाज को उस समाज की बराबरी नहीं मिल सकती, जिसको लाने के लिए गांधी जी बराबर कहते थे ।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से एक और सुझाव देना चाहता हूं । आज शिक्षा में जितना भ्रष्टाचार चल रहा है शायद ही किसी दूसरे विभाग में इतना हो । इस भ्रष्टाचार को रोकने के लिए कोई प्रविधान नहीं किया गया है इस बजट में । शिक्षा संस्थायें १७५ पर जिस टीचर को रखती हैं उसको १०० रु० देती हैं और हस्ताक्षर १७५ पर कराती हैं । आज हम देखते हैं कि अगर जैन कालज है तो वहां या किसी दूसरे कालज में जो किसी बिरादरी के नाम पर है ९९ प्रतिशत उसी बिरादरी के अध्यापक रखे जाते हैं और शायद १ परसट कोई बाहर का काबिल आदमी रखा जाता हो । जब इस प्रकार साम्प्रदायिकता पनप रही है तो क्या यह सरकार अपने मुंह पर हाथ लगाये बैठी रहेगी । अध्यक्ष महोदय, भ्रष्टाचार ऊपर से नीचे की तरफ चल रहा है । जब हमारे ऊपर के कर्णधार लोग इन शिक्षा संस्थाओं से भ्रष्टाचार को नहीं रोक पाते, उनका अनुदान नहीं रोक पाते तो आप कैसे समझते हैं कि इस प्रदेश से साम्प्रदायिकता समाप्त हो जायगी। पिछले दिनों में जब चरण सिंह जी मुख्य मंत्री थे तो उन्होंने मुख्य मंत्री होते ही एलान किया था कि उन शिक्षा संस्थाओं को जिनका नाम साम्प्रदायिकता के आधार पर होगा हम अनुदान नहीं देंगे । अध्यक्ष महोदय, बहुत-सी शिक्षा संस्थाओं के नाम इसके फलस्वरूप बदल गये लेकिन इस हुकूमत के आने के बाद वह बात खत्म हो गई। अगर आप यह सोचकर करेंगे कि पिछली सरकार ने जो कानून बनाये हैं उनको लागू नहीं करेंगे तो यह भूल होगी और आपके सूबे से ही नहीं बल्कि हिन्दुस्तान से साम्प्रदायिकता जा नहीं सकती और उससे अपने देश और प्रदेश को बहुत बड़ी हानि होगी । इसलिये मैं आपके माध्यम से शिक्षा मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वह इस सुझाव को मान्यता दें और समाजवाद के आधार पर बजट रखें और समाजवाद लागू करने की कोशिश करें । याचित धनराशि को काट कर एक रुपया कर दिया जाय।

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी (जिला इलाहाबाद)--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे समय दिया । माननीय शिक्षा मंत्री जी बधाई के योग्य हैं जो उन्होंने इस वर्ष के बजट में शिक्षा के मद में करीब २१ करोड़ रुपया अधिक रखा है । पिछले वर्ष करीब ५८ करोड़ था और इस वर्ष ८० करोड़ है और जैसा बताया गया यह पूरे बजट का १८.८ प्रतिशत है। मैं इस बात के लिए उन्हें विशेष बधाई देती हूं कि उन्होंने इस बजट में कुछ ऐसी योजनायें भी रखी हैं जिससे कि शिक्षा का स्तर ऊंचा होगा। मिसाल के लिए हिन्दी संस्थान की स्थापना और युवक कल्याण योजना, तथा विश्वविद्यालय स्तर की हिन्दी पुस्तकों के निर्माण के लिए जो २४ लाख रुपया का प्राविधान किया गया है इसका हम स्वागत करते हैं । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज मैं जहां एक ओर माननीय शिक्षा मंत्री को बधाई देती हूं, दूसरी तरफ मैं अपने कुछ सुझाव भी रखना चाहती हूं क्योंकि मैं समझती हूं कि आज समय आ गया है कि हम अपनी शिक्षा की नीति में आमूल परिवर्तन करें । अभी तक आजादी के बाद हम और बहुत-सी परेशानियों में, आर्थिक विकास और अन्य बातों में लगे हुये थे परन्तु हमें इस तथ्य को नहीं भुलाना है कि शिक्षा एक ऐसा क्षेत्र है जिसके अन्दर हमारे राष्ट्र का, हमारी भावी पीढ़ी का बनना और बिगड़ना है । मैं एक ऐसे शहर से विधायिका होकर यहां आयी हूं जो

शिक्षा का क्षेत्र कहा जाता है, जहां का विश्वविद्यालय एक ऊंचे स्तर का विश्वविद्यालय माना जाता है। वह इलाहाबाद विश्वविद्यालय है।

आज सवाल इस बात का है कि हम विश्वविद्यालयों की शिक्षा नीति में किस प्रकार से परिवर्तन करें जिससे कि लाखों नव-युवक जो कि प्रति वर्ष हमारे माध्यमिक शिक्षा परिषद् की परीक्षा उत्तीर्ण होकर नि।लते हैं और जिनके ऐडमिशन का सवाल प्रति वर्ष इस तरह से होता है कि आज परिस्थिति यह है कि थर्ड डिवीजन में पास कोई भी लड़का विश्वविद्यालय के दरवाजे तक नहीं पहुंच पाता। वह इधर उधर ठोकर खाता फिरता है। हमारे यहां तीन डिग्री कालेज हैं लेकिन व उनकी आवश्यकता को पूरा नहीं कर सकते हैं। लड़कियों के सामने भी यही समस्या है।

एक बड़ा सवाल यह है कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के जो एफिलिएटेड कालेज हैं, उनकी संख्या बढ़ाई जाय या न बढ़ाई जाय। इस संबंध में मेरा सुझाव यह है कि सरकार को चाहिये कि हमारे प्रदेश में जितने भी विश्वविद्यालय हैं उनका रेडियस तय कर दिया जाय। अगर इलाहाबाद के अन्दर कालेज हैं तो उनका एफिलिएशन इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के साथ किया जाय, अगर कानपुर के अन्दर कालेज हैं तो उनका एफिलिएशन कानपुर यूनिवर्सिटी के साथ किया जाय और इसी तरह से मेरठ, आगरा, गोरखपुर यूनिवर्सिटीज के आसपास जो कालेज हों, उनका एफिलिएशन संबंधित यूनिवर्सिटी के साथ हो जाय। इस प्रकार से पूरे प्रदेश में विश्वविद्यालयों का रेडियस बन जाय, और उन पर उन्हीं का कंट्रोल रहे तो उन लड़कों की समस्या, जिनको आज हम विश्वविद्यालयों में पूरी सीट न होने के कारण जगह नहीं दे पाते हैं, एफिलिएटड कालेजों में उनको जगह मिल जाने से हल हो सकती है। यह केवल डिग्री सेक्शन की बात नहीं है। एम०ए० और एम० एस-सी० सेक्शन में भी बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। दिन प्रतिदिन लड़कों की संख्या बढ़ती जाती है और नतीजा यह है कि प्रति वर्ष जुलाई से लेकर सितम्बर तक हमारे विश्वविद्यालय विद्यार्थियों की अनुशासनहीनता के अखाड़ा बन जाते हैं और तरह-तरह की चीजें होती रहती हैं। इसका कारण यह है कि सब निराश हो चुके हैं कि उनको आगे जिन्दगी में पढ़ने के लिये मौका नहीं मिलेगा जिससे वे कोई न कोई आन्दोलन चलाते ही रहते हैं और उसमें अगुवा बन जाते हैं। तो इस प्रश्न पर गम्भीरता से विचार करना है। माननीय मंत्री जी ने डाक्टर रंजन कमेटी का जिक्र किया। मुझे आश्चर्य है कि शासन ने अभी तक इस पर कोई निर्णय क्यों नहीं लिया जबकि यह रिपोर्ट काफी पहले आ चुकी है। इस समय जो भर्ती हो रही है विश्वविद्यालय में अगर इस पर निर्णय ले लिया गया होता तो आज जो परेशानी है लड़के लड़कियों के ऐडमिशन में, उन्हें उससे मुक्ति मिल जाती और हम समस्या को हल कर सकते थे।

एक और भी मूल प्रश्न है। जब हम बड़े पैमाने पर शिक्षा देते हैं तो हमें कुछ कटेगरीज भी बनानी पड़ेंगी। हमें तय करना पड़ेगा कि कुछ विश्वविद्यालय तो ऐसे हों जहां कि रिसर्च सेन्टर हो और हम उनकी क्वालिटी को बढ़ावें लेकिन हमें यह भी सोचना पड़ेगा कि इस जनतंत्र में क्या हम उन लोगों को जो आगे बढ़ना चाहते हैं उनके लिये कोई स्थान न बनावें, उन लोगों को शिक्षा संस्थाओं में स्थान न दें और उनको यह कह कर कि तुम थर्ड डिवीजनर हो, या तुमने द्वितीय श्रेणी में पास किया है इसलिये तुम आगे नहीं पढ़ सकते हो, टाल दिया करें? तो यह एक गम्भीर प्रश्न है जिस पर शासन को विचार करके हल निकालने की कोशिश करनी चाहिये। यह सही बात है कि हम शिक्षा की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। आंकड़े इस बात को बताते हैं कि वर्ष १९४६-४७ में प्राथमिक शिक्षा का कुल बजट १२१ लाख रुपये का था, ५५-५६ में ४२५ लाख का हुआ, और ६८-६९ में २४ करोड़ ८८ लाख का हो गया, और आने वाले वर्षों में और भी बढ़ेगा। इसी तरह से पूर्व माध्यमिक शिक्षा और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में भी बजट के आंकड़े बताते हैं कि हम प्रगति कर रहे हैं और शिक्षा के मद में

[डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी]

खर्चा बढ़ रहा है और ज्यादा से ज्यादा स्कूल आदि खुल रहे हैं। माननीय मंत्री जी ने कहा था कि लड़कियों की शिक्षा में वृद्धि हो रही है, उनके अधिक स्कूल खुल रहे हैं। मैं भी इस बात को मानती हूं और आंकड़े भी यह बताते हैं कि लड़कियों की शिक्षा में परसन्टेज में भी वृद्धि हुई है और संख्या में भी हुई है। जहां १९६०-६१ में ६ से ११ वर्ष के एज ग्रुप में १९.४५ प्रतिशत लड़कियां स्कूल में पढ़ने वाली थीं वहां ६५-६६ में ६२.२८ और ६८-६९ में ६३.६८ हुई। इसी तरह से ११ से १४ वर्ष के एज ग्रुप में जहां ६०-६१ में ५.१३ प्रतिशत थीं वहां ६५-६६ में ९.२६ और ६८-६९ में १०.३३ हुई। इसी प्रकार से १४ से १८ वर्ष के एज ग्रुप में जहां ६०-६१ में १.९८ प्रतिशत थीं वहां ६५-६६ में ३.४३ और ६८-६९ में ४.५२ हो गई। इसी तरह से लड़कियों की संख्या में भी वृद्धि हुई है। ६०-६१ में प्राइमरी में ८.६८ लाख थीं, ६५-६६ में बढ़कर ३२.३६ लाख और ६८-६९ में ३५.९७ लाख हो गई। इसी तरह से सीनियर बेसिक में ६०-६१ में जहां १.२२ लाख थीं वहां ६५-६६ में बढ़कर २.४९ और फिर ६८-६९ में ३.१९ लाख हो गई। इसी तरह से हायर सेकेंडरी में भी वृद्धि हुई। ६०-६१ में ०.५७ लाख से बढ़कर ६५-६६ में १.११ लाख और ६८-६९ में १.५९ लाख यह संख्या हो गई।

तो कहने का तात्पर्य यह है कि लड़कियों की संख्या और प्रतिशत दोनों में वृद्धि हुई। लेकिन अगर हम लड़कों और लड़कियों की शिक्षा पर खर्च किये जाने वाले बजट का कःपेरीजन करें तो उसमें बड़ा अन्तर है। हमारी आबादी में स्त्रियों की संख्या आधी मानी गई है, १० करोड़ में ५ करोड़ मानी गई है। लड़कियों की संख्या भी इसी तरह से हम आधी मानकर चलें तो कम से कम शिक्षा के बजट में उसी अनुपात से खर्च होना चाहिये, लेकिन आज यह बात नहीं है। आंकड़े बताते हैं कि जहां पर बालकों की शिक्षा के लिये ५२ करोड़ का बजट है वहां लड़कियों के लिये केवल ५ करोड़ रुपये के बजट की ही यवस्था है। श्रीमन्, किसी भी समाज की उन्नति के लिये आवश्यक है कि शिक्षा का प्रकाश घरों में पहुंचाया जाय और उसके लिये आवश्यक है कि लड़कियों की शिक्षा पर उचित ध्यान दिया जाय। उसके लिये यह भी जरूरी है कि जहां हम ज्यादा से ज्यादा स्कूल खोलने की बात करें वहां साथ ही साथ जो हमारा शिक्षा विभाग का संगठन है उसकी ओर भी ध्यान दिया जाय। लड़कियों की शिक्षा के लिये जहां बजट में कम रुपया रखा गया है उसी तरह से आज जो शिक्षा विभाग का पूरा ढांचा बना हुआ है उसमें भी यह है कि जो सरकारी विभागों के बड़े अधिकारी हैं वे सब पुरुष हैं। जहां तक स्त्रियों का सवाल है उनमें अगर आज हमारी एक डिप्टी डायरेक्टर (वूमेन) है उसके अलावा बाकी उनके नीचे और सब स्त्रियां हों तथा ज्यों ज्यों शिक्षा का विकास हो रहा है लड़कियों की शिक्षा में, मंत्री जी मानते हैं, प्रोग्रेस हो रही है। नये नये स्कूल-कालेज खुले हैं, संख्या बढ़ रही है तो आवश्यकता इस बात की है कि जिस तरह आप एक डायरेक्टर रखते हैं उसमें एक अलग से पूरे अधिकारों के साथ हम एक स्त्रियों की शिक्षा के लिये भी डायरेक्टर की नियुक्ति करें और इसी तरह से स्टाफ दें जिसमें कि अच्छी तरह से इस विभाग का संचालन हो सके और काम हो सके। मैं समझती हूं कि मंत्री जी गम्भीरतापूर्वक इस सुझाव पर भी गौर करेंगे।

मैं इसलिये इस बात को कह रही हूं कि आज जरूरत इस बात की है कि जहां तक शिक्षा विभाग है उसके संगठन में भी कुछ परिवर्तन करें और साथ ही साथ उसको कुछ इस प्रकार से संगठित करने की कोशिश करें जिससे कि एक आफिसर केवल ओवर-वर्क न रहे और कुछ काम बांट करके लोग कर सकें तो एफीशियेन्सी ज्यादा आ सकेगी। मुझे मालूम है, व्यक्तिगतरूप से मैं इस बात को जानती हूं कि हमारे शिक्षा विभाग का मुख्य कार्यालय जो इलाहाबाद में है, वहां के अधिकारी काम की अधिकता के कारण बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, फाइलों के ढेरों से दबे रहते हैं। एक पूरे प्रदेश की जिम्मेदारी उन पर है। इसलिये जरूरत इस बात की है कि कुछ और कर्मचारी और अधिकारी जिम्मेदारी के साथ उसमें बढ़ाये जांय।

अभी मैं आंखों से देखती रही हूं कि पिछले दो महीनों से जो विद्यालयों की मान्यता का सवाल आया उसे लेकर प्रदेश भर से वहां भीड़ इकट्ठा रही है। कमेटी दो, तीन, चार दिन मिलती है, आज जुलाई अगस्त हो रहा है। अभी तक सैकड़ों स्कूल हैं जिनकी मान्यता का प्रश्न नहीं निर्धारित हो सका है कि उनको मन्यता दी जाय या न दी जाय। बहुत से स्कूल इस आशा से कि उनको मान्यता मिल जायेगी लड़कों को उन्होंने भर्ती भी कर रक्खा है लेकिन अगर उनको इतनी देरी होती है तो दिक्कत बढ़ेगी। तो इस पर भी ध्यान देने की बात है। मैं यह कह रही थी कि शिक्षा मंत्री जी ने यह तो रक्खा कि हिन्दी में जो विश्वविद्यालय स्तर पर पुस्तकें हैं उनको लिखाने के लिये २४ लाख रुपया भी रखने जा रहे हैं। मेरा सुझाव यह है कि इंग्लैन्ड में भी ऐसी चीज है उसको हमें भी अपनाना चाहिये। हमारे यहां के जो नये लेखक होते हैं जो प्रतिभाशाली और मेधावी होते हैं उनको आर्थिक कारणों से अपनी किताबों को छपवाने का मौका नहीं मिल पाता है। उनकी पुस्तकें लिखी हुई पीली पड़ जाती हैं। उनकी कोई गलती नहीं है। मैं यह चाहती हूं कि कोई ऐसा पूल बनाया जाय, कोई ऐसा फंड रक्खा जाय जिसमें प्रतिभाशाली लेखक जो लिख सकते हैं, जिनके अन्दर प्रतिभा है, उनको भी मौका दिया जाय जिससे उनकी किताबें छप सकें। साथ-साथ मेरा सुझाव एक यह भी है कि हिन्दी की जो पुस्तकें अगर आप हिन्दी समिति के द्वारा ही लिखाते हैं और उस पर २४ लाख रुपये खर्च करते हैं तो उसके संगठन की ओर भी ध्यान देना होगा।

मुझे जानकारी है और बताया गया है बड़े बड़े नामी लेखक हैं उनके नाम पर किताबें दे दी जाती हैं या उनको अनुवाद के लिये दे दिया जाता है। परन्तु बताया गया है कि वह ऐसे नौ सिखिये लेखकों से या जिनको कोई हिन्दी का ज्ञान नहीं या जिनमें प्रतिभा नहीं लिखते हैं या दूसरों से लिखवा देते हैं या उनके आस-पास ऐसे लोग होते हैं उनसे लिखवा देते हैं। वह पुस्तक अच्छी और ठीक साबित नहीं हो पाती है। मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या हिन्दी समिति की पुस्तकें लोक प्रिय हो सकीं। क्या विश्वविद्यालयों में या दूसरे शिक्षा संस्थानों में उनको पाठ्क्रम में रख सके? होता यह है कि सरकारी बजट में पुस्तकालयों विश्वविद्यालय की वह शोभा बढ़ाती हैं लेकिन उसकी जो पापुलर डिमान्ड होनी चाहिये वह नहीं हो पाती है और उसमें गवर्नमेन्ट लाखों रुपया खर्च करती है। तो मैं यह चाहती हूं कि कुछ इस प्रकार की व्यवस्था हो कि जहां आप विद्वान लेखकों को देते हैं उनके साथ कुछ उदारता के रूप में दो चार पांच जिनकी पुस्तकें छप चुकी हैं या जिनमें प्रतिभा है हिन्दी की उनको दी जांय और वे उसको लिखें अच्छे ढंग से और उसके लिखने के लिये एक टाइम लिमिट होना चाहिये। अगर उसके लिखने और मूल्य निर्धारित होने में ही ३ वर्षका समय लग गया तो जितना पैसा उस पर खर्च होगा उसकी उपयोगिता ही नहीं रह जायेगी। इसलिये इस प्रश्न पर भी सरकार को विचार करना चाहिये।

एक और सुझाव मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी से कोठारी कमीशन की रिपोर्ट के बारे में करना चहती हूं। मैं चाहती हूं कि सरकार कोठारी कमीशन रिपोर्ट में शिक्षा नीति संबंधी जिन सिफारिशों का जिक्र है उनको इस चतुर्थ पंच वर्षीय योजना काल में ही धीरे धीरे लागू करने का प्रयास करे। अगर सरकार धीरे-धीरे कोठारी आयोग की सिफारिशों को लागू करने की ओर कदम बढ़ायेगी तो उससे शिक्षा जगत में अवश्य आश्चर्यजनक परिवर्तन होगा और वह शिक्षा की उन्नति में सहायक होगा।

माननीय शिक्षा मंत्री जी ने जो शिक्षकों का वेतन बढ़ाने की बात कही है उसके लिये वे धन्यवाद और बधाई के पात्र हैं, लेकिन जो गैर सरकारी स्कूल्स हैं उनमें जो गैर शिक्षक छोटे कर्मचारी हैं, जैसे चपरासी हैं, उनके वेतन बढ़ाने की ओर सरकार ने आज तक कोई ध्यान नहीं दिया है। उनका जो ग्रेड सन् ४७ में था, वही आज चला आ रहा है। इसलिये मैं बड़े विनम्र शब्दों में निवेदन करूंगी कि माननीय शिक्षा मंत्री इन चपरासियों के ग्रेड बढ़ाने पर भी शीघ्र

[डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी–]

विचार करें और उसको यहां डिक्लेयर करें। आपने लिपिकों का ग्रेड तो बढ़ाया है, लेकिन उनको जो पैरिटी मिलनी चाहिये थी सरकारी कर्मचारियों के बराबर, वह नहीं मिल पा रही है। अगर पैरिटी देने की घोषणा आप कर देंगे तो उससे उन लोगों को भी संतोष हो जायगा। उससे कोई विशेष खर्च भी नहीं बढ़ने वाला है। इन शब्दों के साथ मैं इस अनुदान का समर्थन करती हूं और आशा करती हूं कि माननीय शिक्षा मंत्री जी मेरे सुझावों पर विचार करेंगे।

*श्री मोहन लाल कपूर (जिला मेरठ)—

मैं मान्यवर, कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं और जो मुझे इस अनुदान पर बोलने का आपने अवसर दिया है उसके लिये आपको हार्दिक धन्यवाद देता हूं। मान्यवर, शिक्षा मंत्री जी हमारे जिले के हैं, इस नाते से मैं उनको बहुत निकट से जानता हूं। मैं यह आशा करता था कि माननीय शिक्षा मंत्री जी को जो शिक्षा जगत का अनुभव है उसके आधार पर वे अपने विभाग तथा शिक्षा क्षेत्र में कोई आमूल चूल परिवर्तन लायेंगे, किन्तु उस बजट को देखने के बाद और माननीय शिक्षा मंत्री जी के भाषण को पढ़ने के बाद मुझे बड़ी ही निराशा हुई। केवल संख्या के आधार पर ही यह समझ लेना कि शिक्षा क्षेत्र में उन्नति हो रही है, एक बड़ी भारी भूल है। आज शिक्षा का स्तर इतना नीचे गिर गया है जिसकी कि कोई सीमा नहीं रह गयी है। चाहे प्राइमरी क्षेत्र हो, चाहे माध्यमिक क्षेत्र हो, चाहे विश्वविद्यालय का क्षेत्रहो, उन सभी से जब निकलने वाले बच्चे की स्थिति आज यह होती है कि वह किसी योग्य नहीं होता। जब शिक्षा जगत से निकल कर आज का विद्यार्थी अपने कार्य क्षेत्र में आता है तो वह अपने को किसी योग्य नहीं पाता है। इसलिये आज आपको इसकी गहराई में जाने की आवश्यकता है, बजाय इसके कि आप नम्बरों में चले जांय कि हमने इतने स्कूल खोल दिये और यह यह कर दिया। केवल स्कूलों की संख्या बढ़ाने से ही आपको सही स्थिति का ज्ञान नहीं हो सकता।। आज प्राइमरी स्कूलों को जिला परिषदें तथा नगरपालिकायें आदि चलाती हैं। कुछ इस प्रकार के भी स्कूल्स हैं जैसे मांटेसरी और नर्सरी आदि।

एक तीसरे प्रकार के भी स्कूल्स हैं जिन्हें पब्लिक स्कूल्स कहते हैं। आज इन सब में बड़ी विषमता और भिन्नता है। जिला परिषदों के स्कूल्स तो आज राजनीति के अखाड़े बन गये हैं। आपको मालूम है कि किस प्रकार वहां के अध्यापकों का ट्रांसफर होता है और किस प्रकार से उनकी नियक्तियां होती हैं। वहां की शिक्षा का स्तर तो इतना गिर गया है जिसकी कोई सीमा नहीं रह गयी है। अध्यापकों को महीनों तक वेतन नहीं मिलता है। वहां शिक्षा का स्तर गिर जाने के कारण लोग अपने बच्चों को वहां पर पढ़ाना नहीं चाहते। इसलिये मेरा सबसे प्रथम

(इस समय ३ बजे अधिष्ठाता, श्री हरिनाथ तिवारी पीठासीन हुए।)

जो सुझाव है वह यह है कि सर्वप्रथम मेरा सुझाव यह है कि प्राइमरी विद्यालयों का एक परिषद बनाया जाय जिस प्रकार से हमारे माध्यमिक विद्यालयों का एक परिषद बना हुआ है। इसे सारे प्रदेश में प्राइमरी शिक्षा की देखभाल भी हो सकेगी और सारे प्रदेश में एक रुपता भी आ सकेगी। यह परिषद् केवल प्राइमरी शिक्षा की ओर ही विशेष रूप से देखें।

आज कहा जाता है कि हम शिक्षा में सुधार ला रहे हैं पर मेरी समझ में नहीं आता कि यह किस प्रकार से हो रहा है। पाकिस्तान में जितने भी मिशनरी स्कूल्स थे उन सब को खत्म कर दिया गया, लेकिन हमारे यहां इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाया गया है। हमारे अन्दर जो देश प्रेम और भारतीयता थी उसको भी ये स्कूल्स समाप्त कर रहे हैं। इसलिये सबसे पहला कदम जो इस सरकार को लेना चाहिये था वह यह था कि वह यहां से जितने भी पब्लिक स्कूल्स हैं, या मिशनरी स्कूल्स हैं उनको समाप्त करती, परन्तु आज भी उसी प्रकार

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

से लोगों को दूसरे ढंग से शिक्षा देकर हमारी देश भक्त की भावनाओं को समाप्त करने का प्रयत्न किया जा रहा है ।

दूसरे जो हमारे प्राइमरी स्कूल के अध्यापक हैं, हमारे माननीय मंत्री जी ने अभी कहा, उनको १२५ रुपया वेतन मिलेगा परन्तु उन्होंने जो आन्दोलन किया था वह १५० रुपया प्रतिमास के लिये किया था । वे आज भी दिल्ली में भूख हड़ताल कर रहे हैं और यह चाहते हैं कि उनका वेतन कम से कम १५० रुपया प्रति मास किया जाय । मैं चाहूंगा कि उनका वेतन १५० रुपया किया जाय और एक प्राइमरी शिक्षा परिषद् कायम करें । मैं यह भी चाहूंगा कि सरकार प्राइमरी स्कूल्स को जिला परिषद् और नगर पालिका के नियंत्रण से हटा कर अपने विभाग और विभाग के अधिकारियों के नियंत्रण में दें । यदि ऐसा न किया गया तो मैं समझता हूं कि भ्रष्टाचार रहेगा और इस प्रकार से शिक्षा का स्तर कभी ऊंचा नहीं हो सकता है ।

आज हमारी जो माध्यमिक शिक्षा परिषद् का स्वरूप है वह बहुत बड़ा हो गया है । लगभग साढ़े ७ लाख विद्यार्थी परीक्षा में सम्मिलित होते हैं । उसके साथ-साथ जो उन्हें प्रमाण पत्र दिए जाते हैं, उनको दिए जाने में २-२ वर्ष लग जाते हैं । जो कापियां मास्टरों को देखने के लिये भेजी जाती हैं, वे देर से जाती हैं और जिसके फलस्वरूप परीक्षाफल बहुत विलम्ब से प्रकाशित होता है । इसलिये इसे जो क्षेत्रों में बांटने का विचार है उसके बारे में मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वे मेरे सुझाव पर विचार करने की कृपा करें । हमारी सरकार ने नौकरी पाने के लिये न्यूनतम योग्यता इन्टरमीडिएट कर दी है । साथ ही इन्जीनियरिंग या मेडिकल कालेजेज में प्रवेश पानेके लिये भी न्यूनतम योग्यता इन्टरमीडिएट कर दी गयी है तो मेरा सुझाव यह है कि यह जो १० वीं कक्षा है इसकी परीक्षा को होम एक्जामिनेशन में परिवर्तित कर दिया जाय । जिस प्रकार से ९ वीं कक्षा की परीक्षा कालिजों में इस समय होती है उसी प्रकार से १०वीं कक्षा की परीक्षा को भी कर दिया जाय, पर प्रोमोशन के जो नियम बनायें जांय, उनका कड़ाई से पालन कराया जाय । इससे एक बहुत बड़ी समस्या का समाधान हो जायगा और इससे आपकी माध्यमिक परिषद् को खंड-खंड होने से भी बचाया जा सकेगा और एक रुपता भी बनी रहेगी और एक सिलेबस भी चलता रहेगा । इन्टरमीडिएट की परीक्षाएं बोर्ड द्वारा चलती रहें ।

एक बात इस सम्बन्ध में जो मुझे कहनी है वह यह हैकि शिक्षा परिषद् ६वर्ष से चला आ रहा है । इसमें चुनाव होने चाहिये परन्तु पता नहीं किस उद्देश्य से इन्हें टाल दिया गया है । इसको फिर से रिकंसस्टीटयुट करने के लिये मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं । इसमें चैम्बर का प्रतिनिधि होता है । मैं नहीं समझता हूंकि अध्यापकों का प्रतिनिधि इसमें क्यों नहीं होता । किसी अल्पमत का प्रतिनिधि होता या दूसरे मत को होता है परन्तु इसमें शिक्षाविदों के लिये कोई स्थान नहीं है । मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी इस परिषद का चुनाव जल्दी करायें और इसे पुनर्गठित करके इसमें अध्यापकों और सहायक अध्यापकों के प्रतिनिधित्व का जो अंश है, उनको दें । विश्वविद्यालय के जो अध्यापक हैं, उनको भी इसमें उनका अंश दान दें । यह जो चेम्बर के अथवा और प्रकार के मेम्बर हैं उनको उसमें से हटाया जाय । दूसरी बातशिक्षा परिषद् की बड़ी दुखद है और शिक्षा परिषद् का एक दुखदाई चेप्टर है मान्यता प्रदान करने का । जिस ढंग से वह मान्यता प्रदान करता है उससे कोई भी प्रसन्न नहीं है । हजारों की संख्या में लोग जाते हैं ठोकर खा कर लौट आते हैं और उनको मान्यता नहीं मिलतीं । क्या कारण है कि मान्यता का प्रश्न अभी तक यहां हल नहीं हो पाया है ? हजारों की संख्या में स्कूलों की मान्यता लटक रही है । अधिकारियों को यह आदेश देना चाहिये कि १५ जून तक मान्यता के प्रश्न को वे समाप्त कर दें वर्ना कठोर से कठोर दंड बड़े से बड़े अधिकारी को दिया जायगा ।

[श्री मोहनलाल कपूर]

इसके अलावा मान्यता के प्रश्न में बड़ी धांधली चल रही है। किसी विद्यालय में तो चाहे फूस का झोपड़ा न हो उसे मान्यता प्रदान कर दी जाती है, लेकिन दूसरे विद्यालय में चाहे सुरक्षित कोष हो, एंडोमेंट फंड हो लेकिन उसे मान्यता नहीं दी जाती। मैनपुरी जिले में भोगांव में एक विद्यालय में छप्पड़ तक नहीं है, लेकिन उसे रिकगनीशन दे दिया गया, दूसरी ओर मेरठ के जगदीश शरण विद्यालय को मान्यता नहीं मिली जो सभी साज सज्जा से युक्त है। यह क्यों किया गया? कांग्रेस के भाई इंस्पेक्टरी पर जोर दे कर, उच्चाधिकारियों की सिफारिश के जोर पर मान्यता प्रदान करवा लेते हैं और हो सकता है कि उसमें शिक्षा मंत्री की संस्तुति भी हो। बी० के० डी० का एक सदस्य कांग्रेस में मिल गया तो डिफेक्शन को प्रोत्साहन देने के लिये उसके क्षेत्र के स्कूल को मान्यता दे दी जाती है, जब कि इस प्रकार का कार्य निन्दनीय है। इस तरह की धांधली से जहां अशान्ति फैलती है, वहां शिक्षा का भी कोई कल्याण नहीं होता है।

मान्यता समिति में निदेशालय की तरफ से डिप्टी डायरेक्टर फायनेन्स भी होता है। उसका रवैया बहुत तानाशाही का होता है। वे इस प्रकार की बात करते हैं जैसे वीटो पावर अमेरिका और रूस को राष्ट्र संघ में दिया गया है उसी तरह से उनको प्राप्त है और वे सर्वसम्मत निर्णयों को उलट देते हैं। अच्छा हो कि डिप्टी डायरेक्टर, फायनेन्स के स्थान पर एडीशनल डायरेक्टर को रखा जाय और साथ में रीजनल डायरेक्टर को भी रखा जाय क्योंकि उनका होना निहायत जरूरी है। ऐसा न होने के कारण ही झूठी सच्ची बातों पर मान्यता प्रदान कर दी जाती है। मंत्री महोदय, मान्यता समिति में मेरे दिये हुए सुझाव पर बयान देंगे।

मैं मंत्री महोदय को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने अध्यापकों के वेतन को बढ़ाया है। प्राइमरी के अध्यापकों का वेतन तो १५० रु० से शुरू होना चाहिये। हायर सैकिंडरी का जहां तक सवाल है उन्होंने एक बार तो रिवीजन १ मार्च, ६९ से किया और अब मंत्री महोदय ने उसे १ जुलाई से कर दिया। अध्यापक बेचारा परेशान है कि १ जुलाई वाला माने या १ मार्च वाला। मंत्री महोदय, से मेरी प्रार्थना है कि अगर वे अध्यापकों का हित चाहते हैं तो १ जुलाई वाली घोषणा को १ मार्च से लागू कर दें और हाई स्कूल के हेड मास्टर, इंटर के प्रिन्सिपल तथा लेक्चरार के जो रिवाइज्ड ग्रेड्स हैं उन्हें १ जुलाई, ६९ के बजाय १ मार्च, ६९ से लागू कर दें। दूसरी बात महंगाई के बारे में है। वैसे यह ठीक है कि मैंने पिछली दफा जो भाषण दिया था उसमें यही कहा था कि १-८-६८ से जो महंगाई भत्ता राज्य कर्मचारियों को दिया गया है वही १ मार्च, १९६९ से, अध्यापकों को भी दे दिया जाय। मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मेरे सुझाव को मान लिया। लेकिन दूसरी दफा जो १ फरवरी, १९६९ को राज्य कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाया वह गुप्ता जी चूंकि सरोजनीनगर से चुनाव लड़ रहे थे, लखनऊ का मामला था, उन्होंने फौरन बढ़ा दिया। ठीक किया। मैं उस बारेमें कुछ नहीं कहता। परन्तु समान कार्य के लिये समान वेतन और महंगाई भत्ते के सिद्धान्त सब ने माना है। इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि १-१-६९ से जो महंगाई भत्ता राज्य कर्मचारियों को दिया गया वह भी अध्यापकों को दे दें और इस प्रकार से अध्यापकों की प्रशंसा को प्राप्त करें।

तीसरी बात माध्यमिक शिक्षा जगत में जो सब से दुखदायी है वह यह है कि ९० प्रतिशत ऐसे विद्यालय हैं, जिनमें वेतन समय से और पूरा नहीं मिलता है। खासतौर से महिला विद्यालयों में और भी खराब हालत है क्योंकि महिलाओं की फीस माफ कर रखी गयी है और उसकी क्षतिपूर्ति का धन समय से नहीं मिलता है। इसलिये मैं मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि जो संविद सरकार ने और उस समय के मंत्री महोदय ने तय किया था कि कोषागार से वेतन का वितरण होगा उसी को लागू करें। मेरा भी कुछ सम्बन्ध निदेशालय से है और मुझे पता है कि किस प्रकार से अनुदान के समय १० परसेंट की बात कही जाती है और वह भी इसे जानते हैं। जहां इस कोषागार नियम से निदेशालय का यह भ्रष्टाचार समाप्त होगा वहां जो प्रबन्धक हैं उन पर कुछ भी प्रतिबन्ध लग जायगा और तीसरे, समय पर अध्यापकों को वेतन भी

मिलेगा। जो राज्यपाल के अभिभाषण में एक बहकाने वाली बात कही गयी है कि चेक द्वारा अध्यापकों को वेतन मिल जायगा। यह केवल एक धोखा है। चेक के द्वारा न कोई अध्यापक लेना चाहता है और न आप दे सकते हैं। इसलिये चेक द्वारा नहीं बल्कि कोषागार द्वारा जो संविद सरकार ने निर्णय लिया था उसी को आप लागू कर दें। तब हमको बार-बार मैनेजर से भी मिलने की जरूरत नहीं रहेगी और अध्यापकों को भी बहुत आराम मिलेगा। (लाल बत्ती जलने पर) एक निर्दली महोदय ने ३० मिनट लिये हैं। मुझको भी आप ५ मिनट और दें।

श्री अधिष्ठाता—

अभी २ मिनट आपके बाकी हैं।

श्री मोहनलाल कपूर—

५ मिनट से कम में तो बोल ही नहीं सकता।

जहां तक गैरशिक्षकों और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के वेतन का प्रश्न है वह १९४७ में तय हुआ था। तब से अब तक बहुत फर्क हो गया है। उनकी नियमावली बनाइये, प्राविडेन्ट फंड दीजिये। चतुर्थ श्रेणी को आपने टेहरी गढ़वाल और रामपुर में एक ग्रेड दिया है। मैं चाहता हूं कि सारे प्रान्त में आप वह ग्रेड दे दें। वह ग्रेड है ५५–१–६० ई० बी०–१–६५–ई० बी०–१–७०–ई० बी०–१–७५।

प्रमाण पत्रों की जहां तक बात है ये दो-दो साल नहीं मिलते। नतीजा यह होता है कि जो बच्चे मिलिटरी में या और कहीं प्रमाण-पत्र देना चाहते हैं वे नहीं दे पाते। मैं चाहूंगा कि हाई स्कूल और इंटर के प्रमाण-पत्र दिसम्बर तक निश्चय मिल जायं। इस प्रकार का नियम सरकार को बनाना चाहिये। अगर ऐसा नहीं होता तो बच्चों के जीवन से अधिकारी वर्ग खिलवाड़ करते हैं और ऐसे अधिकारी वर्ग को निकाल बाहर कर देना चाहिये। मैं क्योंकि दिल्ली के पास मेरठ का रहने वाला हूं, वहां जब प्राइवेट विद्यार्थी एक्जामिनेशन के के लिये बैठना चाहते हैं तो १००–१००, २००–२०० रुपया का फार्म बिक जाता है। माननीय मंत्री जी और अध्यापकों को अभी से इस बारे में सतर्क हो जाना चाहिये और किसी प्रकार से जो यह फार्म्स में काला बाजार चलता है, इसको रोकना चाहिये, उदारता के साथ फार्म दिये जाने चाहिं।

जिन जे० टी० सी० अध्यापकों ने ५ साल किसी स्कूल में पूरे कर लिये हैं उनको सी० टी० का ग्रेड दिया जाना चाहिये। फ्रेश एप्वाइंटमेंट तो आप ५ साल के एक्सपेरियेन्स पर सी० टी० का ग्रेड दे देते हैं लेकिन उसको अपने ही स्कूल में वह ग्रेड नहीं दिया जाता है, यह विरोधाभास है। मैं निवेदन करूंगा कि जे० टी० सी० वालों को ५ साल का एक्सपीरियेन्स होने पर सी० टी० का ग्रेड दिया जाय। एच० टी० सी० और जे० टी० सी० को तो आपने समाप्त कर दिया है। लेकिन इंटर बी० टी० सी० को जारी रखा है। उनका कोई ग्रेड नहीं है। इनको जे० टी० सी० का ग्रेड दे दिया जाय।

निरीक्षण विभाग में पुरुषों की ओर तो आपने डिप्टी डायरेक्टर, इंस्पेक्टर और एसोशियेट इंस्पेक्टरों को बढ़ा दिया है। लेकिन महिला विभाग में आपने ऐसे पदों का सृजन नहीं किया है। राजेन्द्र कुमारी जी ने जैसा सुझाव दिया कि अगर किसी प्रिंसिपल को अनुदान लेना होता है तो इलाहाबाद भागना पड़ता है। मेरा सुझाव है कि जितने भी रीजनल इंस्पेक्टर (वीमेन) हैं उनको डिप्टी डायरेक्टर (वीमेन) बना दिया जाय और उनकी सहायता के लिये अगर आप उचित समझें तो ऐसोशियेट इंस्पेक्टर भी दे दें। मुझे इसमें कोई आपत्ति न होगी। जिला विद्यालय निरीक्षक (वीमन) हर एक जिले में होने चाहिये। हर जिले में न हो सकें तो मेरठ जैसे बड़े-बड़े जिलों में अवश्य ही होने चाहिये। डी० डी० आर० का वेतन उनको देने से उनका मूल्य भी बढ़ जायगा और मान भी बढ़ जायगा। अगर आप ऐसा न करेंगे तो शिक्षा में आप जैसी उन्नति चाहते हैं वह नहीं कर पायेंगे।

[श्री मोहनलाल कपूर]

मास्टरों के बच्चों की फीस माफ होती है जिनको २०० रुपये माहवार की तनख्वाह मिलती है। मैं शिक्षा मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि २०० के बजाय ४०० तक के बच्चों की फीस माफ कर दी जाय। सेन्ट्रल गवर्नमेंट के २५ लाख कर्मचारी शिक्षा की क्षतिपूर्ति पाते हैं। इसके अलावा अध्यापकों के बच्चे जो फर्स्ट आते हैं उनको ५०, १०० और २०० रुपया की छात्रवृत्ति आप देते हैं। लेकिन देखने में यह आया है कि वह कोई प्राप्त नहीं कर पाया। मेरा सुझाव है कि प्रथम श्रेणी की शर्त न लगायी जाय। ५० फीसदी मार्क्स भी यदि आ जायं तो यह छात्रवृत्ति दे दी जाय।

बी० टी० सी० के एडमिशन्स में बड़ी धांधली होती है। डी० आई० एस० ने एक लिस्ट बनायी, लेकिन ऊपर से दूसरी बना दी गयी और तीसरी लिस्ट माननीय मंत्री जी ने ऊपर से भेज दी। ऐसा नहीं होना चाहिये। सब लोगों को योग्यता के आधार पर ही लिया जाना चाहिये।

एक बात और महत्वपूर्ण कहना चाहता हूं १९२१ के ऐक्ट के अनुच्छेद ९(४) के अनुसार शिक्षा विभाग को बहुत बड़ी ताकत मिली हुई है। लेकिन उस ताकत का बहुत दुरुपयोग किया जाता है। क्या वजह है कि नीचे के स्तर के लोगों के लिये तो आप कुछ कर नहीं पाते हैं लेकिन दिल्ली में एक बच्चे के लिये आपने सेन्टर क्यों खोला? इस प्रकार से उस ताकत का नाजायज इस्तेमाल क्यों किया गया? जिस बच्चे ने ८वीं क्लास को पास किया है उसी को १० वीं में बैठाया जाना चाहिये। लेकिन विभाग ने ताकत ले ली है कि वह चाहे जिसको बैठा देता है। इस प्रकार के नियमों का अवहेलना नहीं होनी चाहिये।

इसके अलावा हरिजन बच्चों की शिक्षा के लिये अधिक मात्रा में सहायता मिलनी चाहिये।

श्री मेहरबान सिंह (जिला गढ़वाल)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, शिक्षा मंत्री जी ने जो शिक्षा का बजट सदन के सामने प्रस्तुत किया है, मैं उसका समर्थन करता हूं। कुछ बातें मैं अपने अनुभव से कहना चाहता हूं। जिला परिषदों के जो प्राइमरी स्कूल हैं, वे कयी जगहों में दो दो हैं। एक बालकों के लिये तथा दूसरा बालिकाओं के लिये। जब कि एक ही स्कूल में बालक बालिकायें दोनों साथ-साथ पढ़ सकते हैं। दोनों स्कूलों का एक ही जगह पर रखना कोई माने नहीं रखता है। एक विद्यालय को किसी और जगह पर बदल दिया जाय जहां स्कूल न हों। इससे सरकार का खर्चा भी कम होगा और ब्लाक तथा जिले में कुछ स्कूल बढ़ जायेंगे और उनकी मांग कम हो जायेगी। इस संबंध में जब सरकार आदेश देगी तभी जिला परिषद् के अध्यक्ष उसका पालन कर सकेंगे। जिला परिषदों में पार्टियां होती हैं जिसकी वजह से अध्यक्ष को बड़ी कठिनाई स्कूल को तोड़ने में होती है। क्योंकि सदस्य उसके तोड़ने में आपत्ति दिखाते हैं। इसलिये यह काम नहीं हो सकता है। सरकार द्वारा आदेश जारी हों तभी सफलता प्राप्त हो सकती है।

सीनियर बेसिक स्कूलों के संबंध में मुझे निवेदन करना है कि कुछ क्रमोत्तर कक्षायें (कंटीनुयेसन क्लासेज) खोली गई हैं, वह सफल नहीं हो रही हैं। उनमें पहले साल एक मास्टर दिया जाता है। दूसरे साल दो। जब रिजल्ट निकलता है तो एक या दो लड़की ही आठवीं दर्जा पास कर पाती है क्योंकि उनको पढाने का सुभीता नहीं मिलता है। सीनियर बेसिक स्कूलों में ५-५ टीचर्स होते हैं कंटीनुयेशन कक्षाओं में संस्कृत पढ़ाने वाला भी कोई टीचर नहीं होता है। इसलिये ये क्लासेज नहीं चल पाती हैं। मेरा सुझाव है कि सीनियर बेसिक स्कूल ही खोले जायं या इन क्रमोत्तर कक्षाओं में अधिक अध्यापक दिये जिससे इनका परीक्षाफल अच्छा हो सके।

उच्चतर माध्यमिक स्कूलों के संबंध में मेरा कहना है कि हर जिले में बहुत प्राइवेट स्कूल खुल जाते हैं और इनमें पार्टी पोलिटिक्स चलती है। बहुत से स्कूल झगड़े में हैं। इसलिये मेरा सुझाव है कि कि न स्कूलों के टीचर्सका भी एक स्कूल से दूस स्कूल में ट्रांसफर होना चाहिये जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक इन स्कूलों से पार्टी पोलिटिक्स कम नहीं होगी और स्कूलों का वातावरण बिगड़ता जायगा। शिक्षा विभाग के आदेश के बिना इसमें सफलता नहीं हो सकती।

पहाड़ों के विषय में कुछ बातें कहना चाहता हूं जो हिल बोर्ड में तय हो सकती हैं।

लेकिन कुछ एम० एल० एज० गढ़वाल मंडल के सभी विधायकों के हाल में लखनऊ में मिले। उनका अनुरोध है कि गढ़वाल में श्रीनगर में यूनिवर्सिटी खोली जाय। श्रीनगर गढ़वाल ही ऐसा उपयुक्त स्थान है जहां विश्वविद्यालय स्थापित हो सकता है जिससे समूची पर्वतीय जनता लाभान्वित हो सकती है। इसी संबंध में मुझे यह भी निवेदन करना है कि यूनिवर्सिटी तो अपनी जगह पर हो और जब समय आये तो यूनिवर्सिटी अवश्य खोली जाय लेकिन अभी तक गढ़वाल में डिग्री कालेजों का अभाव है। मैदानी जिलों में बहुत से मिल ओनर्स हैं, कैपिटलिस्ट्स है, बहुत बड़े बड़े आदमी हैं, उन्होंने अपने नाम से बहुत से कालेज खोले हैं जिसकी वजह से उनको काफी सुभीता बी०ए० तक पढ़ने का मिल सकता है। पर्वतीय क्षेत्र बहुत गरीब हैं। यहां न कोई उद्योग धंधा है, न फैक्ट्री ओनर्स हैं, न ऐसे मालदार हैं, जो कि डिग्री कालेज खोल सकें। सरकार से निवेदन है कि बजाय यूनिवर्सिटी खोलने के, जिसमें एक करोड़ से ज्यादा रुपया खर्च होगा हर, जिले में दो दो या एक एक डिग्री कालेज खोले जांय गरीबों को पढ़ने का मौका मिलेगा और देश विदेश में डेढ़ डेढ़ सौ रुपया माहवार दे कर पढ़ने की नौबत न होगी अपने घर पर रह कर डिग्री हासिल कर सकते हैं। पर्वतीय जिलों में कोई ऐसा उद्योग धंधा नहीं है। सिर्फ नौकरी पर निर्भर करते हैं। पहले समय में एंट्रेंस पास करके अच्छी नौकरी मिल जाती थी लेकिन आज समय परिवर्तन हो गया। बी० ए० पास करना जरूरी हो गया है। इस वजह से डिग्री कालेजों की जरूरत है। शिक्षा में काफी प्रसार हुआ, हम सब लोगों को बड़ी प्रसन्नता है।

सरकार ने शिक्षा में प्रगति लाने के लिये काफी ध्यान दिया है। दस पन्द्रह मील पर दो दो इंटरमीडिएट कालेज खुल चुके हैं। इसलिए भी वहां डिग्री कालेज होना आवश्यक है। जिला परिषद् ऐक्ट में प्राविधान है कि परिषद् उच्चतर शिक्षा का प्रसार कर सकती है। जिला परिषद् को हर साल दस हजार रुपया सरकार से अगर मिल सके तो जिला परिषद् एक डिग्री कालेज खोलने का प्रयत्न पहाड़ी जिलों में कर सकती है। शिक्षा के प्रसार के लिए डिग्री कालेज, पोस्टग्रेजुएट कालेज खोलने के लिए जब तक इस तरह से व्यवस्था न होगी रूरलएरियाज में उच्चतर शिक्षा का ज्यादा प्रसार नहीं हो पायेगा। सरकार इस पर अवश्य विचार करने का कष्ट करे। मैं शिक्षा मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि आइन्दा जब कैबिनेट की मीटिंग हो तो उसमें इन सुझावों को रखने की वे कृपा करें। एक भी सुझाव यदि सरकार स्वीकृत करे तो जनता की कुछ दिक्कतें दूर हो सकेंगी। रिकगनिशन देने के सिलसिले में भी आप से निवेदन करना है। आज इलाहाबाद में जून और जुलाई के महीने में रिकगनिशन कमेटी बैठती है हाई स्कूलों और साइंस की कक्षाओं को मान्यता देने के लिए। इन महीनों में बहुत से लोग पहाड़ों से आ नहीं पाते हैं, क्योंकि मैनेजर और प्रिंसिपल गर्मी से बहुत डरते हैं इलाहाबाद में बहुत गर्मी भी पड़ती है, जिसका नतीजा यह होता है कि उनकी फाइल डिफाल्ट में चली जाती है। मेरा सुझाव है कि २ रिकगनिशन कमेटियां बनाई जाएं। एक लखनऊ से पूर्वी जिलों को देखे और दूसरी लखनऊ से पश्चिमी जिलों को। बहुत सी बातें बहुत ही सरलता से हो जायंगी और जनता की दिक्कत भी दूर हो जायेंगी। इस पर अवश्य ध्यान दिया जाए। अन्त में मैं शिक्षा मंत्री का बहुत आभारी हूं कि उन्होंने अपने विभाग द्वारा शिक्षा की प्रगति के लिए एक बुकलेट भी निकाली है और उसमें बहुत सी बातें भी बताई हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि हमारे उत्तर प्रदेश में २–३ सालों में शिक्षा का बहुत प्रसार हुआ है और इसी तरह से आगे भी होता रहेगा तो हम प्रगति कर सकेंगे।

*श्रीमती सौभाग्यवती (जिला मुरादाबाद)—

आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, आज हमारा सौभाग्य है कि इस सदन में मैं खास तौर से महिला शिक्षा की ओर सदन का ध्यान दिलाना चाहती हूं कि उसके लिए मुझे उपाध्यक्ष महोदय ने

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्रीमती सौभाग्यवती]

अवसर प्रदान किया। पता नहीं अब तक हम सब सदन के सदस्यों ने इस ओर क्यों नहीं ध्यान दिया, जब कि हमारे प्रदेश और भारतवर्ष की जनसंख्या में ५० प्रतिशत महिलाएं हैं, और जो सदन में चुन कर आए हैं वह भी ५० प्रतिशत महिलाओं के वोट से चुन कर आते हैं। तो क्या कारण है कि शिक्षा के क्षेत्र में जो भी बजट की व्यवस्था की गई है, उसमें आधी व्यवस्था महिलाओं की शिक्षा के लिए नहीं की गई? मैंने पूरीतौर से बजट का अध्ययन नहीं किया है क्योंकि उनमें से बहुत सी बातें मैं भी नहीं समझ पाती हूं। लेकिन बहुत सी बातें मैंने यहां देखी हैं, मैं बराबर शिक्षा के क्षेत्र में रही हूं। मैंने यह पाया है कि शिक्षा के क्षेत्र में कन्याओं की जितनी शिक्षा संस्थाएं खुलनी चाहिये, नहीं खुल पायी हैं। महिला शिक्षा संस्थाओं को अनुदान भी पूरी तरह से नहीं दिया गया। क्या कारण है कि उन्होंने इस ओर ध्यान नहीं दिया, इसकी कोई वजह वह नहीं देते। आखिर हम लोग जो महिलाएं हैं माताएं बनती हैं और माताएं बन कर बच्चों को सुशिक्षित करने की जिम्मेदारी माताओं पर है। अगर वह शिक्षा को नहीं समझेंगीं और उसका जीवन में कितना महत्वपूर्ण स्थान है, तो वह अपने बच्चों को किस तरह से बताएंगी कि तुम लोगों को शिक्षा ग्रहण करने पर ध्यान देना चाहिये।

अब मैं ग्रामीण क्षेत्र की बात कहती हूं, नगरमें तो बेशक महिलाएं बहुत पढ़ी हैं और हर माता और पिता इस बात पर ध्यान देता है। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में खास तौर से जहां पर कोई विशेष ध्यान बालिकाओं की ओर नहीं दिया जाता है वहां पर सिवाय इसके कि लड़कियां गोबर उठाती फिरें और रात में घर का धंधा कर लें, कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है कि वहां की बालिकाएं अनिवार्य रूप से स्कूलों में जाएं। अगर उनकी माताएं पढ़ी-लिखी होंगी तो यदि स्कूल भी नहीं होंगे तो माताएं उनको बताएंगी कि शिक्षा इतनी अनिवार्य है।

वे घर में बच्चों को बतलायें कि इस तरह की शिक्षा अनिवार्य है और इस तरह की शिक्षा बच्चों के लिये होनी चाहिये। इसलिये सबसे पहले मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी को यह सुझाव देना चाहती हूं ग्रामीण औरतों के लिये शिक्षा संस्थायें खुलनी चाहिये ताकि वे अपने लड़के लड़कियों को बतला सकें कि उनके लिये किस तरह की शिक्षा अनिवार्य है। इसलिये मैं चाहती थी ग्रामों में ऐसी संस्थायें आप खोलें जहां पर जाकर औरतें इधर-उधर की बातें न करें जो कि औरतें ज्यादातर दिन भर के काम से निबट करती हैं। यह बुराई उनके अन्दर से दूर हो जायेगी और वह औरतें अपने बच्चों को भी पढ़ा सकेंगी।

मैं एक बात के लिये माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहती हूं। मैंने उनसे अमरोहा के कन्याओं के जी० सी० इन्टर कालेज में एक सैक्शन खुलवाने के लिये कहा था। जो राजकीय कन्या विद्यालय अमरोहा में है, उसमें एक सैक्शन कन्याओं के लिये पर्याप्त नहीं है। किसी और संस्था में लड़कियों को लिया नहीं जाता है। मैंने इसके लिये माननीय शिक्षा मंत्री जी से अनुरोध किया था और उन्होंने बहुत थोड़े समय में उस पर ध्यान दे कर वहां एक सेक्शन खुलवा दिया।

इसके बाद मान्यवर, आपको पता होगा कि महिलाओं के लिये खास तौर से प्राविधिक शिक्षा का प्राविधान होना चाहिये। आपको पता होगा कि अब से चौदह वर्ष पहले राष्ट्रीय महिला परिषद् की स्थापना हुई थी जिसकी अध्यक्षा हमारी प्रधान मंत्री जी भी रही हैं। उन्होंने महिलाओं के लिये छानबीन और सर्वे करा कर इस बात का पता लगाया कि विवाहित होने के अतिरिक्त महिलाओं की शिक्षा में कुछ प्रगति होनी चाहिये और उनके लिये आर्थिक उन्नति के कुछ धन्धे होने चाहिये। वहां पर उन्होंने पहले महिलाओं के लिये प्राविधिक शिक्षा की योजना बनायी और उसे हर प्रदेश को भेजा। उन्होंने इसको दूसरी योजना में ही चालू कर दिया परन्तु हमारे प्रदेश में उसको तृतीय पंचवर्षीय योजना में चालू किया गया, जिसका नतीजा यह है कि आज लखनऊ में एक महिला प्राविधिक शिक्षा संस्था है जो कि महिलाओं को प्राविधिक शिक्षा प्रदान कर रही है।

मैं सबसे पहले पार्ट ४ पृष्ठ ४ की ओर शिक्षा मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहती हूं। उन्होंने १९६९–७० के बजट में २८,७०,६०० रुपये की व्यवस्था महिलाओं के लिये की है। मैं शिक्षा मंत्री जी से यह पूछना चाहती हूं कि महिलाओं के लिये उन्होंने कितना प्रतिशत रुपया रखा है। क्या वे महिलाओं के लिये २० प्रतिशत से अधिक की व्यवस्था नहीं कर सकते हैं? मैं शिक्षा मंत्री जी से अपील करना चाहती हूं कि महिलाओं के लिये प्राविधिक शिक्षा अनिवार्य हो। उसके ऊपर ध्यान दे कर कम से कम २० प्रतिशत रुपया रखा जाना चाहिये।

दूसरी बात आप से यह कहना चाहती हूं कि माननीय शिक्षा मंत्री जी जरा ध्यान दे कर पार्ट ३ पृष्ठ ५१ पर देखें कि प्राविधिक शिक्षा परिषद में उन्होंने कितने पदों को स्थायी बनाया है। मैं उनका ध्यान दिलाना चाहती हूं कि इन तीन सालों के अन्तर्गत प्राविधिक शिक्षा में महिलायें के कितने पद बनाये गये हैं। उन्होंने इस बात की ओर ध्यान नहीं दिया कि सात-सात और आठ-आठ साल से पद सृजित हुये पड़े हैं, लेकिन उनको स्थायी नहीं बनाया गया है वे अस्थायी पड़े हैं। क्या इसका तात्पर्य न यह नहीं है कि शासन नहीं चाहता है कि प्राविधिक शिक्षा को महिलाओं में बढ़ाया जाय और उनके पदों को स्थायी बनाया जाय। मेरा प्रस्ताव यह है कि इन पदों को स्थायी बनाने का प्रयत्न शिक्षा मंत्री जी करें।

मान्यवर, खण्ड ३ पृष्ठ ९०४० में डाइवर्सोफ़ाइड कोर्सेस में इलेक्ट्रोनिक्स यह स्कीम चालू की गई है। इसमें पांच साल में पचास लड़कों पर ६,५३,००० रुपया सरकार का खर्च होगा। केवल ५० साल के अन्दर इतने बच्चे बढ़ाये जायेंगे। माननीय मंत्री जी को पता नहीं है कि इस साल प्राविधिक शिक्षा के क्षेत्र में १२० लड़कियां ५ साल के अन्दर जो कुछ व्यय हुआ है ६ लाख उसी में पढ़ चुकी हैं तो क्यों नहीं जो अलग से काम हो रहा है उसको तोड़कर इनके साथ मिला प्राविधिक शिक्षा क्षेत्र में मिला दी जाती हैं, जिससे व्यय भी कम हो जायगा और उनमें से महिलायें पढ़कर ज्यादा तादाद में निकलने लगेंगी। जितनी कार्यक्षमता काम करने की महिलाओं में होती है उतना पुरुषों में नहीं होती। सदन में जिस काम को जब कभी भी किसी महिला को सौंपा गया है उसने पूरी क्षमता से उसे निभाया होगा जब कि पुरुषों में वह बात नहीं पायी जाती है। इसलिये क्यों नहीं यह सारा व्यय महिला प्राविधिक शिक्षा के लिये दे दिया जाता जिससे एलेक्ट्रानिक्स में लड़कियां निकल सकें। एलेक्ट्रानिक्स में महिलायें जितनी सकुशलता से कार्य कर सकती हैं उतना पुरुष नहीं कर सकते हैं। एलेक्ट्रानिक्स में उनकी पतली पतली अंगुलियां जो छूने मात्र से काम हो सकता है ज्यादा कर सकती हैं और ज्यादा कार्यक्षमता ला सकती हैं। बहुत से ऐसे धंधे हैं जिनमें महिलायें ज्यादा कुशलता से काम कर सकती हैं बनिस्बत पुरुष के जैसे हमारे टाइपिस्ट्स का काम है उसमें वह अपनी पतली-पतली अंगुलियों से ज्यादा कुशल टाइपिस्ट होती हैं और उनको अधिक कुशलता प्राप्त होती है और हम देखते हैं कि आज वे दफ़्तरों में कितना अच्छा काम चलाती हैं। तीसरे स्टेनो टाइपिंग का काम है उसमें भी महिलायें ज्यादा कार्यक्षमता पुरुषों के मुकाबले में दिखा सकती है। तो क्यों नहीं इन संस्थाओं को इतना विस्तार दिया जाय कि लखनऊ के अलावा और दूसरी दो चार जगहों में भी यह सेन्टर्स खोल दिये जांय।

इसके साथ साथ एक बात और कहना चाहती हूं। किसी प्रकार इन विभागों का ऐसा समन्वय होना चाहिये जैसे श्रम विभाग के अन्तर्गत वीमेन आई० टी० आई० इंस्टीट्यूशन्स सेकेन्ड स्टेज के होते हैं और यह पालीटेकनिक थर्ड स्टेज पर है तो क्यों नहीं इन दोनों को मिलाकर एक ऐसा डिपार्टमेंट बना दिया जाय जो केवल महिलाओं के अन्तर्गत चल सके और जिसकी ज्वाइन्ट डाइरेक्टर भी महिला ही हो और वही इन सारे इंस्टीट्यूशन्स को देखे जिससे जो पुरुष लोग जाकर महिला संस्थाओं में जाकर अनुचित लाभ उनका उठाते हैं वह न उठा पावें। मेरी शिक्षा मंत्री जी से करबद्ध प्रार्थना है कि वे इस ओर बहुत ज्यादा ध्यान देकर इस चीज को सुचारु रूप से चलाने की कृपा करें।

इसके अतिरिक्त, मैं यहकहना चाहता हूं कि जो विद्यार्थियों के परीक्षा परिणाम आपने रोक रखे हैं यह कबतक आप रोकेंगे। जिनका परीक्षाफल रुका हुआ है क्या उनका कोई भविष्य

[श्रीमती सौभाग्यवती]

नहीं है। आज अगस्त आ गया है किसी शिक्षा संस्था में उनका ऐडमिशन हो नहीं सकता और अगर यह बच्चे पास हो जाते हैं तो क्या आप यह प्राविधान करेंगे कि उनका फिर से ऐडमिशन हो जावे ? जब तक नई संस्थायें नहीं खुलेंगी तब तक उनका प्रवेश नहीं हो सकता। क्या वे कोई ऐसा प्राविधान करेंगे कि ऐसे नये विद्यालयों की व्यवस्था की जाय जिनमें नकल करने से या गलत तरीके अख्तियार करने के कारण जो अपनी कापियों में लिख पढ़ चुके हैं उनको ऐडमीशन मिल सके यदि वे निर्दोष साबित हों। एक बात मैं यह कहती हूं कि आखिरकार हमें यह भी तो देखना है कि उनका कसूर कितना है। जब वह यह देखते हैं कि सारे के सारे टीचर्स हड़ताल पर हैं तो वे कैसे पढ़ते ? गार्जियन्स उनको फीस देते हैं और उनका काम समाप्त हो जाता है। यह हमारे मां बाप और ये हमारे टीचर्स जब विद्यार्थी यह देखता है तो वह क्या करे ? मां बाप समझते हैं कि बच्चा ८ घंटे के लिये चला गया छुट्टी हुई। वह टीचर्स के लिये वहां जाकर देखता है कि वहां क्लासेज नहीं हो रहे हैं। तो फिर साल भर के बाद वह अपने मां बाप को क्या मुंह दिखायें और इसलिये वे गलत तरीके से नकल करके कापियां भर देते हैं। जब हम लोग उनके लिये सालभर कोई व्यवस्था नहीं कर पाये तो बच्चे जिनको हमने मजबूर कर दिया है कि वह पास हो कर दिखावें और अगले दर्जे में पहुंचे तो वह क्या करें क्योंकि हर मां बाप के पास इतनी फीस के लिये पैसे नहीं होते कि लड़का फल होता रहे और वह हर साल सारे साल फीस देते रहें। इसलिये इसकी व्यवस्था पहले ही करनी चाहिये और उनसे यह प्रार्थना करूंगी कि यह जो रिजल्ट विद होल्ड हो जाते हैं वह न हों। दूसरे जो कुछ भी फैसला हो तो एडमीशंस संस्था में शुरू हों उसके पहले ही हो जाना चाहिये।

इसके बाद एक चीज महिला शिक्षा संस्थाओं के बारे में कहूंगी यह जो व्यवस्था की गयी थी कि बिल्डिंग फंड नहीं दिया जाता तो बेशक आप पुरुषों या लड़कों की संस्थाओं को न दें क्यों कि उनके बहुत खुल गये हैं, लेकिन महिला संस्था के लिये मैं यह प्रार्थना करूंगी कि कुछ थोड़ा बिल्डिंग फंड उनके लिये मिले। अगर कुछ आप दे दें तो फिर पब्लिक से भी प्रार्थना कर सकते हैं कि इतना तो शासन ने दिया है, इतना आप दीजिये जिससे संस्थाएं अधिक से अधिक खुल सकें।

अन्त में मुझे यह बात कहनी है कि और शिक्षा मंत्री जी से बहुत नम्र निवेदन करूंगी कि जिला मुरादाबाद में कोई भी डिग्री कालेज राजकीय नहीं है और अमरोहा में राजकीय बिल्डिंग जो उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की है वह बहुत अच्छी है, उसी में डिग्री कालेज बना दिया जाय जबकि वहां कोई भी महिलाओं के लिये डिग्री कालेज की व्यवस्था नहीं है। आखिर में इन सब प्रस्तावों को शिक्षा मंत्री जी के सम्मुख रखने के बाद यह प्रार्थना करूंगी कि मेरे सुझावों पर ध्यान देकर इसकी व्यवस्था करें।

*श्री राजनाथ (जिला गाजीपुर)--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत अनुदान का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। जहां तक शिक्षा का सम्बन्ध है, मनुष्य के मानसिक, नैतिक और शारीरिक विकास के लिये ही शिक्षा का मुख्य लक्ष्य है। इसके साथ-साथ शिक्षा का यह भी ध्येय है कि हम वैयक्तिक और सामाजिक अभ्युत्थान के लिये प्रयत्न करें। इन्हीं दृष्टिकोण को रखते हुए जो बजट हमारे सामने प्रस्तुत किया गया है, जो शिक्षा का अनुदान उपस्थित किया गया, है, उसमें इन्हीं सुन्दर दृष्टिकोणों का समावेश किया गया है। जहां तक उत्तर प्रदेश में शिक्षा पाने वालों का सम्बन्ध है सारे देश के १६.५ प्रतिशत संख्या हमारे यहां बच्चों की शिक्षा पाने की है। इस प्रकार हमारे यहां बच्चों की एक विशाल जनसंख्या है, जिस सरकार को शिक्षित करना है। हमारे कटौती के प्रस्ताव को प्रस्तुत करने वाले भाई ने बतलाया था कि इस वर्ष जो शिक्षा का अनुदान प्रस्तुत किया गया है न तो उसमें कोई मौलिकता है, न कोई नवीनता है। ऐसी बात नहीं है। वर्तमान जो शिक्षा का बजट प्रस्तुत किया गया

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

है इसमें नवीनता है, मौलिकता है और शिक्षा मंत्री का यह प्रयत्न प्रशंसनीय है। आप देखेंगे सन् १९५१-५२ में प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष केवल १.१५ रुपया शिक्षा के नाम पर व्यय होता था। तृतीय पंचवर्षीय योजना के समाप्त हो जाने पर प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष केवल ४.९४ रुपया व्यय होता था। लेकिन प्रस्तुत बजट में यह प्राविधान किया गया है कि प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष ९.०८ रुपया व्यय किया जाय। इसका अर्थ यह है कि शिक्षा के जितने अंग हैं उन सब का सर्वांगीण विकास हो, कई भी अंग उपेक्षित न रह जाय। इस दृष्टिकोण से देखें तो शिक्षा के बजट में मौलिकता और नवीनता नजर आयेगी। अगर हम गहन रूप से अध्ययन करेंगे तो हम देखेंगे कि शिक्षा के क्षेत्र में ऐसा कोई अंग नहीं है जिसके लिए बजट प्राविधान न हो या उपेक्षित छोड़ा गया हो। इस प्रकार वर्तमान बजट में प्रत्येक दृष्टिकोण से विचार रखे गये हैं, जिससे कि शिक्षा के क्षेत्र में अधिक विकास हो।

अब शिक्षा के क्षेत्र में कुछ अपने सुझाव प्रस्तुत करना चाहता हूं। वास्तव में, शिक्षा की रीढ़ प्राथमिक शिक्षा है। प्राथमिक पाठशालाओं की क्या अवस्था है, यह किसी से छिपी नहीं है। वास्तव में ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा प्रसार के लिये सरकार की ओर से यह बराबर प्रयत्न होता है कि अधिक से अधिक संख्या में पाठशालायें खोली जांय, लेकिन आपके वर्तमान बजट को देखते हुये इस वर्ष कुल व्यय १८ प्रतिशत शिक्षा पर होने जा रहा है लेकिन आपके प्रदेश की मर्यादा के अनुकूल जितना हमको व्यय करना चाहिये उतना नहीं कर पा रहे हैं। इसलिये ग्रामीण क्षेत्रों में प्राइमरी पाठशालाओं की जितनी आवश्यकता है हम उतनी आवश्यकता पूर्ति नहीं कर रहे हैं। इसके लिये मेरा सुझाव यह है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो जनता द्वारा पाठशालायें खोली जांय उन्हें मान्यता दी जाय। किसी न किसी के संचालित पाठशाला के रूप में ग्रामीण जनता द्वारा जो पाठशाला संचालित हो रही है, उसमें कुछ दोष है, कमी है। वह कमी यह है कि उन संचालित पाठशाला या जनता द्वारा संचालित प्राइमरी पाठशाला को केवल २५ रुपया अनुदान के रूप में दिया जाता है जो कि किसी भी शिक्षित या अशिक्षित अध्यापक के लिये बिलकुल अपर्याप्त है। २५ रुपये में कोई भी अध्यापक उन पाठशालाओं में काम नहीं कर सकता है। इसलिये जो मान्यता की शर्त हो उसके अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में जनता पाठशाला के भवन का निर्माण कर दें और प्रशिक्षित अध्यापक रखें तो उनको वहीं अनुदान मिलना चाहिये जो वास्तविक व्यय हो। इस प्रकार करने से जो सरकार की किसी जनपद में ३, ४ पाठशालायें हैं वहां पर २० पाठशाला जनता द्वारा खोली जा सकती हैं यदि उनको अनुदान दिया जाय।

जहां तक पाठशालाओं के भवन का सम्बन्ध है, मैं यह कहूंगा कि आज पाठशालाओं के भवन अधिकांश संख्या में जीर्ण शीर्ण अवस्था में हैं। उनके निर्माण के लिये सरकार की ओर से प्राविधान होता है और प्रतिवर्ष सरकार की ओर से व्यय होता है, लेकिन उसको वास्तविकता देने के लिये यह प्रयत्न होना चाहिये कि ग्रामीण जनता द्वारा भवनों का निर्माण हो। इसके लिये उस भवन के निर्माण का जो व्यय हो उसका ५० प्रतिशत सरकार वहन करे और २५ प्रतिशत् जिला परिषद् वहन करे और २५ प्रतिशत गांव सभा वहन करे। इस शर्त को मान लें तो ऐसे स्कूल जो निर्माण करना चाहें सरकार के उसी हिसाब से उन्हें सहायता दनी चाहिये ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में पाठशालाओं के भवन का निर्माण हो सके।

इसके बाद मैं आपका ध्यान बालिकाओं के विद्यालयों की ओर ले जाना चाहता हूं। बहुत से ऐसे जनपद हैं जहां सरकार की ओर से एक बालिका विद्यालय संचालित होता है। ग्रामीण क्षेत्रों में बालिका विद्यालय संचालित नहीं हो रहे हैं। अभी तक चौथी योजना आरम्भ होने तक मैं गाजीपुर जनपद की बात करता हूं कि जहां पर ३ बालिका विद्यालय हैं। इसी प्रकार से यह दशा प्रत्येक जनपद की है। तो ग्रामीण जनता या जिस क्षेत्र में लोग बालिका विद्यालय खोलना चाहें, उनको मान्यता शीघ्रता के साथ मिलनी चाहिये। उनको मान्यता अविलम्ब मिलनी चाहिये। मान्यता की शर्तें कड़ी नहीं होनी चाहिये जिससे उनके लिये पूरा करना असम्भव हो जाय। ऐसा होना चाहिये जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में लोग उत्साहित होकर बालिका

[श्री राजनाथ]

विद्यालय खोल सके जैसे कि उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों की स्थापना में है। आपके स्थानीय निकाय हैं। जिला परिषद और नगरपालिकायें हैं। मैं जानता हूं कि कुछ जिला परिषद् और नगरपालिका ऐसी स्थिति में हैं जो अपने आप बालिका विद्यालय चलाने के लिये उत्सुक हैं लेकिन सरकारी ओर से यह प्रतिबन्ध हो गया है कि बिना स्वायत्त शासन की आज्ञा के वह किसी पाठशाला का संचालन नहीं कर सकते। हमें शिक्षा विभाग को प्रेरित करना चाहिये कि जहां पर बालिका विद्यालय उपलब्ध न हो और वे संचालन करना चाहें तो उनको मान्यता देने में और अनुदान देने में सरकार को पीछे नहीं रहना चाहिये। इस प्रकार से उत्सहित होकर नगरपालिका और जिला परिषद् भी बालिका विद्यालय का संचालन कर सकेंगी।

अब मैं आपका ध्यान पी० टी० सी० के चुनाव की ओर दिलाना चाहता हूं। पहले कई प्रकार के प्रशिक्षण केन्द्र थे। जी० टी० सी०, बी० टी० सी० आदि कोर्स प्राथमिक पाठशालाओं के लिये स्थापित किये गये थे। लेकिन इस वर्ष यह भी हुआ है कि बी० टी० सी० के चुनाव में एक ही पद्धतियां सारे प्रदेश में नहीं अपनायी गयी हैं। मुझे मालूम हुआ अपने साथियों से कि कहीं कुछ नाम गये थे कहीं कुछ। जहां तक बनारसी मंडल का संबंध है, मुझे याद है कि बी० टी० सी० के अभ्यर्थियों के लिये यह नियम बनाया गया था कि मेरिट लिस्ट का तो नाम ही नहीं था। जो सैनिकों के बाई थे या राजनीतिक पीड़ितों के पुत्र थे उन्हीं के लिये स्थान था, अध्यापकों या अन्य व्यक्तियों के लिये स्थान बहुत कम रहा। मैं गाजीपुर जनपद की बात करता हूं। वहां बी० टी० सी० का चुनाव हुआ है, उसमें योग्यता के नाम पर केवल ४-५ ही चुने जा सके हैं, बाकी स्थान सैनिक पुत्रों और राजनीतिक पीड़ितों के लिये। इसमें मेरा सुझाव है कि बी० टी० सी० के चुनाव का प्रतिशत नियत होना चाहिये कि ५० प्रतिशत योग्यता के आधार पर, कुछ प्रतिशत सैनिक पुत्रों के लिये यदि ज्यादा हों तो प्रतिशत नियत होगा और योग्यता के क्रम से आयेंगे। ऐसे ही राजनीतिक पीड़ितों के लिये, अध्यापक पुत्रों के लिये यह प्रतिशत निश्चित होगा, तभी ये चुनाव ठीक हो सकेंगे वरना इस साल जैसा चुनाव हुआ है उसका तो परिणाम यह होगा कि अच्छे-अच्छे विद्यार्थी जो योग्य हैं, जिन्हें स्थान पाना है वे वंचित रह जायेंगे और अयोग्य सैनिक पुत्र अथवा राजनीतिक पीड़ित चले जायेंगे तो श्रेष्ठ बालकों को कोई स्थान नहीं मिल पायेंगे।

एक बात मुझे याद है कि जब संविद की सरकार बनी उसके पूर्व यह व्यवस्था थी कि स्कूल खोले जायं और जो घर पर बैठे हुए बालक हाई स्कूल और इन्टरमीडिएट पास हैं उन्हें स्थान दिया जाय, तो ऐसा हुआ कि अप्रशिक्षित अध्यापकों के रूप में उनको ९०-९० रुपया वेतन मिलता था और वह पाठशालाओं में रहे, लेकिन संविद सरकार ने उन्हें हटा दिया।

एक सदस्य--

आप गलतबयानी कर रहे हैं, कोई नहीं हटाया गया।

श्री राजनाथ--

मेरे जनपद में ही हटाये गये और उन अप्रशिक्षित अध्यापकों की ट्रेनिंग की कोई व्यवस्था नहीं की गयी। मेरा यह सुझाव है कि उनकी ट्रेनिंग की व्यवस्था हो, उन्होंने ३ वर्ष तक अध्यापन कार्य किया है। इतना ही नहीं, बल्कि उनकी अवस्था में भी छूट होनी चाहिये। अगर उनकी अवस्था अधिक हो गयी हो तो जितने दिन तक सेवा रत रहे हैं, उनको छूट मिलनी चाहिये। मैं पूरब जनपद की ओर बनारस मंडल की बात करता हूं जहां अप्रशिक्षित अध्यापक हटाये गये हैं। जो टी०जे०सी० ट्रेन्ड अध्यापक हैं वह बेचारे प्राथमिक पाठशालाओं में भी स्थान पाने के इच्छुक हैं, लेकिन संविद सरकार के जमाने में उनके लिये आदेश गये थे कि उनको जूनियर हाई स्कूल में ही स्थान दिया जायगा, प्राइमरी ग्रेड में कार्य करना भी चाहें तो भी नहीं कर पायेंगे। इस प्रकार आज ३-४ वर्ष के पास किये हुए ट्रेन्ड अध्यापक मारे मारे घूमते हैं। मेरा सरकार से अनुरोध है उनके लिये व्यवस्था होनी चाहिये जब वे ट्रेन्ड हैं तो उन्हें स्थान अवश्य दिया जाना चाहिये।

अब मैं एक समस्या, हमारे जनपद की है उसकी ओर शिक्षा मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। हमारे यहां एक सिटी हायर सेकेन्ड्री स्कूल था जो जर्मन मिशन द्वारा संचालित होता था। कुछ समय के बाद, जब कैलाश प्रकाश जी शिक्षा मंत्री थे सरकार ने उसे अपने हाथ में ले लिया और आज भी वहां के अध्यापकों आदि के वेतन क्रम आदि का प्राविजन बजट में अलग किया गया है और अन्य राजकीय पाठशालाओं की तरह से उनके साथ व्यवहार नहीं होता। जब सरकार ने उसे अपने हाथ में ले लिया है तो, रामपुर और टिहरी गढ़वाल के विद्यालय भी सरकार ने बाद में लिये थे, उनके अध्यापकों के वेतन-क्रम आदि अन्य राजकीय विद्यालयों के अध्यापकों के समान ही किया जाना चाहिये। वे लोग जो ८, १० साल की सर्विस कर चुके हैं वह भी उनकी गिनी नहीं जा रही है। हम शिक्षा मंत्री जी से अनुरोध करेंगे कि राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, गाजीपुर की ओर ध्यान दें।

एक माननीय सदस्य ने ४९८/३१२ जी० ओ० का हवाला दिया जो १९४४ का है। इसमें यह है कि प्रत्येक विद्यालयों में ६ विद्यार्थियों के पीछे एक विद्यार्थी हरिजन का अवश्य प्रवेश किया जाय। यह जी० ओ० २२ सितम्बर १९४७ के जी० ओ० द्वारा पुनः दुहराया गया है। जिन शिक्षा संस्थाओं में इनका पालन नहीं होता है, उनका अनुदान बन्द किया जाना चाहिये और इसकी जांच होनी चाहिये कि वास्तविक रूप में इस राजाज्ञा का कहां तक पालन हुआ है। इस ओर हम विशेष रूप से शिक्षा मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं।

श्री जगन्नाथ राव (जिला जौनपुर)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका बड़ा आभारी हूं कि आपने मुझे इस शिक्षा अनुदान पर बोलने का अवसर दिया। मान्यवर, २२ वर्षों के बाद भी अपने देश और प्रदेश में शिक्षा की जो स्थिति है उससे देश के भाग्य की ही चिन्ता का अनुभव करता हूं। २२ वर्ष पूर्व अंग्रेजों ने जिस शिक्षा पद्धति को छोड़ा है स्वतन्त्र होने के बाद भी हम उसी पद्धति पर चलते चले आ रहे हैं। मान्यवर, जो शिक्षा का उद्देश्य था वह पूरा नहीं हो सका। देश के तरुणों, में, नवयुवकों में जो आत्म विश्वास, राष्ट्र के प्रति भावना और कठिन परिश्रम करने की उद्दाम कामना उत्पन्न होनी चाहिये वह नहीं हो सकी। इसका सारा उत्तरदायित्व यदि हम विचार करें तो शिक्षा शास्त्रियों के ऊपर है और मुख्य रूप से इस प्रदेश के शासकों के ऊपर है जिन्होंने शिक्षा की पद्धति को उसी रूप में चलने दिया जो गुलामी को, परतन्त्रता की प्रतीक है। मान्यवर शिक्षा के क्षेत्र में जो कार्य हो रहे हैं उनमें प्रारम्भिक शिक्षा का एक प्रमुख स्थान है। प्रारम्भिक शिक्षा का संचालन जिले में ग्रामीण क्षेत्रों में जिला परिषदों के द्वारा होता है और नागर क्षेत्र में यह कार्य नगरपालिकायें करती हैं। जिला परिषदें राजनीति की अखाड़ा बन चुकी हैं और शिक्षा के क्षेत्र में यह अभिशाप बन कर कार्य कर रही है। इन प्राइमरी स्कूलों के अध्यापकों के स्थानान्तरण और नियुक्तियां जिस ढंग से होती है उससे शिक्षा का स्तर कभी ऊंचा नहीं हो सकता है। मैं शिक्षा मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहता हूं कि शिक्षा के क्षेत्र में जिला परिषदों ने अच्छा काम नहीं किया है। प्रारम्भिक शिक्षा को उन्होंने किस प्रकार से नष्ट किया है, किस तरह से गलत दिशा दी है, इसका उदाहरण अध्यापकों की नियुक्ति से पता चलता है। ऐसे अप्रशिक्षित अध्यापक जो 'सीताराम' को 'सिताराम्' और 'चीनी' को 'चिनि' लिखा करते थे, ऐसे लोगों की जिला परिषद् के अध्यक्षों ने स्कूलों में नियुक्ति कर दी धीरे से। बाद में यह कह कर कि वहां अप्रशिक्षित अध्यापकों की आवश्यकता है उन्हें उसी स्कूल में छोड़ दिया। फिर शिक्षा मंत्री जी का आदेश गया और वे सब लोग बी० टी० सी० की ट्रेनिंग कर रहे हैं, जो शिक्षा के क्षेत्र में न तो भाषा का ज्ञान प्राप्त करा सकते हैं और न विद्यार्थियों को गणित के विषय में ही प्रगति करा सकते हैं। इसलिये मेरा सुझाव है कि प्रारम्भिक शिक्षा का कार्य जिला परिषदों के हाथ से सम्पूर्ण रूप से ले लिया जाय और एक ऐसी परिषद्, चाहे प्रत्येक जिले में, चाहे प्रादेशिक स्तर पर, एक समिति ऐसी नियुक्त करें जो कि प्रारम्भिक शिक्षा के गिरते हुए स्तर को सम्भाल कर रख सके।

[श्री जगन्नाथ राव]

इसी प्रकार से नागर क्षेत्रों में जो धांधली और गड़बड़ी चल रही है उसके कारण से जो प्रारम्भिक पाठशालायें है जिनमें निर्धन बच्चे पढ़ते हैं, वे बराबर टूट रहे हैं और मांटेसरी स्कूल्स, विदेशी पद्धति के स्कूल्स पनप रहे हैं और इस तरह से शिक्षा जगत में असमानता का एक वातावरण निर्मित किया जा रहा है। उससे देश की राष्ट्रीय भावना को भी आघात पहुंचता है। ये जो विदेशी पद्धति से चलने वाले स्कूल्स हैं, उनसे निकलने वाले छात्रों के बारे में, उनकी राष्ट्रनिष्ठा के बारे में लोगों के मनमें सन्देह बना हुआ है। संविधान के अन्तर्गत जो शिक्षा के निर्देशक तत्व हैं उनकी ओर आपको ध्यान देना होगा कि १४ वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जायेगी। आज २२ साल के बाद भी उस कार्य को हम पूरा नहीं कर पाये हैं। निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने की व्यवस्था करने के लिये निर्देश दिया गया था लेकिन आज तक आपने कितने प्रतिशत की पूर्ति की? कहना होगा कि आपने उस सिद्धान्त की पूर्णतः अवहेलना की है और १४ वर्ष तक के बालक-बालिकाओं को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा नहीं दे सके हैं।

इसके अतिरिक्त, आपने जो माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में व्यवस्था की है, उन कारणों से भी माध्यमिक शिक्षकों के अन्दर आत्म विश्वास की भावना नहीं रही। संविद सरकार ने एक निर्णय लिया था कि समान कार्य के लिए समान वेतन और महंगाई भत्ता दिया जायेगा, लेकिन उसे भी आपने पूरा नहीं किया और अभी तक आपने अध्यापकों को प्रबन्धकों के हाथ में एक प्रकार से खिलौना बना रखा है। आज भी अध्यापक प्रबन्धकों के हाथ से मुक्त नहीं है। जिस प्रकार से आपका यह दृष्टिकोण अध्यापकों के प्रति आज है, वह उचित नहीं है। चाहे वे प्राइमरी स्कूल्स के अध्यापक हों, चाहे उच्चतर माध्यमिक स्कूल के अध्यापक हों, दोनों के वेतन और महंगाई भत्ते भी अन्य प्रदेशों की अपेक्षा कम हैं। वे इतना भी पैसे नहीं पाते हैं, इतनी भी उनकी आमदनी नहीं है, उनका वेतन कम इतना साधारण है कि वे ठीक प्रकार से प्रदेश में, शिक्षा जगत में शिक्षा को उन्नत नहीं कर सकते।

जहां तक मान्यता का प्रश्न है, उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों, हाई स्कूल व इंटर कालेजों के मान्यता का प्रश्न है, मान्यता समिति इलाहाबाद में कई महीने, दो दो तीन तीन महीने तक बैठती रही। और यह व्यवस्थापक और आचार्य बहुत अपना श्रम और शक्ति लगाकर मान्यता समिति के सदस्यों के दरवाजे पर सुबह से शाम तक, जैसे दर्शन करने के लिए मंदिर में भीड़ हो, वहां पर इकट्ठे होते रहे। पता लगता है कि माननीय सदस्य फलां गाड़ी से आने वाले हैं। उनके दरवाज पर एक सज्जन जो बैठे रहते थे वह पूजा की सामग्री इकट्ठा करते थे, किताबों के बंडल मांगते थे। मान्यता के क्षेत्र में, सरस्वती के पवित्र प्रांगण में इस प्रकार का भ्रष्टाचार और अनाचार फैल रहा है। इससे हम कभी भी यह आशा नहीं कर सकते कि शिक्षा जगत एक स्वस्थ्य परम्परा और स्वस्थ्य जीवन राष्ट्र के लिए दे सकेगा।

जहां तक उच्च शिक्षा का संबंध है, उसमें जो प्रगति होनी चाहिये थी वह नहीं हो पायी। विश्वविद्यालय और महाविद्यालय की शिक्षा के लिए भी आवश्यक है कि विश्वविद्यालय अधिनियम के सुधार के लिए एक समिति का गठन करे जो सारे प्रदेश के विश्वविद्यालयों को संचालित कर सके एवं उनमें व्यवस्था ला सके और इस क्षेत्र में फैले भ्रष्टाचार को दूर कर सकें। मेरठ विश्वविद्यालय अभी प्रारम्भ हुआ है जिसके बारे में पता लगा है कि जो विद्यार्थी परीक्षा में बैठते हैं और पढ़ते हैं उनका परीक्षा-फल नहीं निकलता और जो नहीं बैठते हैं वह प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हो जाते हैं। तो हाईस्कूल और इंटरमीडिएट में ही नहीं बल्कि यूनीवर्सिटी तक में इस प्रकार का भ्रष्टाचार है। अभी माननीय शिक्षा मंत्री जी ने कहा कि ३० हजार से अधिक विद्यार्थी परीक्षा केंद्र में अनुचित साधनों का प्रयोग करते हुए पकड़े गये। तो यह परीक्षा प्रणाली ही दूषित है जिसके कारण अध्यापक भी

निरीक्षक जो परीक्षा भवन में रहते हैं वह खुद उसमें दिलचस्पी लेते हैं । जौनपुर जिले में एक इंटरमीडिएट कालेज हैं, वहां पर ३०० से अधिक विद्यार्थी अनुचित साधनों का प्रयोग करने के कारण परीक्षा-फल से वंचित किये गये हैं।

(इस समय ४ बजकर १२ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए ।)

बी० एन० बी० इंटर कालेज की हालत यह है कि वहां के प्रधानाचार्य ने अपने लड़कों को प्रथम श्रणी में लाने के लिए नकल कराने के लिए ब्लैक-बोर्ड का उपयोग किया और हर अध्यापक को इसके लिए निर्देश दे दिया । जिनका परीक्षा-फल रोका गया है उनमें प्रथम श्रेणी के छात्र होने के बावजूद भी उनको आगे पढ़ने से रोका जा रहा है। ऐसी दशा है । जो निरपराध हैं उनको भी दंडित होना पड़ रहा है। उनके साथ-साथ परीक्षा के क्षेत्र में चाहे कोई भी परीक्षा हो, सब जगह भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिल रहा है।

जहां तक विद्यार्थियों में अनुशासन का प्रश्न है, नित्य प्रति अनुशासनहीनता बढ़ रही है। उसका कारण भी है । सबसे बड़ा कारण यह है कि जिन मान्यताओं को लेकर विद्यार्थी के अन्दर अपने राष्ट्रीय जीवन के प्रति आस्था का निर्माण किया जा सकता था वे मान्यतायें धराशायी की जा रही हैं । खेल-कूद के मैदान के सर्वथा अभाव के कारण विद्यार्थी को इस दिशा में भी प्रोत्साहन नहीं मिलता है । आपकी तरफ से कोई भी प्रोत्साहन नहीं मिलता है कि अच्छे खिलाड़ी लड़के उस दिशा में आगे बढ़ सकें और जीवन में अनुशासन सीख सकें। शिक्षा का जो आधार होना चाहिये था वह आधार धीरे-धीरे खत्म होता जा रहा है खत्म हो गया है। आप उस मूलभूत आधार को जिस पर देश का भावी तरुण अपना मार्ग निकाल सके, वह दिशा आप नहीं दे पा रहे हैं।

जो विश्वविद्यालय के गैर अध्यापक कर्मचारी हैं, उनकी भी मांग लेकर आज प्रदेश में एक प्रकार से आपको चुनौती दी जा रही है। विश्वविद्यालय के जो गैर शिक्षक कर्मचारी हैं उनके वेतन बढ़ाने की ओर भी आपको ध्यान देना चाहिये तथा उनको भी वही सुविधायें प्राप्त होना चाहिये जो आप अपने अन्य कर्मचारियों को देते हैं । वह वर्ग भी बहुत असंतुष्ट है ।

जहां तक प्राइमरी शिक्षा का संबंध है, आप उसे जिला परिषदों से लेकर एक सुव्यवस्थित ढंग से चलाइये । यूनीवर्सिटीज शिक्षा में भी आपको एकरूपता लाने का प्रयास करना चाहिये । इसके लिये आपसे अनुरोध है कि आप प्रदेश में एक समिति का निर्माण करें जो उच्च शिक्षा में एकरूपता लाने के प्रश्न पर विचार करे ताकि शिक्षा में उन्नति हो सके । इन शब्दों के साथ में इस कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

श्री राममूर्ति 'अंचल' (जिला शाहजहांपुर)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपका बड़ा कृतज्ञ हूं कि आपने मुझे इस अनुदान पर बोलने का अवसर दिया । (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने जो शिक्षा का बजट प्रस्तुत किया तथा जो उन्होंने अपना भाषण दिया उसको मैंने बड़े ध्यान से सुना । माननीय रामधारी जी शास्त्री ने जो अपना कटौती का प्रस्ताव पेश किया उसे और उनके भाषण को भी गौर से सुना । हमारे शिक्षा मंत्री जी को यह विभाग सम्भाले हुए अभी ४ महीने का ही समय हुआ है । इसमें कोई शक नहीं है, विरोधी दल के जितने वक्ता बोले हैं उन्होंने भी माननीय शिक्षा मंत्री जी का जो सम्मान और स्वागत किया है वह सर्वथा वन्दनीय है और वे इसके योग्य हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि वे अवश्य शिक्षा जगत में कुछ न कुछ क्रांतिकारी परिवर्तन लायेंगे ।

माननीय मंत्री जी ने एक हिन्दी संस्थान निगम बनाने की बात कही है, यह अच्छी बात है। संस्कृत के प्रति भी उन्होंने बड़ा प्रेम प्रकट किया है । सबसे अच्छी बात तो उन्होंने यह की

[श्री राममूर्ति 'अंचल']

है कि उन्होंने लेखकों एवं साहित्यकारों के प्रति, जिनको अभी तक कोई सम्मान प्राप्त नहीं होता है, बड़ी सहानुभूति दिखलायी है और उनसे विश्वविद्यालयों के लिये हिन्दी में पुस्तकें लिखने के लिये प्रोत्साहन देने की बात कही है। उसके लिये मैं उनको अपनी समस्त सुकोमल भावनाओं से धन्यवाद देता हूं और उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट करता हूं।

मान्यवर, मैंने अपने भाई शास्त्री जी के भाषण को सुना। शास्त्री जी ने बहुत सी बातें कहीं। उन्होंने अपने नेता का भी जिक्र किया जो शिक्षा विभाग के उप-मंत्री भी रह चुके हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि उन्होंने शिक्षा में कौन से परिवर्तन करने के लिए अब तक सुझाव दिये? उन्होंने शिक्षा की कौन सी प्रणाली बतायी जिससे कि लाभ हो सकता था? वह इसके लिये कोई बात आज तक नहीं बता सके। एक शिकायती-पत्र जैसा उन्होंने कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किया। इसके सिवा कोई बात सुझाव की नहीं कही। मैं उनसे चाहूंगा कि वे अपने कटौती के प्रस्ताव को वापस लेने की इसलिये कृपा करें कि वे कोई नया सुझाव देने में असमर्थ रहे।

मान्यवर, यह सभी लोगों की राय है और मेरी भी राय है कि शिक्षा का जो सिस्टम है उसमें परिवर्तन किया जाय और आमूल परिवर्तन हो। सम्पूर्ण शिक्षा पद्धति में परिवर्तन होना, आज आवश्यक हो गया है। यह जो किताबी शिक्षा हम आज दे रहे हैं, इसे बदलना होगा, क्योंकि यह वह शिक्षा है जो मैकालो के शब्दों में केवल क्लर्क्स बनाने की एक मशीनरी है, इसके सिवा कुछ नहीं है। इसलिये मैं चाहूंगा कि इस ओर माननीय मंत्री जी ध्यान देने की कृपा करें। हमारी शिक्षा शारीरिक-श्रम प्रधान होनी चाहिये। मुझे विश्वास है कि डाक्टर रामजी लाल सहायक, जो हमारे माननीय मंत्री हैं शिक्षा विभाग के, वे इस ओर अवश्य कोई क्रांतिकारी परिवर्तन लायेंगे और ऐसा परिवर्तन लायेंगे जिसकी कल्पना हमारे पूज्य बापू गांधी जी ने की थी। पूज्य बापू की ऐसी इच्छा थी, नई तालीम, बेसिक एजूकेशन की जिसकी उन्होंने प्रेरणा दी थी उसको पूरी तरह से लागू करने की दिशा में माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि वह इस दिशा में शीघ्र कदम उठाने का प्रयत्न करें। श्रीमन्, टैक्निकल शिक्षा में इंजीनियर बनाने की बहुतायत हो गई, ओवरसियर बहुत बन गये और वे बेकार हैं। इस दिशा में हमारे मंत्री जी की जिम्मेदारी है, शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी है कि वे चाहे इधर के बैठने वाले हों और चाहे उधर के बैठने वाले हों, चाहे चौधरी साहब हों, चाहे मा० गुप्ता जी हों, हमारी नहीं वह हर व्यक्ति की समस्या है, हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है इस बेकारी को हम दूर करें। हमने लड़कों की पढ़ाई लिखाई के कारखाने खोल रक्खे हैं लेकिन उन्हें रोजगार नहीं दे पाते। वे लड़के बेकार घूमते हैं, एम०एल० एज० के दरवाजे खटखटाते हैं नौकरियों के लिए। मैं उन सबका स्वागत करूंगा जो इस बात पर विचार कर उनकी समस्या को सुलझा कर इस प्रदेश में उनको काम दिलवा सकें, पढ़े-लिखे बेकारों को रोजगार दिलवा सकें।

तो, श्रीमन्, मैं मंत्री जी से बड़ी विनम्रता से निवेदन करूंगा कि वे माननीय विद्वान सदस्यों से जिसमें प्रतिपक्षी भी शामिल हों सलाह-मशविरा करें कि किस प्रकार से हम पढ़े-लिखे बेरोजगारों को रोजगार दे सकते हैं? इसके अतिरिक्त परीक्षा में यह जो प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी रक्खी जाती है इससे मुझे कोई लाभ नजर नहीं आता। मैं चाहता हूं कि इन श्रेणियों को अविलम्ब समाप्त कर दिया जाय। क्यों कर दिया जाय और क्या उसका मापदंड रक्खा जाय इसके विषय में मैं बतलाना चाहता हूं कि योग्यता अनुसार छात्रों को अंकों से उत्तीर्ण करने की सुविधा हो। मासिक परीक्षायें मौखिक ली जायं और उनके अंक वर्ष की परीक्षा में शामिल किये जायं। जिन-जिन विषयों के जो-जो अध्यापक हों वे उन उन परीक्षाओं का लेखा-जोखा रक्खें। यह परीक्षा का जो सर दर्द है वह सबके दिल में है कि किस तरीके से परीक्षा की नकल रोकी जाय। इस दिशा में मैं विनम्र स्वर से सुझाव पेश करता हूं कि इधर और उधर के बैठने वाले इस समस्या का ध्यानपूर्वक अध्ययन

करें यदि जरूरत हो तो जो परीक्षक हों वे अपनी मौखिक और लिखित परीक्षा मासिक लें और उसका लेखा-जोखा रक्खें। मान्यवर, लिखित परीक्षा के परचे इस प्रकार बनें कि यदि परीक्षार्थी के पास पुस्तक भी हो तो नकल करने पर भी उसका प्रभाव न पड़े। ऐसी उनको इजाजत दे दें कि पुस्तकें साथ ले जायं। उनको सौ या सवा सौ प्रश्न दिये जायं। समय एक या डेढ़ घंटा दिया जाय जिसमें हां या न लिखना हो। मुझे मालूम है कि विदेशों में इस पद्धति का प्रयोग करने में सफलता मिली है। इस प्रयोग के लिये भी मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि वे इसको लागू करें कि हर मासिक परीक्षा-फल को जोड़कर परीक्षार्थी को उत्तीर्ण घोषित किया जाय। हमारे मंत्री जी ने अपनी निःशुल्क शिक्षा के विषय में एक बात कही, मुझे वह थोड़ी उनके अनुरूप नहीं लगी कि उन्होंने कोई एक नई बात नहीं की। हाई स्कूल तक लड़कियों की शिक्षा निःशुल्क थी ही। लड़कों की शिक्षा छठवें तक थी। माननीय मंत्री जी अगर हमको दिखाते कि हम लड़कियों की शिक्षा हम हाई स्कूल के बजाय इंटर तक निःशुल्क करने जा रहे हैं और लड़कों की शिक्षा हम आठवें या दसवें तक करने जा रहे हैं तो मेरा विचार है कि माननीय चौधरी साहब भी आज उसका स्वागत करते।

मान्यवर, मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी से जो शिक्षा प्रणाली के प्रणेता हैं और कार्य-विधि के संचालक हैं बड़े अदब के साथ कहना चाहूंगा कि सरकारी और गैर सरकारी शिक्षण संस्थाओं में सामंजस्य कैसे हो, इस पर विचार करें। प्री-प्राइमरी एजूकेशन के सुधार के लिए आवश्यक है कि प्राइवेट गैर सरकारी स्कूल चलाने वालों का जो मैनेजमेंट है उसका क्या दृष्टिकोण है, वह क्या करता है, इसे देखें। मैं सोचता हूं कि केवल ३० लाख रुपया प्राइवेट मैनेजमेंट का हमारे उत्तर प्रदेश में खर्च होता है और तब बीस करोड़ रुपया उत्तर प्रदेश का शासन देता है। फिर मैनेजमेंट एक दूकानदारी के रूप में, एक रोजगार के रूप में शिक्षा की बिक्री कर रहा है। विद्या और विवेक को बेचा जाता है। इसकी मैं घोर निन्दा करता हूं। इस तरफ माननीय मंत्री जी का ध्यान होना चाहिये कि किस प्रकार से इसको रोकथाम करें। इस पर किस प्रकार लगाम लगाई जाय। इसमें मेरा यह भी निवेदन है कि जिला स्तर पर कुछ ऐसे व्यक्तियों की समिति गठित की जाय जिनका संबंध शिक्षा संस्थाओं से न हो। और अगर उनकी सिफारिश सरकार के पास यह आती है कि अनुदान लेने वालों ने रुपये का ठीक खर्चा नहीं किया है तो सरकार उस अनुदान को तुरन्त रोकने की कृपा करे।

श्रीमन्, भवन निर्माण के लिए जो शिक्षा संस्थाओं को रुपया दिया जाता है मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि हमारे जो राजकीय स्कूल्स हैं और जो प्राइवेट संस्थायें हैं, उनका स्तर बराबर हो और उनको रुपया दिया जाय, लेकिन इस दिशा में चेक रखना बहुत आवश्यक है कि जो गैर सरकारी स्कूल्स हैं, उस अनुदान को ठीक तरह से इस्तेमाल करते हैं अथवा नहीं। मेरा सुझाव यह है कि बिल्डिंग्स को मैनेजमेंट न बनाकर उत्तर प्रदेश की सरकार अपने सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा बनवाये जिससे उनमें खाने पीने का लाभ न हो सके।

एक और बात जो बहुत से माननीय सदस्यों ने कही है कि हमारे प्रदेश में धनिकों द्वारा शिक्षा संस्थायें पब्लिक स्कूल्स और कन्वेंट्स, आदि विशेषरूप से चलाये जाते हैं। उनमें शिक्षा भी अच्छी दी जाती होगी, मालूम नहीं कि यह सही है या नहीं। इन स्कूलों में और उन स्कूलों में जिनमें हम लोगों के बच्चे पढ़ते हैं परस्पर विरोध रहता है। इसलिये धनिक वर्ग के बच्चे इन स्कूलों में पढ़ते हैं और विकसित मस्तिष्क होकर निकलते हैं। वही बच्चे आगे चल कर आई० ए० एस०, पी० सी० एस० और इंजीनियर तथा डाक्टर हो सकते हैं। क्या यह इस बात का प्रमाण नहीं है कि हमारे यहां पर सबसे अच्छा रिजल्ट कौन्विन तालुकेदार कालिज का होता है? वह अच्छे किस्म की शिक्षा देते हैं और वे अच्छा खर्चा भी करते हैं, लेकिन मैं यह जरूर चाहूंगा कि एक ऐसी समिति हमारे माननीय मंत्री और

[श्री राममूर्ति 'अंचल']

मुख्य मंत्री द्वारा गठित की जाय जो इस प्रकार के स्कूलों में और हमारी जो संस्थायें हैं, उनमें तारतम्य तथा सम्पर्क स्थापित करे। यह वर्षों से कहते चले आये हैं कि मिशनरी के स्कूल अच्छे ह लेकिन कभी इस दिशा में भी आपने सोचा है कि उनके तारतम्य को किस प्रकार से स्थापित किया जाय और विदेशी शिक्षा प्रणाली और उत्तर प्रदेश की शिक्षा संस्थाओं के शिक्षा स्तर के भेदभाव को कैसे दूर किया जाय?

श्रीमन्, माननीय मंत्री जी ने बताया कि उन्होंने एक पुस्तक शिक्षा संस्थाओं में भिजवायी है जिसमें ५ राष्ट्रीय गीत लिखे हुए हैं और २५ नियम दिए गये हैं। बड़ी अच्छी बात है। उसकी सबने सराहना की है और मैं भी उसकी सराहना करता हूं कि जो उनमें लिखा है उसमें हिन्दुस्तान का नक्शा दिया है उसे हर विद्यार्थी देखे तथा हर विद्यार्थी दुहराये और उसके मनोबल को लाभ हो, उसे एक भारतीय होने की प्रेरणा मिले। उसके लिए मैं हृदय से माननीय मंत्री जी की सराहना करता हूं और प्रशंसा करता हूं।

माननीय मंत्री जी ने एक शिक्षा कल्याण कोष की बात कही। लकिन जो लोग रिटायर हो जाते हैं, वे वर्षों तक धक्के खाते फिरते हैं और उनकी मृत्यु के बाद ही उनको सहायता मिल पाती है। मैं चाहूंगा कि इस सम्बन्ध में हमारे माननीय मंत्री जी कोई कदम उठावें जिससे इसमें इतना विलम्ब न हुआ करे। जैसे उन्होंने शिक्षा जगत में क्रान्ति लाने के लिए कल्याणकारी और क्रान्तिकारी कदम उठाये हैं, उसी प्रकार इस दिशा में भी उठावें।

एक बात, श्रीमन् मैं और कहना चाहता हूं। वह एक परसनल सी हो सकती है। आज हर वर्ग विज्ञान पढ़ाना चाहता है। हर लड़की डाक्टर, इंजीनियर बनना चाहती है। हर लड़का डाक्टर, इंजीनियर बनना चाहता है। आज हमारे राजकीय स्कूलों में जो विज्ञान पढ़ाने वाले हैं, उन्होंने दुकान सी खोल रखी है। वे लड़कों को अपने घर पर बुला कर पढ़ाते हैं और उनसे ३०–४० या ६० रुपये तक लेते हैं। मेरे जिले में भी इसी तरह से जो राजकीय विद्यालयों में विज्ञान पढ़ाते हैं, वे बच्चों को अपने घरों पर बुला कर उनसे अनुचित रूप से १,५००–१,५०० या २–२ हजार रु० कमा लेते हैं। मैं किसी भी अध्यापक को सुखी व खुशहाल देखना चाहता हूं। मैं स्वयं एक लेखक हूं लेकिन मैं यह नहीं चाहता कि विद्या की बिक्री को इस तरह से नगाड़े की चोट पर किया जाय। क्या माननीय मंत्री ने इस दिशा में कोई कदम उठाया है? इस दिशा में उनको कदम उठाना चाहिये।

मैं मंत्री जी से यह भी निवेदन करूंगा कि अभी तक २०० रुपये वेतन पाने वालों के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती है, यह २०० रुपये की धनराशि बढ़ा कर ३०० रुपये कर दी जाय, इस ओर उनको कदम उठाना चाहिये।

मैं मंत्री महोदय का ध्यान कांग्रेस के घोषणा-पत्र की ओर भी दिलाना चाहता हूं जिसके कारण वह इस सदन में सदस्य चुन कर आये हैं और मंत्री भी बने हैं। उन्होंने दो, तीन चीजों पर प्रकाश नहीं डाला है। अपने अन्तिम भाषण में वे उन चीजों पर प्रकाश डालेंगे। दो, तीन लाइनें मैं उस घोषणा-पत्र से पढ़ देना चाहता हूं: "कांग्रेस यह मानती है कि विभिन्न स्तरों पर हमारी शिक्षा व्यवस्था में अनेक कमियां हैं। इन कमियों को दूर करने के लिये प्राइमरी, माध्यमिक और उच्च स्तरीय शिक्षा तथा प्राविधिक शिक्षा आदि सभी क्षेत्रों में कांग्रेस अध्यापकों की योग्यताओं वेतन-क्रमों और शिक्षण संस्थाओं के वर्तमान स्वरूप तथा पाठ्य पुस्तकों और शिक्षा सम्बन्धी सुविधाओं की व्यवस्था पर ध्यान देते हुए शिक्षा के स्तर के प्रसार के साथ साथ उसके गुणात्मक रूप को सुधारने और संवारने की ओर "अधिकाधिक ध्यान देगी।" उन्होंने क्या गुणात्मक रूप को सुधारने और संवारने के लिये कदम उठाये हैं? कांग्रेस यह स्वीकार करती है कि प्राइमरी स्कूलों के अध्यापकों, माध्यमिक शिक्षकों, सम्बद्ध डिग्री कालेजों के अध्यापकों की नौकरी की शर्तों, वेतन-क्रमों आदि को ठीक स्तर पर लाने हेतु साधनों की व्यवस्था करके कोठारी आयोग की सिफ़ारिशों को लागू करने का प्रयास करेगी।" मैं चाहता हूं कि कोठारी आयोग की सिफ़ारिशें पूरी तरह

से लागू की जायं। आगे घोषणा-पत्र में लिखा है "कांग्रेस का मत है कि नयी पीढ़ी को हमारे देश के स्वतंत्रता संग्राम के स्वर्णिम इतिहास तथा भारतीय संस्कृति और सभ्यता का सच्चा रूप तथा समाजवादी दर्शन की मौलिक पृष्ठ भूमि आज की पाठ्य पुस्तकों द्वारा पूर्णरूपेण उपलब्ध नहीं हो पा रही है।" मैं मंत्री जी से चाहूंगा कि वे इस दिशा में भी कदम उठायें।

श्री अध्यक्ष—

अब आप बैठें। आपका समय हो गया है। आप कृपा करके पढ़ें नहीं।

श्री राममूर्ति 'अंचल'—

इस घोषणा पत्र में यह भी लिखा है कि—"इसके लिये यह आवश्यक है कि सरकार की ओर से प्राविधिक और सामान्य शिक्षा प्राप्त युवकों को स्वावलम्बी बनने तथा स्वतंत्र रूप से अपनी योग्यता के अनुसार जीविका निर्वाह करने के लिये उचित प्रोत्साहन तथा सहायता प्रदान की जाय।" मैंने ४, ५ आइटम इस घोषणा पत्र से पढ़े।

श्री जगदीश गांधी—

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। निवेदन यह है कि जब किसी माननीय सदस्य को आप इजाजत दें तब वह बोलें लेकिन अगर बिना आपकी इजाजत के वह बोले तो उसका भाषण नोट न हो।

श्री राममूर्ति 'अंचल'—

मैं आपकी इजाजत के बिना एक शब्द नहीं बोलूंगा। मैं इस सदन का पूर्ण सम्मान करता हूं। आपकी आज्ञा से मैं बैठ जाता हूं।

श्री अनीसुर्रहमान (जिला अलीगढ़)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपका बड़ा आभारी हूं कि आज आपने मुझे इस सदन में पहली बार ऐसे विषय पर बोलने का अवसर दिया जिससे पूरे समाज का सम्बन्ध है। निश्चय ही आज हिन्दुस्तान के इस कोन में जिसको हम उत्तर प्रदेश कहते हैं सब लोग चिन्तित हैं इस बात से कि हमारे बच्चों का दाखिला होगा या नहीं। आज सब लोग चिन्तित हैं इस बात से कि हमारे बच्चों के दाखिले में विलम्ब हो जाने के कारण कहीं दूसरी जगह उनको दाखिला मिल पायगा या नहीं। ऐसे अवसर पर जब मुझे आपने बोलने का मौका दिया तो मैं मंत्री जी का ध्यान उनके एक वाक्य के प्रति आकर्षित करा कर अपनी बात कहना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि हम शिक्षा को नियोजित रूप में रखना चाहते हैं। अगर उनका नियोजन से मतलब यह है कि एक ओर हजारों की तादाद में ३–४ साल की शिक्षा पूरी करने के बाद इंजीनियर सड़कें नापते फिरें और उनको रोटी और बिट्टी न मिले सड़कें बनाने के लिये और दूसरी तरफ अगर मैं कोई गलती नहीं कर रहा हूं तो आप ही के स्वास्थ्य विभाग में २७ सौ डिस्पेंसरियां खाली पड़ी हैं बिना डाक्टर्स के। अगर यही नियोजन है तो मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि हमारे नियोजन की बात सुन लें और अपनी उस शिक्षा प्रणाली को जिसके कारण पिछले बीस वर्षों में यह हालत हो गयी है ठीक कर दें। हमारा नियोजन सीधा सा इस सिलसिले में यह होगा कि आप उस शिक्षा व्यवस्था को जिसके आधार पर आपने चांद पर जाने वाली परिस्थिति में अपने आपको नहीं डाला, अगर आप वह परिस्थिति नहीं ला पाये हैं तो आप अपने विभाग के अन्दर एक बात रखें कि हिन्दुस्तान के इस कोने में जब तक समूचे उत्तर प्रदेश के लोगों के लिये शिक्षा की व्यवस्था नहीं कर सकेंगे तब तक कोई काम नहीं बनेगा। और उसके लिये आपको अपनी इस प्रणाली को बदलना पड़ेगा और खास कर उन लोगों की तरफ ध्यान देना पड़ेगा जो देहात में रहते हैं, जो बिल्कुल बेपढ़ लिखे लोग हैं। वह चाहे बड़े हों या छोटे हों आप उनको साक्षर करने के बाद ही आगे बढ़ सकते हैं।

[श्री अनीसुर्रहमान]

शिक्षा का मतलब यह नहीं होता कि आप प्राइमरी शिक्षा दें या यूनिवर्सिटी में शिक्षा दिलवायें। शिक्षा का सीधा मतलब आज हिन्दुस्तान के अन्दर यह होना चाहिये कि प्रत्येक आदमी को हम शिक्षा देंगे चाहे आपको सारी यूनिवर्सिटीज और कालेज बन्द करने पड़ें और सारे स्नातकों को गांवों में पढ़ाने में लगा देना पड़े। अगर आप इस तरह से उत्तर प्रदेश को आगे ले जायंगे तब मेरे दिमाग में एक ही रास्ता नजर आता है कि फिर इस तरह के लोग जिन्होंने अखबार पढ़ना सीख लिया है अपने बच्चों को शिक्षा के प्राइमरी स्टेज पर किसी तरह लगा सकते हैं, उधर ले जा सकेंगे। अगर आप यूनिवर्सिटियों, कालेजों और स्कूलों को बन्द करते हैं और इनके बन्द रहने के समय यूनिवर्सिटीज के सारे अध्यापकों से काम लेते हैं अनुवाद का तो वह बड़ा सवाल जो बीस वर्षों में भी आप नहीं हल पर पाये हैं वह भी हल हो जायगा। जिस बीच में उत्तर प्रदेश के प्रत्येक आदमी को पढ़ने का मौका मिलेगा उसी बीच में आपके प्रोफेसरान द्वारा अंग्रेजी के बजाय एक ऐसी जनतांत्रिक भाषा में आप शिक्षा दे पायेंगे जिसको उत्तर प्रदेश के लोग समझते हैं। आप तो लेखा जोखा विभाग से आंकड़े मांग लेते हैं कि कितने प्राइमरी स्कूल खुलेंगे, कितनी यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई मिलेगी और आपको पता लग जाता है कि ८ परसेंट यूनिवर्सिटी तालीम पर खर्च करेंगे। लेकिन ८ परसेंट खर्च करने के बाद तो एक डाक्टर भी नहीं निकल सकता। अगर आप शिक्षा जगत में कोई सुधार करना चाहते हैं तो ऐसे परिवर्तन करने होंगे कि इस प्रदेश की शिक्षा आप ठीक ढंग से चला सकें और वह तभी होगा जब प्राइमरी शिक्षा के ऊपर आप उस ढंग से ध्यान दें जो डाक्टर जाकिर हुसैन और महात्मा गांधी ने मिल कर बनाया था। प्रोफेसरों को लगाइये अनुवाद के काम पर और यूनिवर्सिटीज के छात्रों को आजाद छोड़ दीजिये। उनके ऊपर डंड मारने वाले ज्यादा तनख्वाह पाने वाले वाइस चांसलरों से काम अभी तक न चला है और न चलेगा। इसके बजाय ऐसी हालत पैदा होती है जिससे शिक्षा मुट्ठी भर वाइस चांसलर और १ फीसदी लोगों के हाथ में पहुंच जाती है। चाहे वह अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो, बनारस यूनिवर्सिटी हो या गोरखपुर यूनिवर्सिटी हो, सभी जगह १ फीसदी लोगों के हाथ में है। उनके द्वारा समान शिक्षा के रूप में आप जनसाधारण को कुछ नहीं दे पाते हैं।

दूसरी शिक्षा जगत में भी एक नयी बात आनी चाहिए। मैं उस ओर माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। आज कल राष्ट्रीयकरण का युग है हमारी प्रधान मंत्री ने आज जनता का स्नेह प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीयकरण बैंकों का कर दिया। आप भी क्यों नहीं शिक्षा का राष्ट्रीयकरण कर देते हैं। केन्द्र और उत्तर प्रदेश में जो शिक्षा के अन्दर घपला है, उस घपले को कम से कम उत्तर प्रदेश से आप क्यों नहीं समाप्त कर देते हैं? आपकी प्राइमरी स्टेज अलग है, सेकेंडरी स्टेज अलग है और यूनिवर्सिटी स्टेज अलग है। एक चौथी स्टेज आपने और खोल दी है, मांटेसरी स्कूल की। आपने बड़े घरों के बच्चों के लिये मांटेसरी स्कूल दे दिये हैं, लेकिन आपको किसान के बच्चों के दिलोदिमाग का कोई खयाल नहीं है। किसानों के बच्चों के लिये तो बैठने को चटाई भी नहीं है न उनको पीने के लिये दूध है। न खेलने के लिये मैदान है। वे तो अपने जानवरों और बैलों के साथ ही खेलते हैं। मेरा सुझाव है कि इन मान्टेसरी स्कूलों को खत्म कर दिया जाय ताकि देहात के रहने वाले बच्चे और शहर के रहने वाले बच्चे समान पढ़ाई पढ़ सकें। क्या शहर के बच्चों के लिये एक व्यवस्था और देहात के बच्चों के लिये दूसरी व्यवस्था यह देहात के बच्चों के साथ अन्याय नहीं है? यह विषमता को आप समाप्त करने के लिये कोई बात क्यों नहीं करते? देहात के बच्चों को यहां पेट भर रोटी भी नहीं है वहां शहरों में बच्चों को दूध और मक्खन खाने को मिलता है। एक ओर दरिद्र प्राइमरी स्कूल में पढ़ाई और दूसरी ओर मान्टेसरी स्कूल की शिक्षा। अगर माननीय मंत्री जी समझते हैं कि मान्टेसरी स्कूल में क्लर्क के बच्चे को भी पढ़ने की जरूरत है तो आप सारे प्राइमरी स्कूलों को बन्द कर दीजिये और गांवों के अन्दर भी मान्टेसरी स्कूलों को खोल दीजिये। सब को मान्टेसरी स्कूलों में पढ़वाइये। तभी जाकर सब को नियोजित और व्यवस्थित शिक्षा मिल सकेगी। नहीं तो शिक्षा के नाम पर इस देश में इसी प्रकार का खिलवाड़ होता रहेगा जैसा खिवाड़ कि आपने पिछले २० वर्षों में किया है।

डाक्टर की जरूरत है तो बच्चे इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं और इंजीनियरी को छोड़कर अब डाक्टरी की ओर भाग रहे हैं। क्या फिर डाक्टर लोग भी आधे पढ़े लिखे निकलेंगे? और नीम हकीम खतरये जान, होकर लोगों की जान के साथ खिलवाड़ करेंगे।

अब एक ही सवाल आता है कि हमारी शिक्षा संस्थायें कैसे चलें। एक ओर प्रिन्सिपल हैं, और मास्टर हैं और दूसरी ओर मैनजमेंट है। और मैनजमेंट में ९९ फीसदी लोग ऐसे हैं जो कम पढ़े लिखे हैं, जो शिक्षकों का खून चूसना चाहते हैं। ऐसी व्यवस्था को कायम रखते हुए मैं समझता हूं कि कोई भी शिक्षा संस्था ठीक प्रकार से काम नहीं कर सकती मैं माननीय मंत्री जी से ऐसा बिल तैयार करने का अनुरोध करूंगा जिससे प्रिन्सिपल और दूसरे अध्यापकों को मैनजमेंट से आजादी मिल सके और यह लूट खसोट की मनोवृत्ति खत्म हो सके।

कहा जाता है कि लड़कों में अनुशासन नहीं है। अनुशासन न ऊपर से आता है और न अनुशासन नीचे से उपजता है। मनोवृत्ति और नीति के आधार पर अनुशासन बनता है और वह सरकार में बैठे हुए लोगों के द्वारा बनाया जा सकता है। आज वहां क्या अनुशासन हो सकता है जहां अध्यापकों को अपना पेट भरने के लिये हड़ताल करने की आवश्यकता हो, जहां के अध्यापक पेट भरने के लिये जेल जाने के लिये तैयार हों उनके विद्यार्थियों में भला किस प्रकार से अनुशासन पैदा हो सकता है? आज अध्यापकों की हालत को सुधारने के लिये यह आवश्यक चेंज कि मैनेजमेंट को खत्म किया जाय, दूसरी ओर उनको पेट भरने लायक तनख्वाह दी जाय, चाहे अपनी तनख्वाहों में आपको कमी करनी पड़े। तभी आप इन शिक्षा-मंदिरों को इस प्रकार का रूप दे सकते हैं जहां अनुशासन-हीनता का नाम न हो। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हिन्दुस्तान का नौजवान आज पढ़ने की तरफ लगा हुआ है। वह शिक्षा को अच्छ रूप में प्राप्त करना चाहता है लेकिन खाली पेट अध्यापक उसको पढ़ाई नहीं दे सकता है। अगर वह करता है तो मैनेजमेंट उसको पढ़ाई की तरफ नहीं ले जा पाता है। ऐसी हालत में प्रदेश को रखकर लेखा जोखा विभाग के आंकड़े से आप हमें संतुष्ट नहीं कर सकते हैं। यदि आप करेंगे तो आपको ऐतिहासिक यश नहीं मिलेगा। यश भले ही आपको मिल जाय और उससे आप भले ही खुश हो लें। इतिहास में आपको कहा जायेगा कि २० वर्ष में आपने एक पीढ़ी के साथ खिलवाड़ किया और अब भी जो नींव आप शिक्षा की रख रहे हैं वह कमजोर है। आपको ऐतिहासिक यश प्राप्त करने के लिए कोई बड़ी बात करनी होगी।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा माननीय सदस्यों का ध्यान एक छोटी सी बात की ओर दिलाना चाहता हूं। बड़ा हंगामा हो रहा था और संविद सरकार का रोना रोया जा रहा था। हालांकि उसी की बदौलत उपमुख्य मंत्री का पद ऐसा बन गया है जिससे मुख्य मंत्री और उपमुख्य मंत्री की फजीहत खत्म हो गई है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि संविद सरकार ने तय किया था कि बी० टी० सी० की नियुक्तियां योग्यता के आधार पर हुआ करेंगी। लेकिन आपने क्या किया? . इंस्पेक्टर आफ स्कूल्स से आपने लिस्ट बनवाई लेकिन उसके बाद आपके यहां से आदेश जिला परिषद् के लिए पहुंच गये और फिर सिफारिशों का वही क्रम चलने लगा। जो बात संविद सरकार ने योग्यता के आधार पर करने के लिये तय की थी उसको खत्म करने के लिये आपने सिफारिशों का आधार मान लिया है। यह आपका खिलवाड़ शिक्षा के साथ कब तक चलेगा? क्यों नहीं आप अनट्रेंड टीचर्स को बी० टी० सी० द्वारा ट्रेंड करते हैं? क्यों नहीं आप यह नीति चलाते हैं कि 'हमें केवल अनट्रन्ड टीचर्स को ट्रेन्ड करना है? यदि आप ऐसी नीति नहीं चलाते हैं तो हजारों लोगों की भीड़ दारुलशफा से लेकर यहां तक लगी रहेगी और गरीब किसान तथा गरीब मजदूरों के बच्चों का कभी काम नहीं हो सकेगा और विषमता की खाई कभी नहीं पट सकेगी।

मान्यवर, मुझे बहुत कुछ कहना है लेकिन समय बहुत कम है। इसलिये मैं आपका ध्यान एक मामूली सी चीज के ऊपर दिलाना चाहता हूं। मैं इसके पक्ष में हूं कि शिक्षा जगत में क्रान्तिकारी परिवर्तन होना चाहिये। मेरे जैसे आदमी का कहना है कि जब तक आप अपने दिमागों

[श्री अनीसुर्रहमान]

को खुला नहीं रखेंगे तब तक यह नहीं हो सकता। आप की इस यूनिवर्सिटी और प्राइमरी शिक्षा से काम नहीं चलेगा। अगर इसी से चलाना चाहते हैं तो उसको अच्छे रूप में चलाइये। अलीगढ़ जिला है उसमें सेंटर की एक यूनिवर्सिटी है। वहां के जितने कालेजेज हैं वे सब आगरा यूनिवर्सिटी से एफीलियेटेड हैं। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से एफीसियेट करने के लिये बड़ी कोशिश की जाती है। वह हो नहीं पा रहा है तो आप यूनिवर्सिटी खोलने की बात कर रहे हैं। मैं एक सुझाव देना चाहता हूं कि अलीगढ़ के सारे कालेजों को इकट्ठा करके एक प्रान्तीय यूनिवर्सिटी और खोल दें। इससे एक नया रास्ता खुल जायेगा।

एक बात की ओर मैं सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि २२ साल के इस शासन ने मैनेजमेंट की फ़जीहत कराई है। इसका मतलब यह है कि वहां पार्टीबन्दी का बुरी तरह से असर होता है। माननीय मलखान सिंह जो पहले कांग्रेस के शासन में डिप्टी मिनिस्टर थे, उनके नाम से इसौना जिला अलीगढ़ में चलने वाला एक स्कूल है। उसमें बड़ा घपला हो रहा है। इसको, देखने वाला कोई नहीं है। लड़कों को अनुशासनहीनता सिखाई जाती है और उसको एक मास्टर दूसरे मास्टर के खिलाफ़ इस्तेमाल करता है। इस पर आपको रोक लगानी चाहिये।

कोठारी आयोग बिठाया गया। समान कार्य के लिये समान वेतन की आवाजें लगाई गईं। इस आयोग पर बड़ा भारी खर्चा किया गया। लेकिन उसकी सिफ़ारिशों को लागू करने की कोई कोशिश नहीं की जाती है। इस तरह से कैसे शिक्षा की प्रगति हमारे प्रदेश में होगी? कैसे सैकड़ों करोड़ों लोगों को राहत दे पायेंगे जो शिक्षा नहीं पाते और जो यहां के कार्यों से अवगत नहीं रहते हैं? कितने लोग हैं जो यहां की कार्यवाही को पढ़ लेते हैं? वह पढ़ने के नाम से काला अक्षर भैंस बराबर जानते हैं। मैं माननीय मंत्री से कहूंगा कि वह इन आंकड़ों को रद्दी की टोकरी में बन्द कर दें और पुनः इस बात पर विचार करें कि केवल एक रुपया अनुदान मिला है उसमें संतोष करें, वरना बीस साल से जैसा खिलवाड़ होता चला आया है आगे की पीढ़ी भी बेकार हो जायगी। जिस तरह से इंजीनियरों की तादाद बढ़ा कर उनको बेकार कर दिया है। अब डाक्टरों की तादाद बढ़ेगी, और नीम हकीम खतरे जान की कहावत और सच होगी। इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करते हुए आपको पुनः धन्यवाद देता हूं।

श्री रामलखन सिंह (जिला बस्ती)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने शिक्षा के बजट पर बोलने का अवसर दिया। मैं शिक्षा मंत्री द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करने खड़ा हुआ हूं। हमारे मंत्री महोदय ने जो बजट पेश किया है, जिस तरह से हमारा प्रदेश पिछड़ा है उस खयाल से इससे अधिक बजट होना चाहिए क्योंकि यह प्रदेश पिछड़ा हुआ है। मैं पूर्वी जिलों की ओर विशेष रूप से बस्ती जिले की बात बताऊं, जहां पर जूनियर हाई स्कूल पास करने के बाद हाई स्कूल में नाम लिखाना मुश्किल हो जाता है और हाई स्कूल के बाद इंटर और बी० ए० में नाम लिखाना मुश्कल हो जाता है। इतना बड़ा जिला है, आबादी के हिसाब से वहां स्कूल कम हैं। जब से हमारा देश आजाद हुआ बस्ती जिला सौतेली निगाह से देखा गया। वहां सिर्फ़ एक डिग्री कालेज है। लड़के इंटर पास करके मारे मारे फिरते हैं। बनारस, गोरखपुर, इलाहाबाद जाते हैं। उन पर इतना अधिक खर्चा पड़ता है कि उनके घर वाले सहन नहीं पर पाते इसलिए चुप होकर बैठ जाते हैं। वहां की गरीबी और पिछड़े पन को देख कर इस जिले की तरफ़ विशेष ध्यान दें और शिक्षा संस्थाओं की अधिक सुविधा दें। जिस तरह से समाजवादी समाज का एलान किया है, समाजवाद के ढांचे पर शिक्षा की मान्यताओं और अनुदानों को ढील देना होगा। पूर्वी जिलों के जितने स्कूल हैं, उनकी आवश्यकताएं पूरी नहीं हो पातीं, उनको मान्यता नहीं मिलती। मान्यता न मिलने के कारण उनको सहायता नहीं मिलती है। पूर्वी जिलों में ऐसे लोग नहीं हैं, इस तरह से बलवान नहीं हैं कि अपने बल पर खड़े हो सकें, लेकिन हर तरह से कटौती करके उन संस्थाओं को चलाते हैं। लेकिन मंत्री महोदय ध्यान नहीं देते। जो अनुदान मिलता है उसमें सौतेला

व्यवहार किया जाता है। मैं आंकड़े पेश करूंगा। जहां कानपुर जिले को करीब ४३ हजार, आगरा को करीब २६ हजार, लखनऊ को करीब २१ हजार, मेरठ को करीब २० हजार मिला है वहां बस्ती को जो कि सबसे पिछड़ा और सबसे बड़ा जिला है सिर्फ़ ८ हजार रुपया के लगभग दिया गया है। यह खेद की बात है। वह नारा लगाते हैं कि पिछड़े हुओं को आगे बढ़ाइये तो इसके क्या मानी हुए? हम जितना पिछड़े हैं और खदेड़े जाते हैं।

पिछली संविद सरकार में १९६५ से जितने उम्मीदवार जिला परिषद् में रखे गये थे सब निकाल दिये गये। कुछ लोगों के मुकदमे चल रहे हैं। जितने उम्मीदवार हैं आज तक तनख्वाह नहीं मिल पायी है। लेकिन अपनी गरीबी में उपवास करके किसी न किसी तरह से स्कूलों में काम कर रहे हैं। जो मास्टर रेगुलर काम कर रहे हैं उनको भी ५–५, ६–६ महीने तक तनख्वाह नहीं मिलती है। तो मैं मंत्री जी का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि वह पूर्वी जिलों की गरीबी की ओर ध्यान देकर हर तरह की सुविधा दें ताकि हमारे यहां के लड़के पढ़ सकें और वहां के लोग प्रगति कर सकें। पिछड़ेपन और गरीबी के कारण वहां के लोग आगे नहीं बढ़ पाते हैं। आप पूर्वी उत्तर प्रदेश का दौरा करके इस चीज को देख सकते हैं और और पूर्वी जिलों की गरीबी दूर करने के लिए अच्छा हो कि आप एक बोर्ड बना दें। जिस तरह का आयोग आपने कोठारी आयोग बनाया था, हालांकि उसकी सिफ़ारिशों को सरकार ने लागू नहीं किया है, लेकिन इसकी सिफ़ारिशों को अवश्य लागू करने का कष्ट करना। आप हर तरह से शिक्षा जगत में योगदान दें, सहायता दें, ताकि हमारे पूर्वी जिले भी आगे बढ़ सकें। मैं आपके द्वारा मंत्री महोदय का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि वहां पर विज्ञान की मान्यता बहुत कम मिल पायी है। इसका कारण यह है कि उसके लिए बहुत धन की आवश्यकता होती है। इस विज्ञान के युग में ज्यादातर लोग अपने बच्चों को विज्ञान की शिक्षा दिलाना चाहते हैं, लेकिन उसका कोई समुचित प्रबन्ध हमारे यहां नहीं है। लड़कियों का एक ही स्कूल धनाभाव के कारण है। जैसा कि मैंने आप से निवेदन किया आप मान्यता देने की इन शर्तों में ढीलापन नहीं कर पाए तो हम आगे नहीं बढ़ पावेंगे। यह हमें आप से निवेदन करना था, जो हमारे पूर्वी जिलों को ठुकराया जा रहा है यह बन्द किया जाए और उनको आगे बढ़ाने का काम किया जाए और उनको अधिक सहायता दी जाए।

श्री लक्ष्मण स्वरूप (जिला मेरठ)—

अध्यक्ष महोदय, मैं शिक्षा के ऊपर अपने कुछ सुझाव पेश करना चाहता हूं, क्योंकि ४ वर्षों के अध्यापन कार्य में जो मैंने शिक्षा जगत की परेशानियों का अनुभव किया है उनसे आप के द्वारा इस सदन को अवगत कराना चाहता हूं। जब तक इस प्रदेश के अन्दर, क्या पूरे राष्ट्र के अन्दर शिक्षा का राष्ट्रीकरण नहीं होगा तब तक शिक्षा के क्षेत्र में विकास नहीं हो सकता है। क्योंकि आज शिक्षा संस्थाओं के ऊपर सरकार का नियंत्रण नहीं है, आज शिक्षा संस्थाओं के ऊपर राजनीतिक नेताओं का नियंत्रण है, चाहे वह राजनीतिक नेता उस पक्ष के हों या इस पक्ष के हों। जो यह परेशानी है, यह हमारे जो समाज की सबसे बड़ी कुरीति है जब तक यह दूर नहीं की जाएगी तब तक शिक्षा का विकास नहीं हो सकता। आज विद्यार्थी हड़ताल करते हैं, शिक्षक अनशन करते हैं, इसका क्या कारण है? इसका मुख्य कारण है, जो कुछ भी होता है यह केवल राजनीतिक नेताओं के द्वारा किया जाता है। मैं थोड़े से उदाहरण आपके सामने रखना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, उदाहरण के तौर पर बनारस विश्वविद्यालय का उदाहरण ले लीजिए—गजेन्द्र गडकर कमेटी की रिपोर्ट इस बात को साबित कर देती है कि उसमें सबसे ज्यादा हाथ किस का रहा है। लखनऊ व गोरखपुर विश्वविद्यालय के उदाहरण ले लिए जायं, यहां भी वही कारण राजनीतिक अधिकारियों का हाथ रहा है।

मैं राजनीतिक नेताओं और अधिकारियों को एक ही समझता हूं। आज, अध्यक्ष महोदय कुछ व्यक्तियों ने एक संस्था पर नहीं तीस तीस संस्थाओं पर अधिकार कर रखा है। आप

[श्री लक्ष्मण स्वरूप]

डी० ए० वी० कालेज को ही ले लें। उत्तर प्रदेश में डी० ए० वी० कालेजों में अध्यक्ष केवल राजनीतिक क्षेत्र में ही योग्य नहीं हैं बल्कि शिक्षा के क्षेत्र में भी योग्य हैं। इसका क्या कारण है? क्या यहां पर भ्रष्टाचारी नहीं पनपेंगे और क्या जातिपांति की भावना यहां पर नहीं भड़केगी और क्या इससे शिक्षा का विकास हो सकता है ?

श्री अध्यक्ष—

आप कल अपना भाषण जारी रखें।

हलवाइयों द्वारा सांकेतिक हड़ताल के संबंध में नियम ५१ के अन्तर्गत सूचना

श्री अध्यक्ष—

नियम ५१ के अन्तर्गत १४ सूचनायें मेरे पास आयी हैं। कल तेरह थीं और अब १४ हैं। इसमें से श्री नित्यानन्द स्वामी ने एक सूचना दी है कि प्रदेश के हलवाइयों द्वारा बिक्री कर के विरोध में सांकेतिक हड़ताल होने वाली है। इसके लिये मैंने माननीय मंत्री जी से कहा था कि आप आज अपना वक्तव्य दे सकें तो दे दें, लेकिन उन्होंने कहा कि कल दे सकेंगे तो वह कल दिया जायगा। मैं नहीं समझता कि उसमें क्या इम्पोर्टेन्स है लेकिन कल मंत्री जी उस पर वक्तव्य दे देंगे। मैंने इनका हिसाब अलग अलग करके लगाया है। वह इस प्रकार से है :

श्री रामसिंह खन्ना आदि ने बरेली नगरपालिका के जूनियर हाई स्कूल तथा इन्टर कालेज के अध्यापकों को जो १९६५-६६ में सेवा निवृत्त हो चुके हैं पेंशन तथा जी०पी० फन्ड न दिये जाने से सम्बन्धित सूचना दी है लेकिन यह इतने महत्व का नहीं है और यह अस्वीकृत हो गया।

श्री सुखपाल पांडेय व श्री राम करन सिंह की सूचना जिलाधीश, बरेली के स्थानान्तरण तथा आगरा के अतिरिक्त आयुक्त के पद पर नियुक्ति से सम्बन्धित है। यह थोड़ी सी इम्पोर्टेन्ट है। इसको ले सकते हैं। इस पर एक शोर्ट नोटिस क्वेश्चन भी है। उसको सुनने के बाद ले सकते हैं। शायद आज कल में उसका जवाब आने वाला है।

सर्वश्री माता प्रसाद, सूर्यनाथ उपाध्याय व राम शिरोमणि की सूचना जिला परिषद्, जौनपुर, के अध्यक्ष द्वारा मुगेरा बादशाहपुर की प्रायमरी पाठशाला में तालाबन्दी से सम्बन्धित है।

श्री चन्द्र पाल आजाद की सूचना मथुरा जिले में हवाई जहाज द्वारा कुछ यंत्र और चीनी साहित्य गिराये जाने से सम्बन्धित है। यह भी महत्व का है और इसको ले सकते हैं।

श्री मैनेजर सिंह, श्री निर्भय नारायण व श्री बच्चा पाठक की सूचना अति वृष्टि के फलस्वरूप बलिया जिले में खरीफ की फसल की क्षति के सम्बन्ध में है। इस अस्वीकार किया गया है।

श्री मोहन लाल कपूर व श्री नित्यानन्द स्वामी, आदि की सूचना गुप्त काशी जोशी-मठ मार्ग पर धारचूला के पास यात्री बस के गिर जाने के फलस्वरूप यात्रियों के हताहत होने से सम्बन्धित है। इसके बाद सर्व श्री गोबिन्द सिंह, देवकी नन्दन विभव, शंकर प्रसाद जायसवाल व शचीन्द्र नाथ बख्शी ने वाराणसी में गंगा नदी का पानी संकट बिन्दु से ऊपर होने से सम्बन्धित है। तो बाढ़ तो सभी जगह चल रही है।

सर्वश्री राम देव, राम किंकर व राजित राम ने जिला परिषद्, प्रतापगढ़, के २०० अध्यापकों का दूर स्थानों पर ट्रांसफर होने की सूचना दी है। यह अस्वीकृत हुआ।

श्री नगीना सिंह व श्री शम्भू नाथ चौधरी की सूचना काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में गजेन्द्र गडकर कमीशन की रिपोर्ट में पुलिस अधिकारियों की जांच से सम्बन्धित है। इसको अगर आप देना चाहें तो दे सकते, लेकिन यह आज नहीं स्वीकृत हुआ।

श्री शिवराज सिंह, श्री डी० पी० बोरा, श्री सी० पी० एन० सिंह, श्री शिव महेन्द्र सिंह व श्री जितेन्द्र पाल सिंह ने उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय गैर-शिक्षक संघ द्वारा ९ अगस्त से हड़ताल की घोषणा से सम्बन्धित सूचना दी है। यह महत्व का है और इसको रिपीट करवा सकते हैं।

उपरोक्त सूचनाओं में श्री नित्या नन्द स्वामी की सूचना सब से अधिक अविलम्बनीय लोक महत्व की होने के कारण स्वीकार की गई है। इस पर माननीय वित्त मंत्री जी कल वक्तव्य देंगे।

जिला मुरादाबाद के ग्राम सिसौटा में ऊंची जाति के लोगों द्वारा हरिजनों पर हमला करके ३ व्यक्तियों को कत्ल करने के सम्बन्ध में श्री रियासत हुसैन द्वारा नियम ५१ के अन्तर्गत दी गई सूचना पर माननीय मुख्य मंत्री जी का वक्तव्य। माननीय मुख्य मंत्री जी।

श्री राजित राम पांडेय (जिला इलाहाबाद)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान प्रतापगढ़ जिले के मास्टरों के साथ हो रहे अत्याचार की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। वहां पर दो सौ मास्टरों को छः महीने से तनख्वाह नहीं मिल रही है और उनके साथ इतना जुल्म और ज्यादती हो रही है। आपके माध्यम से मैं सरकार का ध्यान इस की ओर आकर्षित करना चाहता हूं।

ग्राम सिसौटा, जिला मुरादाबाद में हरिजनों पर हमले के संबंध में नियम ५१ के अन्तर्गत वक्तव्य

चिकित्सा मंत्री (श्री कृष्णानन्द राय)—

जांच से यह कथन कि सिसौटा तथा अन्य ग्रामों के उच्चवर्ग के कई हजार लोगों ने बन्दूकों, रिवाल्वर, बल्लमों और लाठियों से सुसज्जित होकर सिसौटा ग्राम के हरिजनों पर दिनांक २ अगस्त, १९६९ को ४ बजे अपराह्न में आक्रमण किया, बिल्कुल गलत पाया गया।

यह बात भी सही नहीं पाई गई कि सिसौटा ग्राम व अन्य पड़ोसी ग्रामों के हरिजनों ने भय व आतंक के कारण अपने घर छोड़ दिये हैं और अपनी जान व इज्जत बचाने के लिए उधर भागे फिर रहे हैं। सिसौटा ग्राम व आसपास के गांव के हरिजनों में किसी प्रकार का भय व आतंक नहीं है। इस घटना से क्षेत्र में कोई असन्तोष नहीं है बल्कि जनता प्रसन्न है कि इस प्रकार के अवांछनीय व्यक्तियों का अन्त हो गया है।

सही बात यह है कि तीन हरिजन (मुन्ना, तोता उर्फ टुंटा तथा सोमपाल) सिसौटा ग्राम में डकैती डालने का प्रयास करते हुए ग्रामवासियों द्वारा मारे गये। तीनों मृतकों की लाश वादी के मकान व चौपाल पर पाई गई है और घटना हरिजनों के यहां न होकर वादी के यहां हुई है। हरिजनों की ओर से कोई रिपोर्ट नहीं की गई है। वादी ने ही इस घटना की रिपोर्ट की है। अभी तक की गई जांच के आधार पर घटना निम्नवत पाई गई।

दिनांक २-८-६९ को अपराहन साढ़े ५ बजे श्री लखपत सिंह, पुत्र श्री भीमसेन, ग्राम सिसौटा की चौपाल पर, सिसौटा ग्राम के सोपमाल पुत्र बल्देव जाटव, ९-१० अन्य साथियों के साथ जिनमें तोता उर्फ टुन्टा निवासी ग्राम सैदरी की मिलक, थाना असमौली, मुन्ना जाटव ग्राम गिदौड़ा थाना डिडौली, श्यामा पुत्र गिरधा व बुद्धा पुत्र कन्हैई जाटव, निवासी मौजा अतौरी, गजुआ पुत्र प्रेमा उर्फ पूसा कहार, नि० ग्राम मिलक डूंगर वाली, मोहन व जगदीश जाटव, नि० राजाकपुर थे चढ़ आए। दिन में इससे पूर्व इन लोगों ने शराब पी थी तथा गांव वालों की ६ मुर्गियों व एक बकरी का बच्चा मार डाले थे। मुन्ना व टुन्टा के पास बन्दूकें थीं, सोमपाल, गजुआ व मोहन के पास तमन्चे थे और शेष के पास लाठियां व बल्लम थे। चौपाल पर वादी के ताऊ लोकमन व वादी के गांव का संसन्सदार विक्रम और प्रधान सोहन सिंह मौजूद थे। वादी

[श्री कृष्णानन्द राय]

अपने नये बने मकान के दो मंजिले पर बने कमरे में था गजुआ ने बिक्रम को पकड़ लिया और सोमपाल वादी के ताऊ के पास पहुंच गया, और बन्दूकें मांगने लगे और कहा कि वे बिना बन्दूकें लिए नहीं मानेंगे। बिक्रम ने मौका पाकर अपना हाथ छुड़ा लिया और अपने घर में से अपनी लैसन्सी बन्दूक लेकर सीढ़ी के जरिये वादी के पास कमरे में छत पर पहुंच गया। वादी की बन्दूक उसके पास पहले ही से मौजूद था। वादी के ताऊ व प्रधान सोहन सिंह ने सोमपाल व उसके साथियों को बहुत समझाया पर वह नहीं माने। वे गाली गुफ्ता व फायर करते हुए वादी के घर की ओर बढ़े। इन्हीं के फायरों के कुछ छर्रे भरत सिंह को बिक्रम के घर से झांकते समय लग गये। वादी ने अपने घर का बाहर का दरवाजा अन्दर से बन्द कर लिया था। मुन्ना बन्दूक लेकर वादी के मकान पर उत्तरी दीवार पर ननुआ के घर में बनी सीढ़ियों का सहारा लेकर चढ़ आया और गांव वालों की तरफ फायर किया। तोता उर्फ टुन्टा ने चौपाल के चबूतरे पर खड़े होकर अपनी बन्दूर से वादी की ओर फायर किया। दोनों फायर बच गये। शेष बदमाश भी वादी के घर में घुसने की कोशिश करने लगे। वादी ने मुन्ना से वापस उतर जाने को कहा, मगर वह नहीं उतरा और अपनी बन्दूक को दोबारा भरकर वादी की ओर सीधा किया। वादी ने अपने बचाव में अपनी बन्दूक के दोनों फायर उस पर कर दिये जिनकी चोट से वह आहत होकर गिर गया और मर गया। उसकी बन्दूक भी दीवार के बाहर गिर पड़ी जिसको उसके साथी उठाकर भाग गये। वादी के साथी लाइन्सेसदार बिक्रम ने भी अपनी बन्दूक से तोता उर्फ टुन्टा पर जोकि चौपाल पर से गांव वालों पर अपनी बन्दूक से फायर कर रहा था, फायर कर दिया जिससे वह वहीं लड़खड़ाया। उसी समय खुशीराम वल्द लेखराज, सोहन सिंह प्रधान करन सिंह वल्द मटरू व मोहन वल्द नौवत ने भी जो बदमाशों को भागने पर आ गये थे उसे लठियां कर गिरा लिया और वह वहीं पर मर गया। उसकी बन्दूक उसी लाश के पास से बरामद की गई। शोर पर उत्तर की ओर से भलखान वल्द रहमू, हकीमुल्ला वल्द अलीमुल्ला, अमीर हुसैन वल्द अब्दुल्ला, वली मोहम्मद वल्द अल्ला बख्श, बाबू वल्द रजाक तेली, जौहरी वल्द चुन्नी घटनास्थल पर आ गये। उन पर सोमपाल तमन्चा लेकर हमलावर हुआ और उन पर फायर किया। कारतूस मिस हो गया। उसको गांव वालों ने लाठी व तबल से चोट पहुंचाकर गिरा दिया जिसके कारण उसकी मत्यु हो गई। उसका तमन्चा भी उसकी लाश के पास से बरामद हुआ। इस घटना की जांच पुलिस द्वारा हो रही है।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

श्रीमन्, म इसमें जो कुछ सवाल करूंगा तो यह ध्यान रहे कि यह एक कहनी है इस वाक्ये की कि इस इलाके के अन्दर २७ गांव ठाकुरों के हैं। क्या यह सही है कि सोमपाल जो इस वक्त बदमाश के रूप में मारा गया वह एक भूमिहीन मजदूर था और अब से कुछ साल पहले जब इस थाने पर ठाकुर जाति के थानेदार तैनात थे तो सिर्फ इसलिए उसके ऊपर झूठा मुकदमा लगाया कि यह ठाकुर लोगों से सलाम नहीं करता था और दबता नहीं था?

श्री अध्यक्ष—

यह सवाल कहां से पैदा होता है?

श्री रियासत हुसैन—

केस यहां से है। दो जातियों में दुशमनी पैदा हो गयी तो उन सारी चीजों की वजह से यह घटना हुई। यह इसकी पृष्ठभूमि है।

श्री अध्यक्ष—

आप सीधा प्रश्न पूछें।

श्री रियासत हुसैन—

क्या यह सही है कि सोमपाल के ऊपर जो मुकदमे कायम किये गये वह धारा १०९ और ११० के थे ?

श्री कृष्ण नन्दराय—

यह सही नहीं है। स्थिति यह है कि यह व्यक्ति थाना मैनाठेर के अ० सं० ६३ धारा ३०२/२०१ भा० दं० वि० में अभियुक्त है। इस मुकदमें में यह व्यक्ति जमानत पर था। यह मुकदमा अभी न्यायालय में विचाराधीन है।

श्री रियासत हुसैन—

क्या माननीय मंत्री जी को यह मालूम है कि सोमपाल और उसके दूसरे साथी, जो उसी गांव में रहने वाले है वहां के ठाकुरों से एक मुकदमा ३०२ के सिलसिले में, जिसमें उनके ऊपर यह चार्ज था कि उसने एक ठाकुर के लड़के को मारकर जला दिया था, चल रहा है ?

श्री कृष्णानन्दराय—

माननीय सदस्य को मैं यह बतलाऊं कि सोमपाल और उसके दूसरे साथी उसी गांव के थे, यह सही नहीं है। सोमपाल सिसौटा का था और जो दुर्घटना करने के लिये आये थे वे सब दूसरे गांव के थे। लखपत सिंह भी दूसरे गांव का था ?

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)—

मैं यह जानना चाहता हूं कि ये तीन लाशें पुलिस ने किस स्थान से बरामद की, उसके घर से या चौपाल से ?

श्री कृष्णानन्दराय—

यह लाशें वादी के मकान से बरामद हुईं। केवल सोमपाल की लाश चौपाल से बरामद हुई।

श्री गोबिन्दसिंह (जिला टेहरी गढ़वाल)—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि मृतकों के पास से जो बन्दूक बरामद हुई है, उनपर कोई फिंगर प्रिन्ट थीं, और थी तो उनकी फिंगर से तुलना की गई ?

श्री कृष्णानन्दराय—

इसकी सूचना हमारे पास उपलब्ध नहीं है।

श्री शम्भूनाथ चौधरी (जिला बलिया)—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि मुन्ना और तोता पर कोई फौजदारी का मुकदमा चल रहा था ?

श्री कृष्णानन्दराय—

जी हां, मुन्ना और तोता पर फौजदारी के मुकदमे चल रहे थे। ये दोनों व्यक्ति इस जिले की २० डकैतियों के लिये उत्तरदाई थे। मुन्ना पर ९ डकैती और १ हत्या का मुकदमा चल रहा था। तोता भी इस जिले की कई डकैतियों के लिये जिम्मेदार था।

श्री चरणसिंह (जिला मेरठ)—

क्या गवर्नमेंट बतलायेगी कि जिन लोगों के मकान पर हमला हुआ उनमें से किसी के गोली की चोट आई है ?

श्री कृष्णानन्दराय—

जो हां, भरतसिंह लोधी के गोली से चोट आई है ।

श्री चरणसिंह—

जो मुसल्लह होकर हमला करने के लिये गये वह तो सब मारे गये और जिन पर हमला हुआ उनमें से एक को चोट आई है तो क्या यह मुमकिन नहीं है कि हरिजनों के मकान पर हमला हुआ और उनकी लाश घसीट कर चौपाल में ले आये हों, तो इससे जाहिर है कि वह हमलावर होते हुए भी कामयाब न हुए हों । तो क्या सरकार इस बात के लिये तैयार होगी कि वह सी० आई० डी० के अफसरों से इसकी तहकीकात कराये ?

श्री कृष्णानन्दराय—

यह घटना इस प्रकार से है कि लखपत सिंह अपनी छत पर था । विक्रम भी उसी छत पर पहुंच गया । यहां वे अपनी बन्दूक छीनने के लिये जाने लगा तो उसी समय फायरिंग हो गई । इसमें कठिनाई यह हुई कि उन हरिजनों ने कोई एफ० आई० आर० नहीं दाखिल किया और न पुलिस को प्रार्थना पत्र दिया ।

श्री चरणसिंह—

क्या इस बात पर विचार किया गया है कि यह भी संभव हो सकता है कि जो लोग मारे गये उनकी तरफ से कोई आदमी डर की वजह से थाने में नहीं जा सका ?

श्री कृष्णानन्दराय—

ऐसा कोई भी आरोप किसी भी सिसौटा निवासी की तरफ से नहीं हुआ है और यदि विरोधी दल कोई आरोप बतायें तो सभी चीज की जांच करायी जा सकती है ।

श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)—

जैसा कि चौधरी साहब ने कहा, यह चीज मशकूक है कि तीनों आदमी जो हमला पेश हैं, दो के पास बन्दूक थी, एक के पास तमंचा था और ८–९ के पास लाठियां थीं और वे हमला करने की नीयत से जाते हैं, लेकिन मारे यही लोग जाते है, तो क्या सरकार इसको मशकूक नहीं समझती है ?

श्री कृष्णानन्दराय—

मैंने कई बार कहा कि लखपत सिंह, एक आदमी थाने में रिपोर्ट करता है कि ये लोग हमारे ऊपर हमला किये । ऐसी परिस्थिति में मारे गये और दूसरी पार्टी की तरफ से न कोई रिपोर्ट है और न शिकायत है । तो जो रपट पुलिस के पास है पुलिस उसकी जांच कर रही है, और जो रिपोर्ट आप दें, उसकी भी जांच करायी जा सकती है ।

श्री रियासत हुसैन—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि शोभनाल जब मारा गया तो उसके वारिसन में कौन कौन है, मां, लड़का, बाप आदि कोई हैं जिनसे पुलिस ने कुछ कांटेक्ट किया हो ?

श्री कृष्णानन्दराय—

इसकी जानकारी हमें नहीं है ।

श्री डी० पी० बोरा (जिला लखनऊ)—

व्यवस्था का प्रश्न है । दफा ५१ के जितने भी प्रश्न होते हैं ये लोग महत्व के हुआ करते हैं और कल ऐसा हुआ तो अखबारों में उसकी रिपोर्ट नहीं हो पाई है, तो मैं निवेदन करूंगा कि क्या इस तरह की कोई तहकीकात हमारे पत्रकार बंधुओं को देने की कृपा करेंगे ?

श्री अध्यक्ष—

यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। जो सदन में कार्यवाही चल रही है उसके अन्दर ही व्यवस्था का प्रश्न उठता है, कोई नई चीज उठाकर व्यवस्था का प्रश्न नहीं हो सकता।

श्री महीलाल (जिला मुरादाबाद)—

क्या मंत्री जी इस बात की जानकारी करायेंगे कि इस क्षेत्र में इस थाने के अन्तर्गत केवल तीन यही कत्ल नहीं हुए है, इससे कुछ दिन पहले ग्राम अतौरी में एक जाटव का कत्ल हुआ था और उसकी रिपोर्ट थाने में लिखाई गयी थी। स्टेशन इंचार्ज हरिजन था और सिर्फ इसलिए कि चूंकि मुद्दई जाटव था और स्टेशन इंचार्ज जाटव था उसके खिलाफ दरख्वास्त दी गई कि चूंकि इंचार्ज जाटव है, लिहाजा उसे मुत्तिल किया जाय उसी बिना पर ? (आवाजें—शेम, शेम।)

श्री कृष्णानन्दराय—

बिला वजह शेम, शेम कर रहे हैं। नियम ५१ के ऊपर सूचना मंगाई गयी थी, हमें क्या मालूम हो सकता है कि अतौली ग्राम में क्या हुआ था। इसकी सूचना नहीं है इस समय।

श्री गोविन्दसिंह—

क्या घटनास्थल पर कोई फायर की हुई गोली बरामद हुई ? यदि हां, तो क्या उस गोली की और जो हथियार वहां पाये गये उनको बैलास्टिक एक्सपर्ट के पास भेजा गया ?

श्री कृष्णानन्दराय—

ये बन्दूक और तमंचे तो वहां पर मिले हैं। गोली की सूचना नहीं आ सकी है। ये तो रेडियोग्राम से सूचना मंगाई गयी है। और कोई सूचना मांगी जायगी तो मंगवायेंगे।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

मान्यवर, इसमें तीन हरिजन गोली से मारे गये, इसलिए क्या माननीय मुख्य मंत्री जी इस पर विचार करेंगे कि तीन-तीन आदमियों के गोली से मारे जाने के कारण हरिजनों में इतना आतंक रहा हो कि वह थाने तक न जा सके हों ?

अध्यक्ष—

इसका जवाब हो गया।

श्री चरणसिंह—

जो गवर्नमेंट की तरफ से बयान दिया गया कि इस घटना से क्षेत्र में कोई असन्तोष नहीं है, बल्कि जनता प्रसन्न है कि हम इस प्रकार के अवांछनीय लोगों का अन्त हो गया। तो यह गवर्नमेंट की अपनी राय है या रिपोर्ट है अधिकारियों की ? क्या इस प्रकार के अवांछनीय लोगों का इस तरह अन्त हो जाना गवर्नमेन्ट अच्छा मानती है कि लोग अपने हाथ में कानून लें ?

मुख्य मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)—

अध्यक्ष, महोदय यह तो रिपोर्ट अधिकारियों ने दी है, लेकिन नई बात नहीं है। अभी अभी यह जो बहुत मशहूर डकैत था जिसको कि हमारे डी० आई० जी० की तहत में जो कप्तान थे उसने मारा गिरिराज सिंह को और उसको इनाम दिया गया और लोगों ने खुशी मनाई और यह व्यक्ति उसी प्रकार के हैं कि रोज डकैती डालते थे और इनके मारे जाने पर लोग खुशी मनायें तो इसमें कोई वैसी बात नहीं है।

श्री रियासत हुसैन—

क्या माननीय मंत्री जी यह बतलायेंगे कि क्या ये तीनों लोग डिक्लेयर्ड आउट ला थे ?

श्री कृष्णानन्द राय--

डिक्लेयर्ड आउटला नहीं थे। सोमपाल ३२३/३०७ का मुलजिम था। मुन्ना की बहुत डकैतियों के सिलसिले में खोज हो रही थी और श्यामा और बुद्धा ३२३/३०७ के मुलजिम थे और इनकी तफतीश हो रही थी।

श्री चरणसिंह--

क्या माननीय मुख्य मंत्री जी को इस तरह के अफेन्डर को शूट डाउन करने में और ऐसे वाकये में जिसमें दो फरीक थे मारे जाने में यह एहसास नहीं हो रहा है कि ला ऐन्ड आर्डर की सिचुएशन खराब हो रही है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--

जब चरण सिंह जी मुख्य मंत्री बनकर बैठेंगे, तभी ला ऐन्ड आर्डर की हालत ठीक होगी।

श्री महीलाल--

माननीय मंत्री जी इस रिपोर्ट में देखेंगे कि कोई दो आदमियों की बात नहीं थी बल्कि चार, पांच गांव के आदमी नामजद किये गये हैं अतौरी, राजकपूर और मिलक डंगर। इन लोगों के खिलाफ कोई डकैती के मुकदमें क्या दर्ज थे ?

श्री कृष्णानन्द राय--

श्रीमन्, मैंने बताया कि श्यामा जाटव, जगदीश और गजुआ इन लोगों के ऊपर मुकदमें दर्ज हैं। विस्तृत सूचना इस समय उपलब्ध नहीं है।

श्री महीलाल--

क्या माननीय मुख्य मंत्री जी इस बात की जांच करावेंगे कि दो तारीख की रात के ९ बजे मैंने एस० पी० को टेलीफून किया था कि ५० आदमी मेरे घर पर हैं जो आपसे मिलने के लिए आए हैं। इनको थाने नहीं जाने दिया गया है इन से आप सुबह मिल लें।

श्री कृष्णानन्द राय--

अवश्य जांच करा लेंगे यदि माननीय सदस्य लिखकर भेज देंगे।

श्री अध्यक्ष--

अब हम उठते हैं और कल साढ़े दस बजे फिर बैठेंगे ?

(इसके बाद सदन ५ बजकर ३० मिनट पर अगले दिन के १० १/२ बजे तक के लिये स्थगित हो गया)।

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ :
६ अगस्त, १९६९।

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या ४ का उत्तर पीछे पृष्ठ १४४ पर)

प्रश्न नं० ४ से सम्बन्धित तालिका

१—श्री वीरेन्द्र सिंह ओसवाल (निलम्बन की तिथि—२८ जनवरी, १९६६)

श्री वीरेन्द्र सिंह ओसवाल, सार्वजनिक निर्माण विभाग, गोपेश्वर (कोटद्वार) में स्टोर कीपर थे। श्री ओसवाल पर ७,५८५ के मूल्य की जी० सी० आई० शीट्स के हिसाब में गड़बड़ी का आरोप था। इस गड़बड़ी के सिलसिले में मामला पुलिस को दे दिया गया और अधीक्षण अभियंता ने श्री ओसवाल के निलम्बन के आदेश ३०-११-६५ को दे दिये। इस निलम्बन के आदेश के होने से पूर्व ही श्री ओसवाल का स्थानान्तरण कोटद्वार से रुद्रप्रयाग को हो गया था और वह १५-९-६५ से कोटद्वार से रिलीव भी कर दिये गये थे। रिलीव होने के उपरान्त श्री ओसवाल ने अपनी नई जगह पर कार्यभार तो नहीं संभाला परन्तु २७-१-६६ तक छुट्टी पर रहे। उसके बाद भी उन्होंने नया कार्यभार ग्रहण नहीं किया और बिना किसी अनुमति के अनुपस्थित रहे। इस प्रकार श्री ओसवाल २८-१-६६ से निलम्बित माने गये।

पुलिस की जांच के उपरान्त श्री ओसवाल के विरुद्ध धारा ४०९ आई० पी० सी० का मुकदमा एस० डी० एम०, लेन्सडाउन की अदालत में चलाया गया। एस० डी० एम०, लेन्सडाउन ने १६-८-६८ को यह मुकदमा सेशंस के सुपुर्द कर दिया है और मुकदमा अभी तक वहीं पर चल रहा है। श्री ओसवाल के विरुद्ध अभी कोई विभागीय कार्यवाही नहीं की गई है, इसलिये विभाग द्वारा चार्जशीट देने का प्रश्न अभी तक नहीं उठा है।

२—श्री महेश्वरी प्रसाद श्रीवास्तव (निलम्बन तिथि—९ फरवरी, १९६६)

श्री महेश्वरी प्रसाद श्रीवास्तव, सार्वजनिक निर्माण विभाग के हेड क्लर्क थे। प्रान्तीय खण्ड गोपेश्वर में लेखाकार (Divisional Accountant) के पद पर उनकी नियुक्ति स्थानापन्न रूप से १७-४-१९६५ को कार्य करने के लिये हो गई थी। अब अधिशासी अभियंता, प्रान्तीय खण्ड, गोपेश्वर ने इन स्थानापन्न लेखाकार के विरुद्ध ८-२-१९६६ को एक ठेकेदर से घूसखोरी के संबंध में लिखित रिपोर्ट की तब यह पुलिस द्वारा उसी रात को पकड़ लिये गये और ९-२-६६ को महालेखाकार, इलाहाबाद को इन्हें पुलिस द्वारा पकड़े जाने के कारण निलम्बित करने को लिख दिया गया। फलस्वरूप श्री महेश्वरी प्रसाद श्रीवास्तव को महालेखाकार, उत्तर प्रदेश के आदेश द्वारा ९-२-१९६६ से निलम्बित किया गया। श्री महेश्वरी प्रसाद श्रीवास्तव के विरुद्ध फौजदारी का मुकदमा चलाने की स्वीकृति भी मुख्य अभियंता ने इस आधार पर दे दी थी कि वह इस विभाग के ही कर्मचारी थे। परन्तु स्पेशल जज ने यह कहकर कि श्री महेश्वरी प्रसाद श्रीवास्तव घूस लेने के समय स्थानापन्न लेखाकार थे और स्थानापन्न लेखाकार की नियुक्ति के प्राधिकारी महालेखाकार थे और क्योंकि महालेखाकार द्वारा मुकदमा चलाने की स्वीकृति नहीं ली गई थी इसलिये यह फैसला दिया कि इस कमी के कारण श्री महेश्वरी प्रसाद श्रीवास्तव को न तो सजा ही दी जा सकती है और न उन्हें अपराध से बरी किया जा सकता है। (The accused can, therefore. neither be covicted nov can he be acquitted of the offence)। इन परिस्थितियों में स्पेशल जज ने श्री महेश्वरी प्रसाद श्रीवास्तव के विरुद्ध मुकदमें की कार्यवाही २२-११-६८ को समाप्त कर दी। फैसले के उपरान्त निर्णय यह हुआ कि चूंकि श्री महेश्वरी प्रसाद श्रीवास्तव उक्त फौजदारी के मुकदमें के सिलसिले में निलम्बित किये गये थे और मुकदमा टेक्नीकल ग्राउन्ड पर खारिज कर दिया गया है इसलिये श्री श्रीवास्तव को उनके पद पर बहाल करना पड़ेगा जब तक उनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही करने का विचार न हो। विभागीय कार्यवाही आरम्भ करके उनका निलम्बन जारी रखा जा सकता है। श्री श्रीवास्तव के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही के संबंध में उनको चार्जशीट देने का प्रश्न विचाराधीन है।

३—जय सिंह बिष्ट (निलम्बन तिथि—२३ फरवरी, १९६८)

श्री जय सिंह बिष्ट प्रान्तीय खण्ड, गोपेश्वर में १७–४–६७ से ४–१२–६७ तक खजान्ची (cashier) का कार्य कर रहे थे। इस समय इनको रु० ५,४९५.९९ पैसे का गोलमाल करने के कारण दिनांक २३–२–६८ को निलम्बित किया गया। इनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जा रही है। इनके विरुद्ध जो चार्जशीट तैयार हुई थी उसको मुख्य अभियंता ने १२–११–६८ को जांच अधिकारी के पास आगे की कार्यवाही करने के लिये भेज दिया है। जांच अधिकारी को शीघ्रता से जांच पूरी करने का भी आदेश भेज दिया गया है।

४—श्री सिया राम सिंह (निलम्बन की तिथि—१६ अप्रैल, १९६९)

श्री सियाराम सिंह निलम्बन के समय प्रान्तीय खण्ड, गोपेश्वर में अधिदर्शक के पद पर कार्य कर रहे थे। जब वह प्रान्तीय खण्ड, फतेहगढ़ में अधिदर्शक के पद पर थे तब उनके विरुद्ध आरोपों के संबंध में गुप्तचर पुलिस (C. I. D.) द्वारा जांच हुई थी। उनके विरुद्ध जी० टी० रोड से पेड़ों का अनियमित रूप से काटा जाना, पक्की नाली में खराब काम कराना, पुलिया में खराब माल के लगाने, गलत पैमाइश करने, आदि के आरोप हैं। इनका निलम्बन १६–४–९ से किया गया है। इस मामले की जांच के लिये मुख्य अभियंता ने ६–६–१९६९ को जांच अधिकारी की नियुक्ति कर दी है और साथ ही चार्ज शीट भी जांच अधिकारी को श्री सिया राम सिंह को दे देने के लिये भेज दिया है।

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या २९ का उत्तर पीछे पृष्ठ १५९ पर)

सूची

विधान सभा के उन सदस्यों की संख्या जिन्हें दिनांक १ अप्रैल, १९६६ से ३१ मार्च, १९६९ तक की अवधि में लखनऊ में सरकारी आवास नहीं दिया जा सका :

तीसरी विधान सभा

अवधि	सदस्यों की संख्या
अप्रैल, १९६६	७३
मई, १९६६	७०
जून, १९६६	७०
जुलाई, १९६६	६८
अगस्त, १९६६	६७
सितम्बर, १९६६	६७
अक्तूबर, १९६६	६९
नवम्बर, १९६६	६८
दिसम्बर, १९६६	६८
जनवरी, १९६७	६८
फरवरी, १९६७	६१
१ मार्च, १९६७ से ९ मार्च १९६७ तक	६१

चौथी विधान सभा

अवधि	सदस्यों की संख्या
१० मार्च, १९६७ से ३१ मार्च, १९६७ तक	८१
अप्रैल, १९६७	८१
मई, १९६७	८१
जून, १९६७	८६
जुलाई, १९६७	३९
अगस्त, १९६७	३९
सितम्बर, १९६७	३४
अक्टूबर, १९६७	३५
नवम्बर, १९६७	३४
दिसम्बर, १९६७	३५
जनवरी, १९६८	३८
फरवरी, १९६८	३८
मार्च, १९६८	३९
१५ अप्रैल, १९६८ तक..	५७

पांचवीं विधान सभा

२६ फरवरी, १९६९ से ३१ मार्च, १९६९ तक	५८

'नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या ४२ का उत्तर पीछे पृष्ठ १६१ पर)

प्रश्न संख्या ४२ से संबंधित संलग्न

जिला	फसल	ग्रामों की संख्या जिनमें छूट स्वीकृत की गई	स्वीकृत की गई छूट	
			मालगुजारी	लगान
१	२	३	४	५
			रु०	रु०
इलाहाबाद ..	खरीफ १३७६ फसली	३७७६	१४,६६,७२८.२०	१,९८६.८३
जौनपुर ..	खरीफ १३७६ फसली	६९८	४,७७,६७८.२६	×
	रबी १३७६ फसली	२५२२	७,५२,८२७.७४	×
बाराणसी ..	खरीफ १३७६ फसली	२३८१	८,६७,१४३.६९	×
	योग ..	९३७७	३५,६४,३७७.८९	१,९८६.८३

नत्थी 'घ'

(देखिए पीछे पृष्ठ २६४ पर)

उत्तर प्रदेश नगर महापालिका (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, १९६९

(जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश नगर महापालिका (अल्पकालिक व्यवस्था) अधिनियम, १९६६ का संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के बीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

१—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश नगर महापालिका (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) अधिनियम, १९६९ कहलायेगा। उक्षिप्त नाम

२—उत्तर प्रदेश नगर महापालिका (अल्पकालिक व्यवस्था) अधिनियम, १९६६ में, धारा २ के प्रारम्भिक पैरा में, शब्द "दो वर्ष" के स्थान पर शब्द "तीन वर्ष और ग्यारह महीने" रख दिए जांए। उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या ४, १९६६ का संशोधन।

३—उत्तर प्रदेश नगर महापालिका (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) अधिनियम, १९६८, उत्तर प्रदेश नगर महापालिका (अल्पकालिक व्यवस्था) (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, १९६८, और उत्तर प्रदेश नगर महापालिका (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) अध्यादेश, १९६९, एतद्द्वारा निरस्त किए जाते हैं। निरसन राष्ट्रपति अधिनियम संख्या १२, १९६८ राष्ट्रपति अधिनियम संख्या २१, १९६८ उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या १, १९६९

उद्देश्य और कारण

उत्तर प्रदेश नगर महापालिका (अल्पकालिक व्यवस्था) अधिनियम, १९६६ द्वारा उत्तर प्रदेश की महापालिकाओं के अधिकार, कृत्य और कर्तव्य राज्य सरकार द्वारा नियुक्त प्रशासकों में १ फरवरी, १९६६ से दो वर्ष के लिए निहित कर दिए गए थे। बाद में पांच महापालिकाओं में से चार महापालिकाओं के सामान्य निर्वाचन हुए और महापालिकायें १ जुलाई, १९६८ से संगठित हो गयीं। नगर महापालिका, इलाहाबाद का समान्य निर्वाचन न हो सका और प्रशासक का कार्यकाल बढ़ाना आवश्यक समझा गया। तदनुसार, राष्ट्रपति द्वारा उत्तर प्रदेश नगर महापालिका (अल्पकालिक व्यवस्था) (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, १९६८ अधिनियमित किया गया जिसके द्वारा इलाहाबाद महापालिका के प्रशासक का कार्यकाल ३१ मर्च, के १९६९ तक या महापालिका का पुनर्गठन हो जाने तक, इनमें से जो भी पहले हों, अग्रेतर बढ़ाया गया।

२—प्रशासकीय कारणों से इलाहाबाद नगर महापालिका का सामान्य निर्वाचन तब तक न करने का निर्णय पहले किया गया था जब तक कि उत्तर प्रदेश विधान सभा का मध्यावधि निर्वाचन न हो जाय। तदुपरान्त यह निर्णय किया गया कि उक्त निर्वाचन को अक्तूबर–नवम्बर, १९६९ तक के लिये और स्थगित कर दिया जाय, तथा म्युनिसिपल बोर्डों और अन्य स्थानीय निकायों के समान्य निर्वाचन के साथ किया जाय।। चूंकि विधान मंडल सत्र में नहीं था, इसलिये उत्तर प्रदेश नगर महापलिका (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) अध्यादेश, १९६९, दिनांक २९ मार्च, १९६९ को प्रख्यापित तथा विज्ञापित किया गया और इस प्रकार प्रशासक का कार्य काल दिसम्बर, १९६९ के अन्त तक के लिए बढ़ा दिया गया। तदनुसार उक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिये यह विधेयक पुरःस्थापित किया जाता है।

अतिकुर रहमान,
मंत्री,
स्वायत्त शासन।

नत्थी 'ङ'

(देखिए पीछे पृष्ठ १६४ पर)

उत्तर प्रदेश गांव पंचायत क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् (संशोधन) विधेयक, १९६९

(जैसा कि उ० प्र० विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ)

यू० पी० पंचायत राज ऐक्ट, १९४७ और उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् अधिनियम, १९६१ का और संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के बीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:—

अध्याय १

प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम

१—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश गांव पंचायत, क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् (संशोधन) अधिनियम, १९६९ कहलाएगा।

अध्याय २

यू० पी० पंचायत राज ऐक्ट, १९४७ का संशोधन

यू० पी० ऐक्ट संख्या २६, १९४७ की धारा ५ के स्थान पर नयी धारा का रक्खा जाना

२—यू०पी० पंचायत राज ऐक्ट, १९४७ (जिसे आगे इस अध्याय म मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा ५ के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जाए, अर्थात्—

गांव सभा की सदस्यता

"५—प्रत्येक व्यक्ति जिसका नाम किसी गांव सभा की निर्वाचक नामावलि में तत्समय सम्मिलित हो, उस गांव सभा का सदस्य होगा।"

धारा ६ का संशोधन

३—मूल अधिनियम की धारा ६ में, उपधारा (१) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जाए, अर्थात्—

"(१) गांव सभा का कोई सदस्य उसका सदस्य नहीं रह जाएगा यदि उस सदस्य से सम्बन्धित प्रविष्ट गांव सभा की निर्वाचक नामावलि से निकाल दी जाए।"

धारा ६-ए के स्थान पर नयी धारा का रक्खा जाना

४—मूल अधिनियम की धारा ६-ए के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जाए, अर्थात्—

अनर्हता सम्बन्धी प्रश्न का निर्णय

"६-ए—यदि ऐसा कोई प्रश्न उठे कि कोई व्यक्ति धारा ५-ए या धारा ६ की उपधारा (१) में उल्लिखित किसी अनर्हता का भागी हो गया है या नहीं तो ऐसा प्रश्न नियत प्राधिकारी को उसके निर्णय के लिए अभिदिष्ट किया जाएगा और उसका निर्णय, किसी ऐसी अपील, जो नियत की जाए, के परिणाम के अधीन रहते हुए, अन्तिम होगा।"

धारा ९ के स्थान पर नयी धाराओं का रक्खा जना।

५—मूल अधिनियम की धारा ९ के स्थान पर निम्नलिखित धाराएं रख दी जाएं, अर्थात्—

"९—तत्समय प्रवृत्त किसी सभा-निर्वाचन-क्षेत्र की निर्वाचक नामावलि का उतना भाग, जिसका सम्बन्ध गांव सभा के अधिक्षेत्र में सम्मिलित क्षेत्र से है, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए गांव सभा की निर्वाचक नामावलि समझी जाएगी।

गांव सभा की निर्वाचक नामावलि

स्पष्टीकरण—इस धारा में पद "सभा-निर्वाचन-क्षेत्र" का वही तात्पर्य है जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, १९५० में इसके लिए दिया गया है।

९-ए—सिवाय इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन अन्यथा की गयी व्यवस्था के, प्रत्येक व्यक्ति जिसका नाम किसी गांव सभा की निर्वाचक नामावलि में तत्समय सम्मिलित हो, गांव सभा, गांव पंचायत या न्याय पंचायत के किसी निर्वाचन में मत देने के लिए हकदार होगा और उसमें किसी पद पर निर्वाचित, नाम निर्दिष्ट या नियुक्त किए जाने के लिए पात्र होगा।"

गांव सभाओं के सदस्यों का मत देने या पद धारण करने का अधिकार

धारा १२ का संशोधन

६—मूल अधिनियम की धारा १२ में, उपधारा (२) में शब्द "आठ वर्ष" के स्थान पर शब्द "दस वर्ष" रख दिए जाएं।

धारा १२-ए के स्थान पर नयी धारा का रखा जाना।

७—मूल अधिनियम की धारा १२-ए के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जाय, अर्थात्—

"१२-ए-किसी गांव सभा के प्रधान या उप प्रधान अथवा गांव पंचायत के किसी सदस्य के पद के लिए निर्वाचन नियत रीति से गुप्त मत पत्र द्वारा होगा।"

निर्वाचन की रीति

धारा १२-बी बी के स्थान पर नयी धारा का रक्खा जाना

८—मूल अधिनियम की धारा १२—बी बी के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जाए, अर्थात्—

"१२ बी बी—(१) इस अधिनियम तथा तद्धीन बनाए गए नियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, गांव सभाओं की निर्वाचक नामावलियों का तैयार करने का अधीक्षण, निदेश तथा नियंत्रण, और गांव पंचायतों के सदस्यों तथा गांव सभाओं के प्रधानों के सभी निर्वाचनों का संचालन निर्वाचन निदेशक (पंचायत) में निहित होगा।"

निर्वाचनों का अधीक्षण

धारा ११४ का संशोधन।

९—मूल अधिनियम की धारा ११४ की संख्या बदलकर उसकी उपधारा (१) कर दी जाए, और इस प्रकार पुनः संख्यांकित उपधारा (१) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा रख दी जाए, अर्थात्—

"(२) यदि उपधारा (१) के अधीन दिए गए निदेश के कारण प्रधान तथा उप प्रधान दोनों के पदों की रिक्तियां बिना भरे रह जाएं तो प्रधान के निर्वाचित होने तक, प्रधान के कृत्यों के निर्वहन के लिए नियत प्राधिकारी, आदेश द्वारा, ऐसा प्रबन्ध कर सकता है, जो वह ठीक समझे।"

१०—जब तक कि इस अधिनियम द्वारा यथा-संशोधित मूल अधिनियम के (जिसे आगे संशोधित अधिनियम कहा गया है) उपबन्धों के अधीन गांव पंचायत सम्यक् रूप से संघटित न हो जाए, अथवा गांव सभा का प्रधान या उप प्रधान सम्यक् रूप से निर्वाचित न हो जाए, तब तक २८ दिसम्बर, १९६८ के ठीक पूर्व पद धारण करने वाले, यथास्थित, गांव पंचायत के सदस्य और गांव सभा के प्रधान या उप प्रधान, संशोधित अधिनियम में यथा अन्यथा उपबंधित के सिवाय, उसी रूप में पद धारण किए रहेंगे और कार्य करते रहेंगे। संक्रमणकालीन उपबन्ध

प्रतिबन्ध यह है कि उक्त दिनांक के ठीक पूर्व विद्यमान या तत्पश्चात् उद्भूत होने वाली किसी भी आकस्मिक रिक्त की पूर्ति संशोधित अधिनियम के उबपन्धों के अनुसार की जाएगी।

११—राज्य सरकार, मूल अधिनियम के उपबन्धों से, इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित उस अधिनियम के उपबन्धों को संक्रमण के सम्बन्ध में उद्भूत होने वाली किसी कठिनाई को दूर करने के लिए, आदेश द्वारा, अवसर की अपेक्षानुसार कोई भी ऐसी बात कर सकेगी जो कठिनाई को दूर करने के लिए उसे आवश्यक प्रतीत हो : कठिनाइयों को दूर करने का अधिकार

प्रतिबन्ध यह है कि ऐसा कोई भी आदेश इस अधिनियम के प्रारम्भ से एक वर्ष के अवसान के पश्चात् नहीं दिया जाएगा।

अध्याय ३

उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् अधिनियम, १९६१ का संशोधन

१२—उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् अधिनियम, १९६१ की, जिसे आगे इस अध्याय में मूल अधिनियम कहा गया है, धारा ७ में— उ० प्र० अधिनियम संख्या ३३, १९६१ की धारा ७ का संशोधन

(क) उपधारा (१) में, उसके प्रतिबन्धात्मक खण्ड के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खण्ड रख दिया जाए, अर्थात्—

"प्रतिबन्ध यह है कि कोई व्यक्ति प्रमुख या उप प्रमुख के रूप में निर्वाचन के लिए तब तक पात्र न होगा जब तक कि उसने तीस वर्ष की आयु पूरी न कर ली हो।"

(ख) उपधारा (४) निकाल दी जाए।

१३—मूल अधिनियम की धारा ८ में— धारा ८ का संशोधन

(क) उपधारा (१) में, उसके प्रथम प्रतिबन्धात्मक खण्ड में, शब्द 'एक वर्ष' के स्थान पर शब्द 'तीन वर्ष' रख दिए जाएं,

(ख) उपधारा (४) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जाय, अर्थात्—

"(५) यदि कोई व्यक्ति, जो धारा ६ की उपधारा (१) के खण्ड (३) के अधीन क्षेत्र समिति का सदस्य चुना गया हो या उसकी उपधारा (२) के अधीन अनुमेलित हो, बाद में उक्त उपधारा (१) के किसी अन्य खण्ड के अधीन पदेन सदस्य हो जाए, तो तदुपरान्त ऐसे सदस्य के पद में जिसमें वह मूल रूप से चुना या अनुमेलित किया गया था, आकस्मिक रिक्त हो जाएगी।"

धारा ९ का संशोधन

१४—मूल अधिनियम की धारा ९ में—

(क) उसके द्वितीय प्रतिबन्धात्मक खण्ड में, शब्द 'प्रतिबन्ध यह भी है कि यदि के पश्चात् शब्द 'क्षेत्र समिति के कार्यकाल की समाप्ति क समय' बढ़ा दिए जाएं ;

(ख) द्वितीय प्रतिबन्धात्मक खण्ड के पश्चात् निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खण्ड बढ़ा दिया जाय, अर्थात्—

"प्रतिबन्ध यह भी है कि यदि क्षेत्र समिति के कार्यकाल की समाप्ति के समय या उसके पूर्व प्रमुख और दोनों उप प्रमुखों क पदों में रिक्ति हो, अथवा पुनः संघटित क्षेत्र समिति द्वारा प्रमुख निर्वाचित किए जाने के पूर्व, प्रमुख या प्रमुख के कृत्यों का निर्वहन करने वाले उप प्रमुख क पद में रिक्ति हो जाए तो नये प्रमुख के निर्वाचित होने तक, प्रमुख के कृत्यों के निर्वहन के लिए जिला मजिस्ट्रेट, आदेश द्वारा, एसा प्रबन्ध कर सकता है जो वह ठीक समझे।"

धारा १२ का संशोधन

१५—मूल अधिनियम की धारा १२ में, उपधारा (२) में, निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खण्ड बढ़ा दिया जाए, अर्थात्—

"प्रतिबन्ध यह है कि यदि ऐसी रिक्ति के होने के दिनांक को क्षेत्र समिति का शेष कार्यकाल छः माह से कम हो, चाहे कार्यकाल बढ़ाया गया था या नहीं, तो रिक्ति की पूर्ति नहीं की जाएगी।"

धारा १९ का संशोधन

१६—मूल अधिनियम की धारा १९ में, उपधारा (५) निकाल दी जाए।

धारा २० का संशोधन

१७—मूल अधिनियम की धारा २० में—

(क) उपधारा (१) में, प्रतिबन्धात्मक खण्ड में, शब्द "एक वर्ष" के स्थान पर शब्द "दो वर्ष" रख दिए जाएं;

(ख) उपधारा (४) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जाय, अर्थात्—

'(५) यदि कोई व्यक्ति, जो धारा १८ की उपधारा (१) के खंड (२), खण्ड (४) या खण्ड (५) के अधीन जिला परिषद् का सदस्य चुना गया हो या उसकी उपधारा (२) के अधीन अनुमोदित हो, बाद में उक्त उपधारा (१) के किसी अन्य खण्ड के अधीन पदेन सदस्य हो जाय, तो तदुपरान्त ऐसे सदस्य के पद में, जिसमें वह मूल रूप से चुना या अनुमोदित किया गया था, आकस्मिक रिक्ति हो जाएगी।"

धारा २१ का संशोधन

१८—मूल अधिनियम की धारा २१ में, उपधारा (२) में, उसके द्वितीय प्रतिबन्धात्मक खण्ड के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खण्ड रख दिया जाए, अर्थात्—

"प्रतिबन्ध यह भी है कि यदि परिषद् के कार्यकाल की समाप्ति के समय या उसके पूर्व अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों के पदों में रिक्ति हो अथवा पुनः संघटित परिषद् द्वारा अध्यक्ष निर्वाचित किए जाने के पूर्व अध्यक्ष या अध्यक्ष के कृत्यों का निर्वहन करने वाले उपाध्यक्ष के पद में

रिक्ति हो जाए तो नये अध्यक्ष के निर्वाचित होने तक, अध्यक्ष के कृत्यों का निर्वहन करने के लिए, राज्य सरकार, आदेश द्वारा, ऐसा प्रबन्ध कर सकती है जो वह ठीक समझे।"

धारा २५ का संशोधन

१९—मूल अधिनियम की धारा २५ में—

(क) पार्श्व शीर्षक में, शब्द "आकस्मिक" निकाल दिया जाए; और

(ख) उपधारा (२) और (३) में से प्रत्येक में निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खण्ड बढ़ा दिया जाए, अर्थात्—

"प्रतिबन्ध यह है कि यदि ऐसी रिक्ति के होने के दिनांक को जिला परिषद् का शेष कार्यकाल छः माह से कम हो, चाहे कार्यकाल बढ़ाया गया था या नहीं, तो रिक्ति की पूर्ति नहीं की जाएगी।"

नयी धारा २७-क का बढ़ाया जाना

२०—मूल अधिनियम की धारा २७ के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जाए, अर्थात्—

"२७-क—(१) धारा ७, १९ और २७ में दी हुई किसी बात के होते हुए भी,—

प्रमुख, उप प्रमुख, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष होने या बने रहने के लिए विधायकों तथा कतिपय पदधारियों पर रोक

(क) कोई भी व्यक्ति, प्रमुख, उप प्रमुख, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष निर्वाचित किए जाने या होने के लिए अनर्हित होगा, यदि वह—

(१) संसद या राज्य विधान मण्डल के सदस्य हो; या

(२) किसी नगरमहापालिका का नगर प्रमुख या उप नगर प्रमुख हो; या

(३) किसी नगरपालिका बोर्ड का प्रेसीडेंट या वाइस प्रेसीडेंट हो; या

(४) किसी टाउन एरिया कमेटी का चेयरमैन या किसी नोटीफ़ाइड एरिया कमेटी का प्रेसीडेंट हो;

(ख) यदि कोई व्यक्ति, प्रमुख, उप प्रमुख, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष निर्वाचित हो जाने के पश्चात् बाद में खण्ड (क) के उपखण्ड ( ) से (४) तक में उल्लिखित किसी पद पर, निर्वाचित या नाम-निर्दिष्ट हो जाए, तो वह अपने निर्वाचन या अपने नाम-निर्देशन की घोषणा के भारत या उत्तर प्रदेश के गजट में प्रथम बार प्रकाशित किए जाने के दिनांक को प्रमुख, उप प्रमुख, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के पद पर न रह जाएगा, और तदुपरान्त प्रमुख, उप प्रमुख, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के, जैसी भी दशा हो, पद में आकस्मिक रिक्ति हो जायगी;

(ग) ऐसा कोई भी प्रश्न या विवाद कि क्या कोई व्यक्ति खंड (ख) के अधीन अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के पद पर है या नहीं

धारा २७ के अधीन न्यायाधीश को न तो अभिदिष्ट किया जाएगा और न उसके समक्ष उठाया जाएगा,

(घ) ऐसे किसी प्रश्न या विवाद के सम्बन्ध में कि क्या कोई व्यक्ति खंड (ख) के अधीन प्रमुख, उप प्रमुख, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के पद पर नहीं रहा है, कोई वाद किसी दीवानी न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया जाएगा।

(२) किसी न्यायालय या न्यायाधिकरण के किसी प्रतिकूल निर्णय, डिक्री या आदेश के होते हुए भी, यदि कोई व्यक्ति प्रमुख, उप प्रमुख, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष निर्वाचित हो जाने के पश्चात् बाद में, ३० अप्रैल, १९६९ के पूर्व किसी समय उपधारा (१) के खण्ड (क) के उपखण्ड (१) से (४) तक में उल्लिखित किसी पद पर, निर्वाचित या नाम-निर्दिष्ट हो जाए, और उक्त दिनांक के ठीक पूर्व ऐसा पद धारण किए रहे, तो वह उक्त दिनांक को प्रमुख, उप प्रमुख, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के पद पर न रह जाएगा, और तदुपरान्त प्रमुख, उप-प्रमुख, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के, जैसी भी दशा हो, पद में आकस्मिक रिक्ति हो जाएगी और इस प्रकार पद पर न रह जाने के सम्बन्ध में उक्त उपधारा के खंण्ड (ग) और (घ) के उपबन्ध उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार वे उक्त उपधारा के खंड (ख) के अधीन पद पर न रह जाने के सम्बन्ध में लागू होते हों और किसी ऐसे प्रश्न या विवाद के सम्बन्ध में उक्त दिनांक के ठीक पूर्व धारा २७ के अधीन न्यायाधीश के समक्ष विचाराधीन कोई अभिदेश या किसी दीवानी न्यायालय में विचाराधीन कोई वाद समाप्त हो जाएगा।"

संक्रमणकालीन उपबन्ध

२१--धारा १५ या धारा १९ के खण्ड (ख) की कोई बात किसी जिला परिषद् के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष अथवा किसी क्षेत्र समिति के प्रमुख या उप प्रमुख के ऐसे पद की रिक्ति के सम्बन्ध में लागू न होगी जो ३० अप्रैल, १९६९ के पूर्व हुई हो।

वैधीकरण

२२—दिनांक २६ जून, १९६९ के पूर्व धारा २१ में अभिदिष्ट किसी रिक्ति की पूर्ति के लिए हुआ प्रत्येक निर्वाचन वैध समझा जाएगा और सदैव से ही वैध समझा जाएगा मानों धारा २१ और इस धारा के उपबन्ध सदैव प्रवृत्त थे।

अध्याय ४

निरसन

राष्ट्रपति अधिनियम संख्या ३८, १९६८, उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या २, १९६९ और उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या ४, १९६९ का निरसन

२३—उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) अधिनियम, १९६८, उत्तर प्रदेश गांव पंचायत, क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् (कार्यकाल का विस्तारण और विविध उपबन्ध) अध्यादेश, १९६९ और उत्तर प्रदेश गांव पंचायत, क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् (कार्यकाल का विस्तारण और विविध उपबन्ध) (संशोधन) अध्यादेश, १९६९ एतद्द्वारा निरस्त किए जाते हैं।

उद्देश्य और कारण

क्षेत्र समितियों तथा गाव पंचायतों के बढ़ाए हुए कार्यकाल क्रमशः ४ मई, १९६८ और ३० जून, १९६८ को समाप्त होने वाले थे। क्योंकि राष्ट्रपति के शासन में गांव पंचायतों और क्षेत्र समितियों के कार्यकाल को अग्रेतर एक वर्ष बढ़ाने का निश्चय किया गया तदनुसार उत्तर प्रदेश गांव पंचायत तथा क्षेत्र समिति (कार्यकाल का विस्तारण) अधिनियम, १९६८ राष्ट्रपति द्वारा अधिनियमित किया गया।

२—पंचायती राज के निर्वाचनों के संबंध में भारत सरकार द्वारा नियुक्त संस्थानम कमेटी ने यह सिफारिश की थी कि गांव पंचायतों के निर्वाचन गुप्त मतदान द्वारा और विधान सभा की निर्वाचक नामावलियों के आधार पर होने चाहिए। राज्य सरकार ने इन सिफ़ारिशों को स्वीकार किया और यू० पी० पंचायत राज ऐक्ट, १९४७ में राष्ट्रपति द्वारा अधिनियमित उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) अधिनियम, १९६८ द्वारा आवश्यक संशोधन किए गए।

३—चूंकि गांव पंचायतों के निर्वाचनों का स्थानीय महत्व होता है अतः यह निश्चय किया गया कि गांव पंचायतों का निर्वाचन विधान सभा की निर्वाचक नामावलियों का भलीभांति पुनरीक्षण करने के पश्चात् कराया जाय। तदनुसार गांव पंचायतों, क्षेत्र समितियों तथा जिला परिषदों का कार्यकाल अग्रेतर एक वर्ष तक बढ़ाने का निश्चय किया गया। चूंकि इन तीनों स्तरों के निकायों के कार्यकाल मई-जून, १९६९ में समाप्त होनेवाले थे और राज्य विधान मण्डल का सत्र नहीं हो रहा था, इसलिए उत्तर प्रदेश गांव पंचायत, क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद्, (कार्यकाल का विस्तारण और विविध उपक्रम) अध्यादेश, १९६९ प्रख्यापित किया गया, जिसमें, अन्य बातों के साथ-साथ, इन निकायों के कार्यकाल को अग्रेतर बढ़ाने तथा राष्ट्रपति द्वारा अधिनियमित उत्तर प्रदेश गांव पंचायत तथा क्षेत्र समिति (कार्यकाल का विस्तारण) अधिनियम, १९६८ को निरस्त करने की व्यवस्था की गयी थी।

४—३० अप्रैल, १९६९ को प्रख्यापित किए गए उक्त अध्यादेश में, और बातों के साथ-साथ, यह व्यवस्था की गई थी कि यदि, किसी क्षेत्र समिति के प्रमुख, उप प्रमुख अथवा किसी जिला परिषद् के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का पद रिक्त होने के समय इन निकायों का शेष कार्यकाल छः महीने से कम रह जाए तो रिक्तियां नहीं भरी जाएंगी। यह व्यवस्था क्षेत्र समितियों तथा जिला परिषदों के प्रशासन में निर्वाचनों के परिणामस्वरूप सम्भाव्य अस्त-व्यस्तता को बचाने के उद्देश्य से की गयी थी, विशेषकर, जब कि इन निकायों के सामान्य निर्वाचन शीघ्र ही होने वाले थे। क्योंकि ऐसी रिक्तियों को भरने के लिए कुछ चुनाव पहले ही हो गए थे यह निश्चय किया गया कि उनका वैधीकरण कर दिया जाय व उक्त अध्यादेश की धारा ६ और १० के उपबन्ध केवल उक्त अध्यादेश के प्रख्यापन के दिनांक व उसके बाद होने वाली रिक्तियों के लिए ही लागू हों। तदनुसार उत्तर प्रदेश गांव पंचायत, क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् (कार्यकाल का विस्तारण और विविध उपबन्ध) (संशोधन) अध्यादेश, १९६९, दिनांक २६ जून, १९६९ को प्रख्यापित किया गया।

५—यह विधेयक राष्ट्रपति द्वारा अधिनियमित उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) अधिनियम, १९६८ के और राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित उपर्युक्त दोनों अध्यादेशों के उपबन्धों को पुनः अधिनियमित करता है।

तदनुसार विधेयक पुरःस्थापित किया जाता है।

नारायण दत्त तिवारी,
श्रम एवं नियोजन मन्त्री।